वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

2008 - 2009

AR2008

कोल इण्डिया लिमिटेड

www.coalindia.nic.in

नवम्बर 2008 में बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, मुम्बई में आयोजित ''पावर इण्डिया-2008'' की प्रदर्शनी में कोल इण्डिया पैवेलियन का सामने का दृश्य।

Front view of Coal India Pavilion at "POWERINDIA 2008" Exhibition held at Bandra Kurla Complex, Mumbai, during November 2008

विषय-सूची

क्रम सं.		पृष्ठ संख्या
1.	बोर्ड के सदस्य	3
2.	2008-2009 के दौरान प्रबन्धन	4
3.	बैंकर्स एवं लेखा परीक्षक	5
4.	सूचना	6
5.	अध्यक्षीय प्रतिवेदन	7
6.	कोल इण्डिया लिमिटेड का निष्पादन - एक दृष्टि में (ग्राफिक्स प्रस्तुति)	12
7.	प्रचालकीय आँकड़े	13
8.	निदेशकीय प्रतिवेदन	18
9.	नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट	71
10.	नैगमिक अभिशासन प्रमाण-पत्र	76
11.	सीआईएल एवं इसकी अनुषंगियों का समेकित लेखा	77
12.	तुलन-पत्र	128
13.	लाभ एवं हानि लेखा	129
14.	लेखाओं पर अनुसूचियाँ	131
15.	लेखा-नीतियाँ एवं लेखाओं पर टिप्पणियाँ	152
16.	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 (1) (ई) के अनुसरण में दिनांक 31.3.2007 तक का विवरण	174
17.	भारत सरकार के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियाँ एवं लेखाओं का पुनरीक्षण	175
18.	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं कम्पनी के उत्तर	176

मण्डल के सदस्य

श्री पार्थ एस. भट्टाचार्या

डॉ. राजीव शर्मा

श्री संजीव मित्तल

श्री पी. के. बनर्जी

श्री अरविन्द पाण्डे

श्री एस. मुरारी

प्रो. एस. के. बरुआ

श्री एस. भट्टाचार्या

श्री एन. सी. झा

श्री आर. मोहन दास

डॉ. ए. के. सरकार

स्थायी आमंत्रित

श्री गिरिश चन्द्र

श्री डी. सी. गर्ग

श्री ए. के. सिंह

निदेशक मण्डल के सदस्य

(28 जुलाई, 2009 के अनुसार)

कार्यकारी निदेशकगण :

श्री पार्थ एस. भट्टाचार्या	:	अध्यक्ष
श्री एस. भट्टाचार्या	:	वित्त
श्री एन. सी. झा	:	तकनीकी
श्री आर मोहन दास	:	कार्मिक एवं औ. सं.
डॉ. ए. के. सरकार	:	विप्पणन

अंशकालिक सरकारी निदेशक :

डॉ. राजीव शर्मा	:	अपर सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री संजीव मित्तल	:	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार कोयला मंत्रालय, नयी दिल्ली

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकगण :

श्री पी. के. बनर्जी

श्री अरविन्द पाण्डे

श्री एस. मुरारी

प्रो. एस. के. बरूआ

स्थायी आमंत्रित

श्री गिरीश चन्द्र	:	अतिरिक्त सदस्य (यातायात परिवहन) रेलवे बोर्ड
श्री डी.सी. गर्ग	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
श्री ए. के. सिंह	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सीएमपीडीआईएल

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) / कम्पनी सचिव :

डॉ. एच. सरकार

2008-2009 के दौरान प्रबन्धन

अध्यक्ष :

श्री पार्थ एस. भट्टाचार्या	:	(01.10.2006 से)

कार्यकारी निदेशकगण :

श्री के. रंगनाथ	:	विप्पणन (04.10.2005 से 22.05.2008 तक)
श्री एस. भट्टाचार्या	:	वित्त (01.07.2006 से)
श्री एन. सी. झा	:	तकनीकी (01.01.2007 से)
श्री आर. मोहन दास	:	कार्मिक एवं औ. सं. (01.06.2007 से)

अंशकालिक सरकारी निदेशकगण :

डॉ. एस. पी. सेठ	:	अपर सचिव कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (23.10.2006 से 23.12.2008 तक)
डॉ. राजीव शर्मा	:	अपर सचिव कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (23.12.2008 से)
श्री संजीव मित्तल	:	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (10.09.2007 से)
श्री विवेक सहाय	:	सलाहकार (यातायात परिवहन) रेलवे बोर्ड, नयी दिल्ली (09.07.2007 से 20.08.2008 तक)
श्री डी.सी. गर्ग	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (15.02.2008 से 20.08.2008 तक)
श्री ए. के. सिंह	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सीएमपीडीआईएल (15.02.2008 से 20.08.2008 तक)

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकगण :

श्री पी. के. बनर्जी	:	(24.08.2007 से)
श्री अरविन्द पाण्डे	:	(24.08.2007 से)
श्री एस. मुरारी	:	(24.08.2007 से)
प्रो. एस. के. बरूआ	:	(24.08.2007 से)

स्थायी आमंत्रित:

श्री विवेक सहाय	:	एचएजी/आईआरटीसी सलाहकार (यातायात परिवहन) रेलवे बोर्ड, नयी दिल्ली (21.08.2008 से)
श्री डी.सी. गर्ग	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (21.08.2008 से)
श्री ए. के. सिंह	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सीएमपीडीआईएल (21.08.2008 से)

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) / कम्पनी सचिव :

डॉ. एच. सरकार	:	(30.09.1997 से)

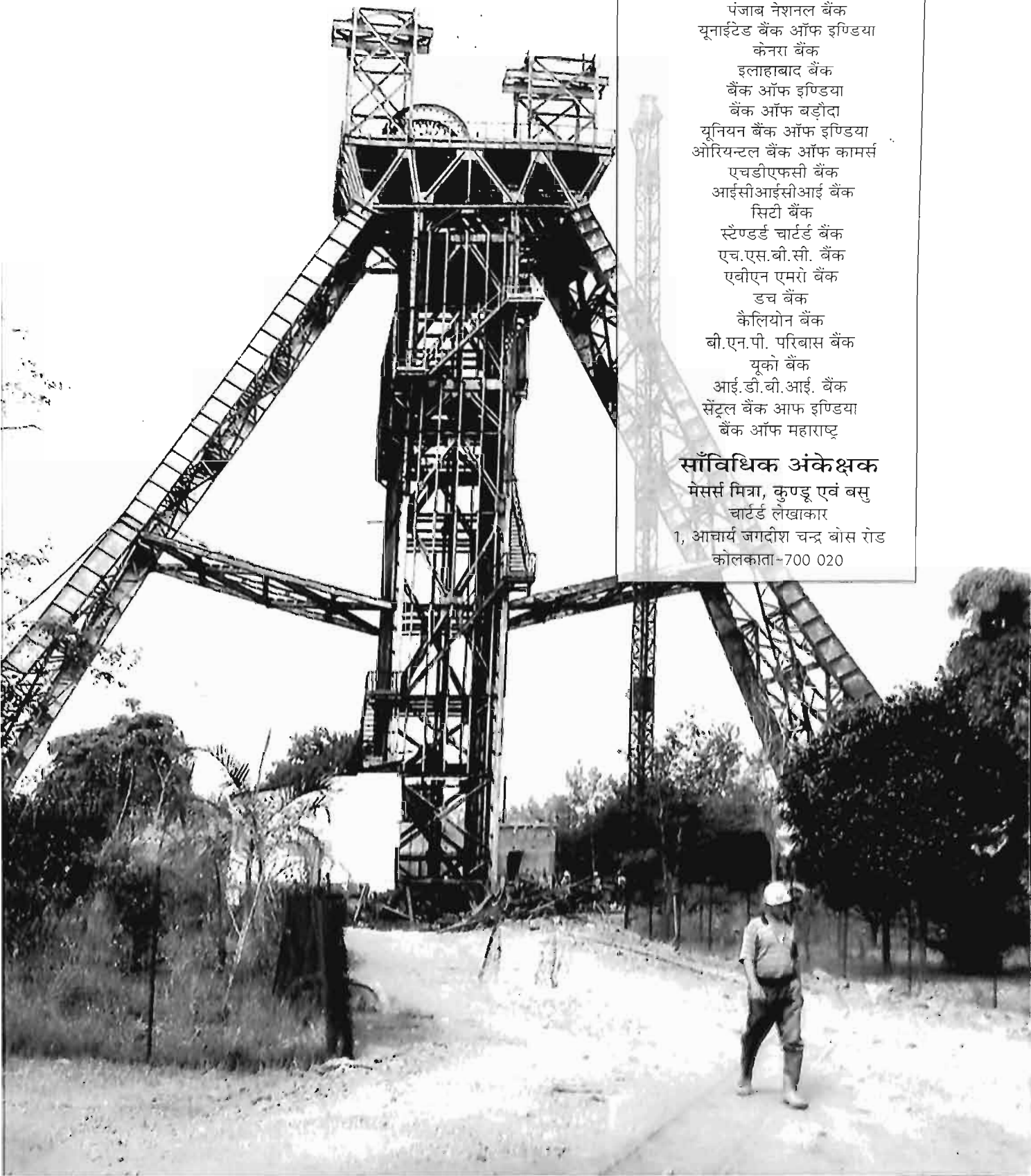

बैंकर्स एवं अंकेक्षक

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
पंजाब नेशनल बैंक
यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया
केनरा बैंक
इलाहाबाद बैंक
बैंक ऑफ इण्डिया
बैंक ऑफ बड़ौदा
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
सिटी बैंक
स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक
एच.एस.बी.सी. बैंक
एबीएन एमरो बैंक
डच बैंक
कैलियोन बैंक
बी.एन.पी. परिबास बैंक
यूको बैंक
आई.डी.बी.आई. बैंक
सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

साँविधिक अंकेक्षक

मेसर्स मित्रा, कुण्डू एवं बसु
चार्टर्ड लेखाकार
1, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड
कोलकाता-700 020

सूचना

सं. :सीआईएल/XI/(डी) 04043/2009 *दिनांक : 16 जुलाई, 2009*

कोल इण्डिया लिमिटेड की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

कोल इण्डिया लिमिटेड के सभी अंशधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक मंगलवार 28 जुलाई, 2009 को अपराह्न 11.30 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय कोल भवन, 10, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता में निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के लिए सम्पन्न होगी :

सामान्य कार्य :

1. 31 मार्च, 2009 तक के लिये अंकेक्षित तुलन-पत्र तथा 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि विवरणों के साथ-साथ साँविधिक अंकेक्षकों, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा निदेशक मण्डल के प्रतिवेदनों की प्राप्ति, उन पर विचार एवं उनको पारित करना।
2. इक्विटी शेयर पूँजी पर लाभांश घोषित करना।
3. डॉ. राजीव शर्मा, अपर सचिव, कोयला मंत्रालय, जो कम्पनी की नियमावली अनुच्छेद 33 (डी) (iii) की शर्तों के अनुसार सेवा निवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति।
4. श्री संजीव मित्तल, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कोयला मंत्रालय जो कम्पनी की नियमावली अनुच्छेद 33 (डी) (iii) की शर्तों के अनुसार सेवा निवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं, के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति।

बोर्ड के आदेशानुसार
ह./-
(डा. एच. सरकार)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव

कोलकाता - 16 जुलाई, 2009

टिप्पणी :

1. यदि कोई सदस्य, जो बैठक में भाग लेने एवं मतदान के अधिकारी हैं, चाहें तो अपनी ओर से किसी एक प्रतिनिधि को, जो उनकी ओर से मतदान करने के अधिकारी भी होंगे, की नियुक्ति हेतु सक्षम हैं। आवश्यक नहीं कि वह नामित व्यक्ति प्रतिनिधि कम्पनी का सदस्य ही हो।

अध्यक्षीय प्रतिवेदन

मित्रगण,

कोल इण्डिया लिमिटेड की 35वीं सामान्य बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष का निदेशकीय प्रतिवेदन और सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं समीक्षा आपके पास पहले से उपलब्ध है।

भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 12 फरवरी, 2009 को नयी दिल्ली में संसद को संबोधित करते हुए कोयला और कोल इण्डिया लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित बातें कहीं:-

''देश में कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत है..... एक नयी कोयला वितरण प्रणाली लागू की जा रही है और सभी को कोयला सुलभ कराने हेतु ई-नीलामी प्रारंभ की गई है। परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु कोल इण्डिया लिमिटेड को ''**नवरत्न**'' का दर्जा दिया गया है.....''

1. नवरत्न दर्जे की उपलब्धि

हाल के वर्षों में बेहतर भौतिक निष्पादन और मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के साथ देश में हो रहे वृहद क्षमता विस्तार को प्राप्त करने के लिए त्वरित कोयला उत्पादन की आवश्यकता हेतु कोल इण्डिया लिमिटेड को अक्टूबर, 2008 में नवरत्न कंपनी के दर्जे से अलंकृत किया गया। सीआईएल अब देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण संगठनों के चयनित दल में शामिल हो गया है। नवरत्न होने से सशक्तिकरण हेतु बढ़ी हुई शक्तियों से सीआईएल को परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु शीघ्र निर्णय लेने में मदद मिलेगी। यह उन्नत अवस्थिति सीआईएल को अधिक वित्तीय और संचालनात्मक स्वायत्ता प्रदान करेगी। सीआईएल अपने उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक कर्मठ और उत्तरदायी होगी।

2. निष्पादन

भौतिक और वित्तीय दोनों मानदण्डों पर समग्र रूप से सीआईएल का निष्पादन प्रशंसनीय रहा। सीआईएल ने पहली बार 400 मि.टन. कोयला उत्पादन के स्तर को पार करके वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 403.73 मि. टन कच्चे कोयले का उत्पादन किया है जो 6.4% की वृद्धि दर्ज करते हुए विगत वर्ष के कोयला उत्पादन से 24.27 मि.टन अधिक है। यह 405 मि. टन के एपीपी लक्ष्य का 99.7% है और ''**बहुत**

अच्छा'' दर हेतु 400 मि. टन के एमओयू लक्ष्य का 101% है। हाल के वर्षों में सीआईएल के सक्रिय उत्पादन के लक्षण से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि सीआईएल ने पाँच वर्षों के अंतराल पर 2003-04 में 300 मि. टन से छलांग लगाकर 2008-09 में 400 मि. टन का उत्पादन स्तर प्राप्त किया है। इस वित्त वर्ष के दौरान कच्चे कोयले की निकासी 401.46 मि. टन अधिक थी जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 7% स्वस्थ वृद्धि दर्ज करते हुए 26 मि. टन अधिक थी। इसके अतिरिक्त 2008-09 के दौरान 645.13 मि. क्यु. मी. अधिभार (ओवर बर्डेन) हटाया गया जो 2007-08 में 607.56 मि. क्यु. मी. की तुलना में 6.2% वृद्धि दर्शाता है।

वर्ष के दौरान निवेश लागत में तेज बढ़ोत्तरी का कारण वेज बोर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों दोनों का वेतन संशोधन था जो कुल उत्पादन लागत का 52.98% था। कोल इण्डिया लिमिटेड ने जनवरी, 2009 में राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (एनसीडब्ल्यूए - VIII) को अंतिम रूप दिया जिसमें 24% का बढ़ोत्तरी लाभ दिया गया जो अब तक सर्वाधिक है। सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अनुशंसा के आधार पर अधिकारियों का वेतन संशोधन प्रभाव में आया जिससे कंपनी के ऊपर वित्तीय प्रभाव पड़ा। इस लागत वृद्धि को मूल्य समायोजन के द्वारा अभी तक निष्प्रभावी नहीं किया गया है। वेतन और मजदूरी संशोधन के कारण 8348.70 करोड़ रुपये अधिक खर्च हुआ है जिससे पूर्व-कर लाभ 14092.80 करोड़ रुपये से 5744.10 करोड़ रुपये हुआ है। आपके निदेशकों ने 1000.00 रुपये प्रति पूर्ण भुगतानित 63163644 इक्विटी शेयर जिसे 6316.36 करोड़ रुपये पर मूल्यांकित किया गया है पर 270.00 रुपये प्रति शेयर की दर से भारत सरकार को 1705.42 करोड़ रुपये का लाभांश और उस पर देय कर के भुगतान की अनुशंसा की है।

3. दृष्टि क्षेत्र

कोल इण्डिया लिमिटेड का दृष्टि क्षेत्र खान से बाजार तक अच्छे आचरण का प्रदर्शन कर ऊर्जा क्षेत्र में देश का नेतृत्व करते हुए अग्रणी भूमण्डलीय कंपनी बनना है। भौतिक रूप में कोल इण्डिया लिमिटेड ने 2020 तक भारत एवं विदेश में कोयला खानों के विकास और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कोल बेड मिथेन, कोल गैसीफिकेशन और कोयला से तेल के द्वारा। बिलियन टन से ऊपर कोयले के बराबर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने की परिकल्पना की है।

4. विकास योजनाएँ

सीआईएल वर्षों से अपना उत्पादन बढ़ाकर वृद्धि को बरकरार रखा है और 2008-09 को समाप्त वित्त वर्ष में 403.74 मि.टन का उत्पादन किया है। 2009-10 के लिए सीआईएल का उत्पादन लक्ष्य 435 मि. टन है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 2011-12 के दौरान 7.6% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ सीआईएल 2011-12 में 520.5 मि:टन उत्पादन हेतु प्रतिबद्ध है। देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने की जिम्मेदारी के साथ सीआईएल भविष्य की संभावनाओं पर विचार कर रही है और 2016-17 तक 664 मि. टन उत्पादन हासिल करने की कल्पना की है।

5. नैगमिक अभिशासन

सीआईएल ने भारत सरकार सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी नैगमिक अभिशासन के दिशा निर्देशों में यथानिर्धारित नैगमिक अभिशासन की शर्तों (कुछ को छोड़कर जिनपर कार्य हो रहा है) का अनुपालन किया है। उक्त दिशा निर्देशों में यथा अपेक्षित नैगमिक अभिशासन पर एक अलग खण्ड निदेशकों की रिपोर्ट में जोड़ा गया है और नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन से संबंधित प्रमाण-पत्र पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त किया गया है।

6. दबाव वाले क्षेत्र/उपाय हेतु पहल

(क) गवेषणा क्षमता का संवर्धन

''**अनुमानित**'' और ''**निर्देशन**'' श्रेणी से ''**प्रमाणित**'' श्रेणी में रिजर्व बदलने हेतु बेधन लक्ष्य में पाँच गुना वृद्धि की गई है। कैप्टिव ब्लॉक धारकों को आबंटित कोयला ब्लॉकों की विस्तृत ड्रिलिंग और परियोजनाकरण का चुनौतीपूर्ण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

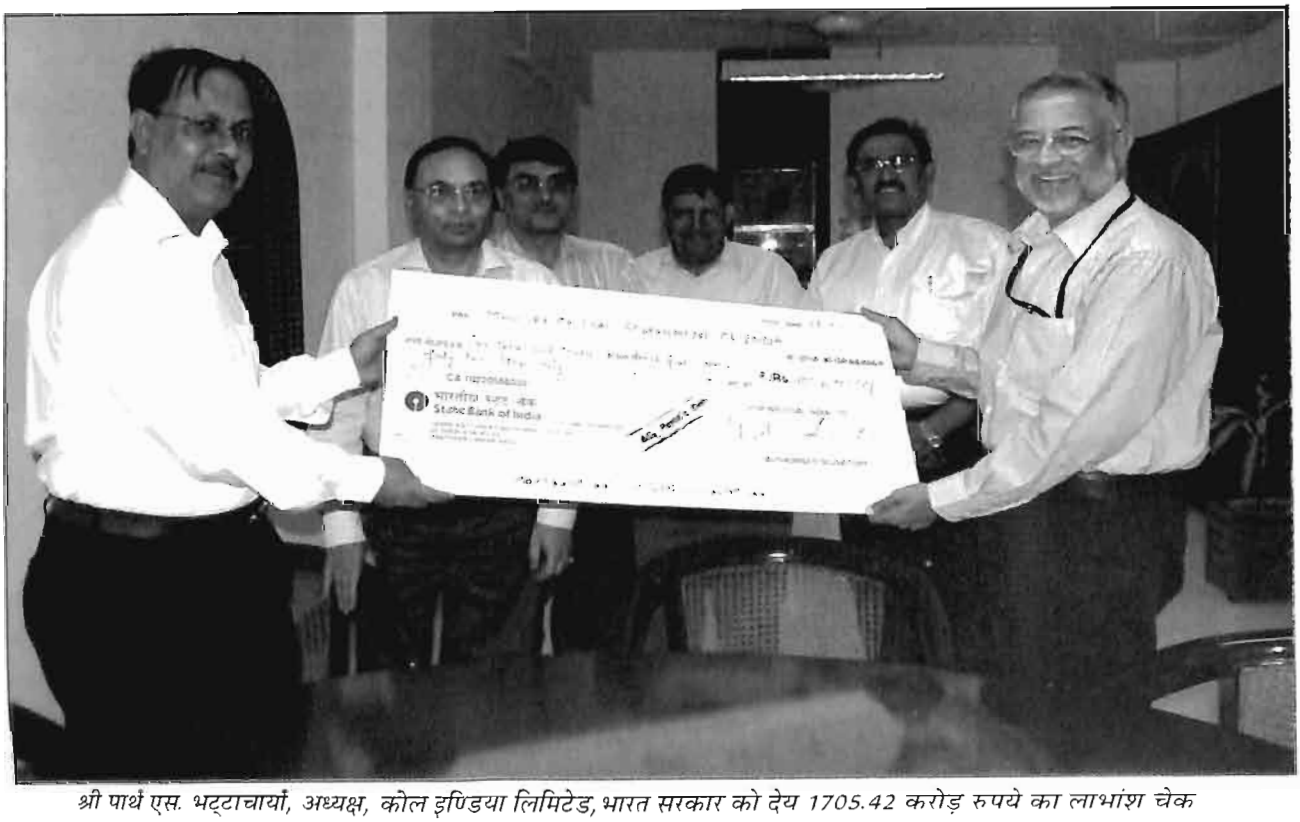

श्री पार्थ एस. भट्टाचार्या, अध्यक्ष, कोल इण्डिया लिमिटेड, भारत सरकार को देय 1705.42 करोड़ रुपये का लाभांश चेक श्री सी. बालाकृष्णन, सचिव, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय को सौंपते हुए

(ख) भूमिगत खनन पर पुनः ध्यान केंद्रित करना

सीआईएल की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल यह है कि भूमिगत (यू.जी.) खानों से कोयला उत्पादन प्रारंभ किया जाय। चूँकि देश को लंबे समय तक रिजर्व बरकरार रखना है, इसलिए 300 मीटर की गहराई से नीचे वृहद रिजर्व का दोहन करने हेतु भूमिगत उत्पादन पर पुनः ध्यान केन्द्रित किया गया है। यद्यपि इस माध्यम से उत्पादन लागत खुली खान उत्पादन की अपेक्षा काफी अधिक है। इस कठिन विकल्प को अपनाने हेतु सीआईएल ने राष्ट्रहित में एक जिम्मेदार कारपोरेट सिटिजन की भूमिका के रूप में इस पहल का विकल्प चुना है जिसमें सुगमता से खुली खान रिजर्व की समाप्ति को भविष्य में रोका जाय और रिजर्व को दीर्घकाल तक कायम रखा जाय।

त्वरित विकास हेतु तकनीक मुख्य विषय है, कोल इण्डिया लिमिटेड ने यह निर्णय लिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खान विकास कर्ताओं और संचालकों से 7 भूमिगत खान ब्लॉकों को पूर्णतया विकसित करवाया जाय। सीआईएल ने पिछले साल रूचि की भूमण्डलीय अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित किया था, इस आधार पर नौ भूमण्डलीय निविदाकर्ताओं को निविदा के अंतिम चक्र में छाँटा गया। सभी सात खानों हेतु एक सामान्य आदर्श निविदा कागजात तैयार किया गया है और अनुषंगी कंपनियों को निविदा कार्रवाई प्रारंभ करने की सलाह दी गई है। उम्मीद है कि इन सभी सात अलग-अलग मूल्य की निविदाओं को अगले वर्ष तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

(ग) परित्यक्त खानों का विकास

दूसरी महत्वपूर्ण पहल पूर्व में परित्यक्त ऐसी खानों का पुनर्निरीक्षण करना है और जो रिजर्व समाप्त न होने के अन्य कारणों से छोड़ दी गई हैं। इनमें से कुछ कारण कार्यरत सीम/पड़ोस की सीम में आग लगना, खान में और उसके आस-पास पानी आ जाना, पुरानी तकनीक के कारण खराब आमदनी, इस प्रकार की 18 खानें जिनमें उच्च गुणवत्ता के कोकिंग और तापीय कोयले जिनका रिजर्व अनुमानतः 1600 मि. टन से अधिक है, को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भूमिगत खनन कंपनियों के सहयोग से संयुक्त उद्यम प्रबंध के तहत एक बार पुनः विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया है। एक रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गयी थी जिनमें से 10 संभावित भागीदारों को छाँटा गया है। जुलाई-2009 में छाँटी गई पार्टियों के साथ एक पूर्व निट बैठक निट कागजातों को अंतिम रूप देने हेतु आयोजित की गई थी। कागजातों को अनुमानतः अगस्त महीने में छाँटे गये निविदाकर्ताओं को अंतिम चक्र की निविदा हेतु जारी कर दिया जाएगा।

(घ) कोयला परिष्करण

उत्पाद विभेदीकरण के सीमित क्षेत्र के साथ कोयला जैसे उत्पाद की स्पर्धात्मकता मुख्यतया गुणवत्ता और मूल्य पर केन्द्रित होती है। इस उत्पाद को वैश्विक स्तर पर स्पर्धात्मक बनाने, अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक लाने हेतु सीआईएल ने विशेष ध्यान दिया है। कोल इण्डिया ने यह नीतिगत निर्णय लिया है कि 2011-12 तक सभी नान-पिटहेड उपभोक्ताओं को परिष्कृत कोयला मिले। पहले काफी मात्रा में धुले हुए कोयले को इस विवाद के कारण बन्द करना पड़ा था कि धुलाई की कीमत कौन देगा। अतः विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादक कंपनी सीआईएल ने अच्छी गुणवत्ता हेतु 2.5 मि.टन क्षमता वाली सभी संभावित खुली खानों में अपने खर्च पर कोल वाशरियाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है। दूसरे शब्दों में सीआईएल ने धुलाई खर्च को वहन करने का निर्णय लिया है। हलाँकि उपभोक्ता कोयला गुणवत्ता और उच्चतर ताप मूल्य (हाइयर हीट वैल्यू) के परिणामस्वरूप भुगतान करेंगे।

कोयला परिष्करण कार्य में अपेक्षित कोर सक्षमता वाले संगठनों की भागीदारी से बिल्ड-आपरेट-मेनटेन (बीओएम) आधार पर कोयला परिष्करण की सुविधा प्रदान करने हेतु भूमण्डलीय निविदा आमंत्रित की गई है। पहले चरण में सीआईएल ने 2011-12 तक 19 वाशरियों को स्थापित करने के लिए चिन्हित किया हैं जिनमें मुख्य रूप से नान-कोकिंग कोल हेतु कुल 100.6 मि. टन वार्षिक धुलाई की जाएगी।

(च) पारदर्शिता पहल

- किसी उपभोक्ता को किसी स्थान से पारदर्शी तरीके से कोयला बेचने हेतु ई-नीलामी प्रारंभ करना।
- उच्च मूल्य उपलब्धता में इन्टीग्रिटी पैक्ट लागू करना।
- कुल सामग्री लागत का 20% तक भारी निवेश के क्रय को गति प्रदान करने हेतु ई-प्रोक्योरमेंट लागू करना।
- वैधानिक रूप से लागू ईंधन आपूर्ति समझौता (एफ.एस.ए.) के स्थान पर कोयला आपूर्ति हेतु लिंकेज प्रणाली लागू करना।

7. विदेश में कोयला संसाधन अर्जन हेतु पहल

कोल इण्डिया कोयला व्यापार में "**अन्तर्राष्ट्रीय**" सक्षमता हेतु तैयार है और अपने को भूमण्डलीय ऊर्जा कंपनी के रूप में परिवर्तित किया है। विदेश में कार्यरत या ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में इक्विटी स्टेक के माध्यम से कोयला संसाधन अर्जित करने की योजना तैयार है। वैश्विक संचालन में अनुकूल भागीदार के चयन हेतु भूमण्डलीय रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। विदेश में अर्जन के अवसर का पता लगाने हेतु कर्मठ निवेशकर्ता बैंकर्स का एक पैनल बनाया गया है। सेल, आरआईएनएल, एनएमडीसी और एनटीपीसी उपक्रमों के सहायता संघ

से गठित संयुक्त उद्यम "**इन्टरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड**" की एसपीवी में सीआईएल की इक्विटी 28.5% है।

वर्ष के दौरान सीआईएल ने मोजाम्बिक में दो अप्रयुक्त कोयला ब्लॉकों जिनका क्षेत्र लगभग 224 वर्ग कि.मी. है, को स्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से प्राप्त किया है और इनमें गवेषणा तथा विकास कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा।

8. ईंधन आपूर्ति समझौता

कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में 29 मई, 2009 को कोलकाता में एक ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) पर समझौता किया है। यह सरकार की अक्टूबर - 2007 में जारी नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के अनुसार है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि "**लेना या भुगतान**" प्रावधान पर निष्पादन आधारित वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय द्विपक्षीय ईंधन आपूर्ति समझौते के द्वारा उपभोक्ताओं को कोयला आपूर्ति की जायेगी।

ट्रिगर लेवेल जो कोयला आपूर्ति की न्यूनतम निश्चित मात्रा है, वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) का 90% निर्धारित किया गया है। 2009-10 हेतु सीआईएल संसाधनों से वर्तमान 15 एनटीपीसी विद्युत गृहों को एसीक्यू पर 114.7 मि.टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) देने को सहमति हुई है। इसके अतिरिक्त सीआईएल ने 31 मार्च, 2008 के बाद आनेवाले विद्युत गृहों हेतु 7.00 मि.टन कोयले का प्रावधान किया है।

विद्युत उपयोगिता हेतु ईंधन आपूर्ति समझौते की अवधि 20 वर्ष या विद्युत गृह की जीवन समाप्ति जो भी पहले होगी, एसीक्यू की प्रत्येक 5 वर्ष में संयुक्त समीक्षा के प्रावधान के साथ होगी।

सीआईएल द्वारा कोयला विपणन में उपभोक्ता अनुकूल व्यापारिक प्रथा के युग में एनटीपीसी और सीआईएल द्वारा आदर्श ईंधन आपूर्ति समझौता पर हस्ताक्षर किये जाने की उम्मीद है।

9. सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रशंसनीय साहसिक कार्य

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) ने भारतीय नेवी के मजगाँव डॉक में 3000 जीरोमैट के साथ नवसेना की जहाज में सेन्ट्रल लाइन एलाइनमेंट का कठिन कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया। सीएमपीडीआई भारतीय नेवी के इस कार्य को "**हानि नहीं लाभ नहीं**" के आधार पर सफलतापूर्वक पूरा करनेवाला पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया है।

10. ठोस धरातल पर जनसेवा

दूसरे देशों के विपरीत भारत में ऐसे क्षेत्रों में कोयला निक्षेप है जहाँ घनी जनसंख्या है। कोयला खनन के कारण लोग स्वाभाविक रूप से विस्थापित होते हैं। अत: सीआईएल अपनी यह जिम्मेदारी महसूस करता है कि खनन गतिविधियों के कारण विस्थापित हुए लोगों को पुन: बसाया जाय। सीआईएल "**मानवीय संवेदना के साथ खनन**" पर विश्वास करता है और कोयला क्षेत्रों में सतत् सामाजिक विकास का समर्थन सामुदायिक विकास योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से करता है। सीआईएल की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति (आर एण्ड पी.आर.) वास्तव में एनआरआरपी-2007 से एक कदम आगे है।

11. कर्मचारियों को संरक्षण

कोल इण्डिया लिमिटेड ने अपने कामगारों की सुरक्षा भावना में एक और अवलम्ब जोड़ते हुए नियोजन के दौरान किसी प्रकार की खान दुर्घटना में कर्मचारी की मृत और स्थायी या संपूर्ण अपंगता होने पर 5.00 लाख रुपये की अतिरिक्त राहत/लाभ देने का प्रावधान प्रारंभ किया है। यह क्षतिपूर्ति कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम -1930 (संशोधनों सहित) के अनुसार मिलने वाले लाभ और राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता(एनसीडब्ल्यूए) के तहत अन्य लाभ के अलावा है।

कोयला कामगारों का जीवन परिवर्तित करने के साधन के रूप में शिक्षा पर जोर देने के लिए सीआईएल ने कामगारों के उन बच्चों के शिक्षा के खर्च और हास्टल प्रभार देने की शुरुआत की है जिन्होंने चयनित इंजीनियरिंग कालेजों और सरकारी मेडिकल कालेजों में प्रवेश लिया है।

कुल 4.13 लाख घरों का निर्माण करके कर्मचारियों हेतु 100% आवास बनाये गये हैं। खान दुर्घटनाओं में जान गँवाने वाले खनिकों को श्रद्धाँजलि स्वरूप सभी कंपनियों में "**शहीद स्मारक**" स्थापित किये गये हैं। चिकित्सा हेतु पूरी तरह से सुसज्जित 85 अस्पतालों (5835 बिस्तरों) और 424 औषधालयों के अतिरिक्त 12 आयुर्वेदिक औषधालयों की सुविधा प्रदान की गयी है।

12. चिकित्सा विकास कार्यक्रम

बड़ी संख्या में स्वचालित औषधालय और स्वास्थ्य क्लिनिक प्रारंभ किये गये हैं। सभी केन्द्रीय अस्पतालों में टेली-मेडिसिन की सुविधा प्रारंभ की गयी है। कोयला खनन क्षेत्रों के आस-पास पूरी तरह से सुसज्जित सीआईएल के अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा प्रदान की गयी है।

13. पर्यावरणीय पुनरुद्धार

भारत में कोयला खनन का विकास कायम रखने के लिए कोल इण्डिया लिमिटेड ने अपनी अनुषंगी कंपनी सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) के माध्यम से सभी खुली कोयला खानों में भूमि पुनरुद्धार हेतु सेटेलाइट निगरानी प्रारंभ की है। मॉनीटरिंग प्रारंभ हो चुकी है और 2008-09 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा 35 खुली खान परियोजनाओं हेतु बेस लाइन सूचना पर आधारित सेटेलाइट चित्र तैयार किये गये है। सीआईएल द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी सभी खानें जो 5.00 मि. क्यू. मी. (कोयला एवं ओबी एक साथ) प्रतिवर्ष से अधिक उत्पादन करती हैं उनकी मानिटरिंग वार्षिक होगी। जबकि ऐसी खानें जो 5.00 मि. क्यू.मी. से कम उत्पादन करती हैं उनकी मानिटरिंग 3 वर्ष के नियमित अंतराल पर भूमि पर्यावरण पर कोयला खनन के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए की जायेगी। **सेटेलाइट चित्रों पर आधारित रिपोर्ट को अनुषंगी कंपनी द्वारा 100 दिनों के अंदर वेबसाइट पर अद्यतन किया जायेगा।** वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 10 खुली खान परियोजनाओं की पर्यावर्णीय प्रगति वेब पर प्रदर्शित की जा चुकी है। 2009-10 के दौरान इस प्रकार की मॉनीटरिंग के लिए 49 परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है।

कंपनी द्वारा वर्ष 2009-10 को **''पर्यावरण प्रबंधन''** वर्ष घोषित किया गया है। लगभग 7 करोड़ पौधे लगाये गये हैं जिनमें से 75% से ऊपर जिन्दा है। 29 खुली खानें और 1 वाशरी आईएसओ-1401 प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

14. सुरक्षा-पहली प्राथमिकता

कोल इण्डिया लिमिटेड का सुरक्षा उद्देश्य अपनी सभी खानों में **''शून्य हानि संभावना''** प्राप्त करना है। सीआईएल का पहला ध्यान खनिकों एवं खानों की सुरक्षा पर है। मल्टी डिस्प्लीनरी आंतरिक सुरक्षा संगठन (आईएसओ) के साथ बनाई गई सुरक्षा नीति बहुत स्पष्ट और निर्णायक है जो सभी अनुषंगी कंपनियों सहित कोल इण्डिया लिमिटेड (मुख्यालय) में लागू है। वर्षों से सीआईएल के सुरक्षा निष्पादन में काफी महत्वपूर्ण सुधार आया है।

1975 की तुलना में विगत 34 वर्षों के दौरान कुल घातक और गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या में 4 गुना कमी आयी है। 2008 के दौरान सीआईएल ने अपनी 93% खानों में जोखिम अनुमान पूरा किया है। चिन्हित जोखिम पर आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार की गयी है और कार्यवाही कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग और समीक्षा नियमित की जा रही है। कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों में विधिवत् सुसज्जित बचाव सेवा संगठन कार्यरत है जहाँ बचाव कर्मियों को आधुनिक प्रशिक्षण और आधुनिक बचाव उपकरणों के साथ प्रशिक्षित किया जाता है।

15. पुरस्कार/उत्कृष्टता की पहचान

उपक्रम उत्कृष्टता पुरस्कार

इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ इण्डस्ट्रीयल इंजीनियरिंग द्वारा कोल इण्डिया लिमिटेड को **''उपक्रम उत्कृष्टता पुरस्कार 2007''** प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार सीआईएल को वित्तीय संचालन शक्ति में 5 सापेक्ष महत्व-वित्तीय शक्ति, उपलब्धि, आंतरिक कार्यवाही, अनुसंधान एवं पाण्डित्य तथा वाह्य उपभोक्ता उन्मुखता के अंतर्गत आंका गया है।

विश्व की सबसे बड़ी कोयला कंपनी पुरस्कार

कोल इण्डिया लिमिटेड को नयी दिल्ली में फर्स्ट दलाल स्ट्रीट इनवेस्टमेंट जर्नल अवार्ड- 2009 में **''विश्व की सबसे बड़ी कोयला कंपनी''** पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

16. प्रत्याशा

मुझे विश्वास है कि आनेवाले दिनों में कोल इण्डिया लिमिटेड नयी ऊँचाइयों के कीर्तिमान स्थापित करेगा और पहले की तरह सभी स्तरों पर समर्पित कार्य निष्पादन के साथ सभी पणधारियों यथा-कर्मचारियों, सरकार, उपभोक्ताओं और अंततः राष्ट्र की आशाओं को पूरा करेगा।

17. आभार

अन्ततः मैं कोयला मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार के अन्यान्य मंत्रालयों एवं विभागों, राज्य सरकारों, अपने कर्मचारियों, श्रम संघों और अपने उपभोक्ताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं को उनकी अबाधित सहायता एवं निरंतर सहयोग के लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

ह./-

पार्थ एस. भट्टाचार्या

अध्यक्ष

कोलकाता

दिनांक : 28 जुलाई, 2009

कोल इण्डिया लिमिटेड की कार्य क्षमता का आंकलन — एक दृष्टि में

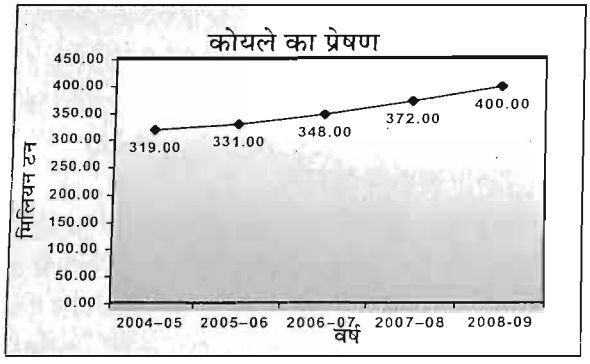

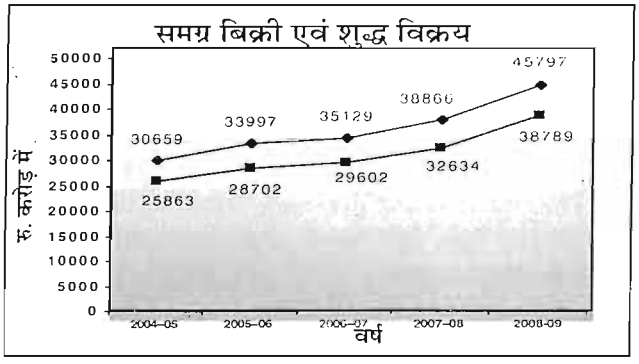

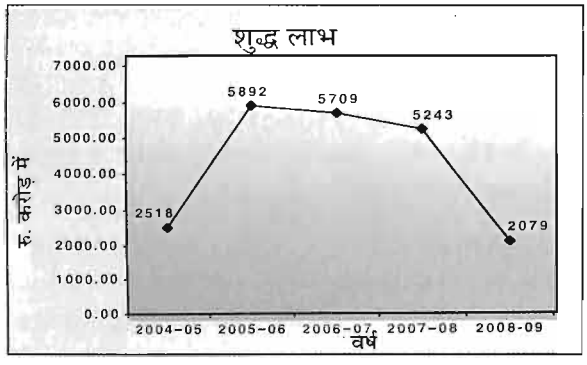

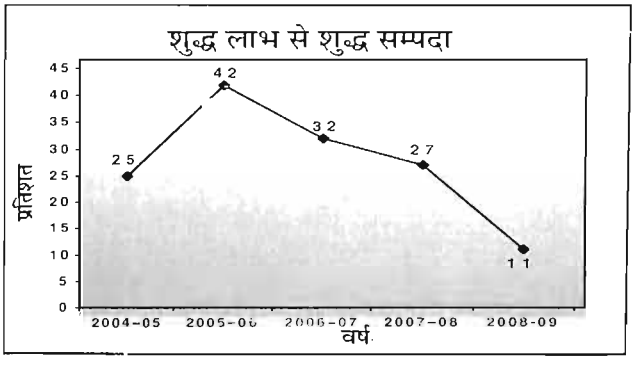

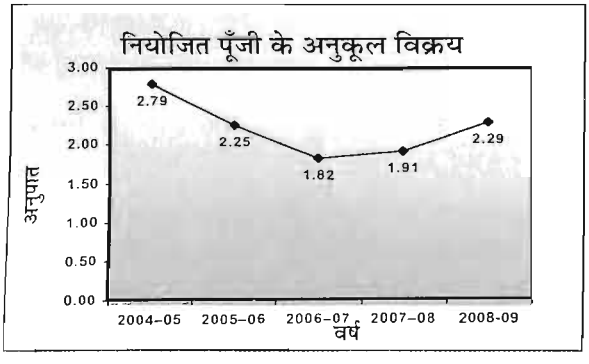

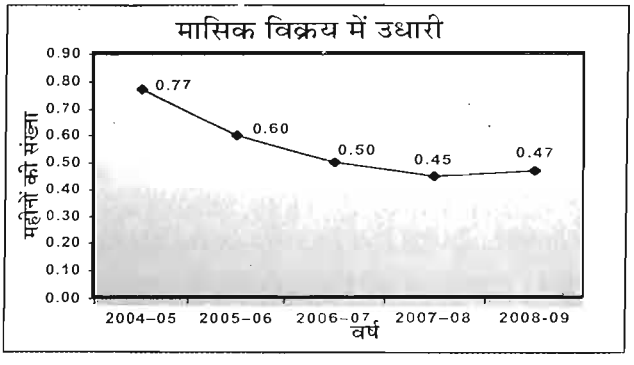

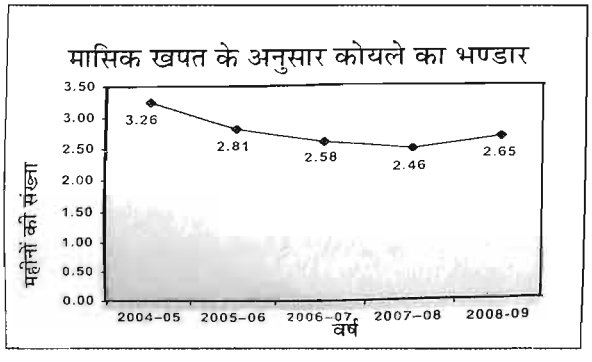

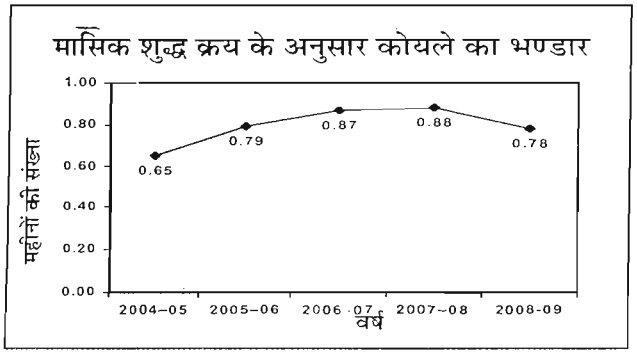

परिचालनात्मक सांख्यिकी
(कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों के लिये समेकित)

31 मार्च को समाप्त	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
1. (क) कच्चे कोयले का उत्पादन *(मिलियन टनों में)*										
भूगर्भीय	43.96	43.54	43.32	45.82	47.04	47.44	48.42	49.22	50.56	52.32
खुलीमुख	359.77	335.92	317.59	297.57	276.54	258.92	242.27	230.43	217.58	208.266
योग	403.73	379.46	360.91	343.39	323.58	306.36	290.69	279.65	268.14	260.58
(ख) ओवर वर्डेन रिमूवल : (मि. घन मीटर में)	645.13	607.56	537.65	533.94	516.11	497.00	501.20	490.13	487.39	462.40
2. प्रेषण कच्चा कोयला (मिलियन टनों में)										
विद्युत	296.74	280.15	262.14	256.65	248.86	234.23	219.93	217.18	207.43	195.08
इस्पात / हार्ड कोक	9.00	10.01	9.85	10.02	11.70	12.18	12.28	12.37	13.87	15.45
रेलवे	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अन्यान्य	95.72	85.17	79.15	66.99	60.99	58.03	57.01	52.88	52.51	53.11
योग	401.46	375.33	351.14	333.66	321.55	304.44	289.22	282.43	273.81	263.64
3. औसत श्रमशक्ति	419214	432710	445815	460369	476577	493061	510671	530987	552061	574477
4. उत्पादकता										
(क) प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति औसत (टनों में)	979.11	890.59	821.48	759.23	652.70	632.06	569.23	526.65	485.71	453.600
(ख) प्रति व्यक्ति पाली उत्पादन (ओएमएस)										
(i) भूमिगत (टनों में)	0.76	0.73	0.71	0.71	0.69	0.68	0.69	0.64	0.63	0.61
(ii) खुली मुख (टनों में)	8.95	8.60	8.00	7.51	7.18	6.67	6.30	6.08	5.90	5.44
(iii) समग्र (टनों में)	4.09	3.79	3.54	3.26	3.05	2.82	2.67	2.45	2.29	2.10

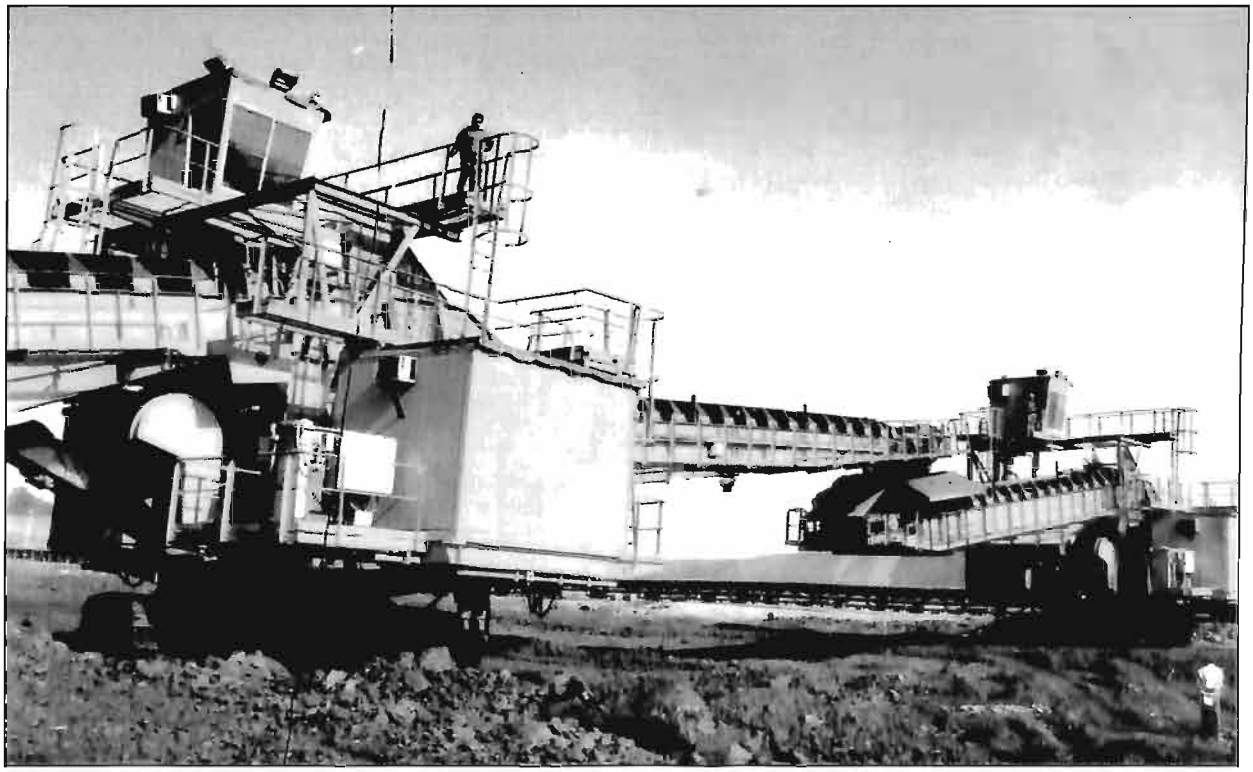

पिपरवार ओसीपी में संचालित मॉडर्न ओपेन कास्ट माइनिंग मशीन - इन पिट कोल क्रशर

वित्तीय स्थिति

(कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगियों के समेकित लेखा पर आधारित)

परिचालनात्मक सांख्यिकी

(रु. करोड़ में)

	समेकित ऑडिट लेखा के अनुसार								अन-ऑडिटेड समेकित	
31 मार्च को समाप्त वर्ष	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01	1999-00
(क) जो स्वामित्व में है										
सकल स्थिर परिसम्पत्तियाँ	33256.13	31856.91	30257.42	29223.34	28057.55	27622.92	26812.12	26054.82	25305.86	24546.79
घटाकर : ह्रास/क्षति	22234.89	21360.32	20040.56	19080.62	17899.98	16523.06	15377.60	13882 07	12664.34	11457.95
(1) शुद्ध स्थिर परिसम्पत्तियाँ	11021.24	10496.59	10216.86	10142.72	10157.57	11099.86	11434.52	12172 75	12641.52	13088.84
(2) चालू पूंजीगत कार्य	1919.49	1620.09	1335.18	1205.95	1347.45	1188.57	1288.94	1130.87	1104.99	1194.11
(3) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	926.77	977.72	690.63	650.88	590.13	131.91	167.86			
(4) विविध खर्चे एवं अन्यान्य देय									216.44	70.84
(5) निवेश (आन्तरिक)	1505.18	1717.90	2025.88	2244.52	2244.52	2244.52	80.08	80.08	80.10	80.10
(6) वर्तमान परिसम्पत्तियाँ :										
(i) (क) कोयले, कोक आदि का भण्डार	2514.98	2381.24	2137.04	1889.50	1405.72	1175.25	1138.65	1057.23	1145.46	1242.19
(ख) भण्डार एवं पुर्जे आदि की सूची	1083.39	909.36	900.67	921.92	915.75	931.64	950.66	1002.47	1101.09	1121.20
(ग) अन्य भण्डारिक स्थिति	84.51	93.36	82.76	90.40	95.71	85.01	92.08	86.32	104 37	104.62
(ii) विविध देनदार (सीएमपीडीआईएल सहित)	1826.14	1657.06	1586.41	1804.47	2072.14	2484.34	4245.61	4503.81	4797.61	4155.22
(iii) नगद एवं बैंक में शेष जमा	29695.01	20961.48	15929.27	13427.24	7986.95	2966.55	1590.84	1131.84	767.27	787.08
(iv) ऋण एवं अग्रिम	11891.86	10304.29	8191.88	6278.10	5059.72	4361.32	3648.99	3875.70	2714.48	2320.00
कुल वर्तमान परिसम्पत्तियाँ (6)	47095.89	36306.79	28828.03	24411.63	17535.99	12004.11	11666.83	11657.37	10630.28	9730.31
(7) वर्तमान देयता एवं प्रावधानों को घटाकर	41153.15	29695.18	22820.97	21741.25	18341.40	14478.96	12464.22	12602.59	13930.33	10032.33
शुद्ध वर्तमान परिसम्पत्तियाँ (6-7)	5942.74	6611.61	6007.06	2670.38	-805.41	-2474.85	-797.39	-945.22	-3300.05	-302.02
योग (क)	**21315.42**	**21423.91**	**20275.61**	**16914.45**	**13534.26**	**12190.01**	**12174.01**	**12438.48**	**10743.00**	**14131.87**
(ख) जो स्वामित्व में है										
(1) 10% रिडीमेबल प्रीफरेंश शेयर									904.18	904.18
(2) सरकारी ऋण					07.09	125.23	143.36	812.72	898.56	1446.20
(3) अर्जित ब्याज आय एवं देय			0.18	71.62	71.62	98.65	98.47	816.86	163.59	80.57
(4) अन्तर कम्पनी ऋण									722 74	840.48
(5) सावधि ऋण (वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों से)									262.54	481.12
(6) वाण्ड्स				14.00	25.00	36.00	47.07	58.06	563.46	584 33
(7) कर देयता को आस्थगित करते हुए		197.64	242.41	480.64	646.79	507.32	528.57	67.40		
(8) अन्यान्य (विदेशी ऋण, आस्थगित क्रेडिट सहित)	1980.54	1675.48	1835.88	2018.41	2343.10	2526.14	2849.13	3228.55	2809.41	2710.46
उप-योग (1 से 8)	**1980.54**	**1873.12**	**2078.47**	**2584.67**	**3193.60**	**3293.34**	**3666.60**	**4983.59**	**6324.48**	**7047.34**
(9) बैंक से उधार (ओ. डी. एवं अन्य सहित)	167.94	208.43	307.84	214.96	202.32	353.23	1147.70	1271.47	388.72	944.87
योग (ख)	**2148.48**	**2081.55**	**2386.31**	**2799.63**	**3395.92**	**3646.57**	**4814.30**	**6255.06**	**6713.20**	**7992.21**
(ग) अल्प ब्याज	**1.90**									
शुद्ध संपत्ति (क - ख - ग)	**19165.04**	**19342.36**	**17889.30**	**14114.82**	**10138.34**	**8543.44**	**7359.71**	**6183.42**	**4029.80**	**6139.66**
प्रतिनिधित्व										
(1) इक्विटी पूंजी (लम्बित आवंटन सहित)	6316.36	6316.36	6316.36	6316.36	6316.36	6316.36	7220.54	7220.54	6316.36	6316.36
(2) सुरक्षित	8615.86	7676.20	6798.49	5893.98	5279.37	4820.91	4699.50	4098.41	3000.76	2484.64
(3) लाभ/हानि(+)/(-)	4232.84	5349.80	4774.45	1904.48	-1457.39	-2593.83	-4560.33	-5135.53	-5287.32	-2661.34
(4) मिश्रित व्यय (देय/भार सहित)	0.02									
शुद्ध मूल्य (1 से 4 तक)	**19165.04**	**19342.36**	**17889.30**	**14114.82**	**10138.34**	**8543.44**	**7359.71**	**6183.42**	**4029.80**	**6139.66**
नियोजित पूंजी	**16963.98**	**17108.20**	**16223.74**	**12741.48**	**9280.54**	**8526.36**	**10618.74**	**10490.75**	**9257.98**	**12786.35**

टिप्पणी : धारक कंपनी में गैर मान्य ब्याज आदि अपनी अनुषंगियों में से किसी एक के लिए इस समेकन से (लेखा मानक - 9 के अनुसार) (लेखा मानक - 21 के प्रावधान का अनुपालन करते हुए) निकाल दिया गया है, उपर दर्शाये गये लाभ के साथ ही साथ संबंधित संगत आंकड़ों को उसी विचलन के साथ पढ़ा जा सकता है।

आय एवं व्यय विवरण

परिचालनात्मक सांख्यिकी

(कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के समेकित लेखा पर आधारित)

(रु. करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	समेकित ऑडिट लेखा के अनुसार								अन-ऑडिटेड समेकित	
	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01	1999-00
(ए) निम्नलिखित से आय										
सकल विक्रय	45796.59	38865.70	35129.17	33997.19	30659.46	26234.17	24228.06	22686.86	20811.00	19589.19
विकासशील खानों से प्राप्त कोयले को घटाकर	11.55	9.25	1.20	8.79	8.00	0.81	1.13	7.38	67.57	62.64
लेवी घटाकर (राजस्व, सेस आदि)	6996.21	6222.59	5525.78	5286.57	4788.60	4333.35	3829.65	3375.24	3252.74	3136.79
(1) शुद्ध विक्रय	38788.83	32633.86	29602.19	28701.83	25862.86	21900.01	20397.28	19304.24	17490.69	16389.76
(2) भण्डारों में वृद्धि/ह्रास	133.61	244.20	247.55	483.77	230.47	36.60	81.42	-79.80	-102.21	-240.23
(3) वायलर एवं घरेलू खपत	2021.98	1974.54	1940.47	2054.04	1819.75	1568.40	1560.61	1505.79	186.32	194.37
(4) अन्य राजस्व प्राप्तियाँ : सीएमपीडीआईएल									155.98	92.67
अन्यान्य (परिवहन एवं वसूलियों एवं निर्माण के बाद समा.)	5119.65	3764.10	3215.21	2769.14	1974.04	2258.08	1547.64	1305.41	320.84	344.31
कोयला मूल्य विनियमन लेखा										
योग (ए)	46064.07	38616.70	35005.42	34008.78	29887.12	25763.09	23586.95	22035.64	18051.62	16780.88
(बी) भुगतान किया गया/प्रावधानित किया गया										
कर्मियों को पारिश्रमिक एवं सुविधाएँ (सकल राजस्व)	20220.16	12939.48	10350.39	9985.69	11263.67	9191.73	8195.15	8157.62	10204.32	6927.95
घटाकर : अन्य राजस्व शीर्ष में स्थानान्तरित	518.77	378.76	355.02	332.06	305.94	279.70	269.66	262.73	430.54	386.20
(1) शुद्ध वेतन एवं मजदूरी (स्वै. सेवा निवृत्ति भुगतान को छोड़कर)	19701.39	12560.72	9995.37	9653.63	10957.73	8912.03	7925.49	7894.89	9773.78	6541.75
(2) स्वै. सेवा निवृत्ति भुगतान (शुद्ध ग्रान्ट प्राप्ति का कुल)	40.69	74.44	102.16	134.36	152.36	271.52	246.54	359.31	98.41	116.65
(3) सामाजिक शीर्ष (एलएलटीसी एवं घरेलू कोयला सहित)	1907.44	1642.15	1491.93	1380.39	1344.94	1280.09	1185.41	1159.57	1242.42	1126.94
घटाकर : सामाजिक खर्च (ह्रास एवं ब्याज)	22.32	19.29	13.88	12.65	12.51	11.34	13.66	13.78	58.11	57.15
सामाजिक खर्च (विभागीय एवं संस्थानिक छोड़कर)	1885.12	1622.86	1478.05	1367.74	1332.43	1268.75	1171.75	1145.79	1184.31	1069.79
(4) भण्डार एवं पुर्जे (सकल आरक्षित)	4914.03	4432.11	4182.28	3939.97	3373.26	3246.50	3105.97	2946.47	2782.89	2587.62
घटाकर : अन्य राजस्व शीर्ष में स्थानान्तरित	52.73	53.55	56.68	51.22	46.14	42.87	44.51	42.28	40.68	42.02
भण्डार एवं पुर्जे (शुद्ध)	4861.30	4378.56	4125.60	3888.75	3327.12	3203.63	3061.46	2904.19	2742.21	2545.60
(5) (i) विद्युत एवं ईंधन (कोयला खपत को छोड़कर)	1595.05	1593.70	1600.35	1551.33	1502.14	1480.17	1435.38	1378.36	1346.63	1317.70
(ii) बॉयलर एवं कोलियरी खपत	1992.15	1950.86	1848.05	2013.67	1739.23	1394.18	1391.42	1277.40	57.28	56.02
(6) ठेकेदार (यातायात एवं मरम्मत)	4125.92	3342.95	2758.31	2624.68	2346.09	1927.40	1794.00	1581.03	892.92	812.74
(7) विविध व्यय	1950.91	1506.70	1287.16	1356.40	1108.07	949.42	762.61	752.46	653.60	814.51
(8) संदिग्ध ऋण के प्रावधान, अप्रयुक्त इत्यादि	176.00	232.01	116.86	34.41	202.26	17.38	417.31	560.44	537.10	578.77
(9) ब्याज (एस.ओ. एवं पी.पी. सहित)	156.50	149.93	84.93	90.90	190.15	147.90	303.60	447.93	681.77	695.68
(10) ह्रास (एस.ओ./पी.पी. तथा क्षति सहित)	1690.90	1560.65	1357.81	1357.38	1355.01	1397.60	1393.39	1450.98	1503.52	1518.54
(11) ओ.बी.आर. समायोजन	2177.19	1564.03	1686.58	1209.89	852.74	497.48	344.47	207.44	-19.31	56.94
(12) पी.पी. समायोजन (सीपीआरए एवं ब्याज ह्रास छोड़कर)	-33.15	-659.17	-38.28	-62.82	-72.26	-383.49	206.74	35.44	13.87	-37.68
योग (बी)	40319.97	29878.24	26402.95	25220.32	24993.07	21083.97	20454.16	19995.66	19466.09	16087.01
वर्ष के लिए लाभ/हानि (ए - बी)	5744.10	8738.46	8602.47	8788.46	4894.05	4679.12	3132.79	2039.98	-1414.47	693.87
निवेश भत्ता आरक्षित						16.35	31.22			42.24
लाभ पर कर	-3665.41	-3495.19	-2893.74	-2896.94	-2376.35	-1797.74	-1410.83	-1213.94	-660.29	-846.78
प्रस्तावित लाभांश	-1705.42	-1705.42	-1500.00	-1263.27	-274.55	-181.32	-90.42	-90.42	-90.42	-115.67
लाभांश पर कर	-549.36	-885.34	-534.43	-475.64	-247.79	-202.15	-124.50		-61.82	-104.41
सामान्य रिजर्व में स्थानान्तरित	-933.92	-889.74	-904.61	-798.68	-557.31	-503.16	-257.43	-256.86	-132.30	-197.75
प्राधिकृत शेयर एवं बॉण्ड रिडम्पशन निधि	-6.99	-6.75	-13.80	-3.09	87.46	-44.60	-211.41	-326.97	-357.91	-610.70
अन्य समायोजन (आस्थगित कर, कर का अत्याधिक प्रावधान)	0.03	-1180.66	114.08	11.03	69.75		-494.22		91.23	
क्षति के लिए समायोजन					-458.82					
गत वर्ष से संचयित लाभ/हानि	5349.81	4774.45	1904.48	-1457.39	-2593.83	-4560.33	-5135.53	-5287.32	-2661.34	-1522.14
तुलन पत्र में संचयित लाभ/हानि	4232.84	5349.81	4774.45	1904.48	-1457.39	-2593.83	-4560.33	-5135.53	-5287.32	-2661.34
संचयित लाभ/हानि (रिजर्व में अन्तरण के पूर्व)	112848.70	13026.01	11572.94	7798.46	3821.98	2227.08	139.17	-1037.12	-2286.56	-776.70

टिप्पणी : उपरोक्त वित्तीय स्थिति समेकित लेखा (लेखा मानक - 21) के अनुसार तैयार की गई है। जबसे धारक कंपनी में गैर मान्य ब्याज आदि अपनी अनुषंगियों में से किसी एक के लिए इस समेकन में लेखा विनियम 9 के अनुसार (लेखा मानक - 21 के प्रावधान का अनुपालन करते हुए) निकाल दिया गया है, उपर दर्शाये गये लाभ के साथ ही साथ संबंधित संगत आंकड़ों को उसी विचलन के साथ पढ़ा जा सकता है।

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचनायें
परिचालनात्मक सांख्यिकी

(रु. करोड़ में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष	समेकित ऑडिट लेखा के अनुसार								अन-ऑडिटेड समेकित	
	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01	1999-00
(क) परिसम्पत्तियों एवं देयताओं से संबंधित										
(1) (i) प्रत्येक 1000 रु. के इक्विटी शेयरों की संख्या (सीआईएल)	63163644	63163644	63163644	63163644	63163644	63163644	72205444	6316364	63163644	63163644
(ii) शेयरहोल्डरों की निधि										
(क) इक्विटी	6316.36	6316.36	6316.36	6316.36	6316.36	6316.36	7220.54	7220.54	6316.36	6316.36
(ख) सुरक्षित	8615.86	7676.20	6798.49	5893.98	5279.37	4820.91	4699.50	4098.41	3000.76	2484.64
(ग) संचित हानि/लाभ	4232.84	5349.80	4774.45	1904.48	-1457.39	-2593.83	-4560.33	-5135.53	-5287.32	-2661.34
(घ) विविध खर्च (डी/देयता)	0.02									
शुद्ध मूल्य	19165.04	19342.36	17889.30	14114.82	10138.34	8543.44	7359.71	6183.42	4029.80	6139.66
(2) व्याज	1980.54	1675.48	1836.06	2104.03	2439.72	2660.79	2994.67	4103.47	6324.48	7047.34
(3) पूंजी नियोजन	16963.98	17108.20	16223.74	12741.48	9280.54	8526.36	10618.74	10490.75	9166.75	12786.35
(4) (i) सकल जमा परिसम्पत्ति	11021.24	10496.59	10216.86	10142.72	10157.57	11099.86	11434.52	12172.75	12641.52	13088.84
(ii) वर्तमान परिसम्पत्ति	47095.89	36306.79	28828.03	24411.63	17535.99	12004.11	11666.83	11657.37	10630.28	9730.31
(iii) सकल चालू परिसम्पत्ति (डब्ल्यू. सी.)	5942.74	6611.61	6007.06	2670.38	-805.41	-2474.85	-797.39	-945.22	-3300.05	-302.02
(5) चालू देयताएँ (उपार्जित ब्याज एवं बकाया को छोड़कर)	41153.15	29695.18	22820.97	21741.25	18341.40	14478.96	12464.22	12602.59	13930.33	10032.33
(6) (क) विविध देनदार (सकल) (सीएमपीडीआईएल को छोड़कर)	1780.71	1456.43	1459.29	1690.93	1954.58	2375.68	4165.10	4417.58	4701.37	4129.32
(ख) कैश एवं बैंक	29695.01	20961.48	15929.27	13427.24	7986.95	2966.55	1590.84	1131.84	767.27	787.08
(7) निम्न का अंतभण्डार										
(क) भण्डार एवं कल-पुर्जे (सकल)	1083.39	909.36	900.67	921.92	915.75	931.64	950.66	1002.47	1101.09	1121.20
(ख) कोयला, कोक आदि (शुद्ध)	2514.98	2381.24	2137.04	1889.50	1405.72	1175.25	1138.65	1057.23	1145.46	1242.19
(8) भण्डार एवं कल-पुर्जे का औसत भंडार (सकल)	996.38	905.02	911.30	918.84	923.70	941.15	976.57	1051.78	1111.15	1078.05
(बी) लाभ/हानि से संबंधित										
(1) (क) सकल मार्जिन	7591.50	10449.04	10045.21	10236.74	6439.21	6224.62	4829.78	3938.89	770.82	2908.09
(ख) सकल लाभ	5900.60	8888.39	8637.40	8879.36	5084.20	4827.02	3436.39	2487.91	-732.70	1389.555
(ग) सकल लाभ (कर एवं इनकेंटी, धन आदि के पूर्व)	5744.10	8738.46	8602.47	8788.46	4894.05	4679.12	3132.79	2039.98	-1414.47	693.87
(घ) सकल लाभ (कर के बाद)	2078.69	5243.27	5708.73	5891.52	2517.70	2881.38	1721.96	826.04	-2074.76	-152.90
(ङ) सकल लाभ (प्रिफरेन्स इक्विटी पर कर के पश्चात्)	373.27	3537.85	4208.73	4628.25	2243.15	2700.06	1631.54	735.62	-2165.18	-243.33
(2) (क) सकल विक्रय	45796.59	38865.70	35129.17	33997.19	30659.46	26234.17	24228.06	22686.86	20811.00	19589.19
(ख) सकल विक्रय (लेवी एवं लाभांश आदि के पश्चात्)	38788.83	32633.86	29602.19	28701.83	25862.86	21900.01	20397.28	19304.24	17490.69	16389.76
(ग) उत्पादन का बिक्री मूल्य	40944.42	34852.60	31790.21	31239.64	27913.08	23505.01	22039.31	20730.23	17574.80	16343.90
(3) सामान बिक्री की लागत (विक्रय-लाभ)	33044.73	23895.40	20999.72	19913.37	20968.81	17220.89	17264.49	17264.26	18905.16	15695.89
(4) (क) कुल व्यय (वसूली को छोड़कर)	38164.37	27659.50	24214.93	22682.51	22942.85	19478.97	18812.13	18569.67	19381.98	16132.87
(ख) वेतन एवं मजदूरी (सकल-केवल राजस्व)	20220.16	12939.48	10350.39	9985.69	11263.67	9191.73	8195.15	8157.62	10204.32	6927.95
(ग) भंडार एवं कल-पुर्जे (सकल-केवल राजस्व)	4914.03	4432.11	4182.28	3939.97	3373.26	3246.50	3105.97	2946.47	2782.89	2587.62
(घ) विद्युत एवं ईंधन	1595.05	1593.70	1600.35	1551.33	1502.14	1480.17	1435.38	1378.36	1346.63	1317.70
(ङ) लाभ एवं ह्रास (सकल - केवल राजस्व)	1847.40	1710.58	1442.74	1448.28	1545.16	1545.50	1696.99	1898.91	2185.29	2214.22
(5) भंडार एवं कल-पुर्जे का (सकल) औसत मासिक खपत	409.50	369.34	348.52	328.33	281.11	270.54	258.83	245.54	231.91	215.64
(6) (क) वर्ष के दौरान श्रमशक्ति का औसत नियोजन	419214	432710	445815	460369	476577	493061	510671	530987	552061	574477
(ख) सामाजिक ऊपरी खर्चे (एलटीसी/एलएलटीसी सहित)	1907.44	1642.15	1491.93	1380.39	1344.94	1280.09	1185.41	1159.57	1242.42	1126.94
(ग) सामाजिक ऊपरी खर्च प्रति कर्मचारी (000 रु.)	45.50	37.95	33.47	29.98	28.22	25.96	23.21	21.84	22.51	19.62
(7) (क) मूल्य वर्धित	32495.91	26929.48	24216.21	23785.89	21344.59	17427.03	16151.05	15170.28	13428.68	12424.58
(ख) प्रति कर्मी मूल्य वर्धित (000 रु.)	775.16	622.34	543.19	516.67	447.87	353.45	316.27	285.70	243.25	216.28

टिप्पणी : उपरोक्त वित्तीय स्थिति समेकित लेखा (लेखा मानक - 21) के अनुसार तैयार की गई है। चूंकि धारक कंपनी की लेखा में गैर मान्य ब्याज आदि अपनी अनुषंगियों में से किसी एक के लिए (लेखा मानक-9 के अनुसार) इस समेकन से (लेखा मानक - 21 के प्रावधान का अनुपालन करते हुए) निकाल दिया गया है, ऊपर दर्शाये गये लाभ के साथ ही साथ संबंधित संगत आंकड़ों को उसी विचलन के साथ पढ़ा जाय।

परिचालनात्मक सांख्यिकी
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना एवं संबंधित अनुपात

31 मार्च को समाप्त वर्ष	समेकित ऑडिट लेखा के अनुसार								अन-ऑडिटेड समेकित	
	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01	1999-00
(क) लाभप्रदता अनुपात										
(1) शुद्ध विक्रय % के अनुसार										
(क) सकल मार्जिन	19.57	32.02	33.93	35.67	24.90	28.42	23.68	20.40	4.41	17.74
(ख) सकल लाभ	15.21	27.24	29.35	30.94	19.66	22.04	16.85	12.89	-4.19	8.48
(ग) शुद्ध लाभ	14.81	26.78	29.06	30.62	18.92	21.37	15.36	10.57	-8.09	4.23
(2) कुल खर्च % के अनुसार										
(क) वेतन एवं मजदूरी (सकल राजस्व)	52.98	46.78	42.74	44.02	49.09	47.19	43.56	43.93	52.65	42.94
(ख) भण्डार एवं कल-पुर्जे (सकल राजस्व)	12.88	16.02	17.27	17.37	14.70	16.67	16.51	15.87	14.36	16.04
(ग) विद्युत एवं ईंधन	4.18	5.76	6.61	6.84	6.55	7.60	7.63	7.42	6.95	8.17
(घ) लाभ एवं ह्रास (सकल राजस्व)	4.84	6.18	5.96	6.39	6.73	7.93	9.02	10.23	11.27	13.72
(3) लागत पूंजी % के अनुसार										
(क) सकल अंतर	44.75	61.08	61.92	80.34	69.38	73.00	45.48	37.55	8.33	22.74
(ख) सकल लाभ	34.78	51.95	53.55	69.69	54.78	56.61	32.36	23.72	-7.91	10.87
(ग) शुद्ध लाभ	33.86	51.08	53.02	68.98	52.73	54.88	29.50	19.45	-15.28	5.43
(4) प्रचालनात्मक अनुपात (विक्रय-लाभ/विक्रय)	0.85	0.73	0.71	0.69	0.81	0.79	0.85	0.89	1.08	0.96
(बी) तरलता अनुपात										
(1) वर्तमान अनुपात (वर्तमान परिसम्पत्ति/ वर्तमान देयता)	1.14	1.22	1.26	1.12	0.96	0.83	0.94	0.92	0.76	0.97
(2) क्विक अनुपात (क्विक परिसम्पत्ति / वर्तमान देयता)	0.76	0.75	0.76	0.70	0.54	0.37	0.46	0.44	0.39	0.49
(सी) टर्न ओवर अनुपात										
(1) पूँजीगत टर्न ओवर अनुपात (शुद्ध विक्रय/लागत पूँजी)	2.29	1.91	1.82	2.25	2.79	2.57	1.92	1.64	1.89	1.28
(2) महीनों की सं. के अनुसार विविध देनदार (शुद्ध)										
(क) सकल विक्रय	0.47	0.45	0.50	0.60	0.77	1.09	2.06	2.34	2.71	2.53
(ख) शुद्ध विक्रय	0.55	0.54	0.59	0.71	0.91	1.30	2.45	2.75	3.23	3.02
(3) शुद्ध विक्रय के अनुपात के अनुसार										
(क) विविध देनदार	0.05	0.04	0.05	0.06	0.08	0.11	0.20	0.23	0.27	0.25
(ख) कोयला भण्डार	0.06	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.06	0.05	0.07	0.08
(4) भण्डार एवं कल-पुर्जे का भण्डार										
(क) औसत भण्डार / वार्षिक खपत	0.20	0.20	0.22	0.23	0.27	0.29	0.31	0.36	0.40	0.42
(ख) महीनों की खपत के अनुसार अंत भण्डार	2.65	2.46	2.58	2.81	3.26	3.44	3.67	4.08	4.75	5.20
(5) कोयला, कोक, धूला कोयला आदि का भण्डार										
(क) महीनों की संख्या के अनुसार उत्पादन मूल्य	0.74	0.82	0.81	0.73	0.60	0.60	0.62	0.61	0.78	0.91
(ख) महीनों की संख्या के अनुसार सामानों की बिक्री की लागत	0.91	1.20	1.22	1.14	0.80	0.82	0.79	0.73	0.73	0.95
(ग) महीनों की संख्या के अनुसार शुद्ध बिक्री	0.78	0.88	0.87	0.79	0.65	0.64	0.67	0.66	0.79	[illegible]
(डी) संरचनात्मक अनुपात										
(1) विकलन : इक्विटी	0.31	0.27	0.29	0.33	0.39	0.42	0.41	0.57	1.00	[illegible]
(2) विकलन : शुद्ध मूल्य	0.10	0.09	0.10	0.15	0.24	0.31	[illegible]	[illegible]	1.57	[illegible]
(3) शुद्ध मूल्य : इक्विटी	3.03	3.06	2.83	2.23	1.61	1.35	1.02	0.86	[illegible]	[illegible]
(4) शुद्ध स्थिर सम्पत्ति: शुद्ध मूल्य	0.58	0.54	0.57	0.72	1.00	1.30	1.55	1.97	[illegible]	[illegible]
(ई) शेयर होल्डर का लाभ										
(1) शेयर का बुक मूल्य (रु.) (शुद्ध मूल्य / इक्विटी की संख्या)	3034.19	3062.26	2832.21	2234.64	1605.09	1352.59	1019.27	856.36	637.39	[illegible]
(2) प्रति शेयर लाभांश (रु.) - (इक्विटी)	270.00	270.00	237.50	200.00	43.00	16.00				

टिप्पणी : उपरोक्त वित्तीय स्थिति समेकित लेखा (लेखा मानक - 21) के अनुसार तैयार की गई है। चूँकि धारक कंपनी की लेखा में गैर मान्य व्याज आदि अपनी अनुषंगियों में से किसी तक के लिए (लेखा मानक-9 के अनुसार)इस समेकन से (लेखा मानक - 21 के प्रावधान का अनुपालन करते हुए) निकाल दिया गया है. उपरोक्त [illegible] संबंधित संगत आंकड़ों को उसी विकलन के साथ पढ़ा जा सकता है।

निदेशकीय प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण
कोल इण्डिया लिमिटेड

महानुभावों,

निदेशक परिषद की ओर से, मैं आपके समक्ष कोल इण्डिया लिमिटेड का 36वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखा जो दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष से संबंधित है, के साथ ही साथ सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं समीक्षा को प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ।

वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने निम्नलिखित 8 अनुषंगी कम्पनियों का पूर्ण स्वामित्व बनाये रखा :

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड तथा

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एवं डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

असम में स्थित खदानें अर्थात् नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रत्यक्ष रुप से प्रबंधित होती रही हैं। इसी प्रकार आलोच्य वर्ष के दौरान डानकुनी कोल काम्प्लेक्स को भी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अनुषंगी) के साथ लीज पर रहने दिया गया है।

बीता हुआ वर्ष कोल इण्डिया लिमिटेड के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ प्रतिफलयुक्त रहा है। अपनी स्थापना से वर्षों तक कोल इण्डिया लिमिटेड का निष्पादन संतुलित रहा और देश के विकास तथा राष्ट्रीय संपत्ति के निर्माण में इसके योगदान को तब पर्याप्त मान्यता मिली जब अक्टूबर-2008 में इसे **"नवरत्न"** के दर्जे से नवाजा गया।

अप्रत्याशित वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद कंपनी के निष्पादन भौतिक तथा बुनियादी वित्तीय मानकों दोनों में सुधार हुआ है। वास्तव में यह वर्ष कोल इण्डिया लिमिटेड के दृढ़ीकरण तथा तीव्र विकास का वर्ष रहा है। इस वर्ष का कोयला उत्पादन विगत वर्ष के 379.06 मि. टन के विपरीत 403.73 मि. टन है जो 6.4% की वृद्धि को दर्शाता है तथा दसवीं योजना अवधि के प्रारंभ 2007-08 से औसत 5.4% अधिक है। विगत वर्ष के 375.33 मि. टन के विपरीत 6.96% की वृद्धि के साथ 401.46 मि. टन निकासी हुई है। वर्ष के दौरान कोयले के मूल्य में संशोधन न होने के बावजूद विगत वर्ष 38865.70 करोड़ रुपये की सकल बिक्री में 17.8% वृद्धि दर्शाते हुए 45796.59 करोड़ रुपये की सकल बिक्री हुई है।

वर्ष के दौरान वेज-बोर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों दोनों के वेतन संशोधन के कारण निवेश लागत में तीव्र वृद्धि हुई है जो कुल कोयला उत्पादन का 52.98% है। कोल इण्डिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (एनसीडब्ल्यूए-VIII) में 24% वृद्धि लाभ के साथ जो अबतक का सर्वाधिक है, को जनवरी-2009 में अंतिम रूप दिया। इससे न केवल श्रमसंघों द्वारा बुलाई गई बड़ी हड़ताल जिससे कंपनी के उत्पादन में निश्चय ही काफी हानि होती जिसके फलस्वरूप विद्युत उत्पादन प्रभावित होता और वैश्विक आर्थिक मंदी के फलस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद जो पहले से खराब है, प्रभावित होता, को टालने में मदद मिली बरन् कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिला जिससे उद्योग में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण हुआ। डीपीई की अनुशंसा के आधार पर अधिकारियों का वेतन संशोधन प्रभाव में आया जिससे कंपनी पर व्यापक वित्तीय प्रभाव पड़ा। मूल्य समायोजन के माध्यम से अभी तक लागत वृद्धि को निष्प्रभावी नहीं किया गया है। संशोधन के फलस्वरूप वेतन और मजदूरी में वृद्धि होने से 8348.70 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ा इससे पूर्व कर लाभ 14092.80 करोड़ रुपये से कम होकर 5744.10 करोड़ रुपये हो गया।

जैसाकि पहले कहा जा चुका है कि कोल इण्डिया लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा मिलने से भविष्य में नई प्रत्याशा

के साथ-साथ जिम्मेदारियों और चुनौतियों का सामना करना होगा। अब कोल इण्डिया लिमिटेड बोर्ड को सभी परियोजनाओं को खुद ही स्वीकृत करने की शक्ति प्रदान की गई है जिससे लंबित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आएगी और इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान होगा। तदनुसार सीआईएल ने स्वयं ही 2009-10 में 435 मि. टन कोयला उत्पादन में वृद्धि अर्थात् 7.7% वृद्धि करने की चुनौती को स्वीकार किया है।

वैश्विक मंदी और कोल इण्डिया पर इसका प्रभाव

- वर्तमान वैश्विक और आर्थिक मंदी से कोल इण्डिया पर खास प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि विद्युत उत्पादकों और अन्य कोयला उपभोक्ता उद्योगों से कोयले की माँग बहुत अधिक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देश में विद्युत उत्पादन क्षमता बड़े स्तर पर बढ़ाई गई है।

- इसके विपरीत कोल इण्डिया लिमिटेड ने भारत में आर्थिक मंदी के प्रभाव को कुछ हद तक कम करने में मदद किया है। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से बहुत कम मूल्य पर कोयला देकर वैश्विक आर्थिक मंदी के समक्ष उपभोक्ता उद्योगों को वैश्विक स्पर्धा के लिए कंपनी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

- वर्ष के दौरान कंपनी के समग्र निष्पादन में से निष्पादन की कुछ विशेषताओं को निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है :

सीआईएल द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधन - सेटलाइट निगरानी उपाय

- कोल इण्डिया लिमिटेड ने वर्ष 2008-09 के दौरान अपनी बड़ी खुली खानों के भूमि पुनरुद्धार और वृक्षारोपण की मॉनिटरिंग हेतु सेटलाइट निगरानी उपाय प्रारंभ किया है। प्रथम चरण में 35 बड़ी खुली खानों से प्रारंभ करके इसे सभी खुली खानों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा। तदनुसार सेटलाइट आँकड़ों पर आधारित रिपोर्ट को सीआईएल, सीएमपीडीआईएल और संबंधित कोयला कंपनियों की वेबसाइट पर दे दिया गया है। इससे यह उम्मीद है कि सीआईएल के पर्यावरणीय प्रबंधन प्रयासों पर महत्वपूर्ण पारदर्शिता आयेगी।

- कोल इण्डिया लिमिटेड ने लगभग 7 करोड़ पौधों का वृक्षारोपण किया है जिनमें 85% की दर से अधिक पौधे जिन्दा है। कोल इण्डिया लिमिटेड की 30 खुली खानें आईएसओ 14001 प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ली हैं।

- वर्ष 2009-10 को सीआईएल में ''पर्यावरण प्रबंधन'' वर्ष घोषित किया गया है।

कल्याण उपाय/नैगमिक सामाजिक दायित्व उपाय

- कर्मचारियों को कल्याणकारी सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी उठाते हुए कोल इण्डिया लिमिटेड ने कामगारों के बच्चों के लिए चयनित इंजीनियरिंग कॉलेजों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के शैक्षणिक और हॉस्टल के खर्च को वहन करने की एक योजना प्रारंभ की है।

- मोबाइल औषधालयों और स्वास्थ्य केंद्रों को काफी संख्या में स्थापित करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इसी प्रकार केंद्रीय अस्पतालों में टेली मेडिसिन सुविधा प्रारंभ करने और यह सुविधा कोयला खनन क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले लोगों तक पहुँचाने का प्रस्ताव है।

- कंपनी ने समाज के लाभ हेतु निम्नलिखित कार्य-कलापों को वृहद् स्तर पर प्रारंभ किया है :

  (i) गाँव को गोद लेना/स्वच्छ पानी/सफाई/सड़क इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना;

  (ii) सभी अनुषंगी कंपनियों में सीएसआर औषधालयों की स्थापना;

  (iii) मोबाइल मेडिकल वैन का प्रयोग करके सुदूर स्थानों में ग्रामवासियों को उनके घर पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना;

  (iv) स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

विदेश में उद्यम

वर्ष के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड ने मोजाम्बिक के टीटी प्रान्त में मोजाम्बिक सरकार द्वारा स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के द्वारा 224 वर्ग किमी क्षेत्र के ए-1 और ए-2 नये कोयला ब्लॉकों को पाने में सफलता पायी है। आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात शीघ्र ही इन ब्लॉकों के अन्वेषण और विकास का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। इन ब्लॉकों से निकाले गये कोयले

को भारत में आयात किया जायेगा जिससे देश में कोयले की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में हो पायेगी।

पारदर्शिता पहल

नैगमिक अभिशासन के स्वच्छ और पारदर्शिता उपाय के साथ-साथ निर्णय लेने की गति को बढ़ाने हेतु सीआईएल ने एमएसटीसी लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है जो सीआईएल की ई-टेण्डरिंग और निलामी सेवा के लिए एक स्वतंत्र सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करेगी।

ईंधन आपूर्ति समझौता

कोयला विपणन में उपभोक्ता अनुकूल युग के अनुरूप प्रमुख उपभोक्ताओं से ईंधन आपूर्ति समझौता किया गया है।

पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति

सीआईएल की संशोधित पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति (आर एण्ड आर पॉलिसी) को मार्च, 2008 में कार्यान्वित किया गया है, जो परियोजना प्रभावित लोगों (पैप्स) के अनुकूल है। खनन के कारण प्रभावित समुदायों का आर एण्ड आर नीति में विस्तृत योगदान हेतु सीआईएल ने पैप्स को मॉडल विकास में निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया है। इसका उद्देश्य यह है कि कोयला खनन क्षेत्रों के आस-पास **नैगमिक सामाजिक दायित्व (सीएसआर)** के उन्नत कार्यों को लागू करना और समुदाय के लोगों की सक्रिय सहभागिता से उनके '**जीवन स्तर**' में सुधार लाना है।

अन्य दीर्घावधि अप्रयुक्त पहल

विस्तार नीति के तहत कोल इण्डिया लिमिटेड ने 7 बड़ी भूमिगत खानों के विकास, 18 परित्यक्त खानों को पुनः प्रारंभ करना, 18 कोयला परिष्करण संयंत्र बिल्ड ऑपरेट और मेनटेन आधार पर (**सभी नॉन पिट हेड उपभोक्ताओं को परिष्कृत कोयला प्रदान करना**) शुरू किया है।

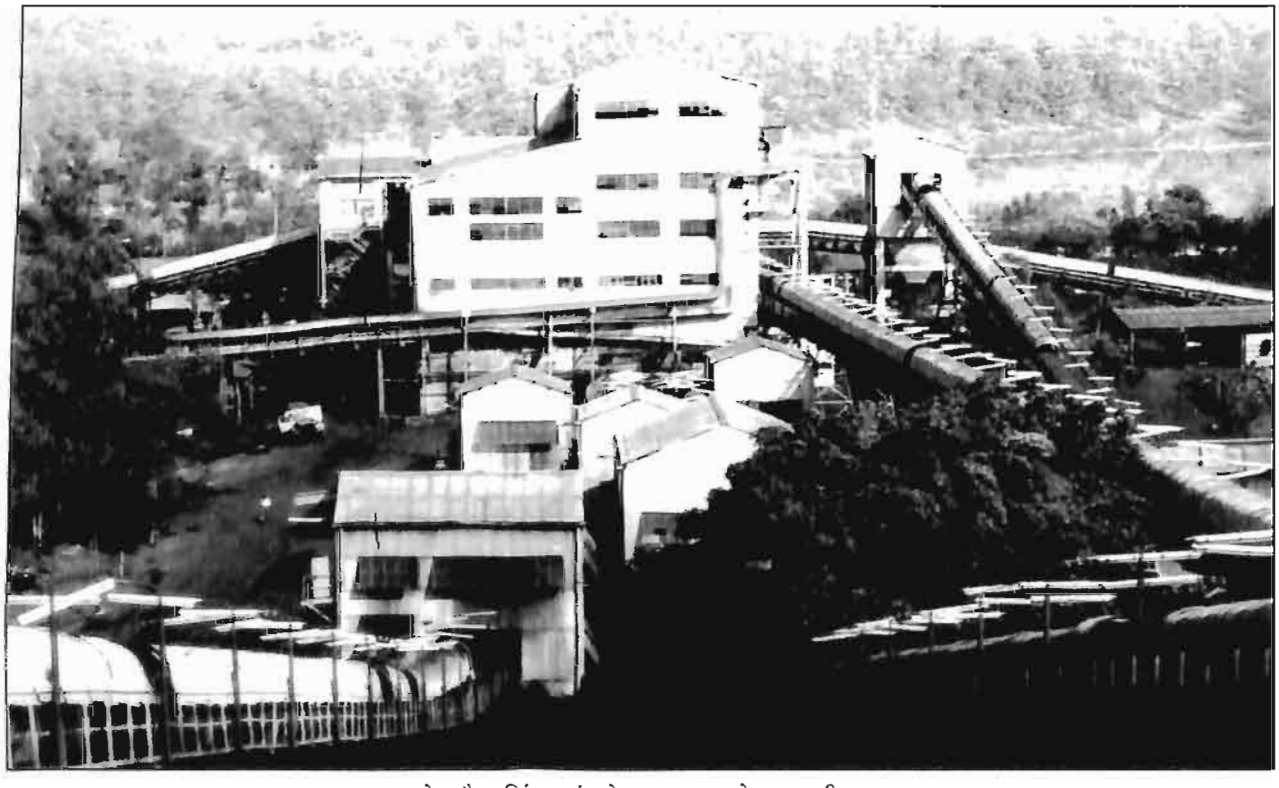

कोल हैण्डलिंग प्लांट के साथ एक कोल वाशरी

2. वित्तीय निष्पादन

2.1 वित्तीय परिणाम

ए. कामगारों का दिनांक 01.07.2006 से और अधिकारियों का 01.01.2007 से वेतन संशोधन के प्रभाव की गणना के पश्चात सीआईएल एवं इसकी अनुषंगियों का वर्ष 2008-09 में कर पूर्व लाभ 5744.10 करोड़ रुपये हैं। वेज बोर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन संशोधन का वित्तीय प्रभाव 10104.78 करोड़ रुपये रहा जिसमें से वर्ष 2007-08 के लेखा में 1756.08 करोड़ की देयता प्रदान की गई है और शेष 8348.70 करोड़ को वर्ष 2008-09 में प्रदान किया गया है। उक्त वित्तीय प्रभाव में से 8348.70 करोड़ रुपये, 3129.26 करोड़ रुपये बीमांकिक देयता से संबंधित है जो वेतन वृद्धि और ग्रेच्युटी की 3.50 लाख की सीमा को बढ़ाकर 10.00 लाख रुपये किये जाने के कारण है। वर्ष 2007-08 और 2008-09 की वेज बोर्ड कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन संशोधन के प्रभाव के बिना तुलना करने पर पूर्व कर लाभ में वृद्धि विगत वर्ष से 34.29% अधिक है। वेतन संशोधन के प्रभाव के बिना पूर्व कर लाभ की कंपनीवार स्थिति निम्नलिखित है :

(आँकड़े करोड़ रुपये में)

कंपनी	2008-2009 लाभ(+)/हानि(-)	2007-2008 लाभ(+)/हानि(-)
ईसीएल	(-) 255.98	(-) 638.72
बीसीसीएल	(+) 208.35	(+) 431.40
सीसीएल	(+) 1759.25	(+) 1282.31
एनसीएल	(+) 3619.50	(+) 2826.99
डब्ल्यूसीएल	(+) 1787.55	(+) 1207.38
एसईसीएल	(+) 3356.62	(+) 2393.89
एमसीएल	(+) 2945.78	(+) 2578.98
सीएमपीडीआईएल	(+) 127.19	(+) 26.50
सीआईएल/एनईसी	(+) 3791.28	(+) 2666.69
उप-योग	**(+) 17339.54**	**(+) 10397.15**
घटाकर : अनुषंगियों का लाभांश	(-) 3329.74	(-) 2378.27
योग	**(+) 14009.80**	**(+) 10397.15**
आस्थगित राजस्व आय के लिए समायोजन	(+) 83.00	(+) 97.38
लेखा के समेकीकरण अनुसार समग्र लाभ	**(+) 14092.80**	**(+) 10494.53**

बी. फिर भी, वेतन संशोधन के पूर्वव्यापी प्रभाव पर विचार करने के बाद सीआईएल और इसकी अनुषंगी कंपनियों ने वर्ष 2007-08 में 8738.46 करोड़ रुपये पूर्व कर लाभ के विपरीत 2008-09 में 5744.10 करोड़ रुपये समग्र करपूर्व लाभ प्राप्त किया है। वेतन संशोधन के वित्तीय प्रभाव के कारण 2007-08 में 1756.08 करोड़ रुपये के विपरीत 2008-09 में 8348.70 करोड़ रुपये की गणना की गई है।

समीक्षाधीन वर्ष में अर्जित लाभ (+) या घाटा (-) की स्थिति के साथ-साथ वर्ष 2007-08 की स्थिति भी नीचे दी गई है :

(आँकड़े करोड़ रुपये में)

कंपनी	2008-2009 लाभ(+)/हानि(-)	2007-2008 लाभ(+)/हानि(-)
ईसीएल	(-) 2105.70	(-) 1026.66
बीसीसीएल	(-) 1376.99	(+) 97.05
सीसीएल	(+) 763.80	(+) 1035.25
एनसीएल	(+) 3131.01	(+) 2763.75
डब्ल्यूसीएल	(+) 516.12	(+) 930.22
एसईसीएल	(+) 1817.93	(+) 2067.37
एमसीएल	(+) 2580.25	(+) 2504.79
सीएमपीडीआईएल	(+) 6.74	(+) 5.00
सीआईएल/एनईसी	(+) 3657.68	(+) 2642.58
उप-योग	**(+) 8990.84**	**(+) 11019.35**
घटाकर : अनुषंगियों से लाभांश	(-) 3329.74	(-) 2378.27
योग	**(+) 5661.10**	**(+) 8641.08**
आस्थगित राजस्व आय के लिए समायोजन (*)	(+) 83.00	(+) 97.38
लेखा के समेकीकरण अनुसार समग्र लाभ	**(+) 5744.10**	**(+) 8738.46**

(*) वर्ष के लेखा में बीसीसएल पर आरोप्य ब्याज दावा तथा अपेक्स प्रभार के सम्बन्ध में राजस्व की स्वीकृति का सीआईएल द्वारा आईसीएआई के राजस्व स्वीकृति वाले ए एस-9 के प्रावधान के समनुरूप आरोपित किया गया है।

निष्पादन की प्रमुख विशेषताएँ

विगत दो वर्षों की तुलना में वर्ष 2008-09 में कोल इण्डिया लिमिटेड की इसकी अनुषंगी कंपनियों सहित निष्पादन की प्रमुख विशेषताओं को नीचे दर्शाया गया है :

	2008-09	2007-08	2006-07
उत्पादन (मि. टनों में)	403.73	379.46	360.91
कोयले का प्रेषण (मि. टन में)	401.46	375.33	351.14
विक्रय (सकल) (करोड़ रु. में)	45796.59	38865.70	35129.16
सकल लाभ (करोड़ रु. में)	5900.60	8888.39	8687.38
नियोजित पूँजी (करोड़ रु. में)	16963.98	17108.20	16223.74
शुद्ध मूल्य (करोड़ रु. में)	19165.04	19342.36	17889.30
कर के पहले लाभ (करोड़ रु.में)	5744.10	8738.46	8602.46
कर के बाद लाभ (करोड़ रु.में)	2078.69	5243.27	5708.73
नियोजित पूँजी से सकल लाभ	34.66%	51.95%	53.55%
शुद्ध मूल्य पर कर के बाद लाभ	29.97%	45.18%	48.09%
कोयला भण्डार (शुद्ध) (महीनों की संख्या के आधार पर शुद्ध विक्रय)	0.78	0.88	0.88
विविध देनदार (शुद्ध) (सकल विक्रय महीनों की संख्या के संबंध में)	0.47	0.45	0.50

(उपरोक्त वित्तीय स्थिति का समेकित लेखा (लेखा मानक - एएस-21) के अनुसार तैयार किया गया है। चूँकि नियंत्रक कम्पनी के लेखा में व्याज इत्यादि की गैर-स्वीकृति (नॉन-रिकगनाइजेशन) इसकी एक अनुषंगी (लेखा मानक-9 के अनुसार) को ऐसे समेकन में छोड़ दिया गया है (जो एएस-21 के प्रावधान के साथ लागू हैं) लाभ के साथ ही साथ उपरोक्त दर्शाये गये सम्बन्धित अनुकूल आँकड़ों को ऐसे विचलन के साथ पढ़ा जाय।)

2.2 लाभांश आय एवं दी गई राशि

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सीआईएल के लाभांश आय की गणना इसकी पाँच लाभप्रद अनुषंगी कंपनियों नामतः सीसीएल, एनसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल तथा एमसीएल की अनुशंसा के आधार पर लाभांश विगत वर्ष 3329.74 करोड़ रुपये के प्रतिकूल 2378.27 करोड़ रुपये है, जिसका अनुषंगीवार विवरण नीचे दिया गया है :

अनुषंगी कम्पनी का नाम	करोड़ रुपये में
सीसीएल	250.23 (244.40)
एनसीएल	1063.00 (776.59)
डब्ल्यूसीएल	259.34 (296.00)
एसईसीएल	757.17 (510.78)
एमसीएल	1000.00 (550.50)
कुल	3329.74 (2378.27)

* कोष्ठक में दिये गये आँकड़े विगत वर्ष के हैं।

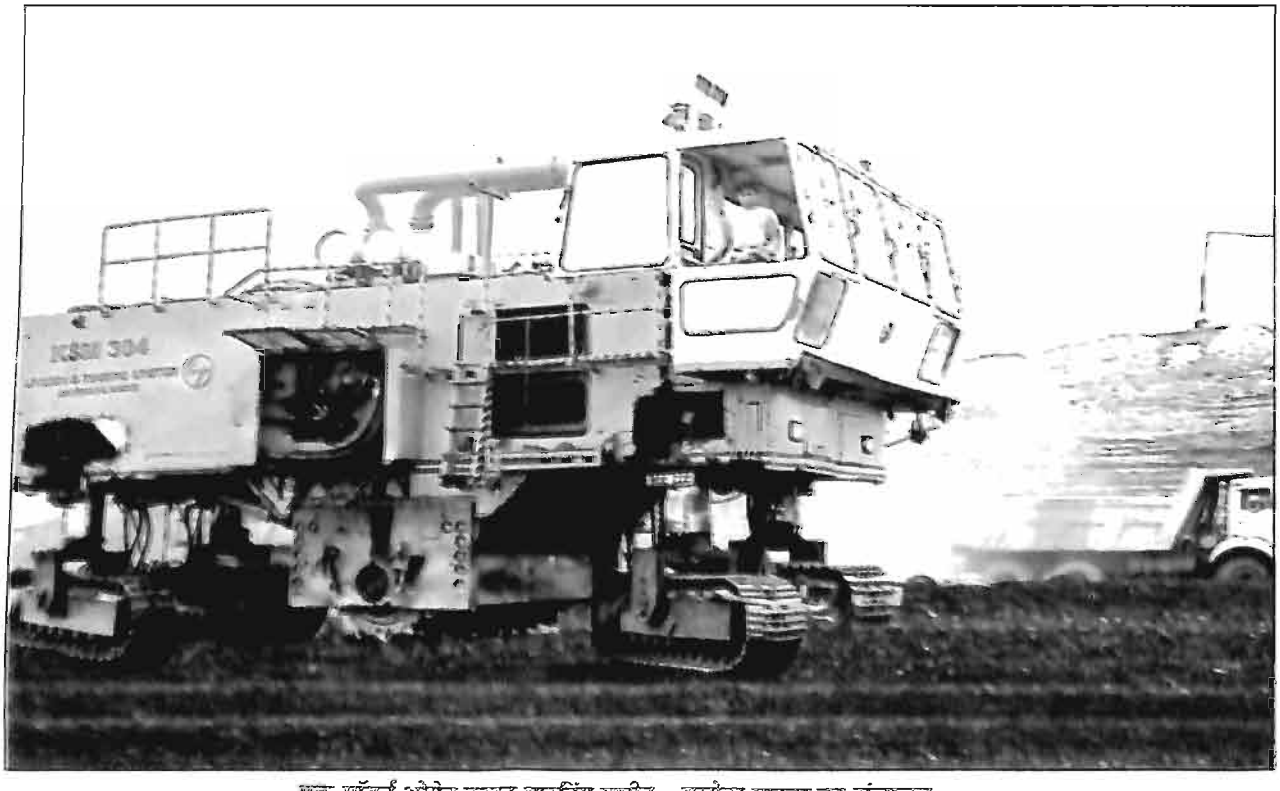

एक मॉडर्न ओपेन कास्ट माइनिंग मशीन - सरफेस माइनर का संचालन

आपके निदेशकों ने प्रत्येक 1000.00 रुपये के 63163644 इक्विटी शेयर पर 270/-रुपये प्रति शेयर की दर से पूर्व भुगतानित 6316.36 करोड़ रुपये पर मूल्यांकित तथा उस पर लागू कर के भुगतान के साथ 1705.42 करोड़ रुपये लाभांश की अनुशंसा की है।

3. कोयला विप्पणन

3.1 (क) कच्चे कोयले की क्षेत्रवार निकासी

भारत सरकार द्वारा नई कोयला वितरण नीति का कार्यान्वयन आदेश जारी करने तथा कोयले की बेहतर उपलब्धता के कारण कोल इण्डिया लिमिटेड ने वर्षान्त मार्च, 2009 के दौरान निकासी में लगभग 7% की स्वस्थ वृद्धि के साथ विगत वर्ष 375.33 मि. टन के विपरीत 401.46 मि. टन की वृद्धि हासिल की है। लक्ष्य की तुलना में कार्यान्वयन 99% रहा जो काफी ऊँचा है। क्षेत्रवार कार्यान्वयन भी अत्यन्त संतोषप्रद रहा जिसका विवरण नीचे दिया गया है। वास्तव में विद्युत क्षेत्र ने 296.74 मि. टन कोयला प्राप्त किया है जो न केवल लक्ष्य से आगे है वरन् पिछले वर्ष से 5.92% अधिक है। समेकितकृत इस्पात संयंत्रों में स्वदेशी कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता बेहतर प्रेषण में बाधा रही है। विद्युत क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता के कारण कुछ हद तक अन्य क्षेत्रों में प्रेषण प्रभावित हुआ।

वर्ष 2008-09 में लक्ष्य तथा विगत वर्ष की तुलना में निकासी का क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है :

(आँकड़े मिलियन टनों में)

क्षेत्र	लक्ष्य	2008-09 निकासी	संतुष्टि %	2007-08 वास्तविक	पिछले वर्ष से वृद्धि निरपेक्ष	%
विद्युत (यूटिलिटीज)*	292.93	296.74	101.30	280.15	16.59	5.92
कच्चा कोयला*						
इस्पात**	10.87	9.00	82.80	10.01	-1.01	-10.08
सीमेंट	8.78	9.25	105.35	9.45	-0.20	-2.11
उर्वरक	2.54	2.43	95.67	2.47	-0.04	-1.62
निर्यात	0.02	0.02	100.00	0.01	0.01	100.00
बीआरके/अन्य	89.12	83.29	93.45	72.48	10.81	14.91
कोलियरी खपत	0.74	0.73	98.64	0.76	-0.03	-3.95
कुल निकासी	405.00	401.46	99.13	375.33	26.13	6.96

* परिष्करण हेतु वाशरी और बीना डिशेलिंग प्लाण्ट को भेजा गया कोकिंग एवं नॉन-कोकिंग कोयला शामिल है।

** इनमें वाशरियों को भेजा गया कोकिंग कोयला, डाईरेक्ट फीड, इस्पात संयंत्र को सम्मिश्रण, कोक ओवेन, निजी कोकरीज तथा कोकरीज और एनएलडब्ल्यू कोयला शामिल है।

3.1(ख) कंपनीवार कच्चे कोयले की निकासी

2008-09 तथा 2007-08 में कंपनीवार लक्ष्य की तुलना में वास्तविक निकासी नीचे दी गई है :—

(आँकड़े मिलियन टनों मे)

कम्पनी	लक्ष्य	2008-09 उपलब्धि	% उपलब्धि	2007-08 उपलब्धि	वृद्धि निरपेक्ष	%
ईसीएल	31.00	28.26	91.16	25.44	2.82	11.08
बीसीसीएल	26.50	24.60	92.83	24.09	0.51	2.12
सीसीएल	47.00	43.84	93.28	42.04	1.80	4.28
एनसीएल	61.25	64.23	104.87	59.02	5.21	8.83
डब्ल्यूसीएल	43.05	45.37	105.39	44.90	0.47	1.05
एसईसीएल	96.00	103.02	107.31	95.00	8.02	8.44
एमसीएल	99.00	91.30	92.22	83.64	7.66	9.16
एनईसी	1.20	0.84	70.00	1.20	-0.36	-30.00
सीआईएल समग्र	**405.00**	**401.46**	**99.13**	**375.33**	**26.13**	**6.96**

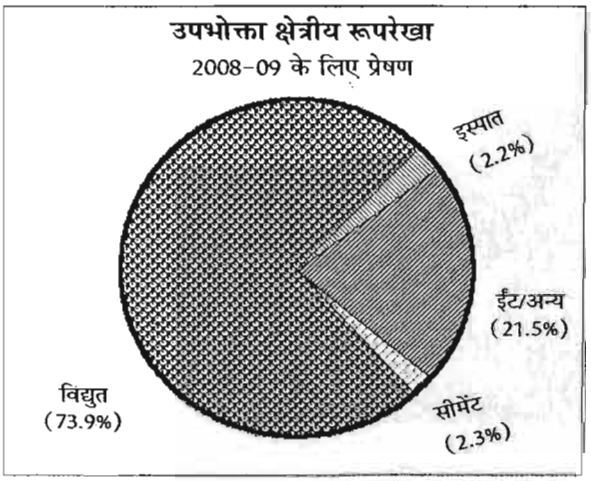

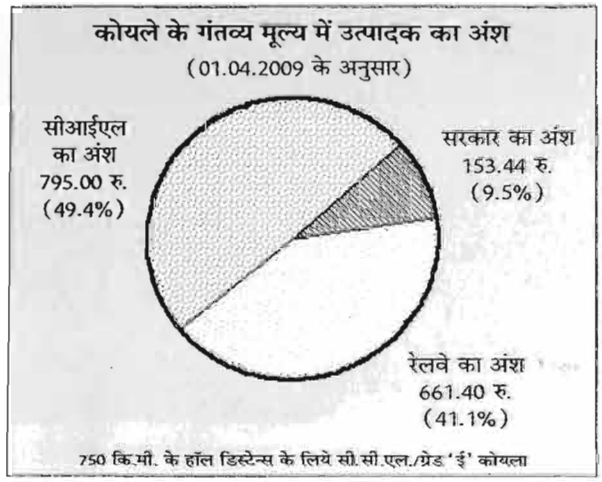

एनईसी को छोड़कर अन्य सभी कोयला कम्पनियों में विगत वर्ष की तुलना में निकासी अच्छी रही। एनईसी में खान दुर्घटना और उसके पश्चात सभी भूमिगत खानों में उत्पादन कुछ समय तक स्थगित किये जाने के कारण निकासी कम हुई। यह भी देखा गया है कि एनसीएल, डब्ल्यूसीएल और एसईसीएल ने अपने लक्ष्य से अधिक निकासी की है। ईसीएल और सीसीएल में यद्यपि लक्ष्य की तुलना में निकासी कम रही है तथापि स्टॉक में कमी होने से उत्पादन बढ़ा है। बीसीसीएल में यद्यपि लक्ष्य की तुलना में निकासी कम हुई है फिर भी निकासी 2002-03 से अबतक की सबसे अधिक हुई है। सीसीएल में यद्यपि समग्र निकासी अधिक हुई है किन्तु कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण साइडिंग पर कोयले का परिवहन प्रभावित हुआ, रेलवे से कम रैक की उपलब्धता विशेषकर ईब-वैली और तालचर फील्ड से और तालचर एसटीपीएस द्वारा उत्पादन के महीनों में एमजीआर ब्लॉक कम दिये गये।

3.2 विभिन्न माध्यमों से कोयला एवं कोयला उत्पादों का प्रेषण

वर्ष 2008-09 के दौरान कोयला तथा कोयला उत्पाद का प्रेषण गत वर्ष के प्रेषण 399.61 मि. टन से 7.45% की बढ़ोत्तरी के साथ 371.90 मि. टन हुआ। प्रमुख वृद्धि सड़क माध्यम से ही हुई है क्योंकि निजी वाशरियों द्वारा सड़क द्वारा कोयला परिवहन में वृद्धि की गई है। वर्ष 2008-09 के साथ वर्ष 2007-08 में विभिन्न माध्यमों द्वारा कोयला एवं कोयला उत्पाद का प्रेषण नीचे दिया गया है :

(आँकड़े मि. टन में)

वर्ष	रेल	सड़क	एमजीआर	बेल्ट	रोप	समग्र
2008-09	207.70	96.18	82.68	7.66	5.39	399.61
2007-08	204.84	72.87	81.02	7.36	5.81	371.90
वृद्धि/कमी	2.86	23.31	1.66	0.30	-0.42	27.71
वृद्धि %	1.39	31.99	2.04	4.08	-7.22	7.45

3.3 वैगन लदान

वर्ष 2007-08 में 22417 वैगन प्रति दिन के विपरीत वर्ष 2008-2009 में वैगन लदान 22894 वैगन प्रति दिन करते

एक खदान में एक आधुनिक अण्डर ग्राउण्ड कोल माइनिंग मशीन - कॉटीनुअस माइनर का संचालन

हुए 2.13% की वृद्धि दर्ज की गई। समग्र वृद्धि के बावजूद बहुत सी कोयला कंपनियों में लदान में विगत वर्ष की तुलना में थोड़ी सी कमी आई है जैसा कि सारणी में दिया गया है। एनईसी में उत्पन्न हुई कठिनाई का विवरण पहले बताया जा चुका है जो कम लदान का मुख्य कारण था। डब्ल्यूसीएल और एसईसीएल में निजी वाशरियों द्वारा सड़क के माध्यम से कोयले के अधिक परिवहन के कारण कम लदान हुई। इसके अतिरिक्त, एसईसीएल में एनटीपीसी सीपत को वर्तमान वर्ष में एमजीआर द्वारा कोयले का प्रेषण किया गया जिससे रेल के माध्यम से की गई लोडिंग कम हुई है। सीसीएल में कानून व्यवस्था की आये दिन समस्या के परिणामस्वरूप कम परिवहन से लदान कम हुआ है जबकि बीसीसीएल में कोकिंग कोयले की कम उपलब्धता के कारण लदान प्रभावित हुआ है।

(आँकड़े एफडब्ल्यूडब्ल्यू/दिन में)

कम्पनी	2008-09			2007-08	पिछले वर्ष से वृद्धि	
	लक्ष्य	उपलब्धि	% उपलब्धि	उपलब्धि	निरपेक्ष	प्रतिशत
ईसीएल	1848	1737(695)	93.99	1627	110	0.76
बीसीसीएल	2684	2338(935)	87.11	2389	-51	-2.13
सीसीएल	4081	3681(1472)	90.20	3717	-36	-0.97
एनसीएल	1713	2143(857)	125.10	1792	351	19.59
डब्ल्यूसीएल	2383	2406(962)	100.97	2489	-83	-3.33
एसईसीएल	4842	4694(1878)	96.94	4719	-25	-0.53
एमसीएल	6355	5806(2323)	91.36	5563	243	4.37
एनईसी	110	89(36)	80.91	121	-32	-26.45
सीआईएल	**24016**	**22894(9158)**	**95.33**	**22417**	**477**	**2.13**

(कोष्ठक के आँकड़े प्रतिदिन के हैं)

3.4 उपभोक्ता संतुष्टि

(i) कोल इण्डिया और इसकी अनुषंगी कंपनियाँ जी.डी.पी. और औद्योगिक वृद्धि के अनुकूल कोयले की बढ़ी हुई मांग को पूरा कर रही हैं। इसने 2008-09 में 403.73 मि.टन तक उत्पादन प्राप्त किया है जिसे 2009-10 तक 435 मि.टन तक पहुँचाना है। तद्नुसार कच्चे कोयले की निकासी में 401.46 मि.टन से 435.0 मि.टन तक की वृद्धि अपेक्षित है। त्वरित कोयला उत्पादन हेतु अपर्याप्त अवसंरचना के बावजूद सीआईएल ने अभी तक अपना वायदा पूरा किया है क्योंकि किसी भी तापगृह का वाँछित गुणवत्ता के कोयले की आपूर्ति से विद्युत उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है। ताप गृहों में सीआईएल द्वारा कुल कोयले का 75% प्रेषित किया जाता है।

(ii) उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये सीआईएल ने विभिन्न प्रकार के उपायों को अपनाया है। कोयले के फेस से ही गुणता प्रबन्धन प्रारम्भ हो जाता है ताकि समग्र गुणवत्ता वाले कोयले के प्रेषण को सुधारा जा सके। कोयले की क्रशिंग, संचालन, लदाई एवं परिवहन प्रणाली में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है।

(iii) सीआईएल ने लगभग 258 मि.टन प्रतिवर्ष क्षमता का कोल हैण्डलिंग प्लान्ट बनाया है ताकि उपभोक्ताओं को चूर्ण/समुचित आकार वाले कोयले का अधिकतम प्रेषण किया जा सके। इसके अतिरिक्त बीसीसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल एवं एनसीएल की वाशरियों में लगभग 39.4 मि.टन विभिन्न वाशरी उत्पाद की पर्याप्त चूर्णित/सुविधानुसार आकार के कोयले को उत्पन्न करने की प्रणाली है। इसके अतिरिक्त एमसीएल ने प्रेषण से पूर्व (-) 100 एम.एम. कोयले के आकार प्रणाली को सफलता पूर्वक आरम्भ किया है, अन्य कोयला कम्पनियों ने भी चरणवद्ध तरीके से कोयले का (-) 100 एम.एम. चूर्णित/आकार करने की योजना बनायी है।

(iv) तथापि, विभिन्न ताप गृहों से मुख्यतया आकार से बड़े कोयले की आपूर्ति करने और असंगत सामग्री भेजे जाने के कारण अनलोडिंग और ताप गृहों के पास कोल हैण्डलिंग संयंत्र प्रणाली में अनेकों खराबियों की विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार की घटनाओं के कारण हुई समस्या तापगृहों के लिए सोचनीय है। इस विषय को सुलझाने का एक ही तरीका है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2009-10 में 100% आकार वाले समग्र निष्पादन को अवश्य प्राप्त किया जाय। जिन कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करना है वे ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल और एसईसीएल हैं, वहाँ बड़े आकार के कोयले और असंगत सामग्री से संबंधित शिकायतें बार-बार प्राप्त हो रही हैं।

(v) परम्परागत तरीके के साथ ही साथ सरफेस माइनर्स के द्वारा चयनित खनन से शेल/पत्थरों को चुनना,

कोयले में ओ.बी. मैटेरियल के समिश्रण की सम्भावना को कम करने के लिये समुचित ब्लास्टिंग प्रक्रिया/तकनीकी का अंगीकरण, गुणवत्ता इत्यादि में वृद्धि हेतु विखण्डन में सुधार सुनिश्चित करना आदि जैसे उपाय किये गये हैं।

(vi) कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये सीआईएल द्वारा कुछ खदानों में चयनित खनन के लिये सरफेस माइनर्स लगाये गये हैं। जहाँ भू-खनन परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी, वहाँ कुछ अन्य खानों में और अधिक सरफेस माइनर्स लगाने की कारवाई की जा रही है। एमसीएल, सीसीएल तथा एसईसीएल की खुली खानों में पहले से ही कुल 32 सरफेस माईनर्स लगाये जा चुके हैं तथा ये संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(vii) बड़े उपभोक्ता क्षेत्रों अर्थात् विद्युत (जनोपयोगी के साथ-साथ कैप्टिव) इस्पात, सीमेन्ट, स्पाँज आयरन जो कोयला कंपनियों से कुल उत्पादन का 90% से अधिक कोयला लेते हैं, में संयुक्त सैंपलिंग प्रणाली प्रचलित है। समग्र आधार पर, बड़े उपभोक्ता जो 0.4 मि.टन या अधिक वार्षिक मात्रा में कोयला लेते हैं और जिनमें ई.आ.स. किया गया है, कुल प्रेषण के 99.25% तक लेते हैं वे सैंपलिंग के हकदार हैं। 2008-09 के दौरान विद्युत क्षेत्र को आपूर्ति के संबंध में 91.1% तक सैंपलिंग और विश्लेषण में ग्रेड पुष्टि की उपलब्धि मिली है। जो उपभोक्ता स्वीकृत सैम्पलिंग व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उनसे कोयले के विश्लेषित दर के अनुसार भुगतान अपेक्षि है। यह व्यवस्था संतोषपूर्वक काम कर रही है।

(viii) यह सुनिश्चित करने के लिये समुचित तौल के पश्चात ही कोयले का प्रेषण किया जाय, रेल लदान बिन्दुओं पर इलैक्ट्रॉनिक प्रिन्ट आउट सुविधा के साथ इलैक्ट्रानिक तौल घर स्थापित किये गये हैं। इस उद्देश्य के लिए कोयला कम्पनियों ने रेलवे साइडिंग में 169 तौलघर तथा ट्रक के तौल के लिए 415 तौल घर स्थापित किए हैं। 100% तौल को सुनिश्चित करने के लिए कोयला कंपनियों ने स्टैंड वाई तौलघर की स्थापना की भी कार्यवाई की है।

वर्ष 2008-09 के दौरान विद्युत गृहों को प्रेषित किये गये कोयले का लगभग 98.06% कोयले की तौल की गयी जबकि 2007-08 में यह लगभग 98.41% थी। वर्ष 2008-09 के दौरान विद्युत गृहों को वर्ष 2007-08 के दौरान लगभग 97.25% की तुलना में 98.28% साइज्ड कोयला प्रेषित किया गया।

3.5 कोयले के उदार विप्पणन की दिशा में उठाये गये कदम

कोयले की नयी वितरण नीति कार्यान्वयन के अधीन है। न.को.वि.प्र. के तहत विभिन्न पहलुओं की अवस्थिति नीचे दी गयी है :

(i) उपभोक्ताओं के कोर और नॉन कोर क्षेत्र के पूर्व वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है।

(ii) वर्तमान में अधिसूचित मूल्य पर रक्षा क्षेत्र और रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा।

(iii) यद्यपि स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी)/कैप्टिव विद्युत संयंत्रों (सीपीपी) और उर्वरक क्षेत्रों सहित वर्तमान विद्युत उपयोगिता को 100% नियामक आवश्यकता हेतु दिया जा रहा है, अन्य क्षेत्रों को ई.आ.स. के द्वारा नियामक आवश्यकता के अनुसार 75% मात्रा दी जा रही है। कोल इण्डिया लिमिटेड की सलाह से व्यापारिक सलाहकार मेसर्स क्रिसिल द्वारा वर्तमान उपभोक्ताओं को ईंधन आपूर्ति समझौता विकसित किया गया है जिसे कार्यान्वयन हेतु एसईबी को भेजा गया है। कोयला कंपनियों द्वारा नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। 5 एसईबी - जीईबी, केपीसीएल, एपीजीई, एनसीओ, टीआईएनईबी, एमएएचएजेईएनसीओ और एक आईपीपी अर्थात् एलएएनसीओ, एएमआरकेएएनटीएके ने कोयला कंपनियों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता कर लिया है। अन्य क्षेत्रों के मामले में, सीआईएल ने (i) 4200 टन से 50,000 टन के बीच वार्षिक आवश्यकता वाले (ii) 50,000 टन से 4,00,000 टन के बीच वार्षिक आवश्यकता वाले और (iii) 4,00,000 टन वार्षिक से अधिक आवश्यकता वालों के लिए तीन ईंधन आपूर्ति समझौता मॉडल विकसित किया है। 1223 संबद्ध इकाइयों में से 1168 इकाइयों में 63.40 मि. टन मात्रा हेतु ईंधन आपूर्ति समझौता किया जा चुका है।

(iv) इन्टीग्रेटेड स्टील प्लाण्ट को कोकिंग कोयला प्रदान करने हेतु सीआईएल के सलाह से क्रिसिल द्वारा ईंधन आपूर्ति मानक तैयार किया गया है जिसे कार्यान्वयन हेतु सेल को भेज दिया गया है। कोयला कंपनियाँ इस पर नियमित अनुवर्ती कार्य कर रही हैं।

(v) छोटे और मझौले क्षेत्र के उपभोक्ताओं हेतु 8.00 मि.टन चिन्हित किया गया है, जिसे विभिन्न राज्य/संघ क्षेत्रों को वितरित किया गया है जिससे वे अपने नामकरण हमें भेजें जिससे संबंधित उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ईंधन आपूर्ति समझौते के द्वारा नामित एजेंसी कोयला ले सके। 35 राज्य/संघ क्षेत्रों में से 27 राज्यों ने अपने नामकरण भेजे हैं जिसमें से 16 राज्यों - आसाम, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और कर्नाटक, सिक्किम एवं उत्तराखण्ड ने संबंधित कोयला कंपनियों से कुल 3.10 लाख टन ईंधन आपूर्ति समझौता कर लिया है। 5 (पाँच) राज्य सरकार/संघ क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा और चण्डीगढ़, दादर एवं नगर हवेली और अण्डमान ने कोयला की आवश्यकता नहीं होने की सूचना दी है।

(vi) एसएलसी (एलटी) के तहत नये उपभोक्ताओं अर्थात् जनोपयोगी विद्युत जिसमें आईपीपी, सीपीपी, सीमेंट और स्पाँज आयरन ने 505 इकाइयों को आश्वासन पत्र जारी किया है जो एसएलसी (एलटी) द्वारा अनुशंसित हैं उनसे प्रतिबद्धता गारंटी (सीजी) जमा करने के लिए कहा गया है जिससे एल.ओ.ए. जारी किया जा सके। एसएलसी (एलटी) क्षेत्र के तहत सभी यूनिटों हेतु मॉडल एल.ओ.ए. तैयार किया गया है जिसमें निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत संबंधित इकाई द्वारा निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। प्रतिबद्धता बैंक गारंटी जमा करने वाले आवेदकों की संख्या 400 है जिसके अंतर्गत 122.39 मि.टन मात्रा आती है। 378 को एल.ओ.ए. जारी किया गया है। एल.ओ.ए. में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एल.ओ.ए. धारकों को तीन महीने के अन्दर ईंधन आपूर्ति समझौता करना है।

(vii) एसएलसी (एलटी) के अंतर्गत जो उपभोक्ता नहीं आते हैं उनके लिए मानक बनाने हेतु केंद्रीय औद्योगिक खनन एवं ईंधन अनुसंधान, धनबाद को कहा गया है। उन्होंने मानक तैयार कर दिया है जो अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के अंतर्गत है। एसएलसी (एलटी) के तहत न आनेवाले उपभोक्ताओं हेतु मॉडल एलओए कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है वह भी अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के अंतर्गत है।

(viii) ई-नीलामी की नयी योजना दो रूपों में तैयार की गयी है जिनके नाम स्पॉट ई-नीलामी और फारवर्ड ई-नीलामी है। यद्यपि स्पॉट ई-नीलामी लगभग उसी तरह है जैसे पुरानी ई-नीलामी योजना थी जिसके अतंर्गत सभा प्रकार के क्रेता प्रति माह आधार पर कोयला खरीद सकते हैं। फारवर्ड ई-नीलामी के अंतर्गत अंत उपभोग कर्त्ता को यह तरलता दी गयी है कि वे एक बार में आगामी चार तिमाहियों हेतु बोली लगा सकेंगे। उपभोक्ता विभिन्न मात्रा के साथ-साथ मूल्य दे सकते हैं जो प्रत्येक तिमाही अलग-अलग होगी। व्यापारियों को फारवर्ड ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। यद्यपि स्पॉट ई-नीलामी नवम्बर-2007 से प्रभाव में है। फारवर्ड ई-नीलामी को प्रारंभ किया जाना है। फारवर्ड ई-नीलामी हेतु सीआईएल ने इसे मई-2008 में लाने की योजना बनाई थी किन्तु कम नामकरण के कारण इसे प्रारंभ नहीं किया जा सका था क्योंकि इस योजना में कुछ शर्तों के कार्यान्वयन में कठिनाई हो रही थी। ऐसी समस्याओं को ध्यान में रखा गया है और योजना में सरल पंजीकरण की अपेक्षाओं के साथ इसे अति शीघ्र लागू किया जा रहा है।

3.6 कोयला, कोक इत्यादि का भण्डार

कोयले के पिट हेड भण्डार एवं उसके उत्पादों का शुद्ध समायोजित मूल्य वर्ष 2008-2009 की समाप्ति के समय भण्डार के ह्रास इत्यादि के प्रावधान के बाद 2514.98 करोड़ रुपये था जो शुद्ध विक्रय मूल्य के 0.78 महीनों के बराबर है। दिनांक 31.3.2009 एवं 31.3.2008 की भण्डार की स्थिति नीचे दी गई है :—

(रुपये करोड़ में)

कम्पनी	दिनांक 31.3.2009 को भण्डार का शुद्ध मूल्य	दिनांक 31.3.2008 को भण्डार का शुद्ध मूल्य	शुद्ध बिक्री महीनों की संख्या के अनुसार भण्डार 31.3.2009 को	31.3.2008 को
ईसीएल	197.32	209.22	0.62	0.79
बीसीसीएल	600.97	483.52	2.12	1.96
सीसीएल	806.26	858.04	1.86	2.36
एनसीएल	46.30	75.65	0.08	0.17
डब्ल्यूसीएल	204.11	231.38	0.43	0.57
एसईसीएल	237.48	252.10	0.34	0.42
एमसीएल	405.03	262.16	0.90	0.72
एनईसी/ सीआईएल	17.51	9.17	0.74	0.47
योग	**2514.98**	**2381.24**	**0.78**	**0.88**

3.7 कोयला विक्रय से संबंधित बकाया

दिनांक 31.3.2009 को शुद्ध कोयला बिक्री बकाया की राशि 1430.65 करोड़ रुपये (गत वर्ष 1191.04 करोड़ रुपये) अप्राप्त एवं संदिग्ध रूप में 1780.71 करोड़ रुपये (गत वर्ष 1456.43 करोड़ रुपये) प्रावधान के बाद थी जो कि सीआईएल के 0.47 महीने (विगत वर्ष 0.45 महीने) के संयुक्त सकल बिक्री के बराबर है। दिनांक 31.3.2008 की तुलना में दिनांक 31.3.2009 को अनुषंगीवार कोयला बिक्री बकाया विवरण नीचे प्रदर्शित है :

(रुपये करोड़ में)

कम्पनी	दिनांत 31.3.2009 को कोयले का बिक्रीगत उधार सकल	शुद्ध	दिनांक 31.3.2008 को कोयले का बिक्रीगत उधार सकल	शुद्ध
ईसीएल	506.33	338.11	450.26	269.84
बीसीसीएल	622.08	186.62	310.51	51.44
सीसीएल	1148.79	745.26	847.68	541.31
एनसीएल	78.98	73.73	57.08	51.83
डब्ल्यूसीएल	363.51	191.52	325.46	126.02
एसईसीएल	413.71	198.61	439.04	276.41
एमसीएल	67.17	46.64	2647.47	139.58
एनईसी/ सीआईएल	10.79	0.02	10.77	0.00
योग	**3211.36**	**1780.71**	**2647.47**	**1456.43**

3.8 राजस्व, उपकर तथा विक्रय कर, स्टोविंग एक्साइज ड्यूटी तथा प्रवेश कर का भुगतान

वर्ष 2008-2009 के दौरान कोल इण्डिया एवं इसकी अनुषंगियों द्वारा 7200.02 करोड़ रुपये (गत वर्ष 5999.28 करोड़ रुपये) राजस्व, उपकर, विक्रय कर एवं अन्यान्य देयताओं के रूप में भुगतान/समायोजित किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(आँकड़े करोड़ रुपये में)

	2008-2009	2007-2008
राजस्व कर (रॉयल्टी)	4300.97	3602.23
उपकर (सेस)	1065.85	697.75
बिक्री-कर	1406.18	1287.64
स्टोविंग एक्स— शुल्क	390.10	375.00
प्रवेश कर	36.92	36.66
कुल	**7200.02**	**5999.28**

4. कोयला उत्पादन

4.1 कच्चे कोयले का उत्पादन

वर्ष 2007-08 में उत्पादित 379.46 मि.टन के विपरीत वर्ष 2008-09 के दौरान कच्चे कोयले का उत्पादन 403.73 मिलियन टन हुआ। कंपनीवार उत्पादन नीचे दिया गया है:

(आँकड़े मिलियन टनों में)

कम्पनी	कोकिंग 2008-09	2007-08	नॉन कोकिंग 2008-09	2007-08	योग 2008-09	2007-08
ईसीएल	0.04	0.04	28.09	24.02	28.13	24.06
बीसीसीएल	13.08	12.01	12.43	13.21	25.51	25.22
सीसीएल	12.54	13.29	30.70	30.86	43.24	44.15
एनसीएल	—	—	63.65	59.62	63.65	59.62
डब्ल्यूसीएल	0.73	0.67	43.97	42.84	44.70	43.51
एसईसीएल	0.15	0.16	101.00	93.63	101.15	93.79
एमसीएल	—	—	96.34	88.01	96.34	88.01
एनईसी	—	—	1.01	1.10	1.01	1.10
कुल	**26.54**	**26.17**	**377.19**	**353.29**	**403.73**	**379.46**

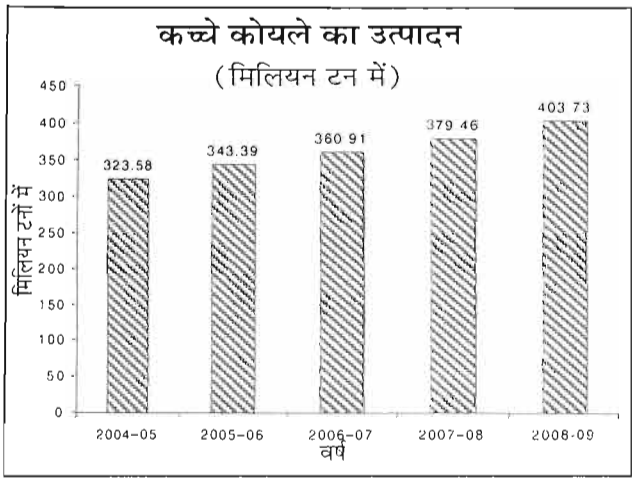

4.2 भूमिगत एवं खुली खदानों से उत्पादन

वर्ष 2007-08 में उत्पादित 43.54 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2008-09 में भूमिगत खानों से कोयला उत्पादन 43.96 मिलियन टन हुआ। वर्ष 2008-09 के दौरान खुली खदानों से कोयला उत्पादन 89.1% हुआ। कंपनीवार उत्पादन नीचे दिया गया है:

(आँकड़े मिलियन टनों में)

कम्पनी	भूमिगत उत्पादन		उत्खनन उत्पादन		कुल उत्पादन	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
ईसीएल	8.39	8.32	19.74	15.74	28.13	24.06
बीसीसीएल	4.13	4.47	21.38	20.75	25.51	25.22
सीसीएल	1.56	1.83	41.68	42.32	43.24	44.15
एनसीएल	—	—	63.65	59.62	63.65	59.62
डब्ल्यूसीएल	10.11	9.98	34.59	33.53	44.70	43.51
एसईसीएल	17.57	16.73	83.58	77.06	101.15	93.79
एमसीएल	2.15	2.12	94.19	85.89	96.34	88.01
एनईसी	0.05	0.09	0.96	1.01	1.01	1.10
कुल	**43.96**	**43.54**	**359.77**	**335.92**	**403.73**	**379.46**

4.3 हार्ड कोक एवं प्रक्षालित (कोकिंग) कोयला उत्पादन:

कंपनीवार हार्ड कोक तथा प्रक्षालित कोयले (कोकिंग) के उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है :

(आँकड़े लाख टनों में)

कम्पनी	हार्ड कोक		प्रक्षालित कोयला	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
ईसीएल	—	—	—	—
बीसीसीएल	0.003	0.14	16.05	16.62
सीसीएल	—	—	17.09	18.38
एनसीएल	—	—	—	—
डब्ल्यूसीएल	—	—	3.66	3.31
एसईसीएल	—	—	—	—
एमसीएल	—	—	—	—
एनईसी	—	—	—	—
सीआईएल (समग्र)	**0.003**	**0.14**	**36.80**	**38.31**

4.4 ओवर बर्डेन रिमूवल (अधिभार हटाव)

वर्ष 2007-08 में 607.56 मि. घन मीटर के विपरीत 6.2% की वृद्धि के साथ वर्ष 2008-09 के दौरान हटाया गया

एक खुली खान में संचालनरत एक हाइड्रोलिक शॉवेल

अधिभार 645.13 मिलियन घन मीटर था जिसका कंपनीवार ओवर बर्डेन का विवरण नीचे दर्शाया गया है :

(आँकड़े मिलियन घन मीटर में)

कम्पनी	2008-09	2007-08
ईसीएल	43.07	39.98
बीसीसीएल	53.60	50.61
सीसीएल	55.63	55.21
एनसीएल	202.75	186.25
डब्ल्यूसीएल	126.66	113.89
एसईसीएल	107.00	100.64
एमसीएल	51.84	54.56
एनईसी	4.58	6.42
कुल	**645.13**	**607.56**

5. उपकरणों की संख्या

1.4.2009 तथा 1.4.2008 को विद्यमान बड़े आकार के ओपनकास्ट उपकरणों की संख्या उनके निष्पादन स्थिति के साथ प्रत्येक की उपलब्धता तथा उपयोगिता प्रदर्शित करते हुए सीएमपीडीआईएल के मानक का प्रतिशत संलग्न तालिका में नीचे दिया जा रहा है :

उपकरण	उपकरणों की संख्या		सीएमपीडीआईएल मानक के %के अनुसार निर्दिष्ट			
			उपलब्धता		उपयोगिता	
	1.4.2009 के अनुसार	*1.4.2008 के अनुसार*	*2008-09*	*2007-08*	*2008-09*	*2007-08*
ड्रैगलाईन	40	41	95	98	99	104
शॉवेल	703	687	92	90	84	83
डम्पर	3293	3240	99	99	72	70
डोजर	1025	998	92	92	60	60
ड्रिल	754	670	97	96	72	73

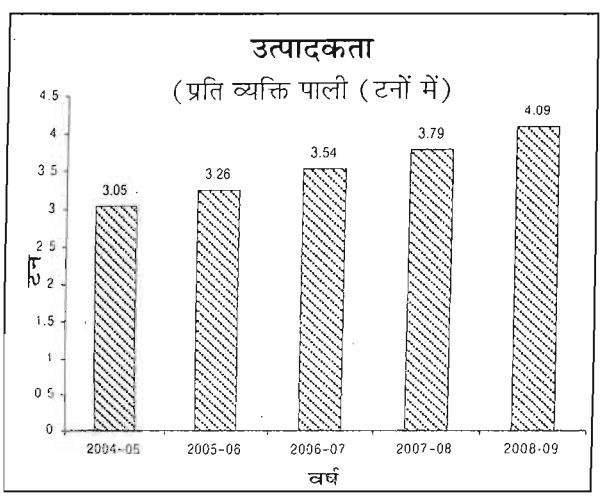

6. क्षमता उपयोगिता

वर्ष 2008-09 के दौरान सीआईएल की समग्र क्षमता उपयोगिता 94.67% हो गई जबकि 2007-08 के दौरान यह 93.82% रही जिसका अनुषंगीवार विवरण नीचे दिया गया है :

(आँकड़े प्रतिशत में)

कम्पनी	2008-09	2007-08
ईसीएल	90.39	72.79
बीसीसीएल	95.43	91.42
सीसीएल	86.26	95.70
एनसीएल	91.58	94.89
डब्ल्यूसीएल	113.40	100.50
एसईसीएल	100.64	102.14
एमसीएल	85.02	93.14
एनईसी	50.38	45.16
सीआईएल (समग्र)	**94.67**	**93.82**

7. उत्पादकता : प्रति व्यक्ति पाली उत्पादन (ओ.एम.एस.)

वर्ष 2008-09 के दौरान प्रति व्यक्ति पाली उत्पादन (ओएमएस) विगत वर्ष के 3.79 टन से बढ़कर 4.09 टन हो गया है। अनुषंगीवार स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गयी है:

(आँकड़े टनों में)

कम्पनी	भूगर्भीय		खुलीमुख		समग्र	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
ईसीएल	0.46	0.43	6.42	5.04	1.33	1.07
बीसीसीएल	0.41	0.42	2.91	3.08	1.22	1.18
सीसीएल	0.36	0.39	4.65	4.66	3.27	3.22
एनसीएल	–	–	14.58	13.81	14.58	13.81
डब्ल्यूसीएल	1.14	1.11	3.97	4.06	2.54	2.52
एसईसीएल	1.26	1.19	15.76	14.30	5.26	4.83
एमसीएल	1.25	1.18	23.06	23.57	16.60	16.19
एनईसी	0.10	0.20	7.83	8.09	1.77	1.88
कुल	**0.76**	**0.73**	**8.95**	**8.60**	**4.09**	**3.79**

8.0 परियोजनाएँ

8.1 परियोजना प्रतिपादन

वर्ष 2008-09 के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड की कोयला उत्पादक अनुषंगी कंपनियों की प्राथमिकतानुसार उस पर अतिरिक्त कोयला उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए नयी/विस्तारित/पुनर्संगठित खानों की परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने का कार्य किया गया था। XI वीं प्लान परियोजनाओं की तैयारी के लिए ध्यान दिया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों का दायित्व भी अपने ऊपर लिया गया है :

- परियोजना रिपोर्ट/लागत आकलन का संशोधन।
- कोकिंग/नान कोकिंग कोल वाशरियों के लिए औचित्य रिपोर्ट।
- वाशरियों के लिए कान्सेप्चुअल रिपोर्ट और निविदा कागजातों को तैयार करना।
- बड़ी खुली खानों के लिए संचालनात्मक योजना।
- पर्यारणीय प्रबंध योजना (ईएमपी)।
- आग से निपटने वाली रिपोर्ट।
- एनआईटी, निविदा सूक्ष्म परीक्षण इत्यादि के लिए विस्तृत अभिकल्पना एवं आरेखण।
- सीआईएल की भूमिगत तथा खुली खानों का खान क्षमता मूल्यांकन।
- खुली तथा भूमिगत खानों के संचालन से संबंधित विभिन्न तकनीकी अध्ययन।
- सीआईएल की खुली खानों में नियोजित एचईएमएम और भूमिगत खानों में एसडीएल तथा एलएचडी का प्रयोग करके मध्यम तकनीक के निष्पादन का विश्लेषण।
- सीआईएल की भूमिगत खानों में लाँगवाल और काँटीनुअस माइनर तकनीक के साथ-साथ उच्च गति इन्क्लाइन ड्राइवेज और शाफ्ट सिंकिंग लागू करने हेतु भू-मण्डलीय निविदा कागजात तैयार करना।

वर्ष 2008-09 के दौरान सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों को पर्यावरण प्रबंधन तथा प्रबोधन, रिमोट सेंसिंग,ऊर्जा अंकेक्षण (डीजल एवं विद्युत), डीजल एवं विद्युत खपत का बेंच मार्किंग और खुली तथा भूमिगत खानों के डीजल तथा विद्युत खपत मानदण्डों का निर्धारण, रॉक तथा कोयला सैंपलों का भौतिक-यॉंत्रिकी जाँच, भू-धँसान अध्ययन, स्ट्राटा नियंत्रण, गैर विघटन परीक्षण (एनडीटी), नियंत्रित दगान तथा कंपन अध्ययन और वारूद की उपयोगिता, भूमिगत खानों का वेंटिलेशन/गैस सर्वे, माइनिंग इलेक्ट्रानिक्स, ढलान स्थिरता, ओ. बी. आर. सर्वेक्षण, कोयला सैंपल पर पेट्रोग्राफी तथा/क्लीट अध्ययन, कोयले का कोर प्रोसेसिंग एवं विश्लेषण, वासिर्लिटी परीक्षण, मैन राइडिंग प्रणाली इत्यादि क्षेत्र में सीएमपीडीआईएल की विशेषज्ञ परामर्शी सेवाएँ भी उपलब्ध कराई गई थीं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सीएमपीडीआईएल ने कुल 441 रिपोर्ट तैयार की, जिनमें 20 जियोलॉजिकल रिपोर्ट, 36 परियोजना रिपोर्ट/संशोधित परियोजना रिपोर्ट, 11 परिचालनात्मक योजनायें, 168 अन्य रिपोर्ट तथा 206 पर्यावरण प्रबंध योजनायें (180 फार्म-। सहित) हैं।

8.2 परियोजना कार्यान्वयन

वर्ष 2008-09 के दौरान 20 करोड़ रुपये से अधिक की 6 परियोजनायें पूरी की गई है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	अनुषंगी-कंपनी	परियोजना के नाम	समापन तिथि	क्षमता (मि. टन)	पूँजी (करोड़ रु. में)
1	बीसीसीएल	दहीबारी-बसंतीमाला ओसी	01.04.08	1.30	81.25
2	डब्ल्यूसीएल	तवा - ॥ यूजी	31.03.09	0.39	36.43
3	एसईसीएल	दुग्गा ओसी	31.03.09	1.00	87.05
4	एमसीएल	सम्लेश्वरी एक्सपैन्शन	31.03.09	2.00	87.95
5	एमसीएल	हिंगुला एक्सपैन्शन फेज - ।	31.03.09	2.00	89.78
6	एमसीएल	हिंगुला एक्सपैन्शन फेज - ॥	31.03.09	4.00	35.67
		कुल		10.39	418.13

वर्ष 2008-09 के दौरान 4 परियोजनाएँ जिसी लागत 20 करोड़ रुपये से अधिक है, प्रारंभ हो चुकी है। विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	अनुषंगी-कंपनी	परियोजना के नाम	प्रारंभ करने की तिथि	क्षमता (मि. टन)	पूँजी (करोड़ रु. में)
1	ईसीएल	कोट्टाडीह ओसी अमलगम	फरवरी, 09	1.00	23.01
2	डब्ल्यूसीएल	घोंसा आरपीआर ओसी	जनवरी, 09	0.45	44.66
3	डब्ल्यूसीएल	दुर्गापुर दीप एक्स. ओसी	अगस्त, 08	2.00	42.98
4	डब्ल्यूसीएल	इन्दर यूजी से ओसी	मार्च, 09	0.60	38.23
		कुल		4.05	148.88

चालू परियोजनाओं की स्थिति

वर्तमान में, 20 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक लागत की 124 खनन तथा 8 गैर-खनन परियोजनायें कार्याधीन हैं। 124 खनन परियोजनाओं में से 109 निर्धारित समय में तथा 15 बिलम्बित हैं। 8 गैर-खनन परियोजनाओं में से 4 परियोजनाएँ निर्धारित समय में तथा 4 विभिन्न कारणों से विलम्बित हैं जिसका विवरण इस प्रकार है :

परियोजना	निर्धारित समय पर	विलंबित परियोजना	कुल
खनन	109	15	124
गैर-खनन	4	4	8
कुल	113	19	132

विलम्ब का कारण

(क) खनन परियोजनाएँ

क्र. सं.	विलम्ब के कारण	परियोजनाओं की संख्या
1.	विपरीत भू-खनन स्थिति	3
2.	भूमि अधिग्रहण	5
3.	विविध	7
	कुल	15

(ख) गैर-खनन परियोजनाएँ

क्र. सं.	विलम्ब का कारण	परियोजनाओं की संख्या
1.	भूमि अधिग्रहण	3
2.	पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना	1
	कुल	4

8.3 स्वीकृत परियोजनाएँ (20 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक लागत वाली)

(क) 01.04.2008 से 31.03.2009 के दौरान, सरकार द्वारा किसी परियोजना/अग्रिम कार्रवाई प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ख) 01.04.2008 से 31.03.2009 के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड ने दिये गये पावर के अधीन 5 परियोजनाएँ स्वीकृत की गयी हैं। विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं.	कम्पनी	परियोजनाओं का नाम	प्रकार	स्वीकृत क्षमता (मि.टन प्रतिवर्ष)	स्वीकृत पूँजी (रु. करोड़ में)
1	एनईसी/सीआईएल	लेखपानी	ओ.सी.	0.25	56.39
2	एनईसी/सीआईएल	तिरप	ओ.सी.	0.60	49.71
3	ईसीएल	वेलवेद (धासल)	यू.जी.	0.48	69.11
4	ईसीएल	झंझरा द्वितीय सीएम	यू.जी.	0.51	122.35
5	ईसीएल	नरायनकुरी	यू.जी.	0.54	149.89
		कुल		2.38	447.45

(ग) 01.04.2008 से 31.03.2009 के दौरान अनुषंगी कम्पनियों द्वारा अपने डेलिगेटड पावर के अन्तर्गत 32 परियोजनाएँ स्वीकृत की गयी हैं। विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	कम्पनी	परियोजना का नाम	प्रकार	स्वीकृत क्षमता (मि.टन) (प्रति वर्ष)	स्वीकृत पूँजी (रु. करोड़ में)
1.	सीसीएल	पुरनाडीह	ओसी	3.00	210.98
2.	सीसीएल	तेतरियाखार	ओसी	2.00	78.60
3.	सीसीएल	तापिन ओसी	ओसी	2.50	264.00
4.	सीसीएल	परेज ईस्ट	यूजी	0.51	128.89
5.	सीसीएल	रोहिणी एक्सपेंशन	ओसी	2.00 (वृद्धि 1.20)	105.67
6.	सीसीएल	मगध एक्सपेंशन	ओसी	8.00 (वृद्धि)	236.62
7.	सीसीएल	उरीमारी एक्सपेंशन	ओसी	2.00	143.57
8.	सीसीएल	अमलो एक्सपेंशन	ओसी	2.50	35.54
9.	एनसीएल	दुधीचुआ	ओसी	5.00	215.31
10.	डब्ल्यूसीएल	दिनेश	ओसी*	3.00	496.40
11.	डब्ल्यूसीएल	धुपतला	ओसी*	1.70	194.11
12.	डब्ल्यूसीएल	वघोदा	यूजी	0.39	71.74
13.	डब्ल्यूसीएल	शारदा	यूजी*	0.32	50.95
14.	डब्ल्यूसीएल	धानकास	यूजी*	1.00	152.86
15.	डब्ल्यूसीएल	पेनगानगा	ओसी	3.00	377.45
16.	डब्ल्यूसीएल	भाकरा	यूजी*	0.27	55.258
17.	डब्ल्यूसीएल	मोरी ब्लॉक वर्थ सीएम	यूजी*	0.90	67.49
18.	डब्ल्यूसीएल	जमुनिया	यूजी*	0.72	127.52
19.	डब्ल्यूसीएल	चीनचोली	यूजी	0.30	24.64
20.	डब्ल्यूसीएल	सोनर मिनी । एक्सपेंशन	यूजी	0.75	68.16
21.	एसईसीएल	बाटूरा	ओसी	2.00	203.82
22.	एसईसीएल	जगन्नाथपुर (महान iii एवं iv)	ओसी	3.00	152.43
23.	एसईसीएल	पलमा	ओसी	10.00	447.85
24.	एसईसीएल	कारताली	ओसी	2.50	139.78
25.	एसईसीएल	चूरचारो	यूजी	1.35	462.354
26.	एसईसीएल	वारूद एक्सपेंशन	ओसी	3.00	135.58
27.	एसईसीएल	कुसमुंडा एक्सपेंशन	ओसी	5.00	450.56
28.	एमसीएल	टलावरा	ओसी	20.00	447.72
29.	एमसीएल	एचवीआई (यूजी)	यूजी	0.90	27.86
30.	एमसीएल	अनानथ एक्सपेंशन	ओसी	3.00 (वृद्धि)	308.89
31.	एमसीएल	हीनगुल एक्सपेंशन	ओसी	7.00	292.54
32.	एमसीएल	लखनपुर एक्सपेंशन पीएस- II	ओसी	5.00	116.54
				94.61	6291.68

* पी आर का अनुमोदन कास्ट प्लस आधार पर एफ एस ए के अंतिमरूप देने की शर्त पर है।

गैर-खनन परियोजनायें

दिनांक 01.04.2008 से 31.03.2009 की अवधि में अनुषंगी कम्पनी द्वारा रुपये 20 करोड़ से अधिक की लागत की एक नयी परियोजना स्वीकृत की गयी है।

क्र. सं.	कम्पनी	परियोजना का नाम	प्रकार	स्वीकृत क्षमता (मि.टन में)	स्वीकृत पूँजी लागत (रु. करोड़ में)
1.	एमसीएल	एनटीपीसी वल्व लिगराज में कोयला परिवहन एवं सिलो लोडिंग की व्यवस्था		13.00	119.50

8.4 संशोधित परियोजना रिपोर्ट/संशोधित लागत आकलन रिपोर्ट (20 करोड़ रुपये एवं इससे अधिक लागत की)

(क) दिनांक 01.04.2008 से 31.03.2009 के दौरान सरकार द्वारा कोई आरसीई/आरपीआर स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ख) दिनांक 01.04.2008 से 31.03.2009 के दौरान सीआईएल द्वारा एक आरसीई/आरपीआर स्वीकृत किया गया है।

क्र. सं.	कम्पनी	परियोजना का नाम सारणी सखी (विस्तार)	प्रकार	स्वीकृत क्षमता (मि.टन में)	स्वीकृत पूँजी लागत (रु. करोड़ में)
1.	ईसीएल	आरसीई	यूजी	0.76	147.86

(ग) दिनांक 01.04.2008 से 31.03.2009 के दौरान अनुषंगियों द्वारा 20 करोड़ रु. से अधिक लागत की 2 आरसीई/आरपीआर स्वीकृत की गयी हैं।

क्र. सं.	कम्पनी	परियोजना का नाम	प्रकार	स्वीकृत क्षमता (मि.टन में)	स्वीकृत पूँजी लागत (रु. करोड़ में)
1.	डब्ल्यूसीएल	घोनसा (आरपीआर)	ओसी	0.45	44.66
2.	सीसीएल	तारमी (आरपीआर)	ओसी	1.00	56.32
		कुल		1.45	100.98

9. पूँजीगत व्यय

गत वर्ष के 2033.51 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2008-2009 के दौरान पूँजीगत खाते में 2507.17 करोड़ रुपये खर्च हुए जिसका अनुषंगीवार विवरण निम्नलिखित है :

(आँकड़े करोड़ रु. में)

कम्पनी	2008-2009		2007-2008	
	आकलित बजट	वास्तविक	आकलित बजट	वास्तविक
ईसीएल	400.00	191.88	298.29	161.79
बीसीसीएल	250.00	221.16	250.00	133.82
सीसीएल	600.00	334.84	400.00	297.84
एनसीएल	500.00	266.52	400.00	404.71
डब्ल्यूसीएल	225.00	277.92	241.50	176.05
एसईसीएल	800.00	855.98	492.35	560.42
एमसीएल	350.00	321.26	350.00	276.16
सीएमपीडीआईएल	15.00	9.45	10.00	5.83
सीआईएल/ एनईसी /अन्य	74.70	28.16	30.00	16.89
कुल	3214.70	2507.17	2472.14	2033.51

10. पूँजीगत संरचना

दिनांक 31.3.2009 को कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी 8904.18 करोड़ रुपये थी, जिसे इक्विटी और नॉन-कम्युलेटिव रिडीमेबुल प्रिफरेंस शेयर के बीच निम्नानुसार विभाजित किया गया है —

(i)	90,41,800 अ-संचयी शेयर 10% के रिडीमेबुल प्रिफरेंस शेयर जो प्रत्येक 1000/- रु. के हैं	904.18 करोड़ रुपये
(ii)	8,00,00,000 इक्विटी शेयर जो प्रत्येक 1000/- रु. के हैं	8000.00 करोड़ रुपये
	कुल	8904.18 करोड़ रुपये

दिनांक 31.3.2009 को प्रदत्त पूँजी 6316.36 करोड़ रुपये थी जो भारत सरकार के नाम जारी है और साथ ही जिसमें 256.93 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर जो भारत सरकार के नाम अधिग्रहीत भूमि के मूल्य के एवज में जारी किये गये हैं, सम्मिलित हैं।

दिनांक 31.3.2009 तक कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगियों में भारत सरकार द्वारा कुल निवेश 6316.36 करोड़ रुपये था जबकि गत वर्ष यह 6316.36 करोड़ रुपया था जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :—

(रुपये करोड़ में)

	31.3.2009 तक	31.3.2008 तक
शेयर पूँजी — इक्विटी	6316.36	6316.36
ऋण (उपार्जित ब्याज एवं बकाया सहित)	0.00	0.00
योग	6316.36	6316.36

11. उधार

सीआईएल का कुल उधार (भारत सरकार को ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर) जैसाकि उपर में वर्णित है, 2007-08 में 1675.47 करोड़ रुपये से बढ़कर 2008-09 में 1980.54 करोड़ रुपये हो गया है जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है :

(रुपये करोड़ में)

विवरण			2008-09	2007-08
आस्थगित क्रेडिट विदेशी ऋण				
	2008-09	2007-08		
आईबीआरडी/ जेबीआईसी	1786.62	1510.83	1969.43	1664.36
ईडीसी कनाडा	170.28	137.26		
सीएमई चाईना	12.53	16.27		
आस्थगित भुगतान			11.11	11.11
योग			**1980.54**	**1675.47**

मुख्यतया विदेशी विनिमय दर में प्रतिकूल अस्थिरता के कारण वर्ष के अन्त तक बकाया राशि में वृद्धि हुई है, हालाकि पिछले वर्ष की तुलना में विदेशी मुद्रा के समतुल्य बकाया ऋण में कमी आयी है, और ऋण शोधन को विधिवत मिला दिया गया है।

12. विदेशी सहयोग

कोल इण्डिया लिमिटेड निम्नांकित का ध्यान रखते हुए विदेशी सहयोग की अपेक्षा रखती है :

- भूमिगत (यू.जी.) एवं खुलीमुख (ओ.सी.) खदानों और कोयला विनिर्माण संयंत्र के संचालन के लिए प्रमाणित प्रौद्योगिकी लगाना एवं उसका अग्रिम कुशल प्रबंधन करना।
- कोल बेड मिथेन की गवेषणा एवं दोहन।
- विदेश में कोयला खनन के इच्छुक कोकिंग कोयला खनन पर विशेष ध्यान रखते हुए संयुक्त उद्यम हेतु भागीदारों की तलाश।
- कोयला उद्योग की आवश्यकताओं के लिए उपकरण प्रौद्योगिकी का आयात एवं अन्य निवेश के लिए वित्तीय सहायता की छान-बीन।

उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामान्यतया भारत एवं विशेषतया कोल इण्डिया लिमिटेड के लिए पारस्परिक सहयोग के क्षेत्र को चिन्हित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न देशों जैसे — यूनाईटेड किंगडम, रूस, जर्मनी, यूनाईटेड स्टेट्स, चीन, फ्रान्स, पोलैण्ड, आस्ट्रेलिया, जापान, साउथ अफ्रीका, बेलारुस, मोजाम्बिक आदि से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

भूमिगत एवं खुली खदान दोनों के खनन में बड़े बैमाने पर उत्पादन, अग्नि एवं धँसान, खान सुरक्षा, कोयला विनिर्माण, कोल बेड मिथेन का निष्कर्षण, कोयला गैसीकरण, भूगर्भीय सूचना प्रणाली का निवेश, सैटेलाइट निगरानी, पर्यावरण नियंत्रण, कोयला खनन में विदेशी उद्यम आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आधुनिक तकनीक सहित चिन्हित किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त आधुनिक तकनीक के स्थानान्तरण एवं प्रशिक्षण पर भी बल दिया जा रहा है।

यद्यपि सीआईएल रिस्क/गेन के उपयोग के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय नीलामी के माध्यम से उपयुक्त तकनीक प्राप्त करने हेतु प्रयास करेगी, तथापि यदि तकनीक लाभदायक सिद्ध होती है तो उपरोक्त क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग से प्रभावी लागत एवं नवीनतम तकनीक की उपलब्धता की तलाश के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। यद्यपि यह विभिन्न मापदण्डों में है, इसलिए सीआईएल अपनी अनुषंगी कम्पनियों में दोनों माध्यमों को अपना रही है।

भारत-रुसी सहयोग:

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग हेतु भारत-रूसी अन्तर सरकारी आयोग की मेटालर्जिकल एवं माइन्स पर भारत-रूस के कार्यकारी दल की चौथी बैठक दिनांक 22-23 अक्टूबर, 2008 को नई दिल्ली में हुई।

- यह सूचित किया गया कि रूसी प्रतिनिधियों ने निविदा में भारत में विद्यमान कोयला खदानों की आयोजना एवं निर्माण हेतु सहभागिता के लिए इच्छा व्यक्त की है।
- भारत की ओर से यह सूचित किया गया है कि सीआईएल की नीति निविदा/ग्लोबल निविदा के माध्यम से उपकरण, सामग्रियों एवं कल पुर्जों को प्राप्त करना है। आउट सोर्सिंग के माध्यम से सीसीएल की आम्रपाली एवं मगध ओसी परियोजनाओं को विकसित करने का प्रस्ताव है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रूस से आग्रह किया गया था।
- भारतीय पक्ष ने जारूबेझूगोल कम्पनी से रूसी कोयला सेक्टर में भारतीय निवेश से सम्बधित प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रूसी पक्ष से अनुरोध किया है।
- भारतीय पक्ष द्वारा यह सूचित किया कि सीएमपीडीआईएल एवं गिप्रोशाकत, विनिमी एवं स्कोचिनस्काई के समझौता ज्ञापन के विभिन्न मुद्दो पर सीएमपीडीआईएल द्वारा समीक्षा/परीक्षण किया जा रहा है।

- यह नोट किया गया कि रूसी कोयला खनन उद्यमों के विशिष्ट क्षेत्रों में जहाँ पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है वहाँ पर भारतीय विशेषज्ञों के प्रशिक्षण हेतु भारत की ओर से सरकारी तौर पर अनुरोध किया जायेगा।
- यह नोट किया गया कि भारत रूसी व्यापार एवं वाणिज्य के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के संदर्भ में बोर्ड पर अधिक परियोजनाओं एवं प्रस्ताव को लेने की आवश्यकता है और उसे प्राप्त करने के लिए समाधान एवं आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

भारत-अमेरिका सहयोग

भारत अमेरिका की कोयला कार्यकारी दल (सीडब्ल्यूजी) की बैठक दिनांक 1 अप्रैल, 2008 को हुई। भारतीय पक्ष ने कार्यकारी दल की गतिविधियों पर विस्तृत प्रस्तुति और विभिन्न विषयक क्षेत्रों के अन्तर्गत पूर्व की चिन्हित गतिविधियों, कोयला पारिष्करण सहित स्वच्छ कोयला रीकवरी, कोयला खान सुरक्षा, कोलबेड मीथेन/कोयला खान मीथेन/परित्यक्त खान मीथेन, भूमिगत कोयला गैसीकरण, हाईवाल खनन, लिगनाइट खनन के लिए वैकल्पिक प्राद्योगिकी, कोयला द्रवीकरण आदि पेश की है। सी डब्ल्यू जी द्वारा निम्नांकित आर एण्ड डी परियोजना प्रस्ताव को विकसित किया गया है, जिसे सीआईएल के लिए अन्तिम रूप दे दिया गया है।

- अच्छे कोयला के परिष्करण एवं वसूली के लिए लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी।
- निम्न वाष्पशील कोकिंग कोल के लिए परिष्करण प्रौद्योगिकी।
- कोल प्रिपरेशन प्लान्ट सिमूलेटर का विकास।

अन्तिम अनुमोदन एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया के संबंध में समझौता के लिए अमेरिका सम्भावित हस्ताक्षर करने वालों की पहचान करने पर सहमत हो गया है। सम्भावित सहयोग के लिए सीडब्ल्यूजी द्वारा निम्नांकित नये क्षेत्र चिन्हित किये गये :

- भूमिगत कोयला गैसीकरण,
- शुष्क कोयला परिष्करण,
- सीबीएम/सीएमएम,
- कोयला संसाधनों का विशेषीकरण,
- देशी कोयला खदानों से ऊर्जा की उपयोगी मात्रा में वृद्धि के लिए एक मॉडल के विकास पर अध्ययन,
- सीआईएल की कम्पनियों में चयनित परित्यक्त खदानों के पुनरूद्धार पर अध्ययन।

यह भी निर्णय लिया गया था कि भारत और अमेरिका दोनों चिन्हित हित के क्षेत्रों के संबंध में जानकारी आदान-प्रदान करेंगे, पारस्परिक सहमति वाली परियोजनाओं के समयवद्ध कार्यान्वयन के उद्देश्य से पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों पर भी जानकारी का आदान-प्रदान जारी रहेगा। दोनों तरफ से कार्यकारी दल की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया।

भारत-जर्मनी सहयोग

औद्योगिक एवं आर्थिक सहयोग के लिए जर्मनी भारत संयुक्त आयोग के तत्वावधान में गठित कोयला पर भारत जर्मनी कार्यकारी दल की 17वीं बैठक 7 नवम्बर, 2008 को कोलकाता में हुई थी। जर्मनी को यह सूचित किया गया था कि भारत आधुनिकतम उपकरण एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग से कोयले की वार्षिक वृद्धि को वर्ष 2007-08 में 456 मि.टन से बढ़ाकर वर्ष 2011-12 में 680 मिलियन टन उत्पादन करने पर विचार कर रहा है। 9 प्रतिशत या इससे अधिक कोयला उत्पादन में उच्च वृद्धि दर के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, यह जर्मनी जैसे विकसित देश से आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने से ही सम्भव हो सकेगा।

- भारत की ओर से ''भारत में कोयला खनन'' पर एक प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें भारतीय कोयला उद्योग की वर्तमान स्थिति, भविष्य का लक्ष्य और रोडमैप दिखाया गया। भारतीय पक्ष द्वारा विदेशी कोयला खदानों को अधिग्रहीत कर कोयला उत्पादन की प्रतिपूर्ति, आउट सोर्सिंग द्वारा अन्वेषण क्षमता में वृद्धि, उपकरणों की भविष्य में आवश्यकता, बन्द/परित्यक्त खदानों से अवशिष्ट कोयले का निष्कर्षण, कोयले की सीमों एवं गहरे स्थित खदानों के खनन हेतु इच्छा व्यक्त की गयी। भारतीय पक्ष द्वारा जर्मनी के सहयोग से उपरोक्त सभी क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम प्रस्ताव, भारतीय कोयला खनन उद्योग के लिए जहाँ पर जर्मनी विशेषज्ञ/प्रौद्योगिकी लाभ दायक सिद्ध होगा, उन सम्भावित क्षेत्रों के विस्तार का स्वागत किया गया।

कार्यकारी दल सहयोग के प्रयासों को सुदृढ़ बनाने के लिए चिन्हित क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

- ❒ गहराई में स्थित कोयले की निकासी के लिए आवश्यक गहरे शाफ्ट सिंकिग हेतु प्रौद्योगिकी विकसित करना।
- ❒ कोयला खदानों में हार्डरूफ मैनेजमेन्ट के लिए प्रौद्योगिकी।
- ❒ कोल वेड मीथेन (सीबीएम)/कोल माइन मीथेन (सीएमएम) के आकलन एवं निकासी के लिए तकनीक की स्थापना।
- ❒ अधिकतम गहराई/पृथक जमा कोयला स्त्रोतों के लिए भूमिगत कोल गैसीकरण (यूएसजी)।
- ❒ बोरहोल इमोजिंग सिस्टम के साथ 3 डी भूकंपीय का सर्वेक्षण।
- ❒ वेंटिलेशन एयर मीथेन (वीएएम) भारतीय खनन परिदृश्य में कमी और उपयोगिता।
- ❒ भूमिगत कोयला खनन संचालन के लिए सीम में भूकम्पीय सर्वेक्षण।
- ❒ जर्मनी से प्रौद्योगिकी सहयोग के साथ विदेशों में खनन के लिए संयुक्त संघ।
- ❒ विशेषतया भूमिगत खदानों की क्षमता में वृद्धि के लिए सहयोग।

- सीआईएल ने डीईए एवं एमओसी के माध्यम से एक प्रस्ताव, जो वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से संबंधित है सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजना के लिए भारत-जर्मनी द्विपक्षीय विकास, सहयोग के अन्तर्गत जर्मनी के संघीय गण राज्य की सरकार (एफआरसी) से प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव को अनुषंगी कम्पनियों को अग्रेषित कर दिया गया है और वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के लिए सीआईएल/ अनुषंगियों द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है।

  - ❒ पावर सपोर्ट लाँगवाल प्रौद्योगिकी
  - ❒ कान्टिनुअस माइनर प्रौद्योगिकी
  - ❒ यांत्रिकीकृत एवं फास्ट ड्रिफ्ट ड्राइवेज
  - ❒ कोल वाशरीज
  - ❒ रानीगंज कोलफील्ड्स में अग्नि नियंत्रण
  - ❒ झरिया कोल फील्ड्स में अग्नि नियंत्रण
  - ❒ गहराई में जमा धरोहर का अन्वेषण
  - ❒ खान सुरक्षा पहलू।

भारत-पॉलिश सहयोग:

आर्थिक सहयोग पर पॉलिश- भारत की संयुक्त आयोग के प्रथम सत्र की बैठक दिनांक 27 मई, 2008 को नयी दिल्ली में हुई। यह पहला सत्र था जो आर्थिक सहयोग के समझौता के अन्तर्गत पोलैण्ड एवं भारत द्वारा दिनांक 19 मई 2006 को हस्ताक्षरित किया गया।

- भारत एवं पोलैण्ड ने यह सहमति व्यक्त की कि वे विद्युत उत्पादन सहित ऊर्जा सेक्टर कोयला खनन उद्योग, तथा तेल एवं गैस के अन्वेषण में द्विपक्षीय सहयोग के लिए इच्छुक हैं। ऊर्जा संरक्षण (केएपीई) के लिए पॉलिश एजेन्सी ने निम्नांकित सूचना आदान-प्रदान के क्षेत्र में तत्संबंधित भारतीय सहयोग के साथ सहयोग के लिए इच्छुक है:

  - ❒ उद्योगों में ऊर्जा की खपत एवं निर्माण वैश्विक जलवायु परिवर्तन के सन्दर्भ में निर्माण।
  - ❒ नवीन प्रौद्योगिकी पर कार्य एवं ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों विशेषतया जैविक-ईंधन, वायु एवं सौर ऊर्जा के उपयोग को अधिक प्रभावशील करने के लिए बाजार में समाधान।
  - ❒ नाभिकीय ऊर्जा विशेषतया उद्योग के लिए स्टॉफ के प्रशिक्षण एवं तैयारी के क्षेत्रों में।
  - ❒ क्लीन कोल प्रौद्योगिकी एवं अनुभवों के आदान-प्रदान तथा वृहद शहरों को ऊर्जा की आपूर्ति के लिए नवीनतम समाधान/मेगा पॉलिश (विद्युत ऊर्जा तथा शहर परिवहन सहित) के लिए नवीनतम समाधान हेतु विशेषज्ञ।

- भारत और पॉलिश दोनों ने मुनीडीह खदान के मामले में अन्तिम समाधान हेतु इच्छा व्यक्त की है।

भारत-आस्ट्रेलिया सहयोग:

ऊर्जा एवं खनिज पर भारत आस्ट्रेलिया की संयुक्त कार्यकारिणी दल की छठवीं बैठक दिनांक 16-17 मार्च, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। कार्यकारी दल ने वर्तमान व्यापार एवं विकास में निवेश, संसाधनों पर वैश्विक वित्तीय संकट की घटनाओं एवं ऊर्जा सेक्टर, वर्तमान ऊर्जा खनिज नीति के विकास पर विचार-विमर्श किया।

- संयुक्त कार्यकारी दल नवम्बर, 2008 को आस्ट्रेलिया एवं भारत के बीच हस्ताक्षरित पाँच कार्य योजनाओं यथा खनन एवं खनिज, कोया, नवीन एवं उन्नयन ऊर्जा, पावर, पेट्रोलियन एवं प्राकृतिक गैस पर वर्ष 2009-11 के क्रिया कलापों पर भी सहमत हुये। दिनांक 16.3.2009 को संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया और द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने तथा संसाधनों एवं ऊर्जा में अनुसंधान एवं तकनीकी सहायता में वृद्धि लाने के लिए दिनांक 5.11.2008 को कोयला मंत्रालय तथा आस्ट्रेलिया सरकार के ऊर्जा संसाधन एवं पर्यटन विभाग के बीच ''संयुक्त कार्य योजना'' के मुख्य विषय वस्तु पर रचनात्मक संवाद भी हुआ तथा उस पर हस्ताक्षर किये गये।

- नवम्बर, 2008 में हस्ताक्षरित संयुक्त कार्य योजना में निहित सभी प्रमुख क्षेत्रों के द्विपक्षीय अवसर पर निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में एक संयुक्त उप समूह/कार्य बल का गठन किया गया है।

भारत-जापानी सहयोग:

उपाध्यक्ष योजना आयोग, भारत सरकार एवं आर्थिक, व्यापार एवं उद्योग मंत्री जापान (एमईटीआई) के बीच दिनांक 17 सितम्बर, 2008 को टोकियो में तीसरी भारत-जापान ऊर्जा संवाद (आईजेईडी) बैठक संपन्न हुई। उक्त बैठक के उपरान्त दोनों मंत्रियों द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया गया।

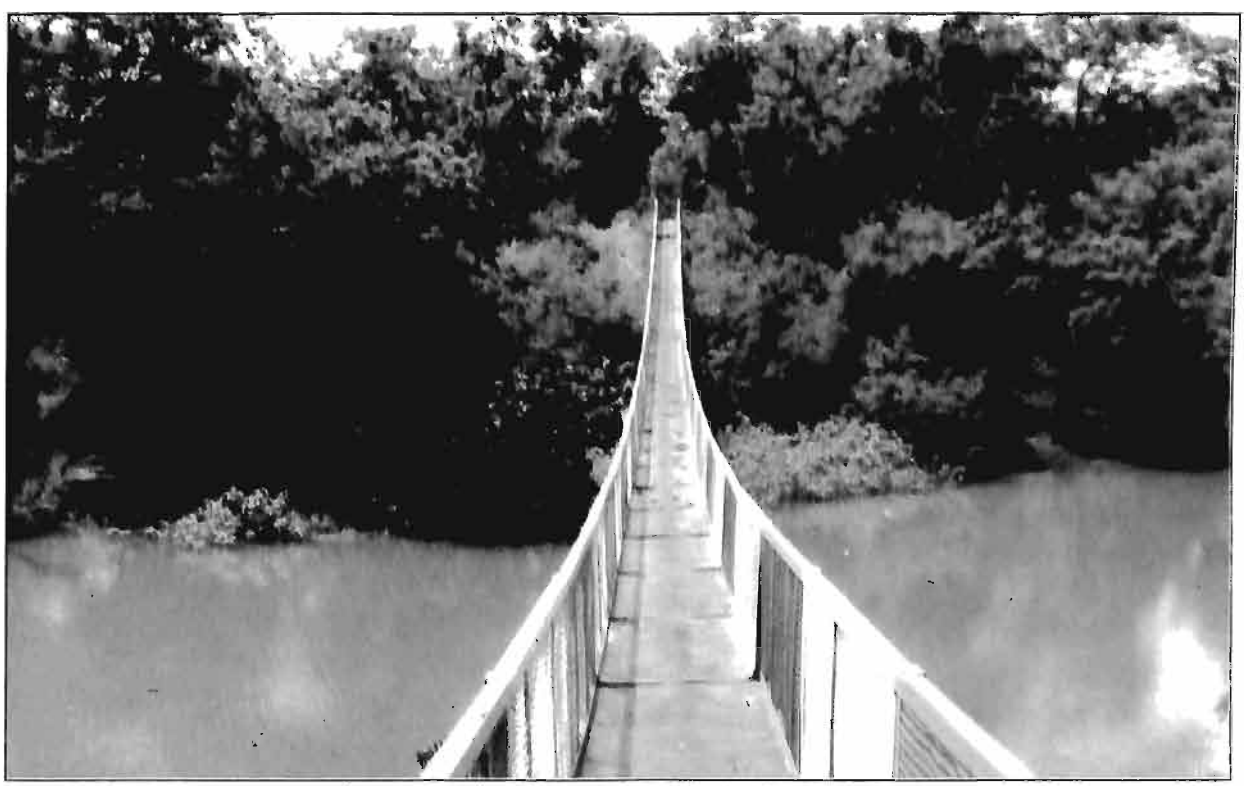

योजनाबद्ध वृक्षारोपण के साथ जलाशय में परिवर्तित खुली खदान

- दोनों मंत्रियों ने उच्च कोटि के कोयला विनिर्माण के लिए वाणिज्यिक पैमाने पर मॉडल परियोजना के कार्यान्वयन सहित भारत में उपयोगी कोयला की राख की मात्रा को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण के प्रयास के लिए सहमत हुए। मंत्रियों ने इसका स्वागत किया कि एनईडीओ द्वारा उच्च कोटि कोयला विनिर्माण के लिए संबंधित मॉडल परियोजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया और मंत्रियों ने इस पर भी सहमति व्यक्त की कि कोयला सेक्टर में अन्य क्षेत्रों में उसी प्रकार की परियोजना पर सम्भाव्यता अध्ययन के विकास की सम्भावनाओं पर कार्यकारी दल विचार विमर्श करेगा।
- दोनों मंत्रियों ने अनेकों सुविधाओं की स्थिति की जाँच करने के लिए विशेषज्ञों को भेजकर भारत में कोल फायर्ड पावर प्लान्ट की मरम्मत पर अध्ययन के लिए वर्षते कि सम्भावित संशोधनों के लिए सलाह देने और ऊर्जा क्षमता में सुधार के लाभ को बढ़ावा देने हेतु सेमिनार का आयोजन करने के लिए जापनी प्रस्ताव का स्वागत किया है।
- कोयले पर भारत-जापान कार्यकारिणी दल की बैठक दिनांक 16.3.2009 को नयी दिल्ली में आयोजित हुई। उक्त बैठक में सीआईएल ने कार्य कारिणी दल के सामने सहयोग के क्षेत्रों पर एक प्रस्तुति पेश की, जो निम्नवत है-
  - एकीकृत भूमिगत संचार प्रणाली का विकास, खान की गैसें, आग आदि की मॉनीटरिंग के लिए उपकरण।
  - आस-पास के जल भराव अगम्य कार्य संचालन के बीच पार्टिंग का पता लगाना।
  - बचाव उपकरण एवं संचालन और कोकिंग कोल परिष्करण।

भारत-दक्षिण अफ्रीका सहयोग :

भारत दक्षिण अफ्रीका की कार्यकारिणी दल की पहली बैठक दिनांक 29-30 जुलाई, 2008 को नयी दिल्ली में आयोजित हुई। निम्नांकित क्षेत्रों पर चर्चा की गई:

- भूमिगत खनन के बोर्ड एवं पिलर प्रणाली का यांत्रिकीकरण
- कोयले का परिष्करण
- कोयले से तेल में परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी
- हार्ड रूफ प्रन्धन तकनीक
- गहरी सीम में बोर्ड एवं पिलर तकनीक
- डीप साफ्ट सिंकिंग के लिए प्रौद्योगिकी
- सीबीएम का विकास
- भूमिगत खदानों में कोयला गैसीकरण
- विशेषतय भूमिगत खदानों में क्षमता वृद्धि में सहयोग
- खदानों में आग बुझाने तथा उत्खनन के लिए हाई प्रेसर वाटर जेट तकनीक
- अफ्रीका एवं भारत में संयुक्त कार्य के लिए कोयला ब्लाकों को चिन्हीकरण
- खान सुरक्षा में सुधार
- नामांकन आधार पर अन्वेषण एवं विकास के लिए सीआईएल को कोयला ब्लाकों का आबंटन
- दक्षिण अफ्रीका में कोयला खदानों/ब्लॉकों के अन्वेषण एवं विकास के लिए सीआईएल एवं ब्लाक इकोनामिक इमपावरमेन्ट (बीईई) कोयला कम्पनियों के बीच जे वी सुविधा।

एशिया-प्रशान्त साझेदारी :

स्वच्छ विकास एवं जलवायु पर आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एवं कनाडा को मिला कर एक एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप की स्थापना की गयी है, जिसमें बढ़ी हुई ऊर्जा आवश्यकता एवं उससे सम्बद्ध कठिनाइयों जैसे वायु प्रदूषण, ऊर्जा सेक्योरिटी एवं ग्रीन हाउस गैस की प्रबलताओं पर सहयोग के लिए निर्णय लिया गया है। उक्त साझेदारी में प्रमुख सेक्टरों में आठ कार्य बल स्थापित किये गये।

- अगस्त, 2007 में पर्थ, आस्ट्रेलिया में लिए गये निर्णय के अनुसार साझेदारी के अन्तर्गत क्लीनर जीवाश्म ऊर्जा टास्क फोर्स, कार्यान्वित करने की रूप रेखा तैयार कर

ली गयी है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साझेदारों की नियमित बैठकें की जा रही है।

- अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के द्वारा एक खान भ्रमण के उपरान्त सीएमटीएफ सतत विकास के लिए ''खान पुनर्वास वन्दी एवं समापन'' पर दो दिनों की कार्यशाला का आयोजन दिनांक 18-19 अप्रैल 2008 को कोलकाता में हुआ। एपीपी सदस्य देश ''आस्ट्रेलिया'' ने कार्यशाला का आयोजन किया। कोयला मंत्रालय की ओर से सीआईएल द्वारा इसमें सहायता की गई।

- सीएमटीएफ की पाँचवी बैठक दिनांक 20-24 सितम्बर, 2008 को लास बेगास संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई, जहाँ तीन नये सीएमटीएफ परियोजनायें (i) ध्वनित बोर होल इमेजिंग सिस्टम के साथ 3 डी भूकंपीय सर्वेक्षण , (ii) भूमिगत कोयला खनन संचालन के लिए सीमों में भूकंपी सर्वेक्षण एवं (iii) वेंटिलेशन एयर मीथेन बारतीय खनन परिदृश्य के अन्तर्गत शमन एवं उपयोग को प्रस्तुत किये गये और तदनन्तर इससे पीआईसी की बैठक में अनुमोदित किया गया।

- 4 वर्तमान एवं 3 नये सीएमटीएफ परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति के आंकलन के लिए समीक्षा बैठक दिनांक 19.2.2009 एवं पुन: 4.5.2009 को सीएमपीडीआईएल राँची में आयोजित हुई।

  सीआईएल के अनुसंधान एवं विकास बोर्ड द्वारा सीएमटीएफ के अन्तर्गत अनुसंधान एवं विकास की दो परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है (1) कोयला विनिर्माण प्लान्ट सिमूलेटर का विकास (2) उच्च कोटि के कोयले के परिष्करण एवं रिकवरी के लिए लागत प्रभावित प्रौद्यौगिकी। उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सीएमपीडीआईएल नोडल एजेन्सी है।

भारत-बेला रूस सहयोग :

आर्थिक, व्यापार, औद्योगिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग (इसके बाद आयोग) के लिए भारत बेलारूस अन्तर सरकारी आयोग की चौथी बैठक 17 एवं 18 नवम्बर, 2008 को नयी दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों पक्षों ने पारस्परिक एवं समान हितों के आधार पर सहयोग के मुद्दों पर विचार-विमर्श एवं समझौता किये, और कोल इण्डिया लिमिटेड से संबंधित निम्नांकित पर सहमत हुए:

- मेसर्स पावर टूल्स एण्ड अपलायन्सेज कम्पनी लिमिटेड एवं वेलरुसियन ओटोमोबाइल वकर्स (वीईएलएजेड) के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। समझौता ज्ञापन के पश्चात वीईएलजेड ने सम्पूर्ण सेवा सहायता सहित 15 खनन ट्रकों के साथ भारत में पुन: प्रवेश किया है।

- भारी खनन उपकरणों के आयात के लिए मेसर्स जी एस अटवाल एण्ड कम्पनी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स वीईएलजेड के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। समझौता ज्ञापन से पूर्व वीईएलएजेड के उपकरण को भारतीय खदानों में परीक्षण के लिए खरीदे जाते थे।

- मेसर्स सबरोव कन्सट्रक्सन एवं मेसर्स वीईएलएजेड के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। दोनों पक्षों ने परियोजनाकरण एवं उत्खनन कार्यों के लिए टर्नकी खनन समाधानों को उपलब्ध कराने पर सहमत हुए।

- भारी खनन उपकरणों के आयात के लिए मेसर्स धनसर इंजीनियरींग कम्पनी प्रावेट लिमिटेड एवं मेसर्स पीईएलएजेड के साथ समझौता ज्ञापन हुआ।

- वीएमजेड से उच्च ग्रेड कार्बन स्टील के आयात के लिए मेसर्स आडिट दत्ता एण्ड कम्पनी (आई) प्रा. लिमिटेड एवं मेसर्स वेलारूस मेटालार्जिकल वर्क्स (वीएमजेड)।

भारत-मोजाम्बिक सहयोग :

मोजाम्बिक में कोयला के विकास में सहयोग हेतु भारत सरकार एवं मोजाम्बिक सरकार के बीच समझौता ज्ञापन लागू है।

- भारत-मोजाम्बिक की संयुक्त कार्यकारिणी दल की दूसरी बैठक दिनांक 30 मार्च, 2009 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुयी। बैठक में सीआईएल ने 2 प्रस्तुतिकरण किया। प्रथम में अन्वेषण, खान योजना एवं खनन के क्षेत्रों में सीआईएल के कोर सक्षमता, मोजाम्बिक में पुनर्वास एवं पुनस्थापना, नियमित सामाजित दायित्व, सामुदायिक विकास आदि क्षेत्रों में सीआईएल का प्रस्तुतिकरण का वर्णन किया। दूसरे प्रस्तुतिकरण में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि जब से मई, 2006 में संयुक्त कार्यकारिणी दल की बैठक मापुटों में हुई है तब से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति हुई है। यह प्रस्तुति मोजाम्बिक के तत्संबंधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिए आमंत्रण सहित सहयोग के अनेकों पहलुओं को भी आच्छादित करता है।

- मोजाम्बिक के शिष्ट मण्डल ने दिनांक 1 अप्रैल से 3 अप्रैल 2009 तक एनसीएल का दौरा भी किया है।
- सीआईएल की प्रारम्भिक पहल में मोजाम्बिक में कोयले की रियायतें अर्जित करना और मोजाम्बिक में दो कोयला रियायतों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए मोजाम्बिक सरकार द्वारा संचालित वैश्विक निविदा प्रक्रिया में सफल बोली लगाने वाले के रूप में उभरता है। कोल इण्डिया लिमिटेड बहुत जल्द ही अन्वेषण की गतिविधियाँ प्रारम्भ करेगी तथा मोजाम्बिक में एक कम्पनी की स्थापना करेगी।
- इसके अलवा मोजाम्बिक में भारतीय हितों को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार मोजाम्बिक में कोयला परियोजनाओं में वैज्ञानिक खान योजना के साथ-साथ कोयला खनन के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित व्यक्तियों की देखभाल के लिए सर्वोच्च योजना संगठन (ए.पी.ओ.) एवं सर्वोच्च प्रशिक्षण संगठन (एटीओ) के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ निधि की स्वीकृति पर विचार कर रही है।

भारत-फ्रांस सहयोग :

पर्यावरण पर भारत-फ्रांस की संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक दिनांक 06.02.2009 को आयोजित हुई। सहयोग के लिए निम्नांकित सम्भावित क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया गया-

- भारतीय खदानों के लिए उपयुक्त एयर क्वालिटी इमपैक्ट प्रीडिक्सन मॉडल का विकास
- खदान जल प्रबंधन एवं क्वालिटी इमपैक्ट मॉडल का विकास
- सीओ 2 उत्सर्जन प्रीडिक्सन मॉडल का विकास
  - प्रबन्धन द्वारा उपयोग भूमि के लिए परियोजना की एवं स्थायी आधार पर बन्द खदान की मांग।

13.0 विश्व बैंक द्वारा वित्त प्रदत्त परियोजनाएँ

कोयला क्षेत्र पुनर्वास योजना (सीएसआरपी) के तहत उपकरण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए आईबीआरडी और जेबीआईसी द्वारा आबंटित ऋण की शुद्ध उपयोगिता क्रमश: 245.73 मिलियन यूएसडी और 28,440.82 मिलियन जे पी वाई है। आईबीआरडी एवं जेबीआईसी द्वारा निधि उपलब्धता का कार्य दिसम्बर-2003 में पूरा किया गया। इस प्रकार जनवरी, 2004 से ऋण निकासी नहीं की गयी। 2008-09 तक आई.बी.आर.डी. को 73.55 मिलियन यू.एस.डी. और जे.बी.आई.सी. को 11,315.98 मि. जे.पी.वाई के पुनर्भुगतान के फलस्वरूप 31 मार्च, 2009 तक कुल सीएमआरपी ऋण आई.बी.आर.डी. का 172.18 मिलियन यू.एस.डी. (885.86 करोड़ रुपये के बराबर) और जेबीआईसी का 17,124.84 मिलियन जे.पी.वाई. (900.76 करोड़ रुपये के बराबर) है।

14.0 अग्नि, भू-धँसान, एवं पुनर्वास की परिस्थितियों का सामना करने के लिये विशिष्ट योजना

वर्ष 1999 में सीएमपीडीआई द्वारा बीसीसीएल एवं ईसीएल की पट्टा भूमि के क्षेत्रों में अग्नि, भू-धँसान एवं पुनर्वास से निपटने के लिये विशिष्ट योजना तैयार की गयी थी और तदनन्तर वर्ष 2004 में उसे अद्यतन किया गया। कोयला मंत्रालय ने समीक्षोपरान्त यह सुझाव दिया है कि विशिष्ट योजना को कुल 20 वर्षों की अवधि के बजाय 10 वर्षों की अवधि के लिये संशोधित करें और सम्पूर्ण पुनर्वास के लिये सभी प्रस्तावित स्थायीकरण स्थानों पर विचार करें। तद्नुसार विशिष्ट योजना को संशोधित किया जा रहा है और सीआईएल बोर्ड द्वारा फरवरी, 2007 में इसे अनुमोदित किया गया और उसे कोयला मंत्रालय को भेज दिया गया। रानीगंज एवं झरिया के प्रभावित क्षेत्रों की जनता के पुनर्वास के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा नोडल एजेंसियों का गठन किया गया है, जो पश्चिम बंगाल सरकार की ''आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकार'' (एडीडीए) एवं झारखण्ड सरकार की ''झरिया पुनर्वास विकास प्राधिकार'' (जेआरडीए) हैं।

रानीगंज कोयला क्षेत्रों के लिए पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास का पैकेज सैद्धान्तिक रूप से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नवम्बर, 2007 में अनुमोदित किया गया। झारखण्ड सरकार ने भी जुलाई 2008 में झारखण्ड के लिए आर. एण्ड आर. पैकेज अनुमोदित किया है।

15.0 पर्यावरणीय प्रबन्धन

15.1 पर्यावरण प्रभाव आंकलन/पर्यावरण प्रबंधन योजना

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के ईआईए अधिसूचना नं. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार सभी नयी एवं विस्तारित परियोजनाओं के लिए ईआईए/ईएमपी शीर्ष और प्रमाणिक

क्षमताओं के लिये तैयार है और इसकी पर्यावरण निकासी प्राप्त कर ली गई है। लीज के नवीनीकरण की आवश्यकता वाली खानें ईआईए/ईएमपी तथा उलंघन के अन्तर्गत आने वाली के लिये भी पर्यावरण निकासी के लिए तैयार है। ईसीएल, बीसीसीएल एवं सीसीएल की छोटी एवं समीपस्थ खदानें कलस्टर आधार पर ईआईए/ईएमपी शीर्ष और पर्यावरण निकासी के लिए भी तैयार हैं। सीएमपीडीआईएल ने 180 फार्म-1 एवं 26 ईआईए/ईएमपी तैयार किया है। सीआईएल की विभिन्न परियोजनाओं के लिए एमआईएफ से कुल 26 पर्यावरणीय निकासी प्राप्त कर ली गयी है।

15.2 प्रदूषण नियंत्रण के उपाय और उनका प्रभाव :

वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, शोर के स्तर एवं मिट्टी पर खनन एवं कोयला परिष्करण संचालन के प्रभाव को कम करने, जल संख्या के आस-पास जल-विज्ञान, भूमि उपयोग पद्धति एवं सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के लिए उपाय किये गये हैं। शमन के उपायों में स्थिर एवं चलते-फिरते जल छिड़काव के माध्यम से खदानों में धूल को दमन करना शामिल है। सभी बड़ी परियोजनाओं के लिये खदान निस्सारी, कर्मशाला निस्सारी एवं सीएचपी की निस्सारी जैसे-तेल एवं ग्रीस ट्रेप निस्सारी उपचार की सुविधा, अवसादी तालाबों एवं उपयोगी जल के लिए भण्डारण की सुविधा और इसके बचाव की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। घरेलू निस्सारी से निपटने के लिए घरेलू अपशिष्ट जल उपचार की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। परियोजनाओं द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपायों की दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए प्रदूषण स्तर की नियमित आधार पर मॉनीटर किया जा रहा है। नियामक निकायों द्वारा प्रदूषण स्तर को निर्धारित सीमा के भीतर रखने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं।

- पूर्वपरिस्थिति को वापस लाने के लिए खनन किये जा चुके क्षेत्रों और बाहरी ओबर बर्डेन डम्प में देशी प्रजाति के वृक्षों का रोपड़ कर तकनीकी एवं जैवकीय सुधार किये जा रहे हैं।
- सांविधिक दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण उपायों की दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए प्रदूषण स्तर को नियमित मॉनीटर किया जा रहा है तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्यवाई की जा रही है।

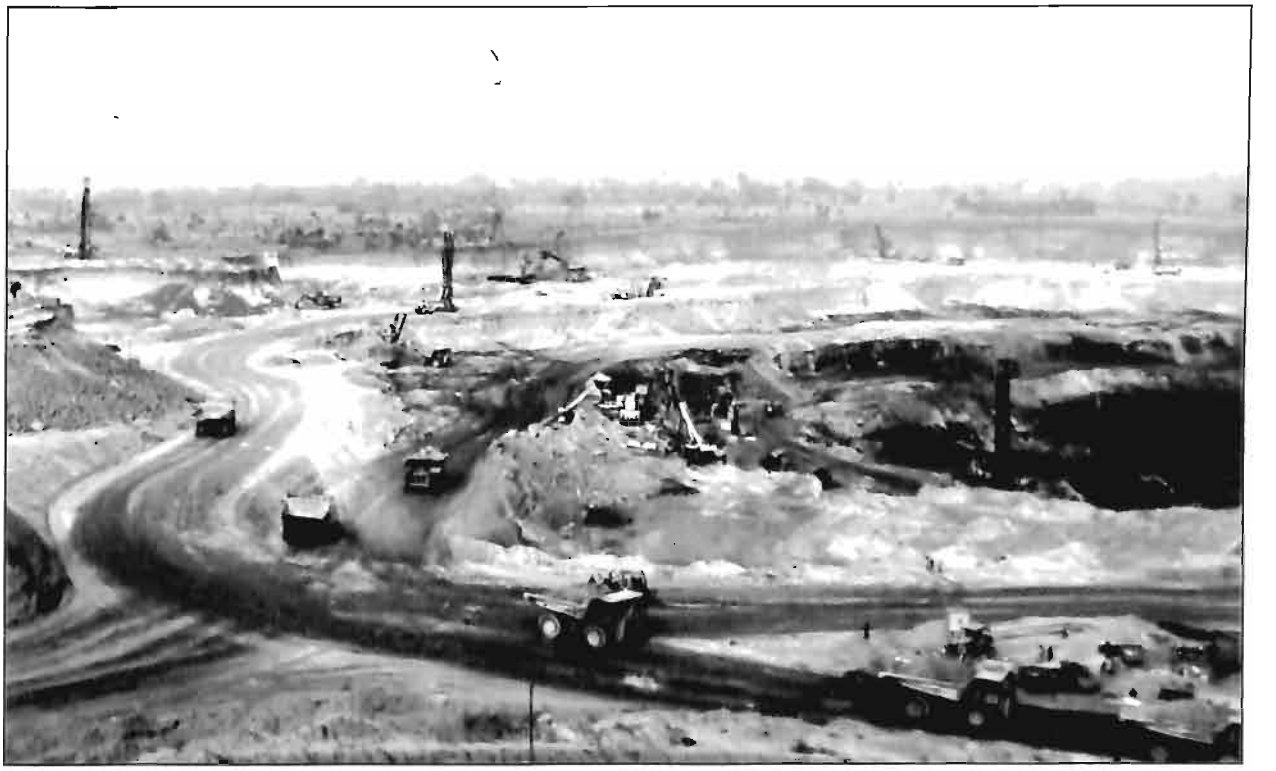

एक खुली खान में भारी खनन मशीनों का संचालन

15.3 आईएसओ, 14001 प्रणाली

सीआईएल की खदानों में आईएसओ-14001 के कार्यान्वयन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। 29 ओपेन कास्ट परियोजनाओं और एक कोल वाशरी को प्रमाण-पत्र मिल गया है।

15.4 रिमोट सेन्सिंग के माध्यम से खदानों की मॉनीटरिंग:

कोल इण्डिया लिमिटेड ने वर्ष 2008-09 के दौरान भूमि सुधार एवं अपनी बड़ी ओपेन कास्ट खदानों में वानकीकरण की मॉनीटरिंग के लिए उपग्रह निगरानी प्रणाली प्रारम्भ किया है। फेज-1 में 5 बड़ी ओपेनकास्ट खदानों में प्रारम्भ इसके कवरेज को सभी ओपेन कास्ट खदानों तक विस्तरित किया जायेगा। नतीजतन उपग्रह ऑकड़ों पर आधारित रिपोर्ट को सीआईएल, सीएमपीडीआईएल एवं संबंधित कोयला अनुषंगियों की बेवसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। इससे सीआईएल के पर्यावरण प्रबंधन के प्रयासों में काफी पारदर्शिता आने की उम्मीद है।

15.5 सीआईएल की आर एण्ड आर नीति:

मार्च, 2008 में अपनाई गई सीआईएल की संसोधित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन(आर एण्ड आर) नीति परियोजना प्रभावित लोगों के अधितम अनुकूल है। सीआईएल परियोजना प्रभावित लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करके विकास के मॉडल को शामिल करते हुए खनन के फलस्वरूप प्रभावित समुदायों को आर एण्ड आर नीति में व्यापक योगदान के लिए उसे रेखांकित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसका उदेश्य कोयला खनन क्षेत्रों के चारों तरफ कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की सबसे अच्छी प्रथा को आगे बढ़ाना और सामुदायिक सर्वसम्मति के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी को शामिल करना है।

15.6 खदान बन्द करने के लिए दिशा निर्देश:

खदान बन्द करन के दिशानिर्देशों के सूत्रीकरण हेतु कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है।

15.7 अनुसंधान एवं विकास:

संभावित क्षेत्रों में परियोजनाओं के अनुसंधान एवं विकास का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना विभिन्न कोयला खान मशीनों के लिए उत्सर्जन कारक विकास पर है, और संचालन सफलता पूर्वक पूरा कर लिया गया है।

- ओपेन कास्ट परियोजनाओं (स्वास्थ्य अध्ययन), दामोदर नदी प्रदूषण मात्रात्मकता एवं गतिशीलता में अन्त: श्वसनीय विविक्त को जनसंख्या जोखिम के आंकलन पर अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं तथा आई आईटी, नई दिल्ली, न्यू कैस्टल विश्वविद्यालय, ब्रिटेन और सीएमपीडीआईएल के माध्यम से कोल वाशरी पौधों में जल प्रबन्धन की पहचान की गयी है।

16. कोल बेड मिथेन (सीबीएम)/कोल माइन मिथेन (सीएमएम)

16.1 यूएनडीपी/व्यापक पर्यावरणीय सुविधा (जीईएफ) — भारत सरकार की परियोजना — ''कोल बेड मीथेन रिकवरी और व्यावसायिक उपयोगिता''

कोयला मंत्रालय के एस एण्ड टी परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन्स डेवलमेन्ट प्रोग्राम (यूएनडीपी)/ ग्लोवल इनवायरमेन्ट फैसिलिटी (जीईएफ) के सहयोग से झरिया कोलफील्ड्स में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की मुनीडीह और सुदामडीह में निरुपण परियोजना नामत: ''कोल बेड मिथेन रिकवरी एवं व्यवसायिक उपयोगिता'' को ग्रहण किया था। कोयला मंत्रालय की ओर से सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इंस्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) एवं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) द्वारा संयुक्त रूप से उक्त परियोजना को कार्यान्वित किया गया है। सीबीएम वेल से कोल बेड मीथेन गैस प्राप्त होने के पश्चात उक्त परियोजना को ''पावर जनरेशन'' के मुख्य उदेश्य के साथ दिनांक 27 जून, 2008 को मुनीडीह में सफलता पूर्वक निरूपित किया गया। शेष क्रियालाप कार्यान्वयन के अधीन हैं, जैसा कि भारत सरकार की एस एण्ड टी परियोजना भूमिगत दिशापरक ड्रीलिंग के द्वारा सीएमएम गैस के रिकबरी निरूपण को प्राप्त करना और इसका उपयोग दिसम्बर, 2009 तक सुदामडीह पर गैस आधारित इंजन ट्रक्स में ईंधन सम्पीडक के रूप में करना है।

वर्ष 2008-09 के निम्नांकित मुख्य कार्यकलाप किए गये-

मुनीडीह में सीवीएम गति विधियाँ

(i) बीसीसीएल सपोर्ट टीम के साथ सीएमपीडीआईएल ड्रिलिंग टीम द्वारा दो वर्टिकल वेल की ड्रिलिंग का काम किया गया है तथा इसके पश्चात ओएनजीसी के सहयोग से प्रत्येक वेलों में तीन सम्भावित कोल सीम के अनुबन्ध किये गये हैं। दो वर्टिकल वेलों (सीबीएम 04 एवं

सीवीएम 10) से सीबीएम गैस रिकवरी के अन्तर्गत है। जनरेटर पर आधारित देशी बनावटी गैस स्थापन द्वारा इन वेलों के माध्यम से रिकवर्ड गैस से मुनीडीह पर पावर जनरेजन का निरूपण किया गया था। डीएम (बर्दुभी) एवं मुनीडीह परियोजना की सीपीपी कालोनी को उत्पादित पावर की आपूर्ति की जा रही है। वर्ष 2008-09 के दौरान कुल 3,95,010 के डब्ल्यू एच पावर उत्पादित किया गया है।

(*ii*) तीसरे सीवीएम वेल मीटर की गहराई तक 12 1/2 ईंच आकार की नियमित ड्रिलिंग 30 जनवरी, 2009 को पूरी की गई। भू-भौतिकीय लागिंग एवं सीमेंटीकरण कार्य के पश्चात ड्रिलिंग की गहराई के लिए 9 5/8 इंच की केसिंग को नीचे करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। 8 1/2 इंच की नियमित ड्रिलिंग की जायेगी।

सुदामडीह में सीवीएम गति विधियाँ

(i) अप डिप साइड में विभिन्न दिशात्मक साइड वेलों से मुख्य वेल के माध्यम से मीथेन गैस (सीएमएम) के निष्कासन के लिए 300 एमएच में 2 7/8 ड्रिल समतन दिशात्मक वेलों पर सी XV में लांग होल ड्रीलिंग रिग एवं डाउन होल मोटर को चालू किया गया है।

(ii) भूमिगत कोयला सीमों में पूर्व निर्धारित ड्रिल मार्ग में दिशात्मक ड्रिलिंग के लिए एक टेलर मेड स्टीयरिंग टूल (पैकेज-04 वी) का निर्माण किया गया था तथा जून, 2008 में मेसर्स रसेल सब- सरफेस सिस्टम लिमिटेड (आरएसएस)/यू के द्वारा आपूर्ति की गयी थी। स्टीयरिंग टूल चालू नहीं हो सका था तथा यू के में उसके कार्य करने के लिये मरम्मत हेतु मेसर्स आरएसएस-यू के को वापस भेज दिया गया था। यूएनआईडीओं इसके यथाशीघ्र सफलता पूर्वक चालू होने एवं भूमिगत ड्रिलिंग को प्रारम्भ करने के लिए अन्तराष्ट्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से प्रयासरत है।

(iii) गैस नियंत्रण तथा कम्प्रेशन इकाई को क्रय किया गया है तथा उसे साइट पर वितरित कर दिया गया है।

(iv) सुदामडीह में प्रदर्शन हेतु गैस आधारित इंजन मिनी ट्रक्स को चलने के लिए रिकवर्ड गैस (सीएसएम/सीवीएम) का उपयोग किया जायेगा।

16.2 झरिया एवं रानीगंज कोलफील्ड्स में सीआईएल और ओएनजीसी संघ द्वारा सीबीएम परियोजनाओं का संयुक्त विकास :

भारत सरकार की सीबीएम नीति की शर्त पर सीआईएल एवं ओएनजीसी संघ को कोल बेड मीथेन के विकास हेतु रानीगंज एवं झरिया कोलफील्ड्स प्रत्येक में से एक एक कुल दो ब्लाकों का आवंटन किया गया है। ये परियोजनाएँ सीआईएल की ओर से सीएमपीडीआईएल द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

16.2.1 झरिया सीबीएम ब्लाक :

झारखण्ड सरकार ने झरिया सीबीएम ब्लाक के लिये संघ को अगस्त, 2003 में पेट्रोलियम एक्स्प्लोरेशन लाइसेंस (पीईएल) स्वीकृत किया है।

सीएमपीडीआईएल ने गहरे स्लिम होल की ड्रिलिंग (1000 मी. से. 1400 मीटर की गहराई के दायरे वाले) का कार्य किया जिसमें पैरामीट्रिक आंकड़े सृजित किये गये। सीएमपीडीआईएल द्वारा उक्त ड्रिलिंग की रिपोर्ट के आधार पर एवं अन्य उपलब्ध ड्रिलिंग तथा गैस से सम्बद्ध आँकड़े तैयार किये गये हैं। इस रिपोर्ट ने ओएनजीसी की विकास योजना को सरल बनाया है।

ओएनजीसी ने सीबीएम विशिष्ट ऑकड़ों के निर्माण के लिए इस ब्लाक में न्यूनतम कार्य योजना के अनुसार एक्सोप्लोरेटरी/पायलेट वेल ड्रिलिंग का कार्य कर रहा है, जिसे दिनांक 27.4.2009 तक पूरा किया जाना है। मीथेन का उत्पादन वर्ष 2010 से प्रारम्भ करने का विचार है।

ओएनजीसी ने सरकार के अनुमोदन हेतु महानिदेशालय हाईड्राकार्बन (डीजीएस) के 1679.55 करोड़ रूपये पूंजी वाली एक झरिया सीबीएम ब्लॉक के अन्तर्गत पर्वतपुर सेक्टर (18 वर्ग कि.मी. क्षेत्र) की विकास योजना का मसौदा प्रस्तुत किया है जो अभिकल्पित विकास एवं उत्पादन चरणों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

झरिया सीबीएम ब्लाक में विकास चरण से सीआईएल का सहभागिता अंश 10% है जिसमें विकास चरण से 26% वृद्धि का विकल्प है। ओएनजीसी द्वारा प्रस्तुत विकास योजना पर सीआईएल की हिस्सेदारी को 10% से 26% तक बढ़ाने के लिए सीआईएल के साथ साथ सीएमपीडीआईएल द्वारा एक सामरिक व्यापार धारणा के लिए एक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता विश्लेषण एवं जोखिम आंकलन का प्रयोग किया जा रहा है।

16.2.2 रानीगंज सीबीएम ब्लॉक

पश्चिम बंगाल सरकार ने रानीगंज सीबीएम ब्लाक के लिये दिनांक 09.06.2004 को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) स्वीकृत किया है। सीएमपीडीआईएल द्वारा नवम्बर 2007 में 7853.50 मीटर ड्रिलिंग को मिलाकर सभी 8 स्लिम होलों की ड्रिलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। स्लिम होल ड्रिलिंग एवं अन्य उपलब्ध ऑकड़ों के आधार पर रिपोर्ट तैयार

की जा रही है। ओएनजीसी ने ब्लॉक में अन्वेषणात्मक वेल की ड्रिलिंग का कार्य पूरा कर लिया है और गैस से संबंधित परीक्षण प्रगति पर है।

16.3 11वीं योजना के दौरान संवर्धात्मक गवेषणा के अन्तर्गत सीबीएम से संबंधित अध्ययन

11वीं योजना अवधि के दौरान गवेषणा के अंतर्गत बोरहोल ड्रिल किया गया जिसके माध्यम से ''एसेसमेंट ऑफ कोल बेड मिथेन गैस इन प्लेस रिसोर्स'' को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित प्रोजेक्ट में भारत सरकार द्वारा कुल परियोजना खर्च रू. 8.59 करोड़ सहित निधिबद्ध किया गया है जिसे सीएमपीडीआईएल देख रही है। योजना अवधि के दौरान अध्ययन करने के लिए कुल 50 बोरहोल (30 सीएमपीडीआई द्वारा एवं 20 जीएसआई द्वारा) आरम्भ किये गये।

वर्ष 2008-09 के दौरान विभिन्न कोयला/लिग्नाइट क्षेत्रों में कुल 6 बोर होल का पता लगाकर इसे अध्ययन के लिए लिया गया है। डिजार्प्सन एवं अन्य परीक्षण के लिए नमूने एकत्रित किये गये हैं। 10वीं योजना अवधि के दौरान सीबीएम से संबंधित अध्ययन पर आधारित तीन रिपोर्ट तैयार कर उसे प्रेषित कर दिया गया था।

16.4 हाइड्रोकार्बन्स महानिदेशालय (डीजीएच) के लिए सीबीएम डाटा पैकेज की तैयारी :

सीएमपीडीआईएल ने डीजीएच को जनवरी, 2009 में डाटा पैकेज के 3 भाग तथा सूचना डाकेट के 1 भाग को मिलाकर 8 भावी सीबीएम ब्लाकों के प्रत्येक का डाटा डोजियर प्रस्तुत किया है। डाटा डोजियर्स को हाईवाउण्ड वाल्यूम्स के साथ ही साथ एचटीएमएल दस्तावेजी वेब के रूप में साफ्ट डिस्क में प्रस्तुत किया गया है।

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा चौथे चक्र की भूमण्डलीय बोली आमंत्रित की जायेगी उसमें यह डाटा डोजियर सीबीएस की बोली अभिलेख का हिस्सा होगा।

16.5 वृहद खुली खदानों से संबंधित सम्भावित सीएमएम के निर्धारण के लिए परियोजना प्रस्ताव:

मोहरे सब-बेसिन, सिंगरौली कोलफील्ड्स एवं कोरवा कोलफील्ड्स में वृहत खुली खदानों से संबंधित सम्भावित सीएमएम के निर्धारण के लिए परियोजना प्रस्ताव को क्रमानुसार एनसीएल एवं एसईसीएल द्वारा अनुमोदत कर दिया गया है। दोनों कोयलांचलों में स्लिम होल ड्रिलिंग के माध्यम से सीबीएम विशिष्ट डाटा सृजन के लिए बोली की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जाना है।

16.6 कोल माइन मीथेन (सीएमएम) आर एण्ड डी परियोजना

वर्तमान कोयला क्षेत्रों की अप्रयुक्त कोयला सीमों में आंशिक रूप से दब गये कोयले हेतु व्यवहार्य कोल माइन मीथेन (सीएमएमए)/एबन्डोन्ड माइन मिथेन (एएमएम) ब्लाकों के निरूपण हेतु सीएमपीडीआईएल क्षमता का विकास नामक सीआईएल की अनुसंधान एवं विकास परियोजना जून 2007 से कार्यान्वियनाधीन है।

ईसीएल, बीसीसीएल एवं सीसीएल के कोयलाक्षेत्रों में सम्भावित सीएमएम क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित क्षेत्रों के लिए उपलब्ध डाटा/योजना का संग्रह एवं मिलान का कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय सलाहकारों को काम पर लगाने के लिए बोली आमंत्रित की गई है, चूंकि अनुमोदित परियोजना परिकल्पना मूल्यांकनाधीन है।

16.7 भारत में सीबीएम/सीएमएम क्लियरिंग हाऊस की स्थापना:

यूएसईपीए एवं कोयला मंत्रालय के अन्तर्गत दिनांक 17 नवम्बर, 2008 को सीएमपीडीआईएल, रांची में सीबीएम/सीएमएम किल्यरिंग हाउस की स्थापना के लिए दिनांक 16 नवम्बर 2006 को कोयला मंत्रालय भारत सरकार एवं यूनाइटेड स्टेटस इनवायरनमेंटल प्रोटेक्सन एजेंसी (यूएसईपीए) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ।

क्लीयरिंग हाउस का उद्देश्य निम्न है:

- भारत में सीबीएम/सीएमएम उद्योग को बढ़ावा देना।
- भारत में सीबीएम/सीएमएम उद्योग का सार्वजनिक चेहरा।
- विदेशी और घरेलू निवेशकों हेतु सम्पर्क का प्रारम्भिक बिन्दु।

कोयला मंत्रालय और यूएसईपीए की ओर से कोल इण्डिया लिमिटेड की वित्तीय सहायता से क्लियरिंग हाउस की स्थापना की गई है।

क. सीआईएल : 2.77 करोड़

ख. यूएसईपीए : 0.92 करोड़

क्लियरिंग हाउस का वेबसाइट www.cmmclearinghouse.cmpdil.co.in है जो -17 नवम्बर, 2008 को स्थापित किया गया।

16.8 वैम पर सीएमटीएफ परियोजना

''संवातन वायु मीथेन उत्सर्जन : भारतीय खनन परिदृश्य के तहत न्यूनीकरण और उपयोगिता'' नामक एक परियोजना सीएमटीएफ द्वारा समर्थित एपीपी के अन्तर्गत परियोजना सं. सीएमएल-08-21 अक्टूबर 2008 में प्रारंभ की गई। विस्तृत परियोजना प्रस्ताव निर्माणधीन है।

17. भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) का विकास

17.1 रानीगंज कोयला क्षेत्र के कास्ता ब्लाक में यूसीजी विशिष्ट अतिरिक्त डाटा का निर्माण

यूसीजी परियोजनाओं के संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए ओएनजीसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। वृहत स्तर पर अध्ययन हेतु उपयुक्त ब्लाक के चयन के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा तैयार किये गये डाटा पैकेज पर आधारित ओएनजीसी द्वारा नियुक्त सोवियत सलाहकारों ने कास्ता ब्लाक में अतिरिक्त डाटा निर्माण हेतु आगे के अध्ययन के लिए सुझाव दिया है।

सोवियत सलाहकार के अपेक्षानुसार दिसंबर 2007 में कास्ता ब्लाक में हाइड्रो-जियोलाजिकल डाटा निर्माण का कार्य किया गया और अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग हेतु दूसरे अतिरिक्त डाटा निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा।

17.2 यूसीजी हेतु कोयला/लिग्नाइट ब्लाकों की पहचान :

सीएमपीडीआई ने जीएसआई, एससीसीएल एवं एनएलसी के साथ कोयला मंत्रालय द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार यूसीजी प्रयोज्य उपयुक्त कोयला रिजर्व के चयन की प्राथमिक प्रक्रिया प्रारंभ की है। सीएमपीडीआईएल को जीएसआई, एमसीसीएल और एनएलसी की सलाह से उपयुक्त कोयला/लिग्नाइट ब्लाक की पहचान का कार्य दिया गया है जिसे यूसीजी के विकास हेतु सार्वजनिक/निजी भागीदारी के लिए दिया जा सकता है।

- 7 ब्लाकों (5 लिग्नाइट और 2 कोयला) को यूसीजी के विकास हेतु चिन्हित किया गया है और कोयला मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है।
- सीआईएल के नियंत्रण के अंतर्गत 2 कोयला ब्लाकों को यूसीजी के विकास हेतु चिन्हित किया गय है और अक्टूबर 2008 में सीआईएल को इसकी सूचना दे दी गई है।

18.0 भूगर्भीय अन्वेषण एवं ड्रिलिंग

सीएमपीडीआईएल ने वर्ष 2008-09 में मुख्यतया सीआईएल और गैर सीआईएल/कैप्टिव खनन ब्लाकों में कोयला अन्वेषण गतिविधियाँ जारी रखीं। सीआईएल ब्लाकों में गवेषणा सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों की परियोजना योजना/उत्पादन की आवश्यकता को पूरा करने हेतु की गई जबकि गैर सीआईएल/कैप्टिव खनन ब्लाकों में गवेषणा कैप्टिव खनन हेतु संभावित उद्योगों को कोयला ब्लाक आवंटित करने की सुविधा हेतु की गई। वर्ष के दौरान गवेषणा क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया गया। अन्वेषण हेतु 5 अतिरिक्त ड्रिलों को लगाया गया जो अब बढ़कर विभागीय ड्रिल कुल 52 हो गयी है। यह प्रस्ताव है कि 3 अतिरिक्त ड्रिलों को कोयला कंपनियों द्वारा अपेक्षित श्रमशक्ति प्रदान करने पर शीघ्रातिशीघ्र लगाया जायेगा। इसके अतिरिक्त पुरानी ड्रिलों को बदलने के साथ-साथ उच्च क्षमता की हाइड्रोस्टैटिक नान कोरिंग ड्रिलों को लगाने की कार्यवाई भी प्रारंभ की गई है। उच्च क्षमता की हाइड्रोस्टैटिक ड्रिल हेतु उपलब्धता की कार्यवाई को अंतिम रूप दिया जा चुका है और 2009-10 में दो ड्रिल आने की आशा है। इसी प्रकार नान कोरिंग ड्रिल की उपलब्धता हेतु भी कार्यवाई प्रारंभ की गई। बढ़े हुए कार्य के दबाव को पूरा करने हेतु जियोलाजिस्ट एवं इंजीनियर्स (ड्रिलिंग) की नियुक्ति की प्रक्रिया सीआईएल द्वारा कैम्पस साक्षात्कार और खुली परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा प्रारंभ की गई है। गैर अधिकारी स्टाफ की कमी सीआईएल की अन्य अनुषंगियों से स्थानान्तरण करके पूरी की जा रही है। आउट सोर्सिंग द्वारा क्षमता विस्तार हेतु राष्ट्रीय निविदा का दो चरण और वैश्विक निविदा का एक चरण निकाला गया है तथा 18 ब्लाकों में 7.28 लाख मी. ड्रिलिंग के कार्य को आवंटित किया जा चुका है। अगले विस्तार हेतु सीएमपीडीआईएल ने एमसीएल के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत प्रति वर्ष एक मीटर की अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग का दीर्घ अवधि अन्वेषणात्मक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

18.1 2008-09 में ड्रिलिंग निष्पादन

सीएमपीडीआई ने सीआईएल/गैर सीआईएल/ संवर्धनात्मक ब्लाकों के अन्वेषण हेतु विभागीय संसाधनों को लगाया है। इसके अतिरिक्त 14 ब्लाकों में वृहत ड्रिलिंग/अन्वेषण हेतु 4 संविदात्मक एजेसियों को लगाया गया। मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य सरकारों के जियोलाजी एवं खनन निदेशालय के संसाधनों का उपयोग नाममात्र के लिए किया गया जो उत्पादन हेतु ड्रिलिंग से संबंधित था। इन प्रयासों से सीएमपीडीआईएल 2008-09 के अंत तक ड्रिलिंग रिग्स का परिनियोजन लगभग दुगुना कर सका। सीएमपीडीआईएल ने एमईसीएल द्वारा कोयला क्षेत्र (सीआईएल तथा एमसीसीएल) में किये गये प्रोमोशनल अन्वेषण कार्य का तकनीकी निरीक्षण भी किया है तथा कोयला मंत्रालय की ओर से जीएसआई के कोयला क्षेत्र(सीआईएल क्षेत्र) में उन्नयनात्मक अन्वेषण के कार्य का मॉनीटरिंग भी किया है।

वर्ष 2008-09 में सीएमपीडीआई तथा इसकी संविदात्मक एजेंसी ने 23 कोयला क्षेत्रों में फैले 79 ब्लाकों/खदानों में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग का कार्य किया है, ये कोयला क्षेत्र हैं— रानीगंज (8 ब्लाक/खदानें), झरिया (2), वेस्ट बोकारो (2), नार्थ कर्नपुरा (2), साउथ करनपुरा (1) रायगढ़ (1), औरंगा (1), तावा वैली/पाथाखेड़ा (2), पेंच कन्हान (6) काम्टी (2), नन्द बन्डेर (2), वर्धा (7), सिंगरौली (3), सोहागपुर (10), मॉड रायगढ़ (7), कोरबा (6), हसदेव अराण्ड (1), विश्रामपुर (2), लखनपुर (1), तालचेर (6), ईव-वैली (3), दिल्ली जायपुर (1) तथा माकुम (3 ब्लाक)। इन 79 ब्लाकों/ खानों में से 13 गैर सीआईए/कैप्टिव ब्लाक, 2 उन्नयनात्मक ब्लाक तथा 64 सीआईएल ब्लाक/खाने थी। 56 ब्लाकों/खानों में सीएमपीडीआईएल की विभागीय ड्रिल से अन्वेषण किया गया, 14 ब्लाकों मे टेण्डर के माध्यम से चयनित संविदात्मक ऐजेंसी ने ड्रिलिंग प्रारंभ किया तथा 9 खान क्षेत्रों में राज्य सरकार ने ड्रिलिंग में उत्पादन सहयोग प्रदान किया है।

कोयला क्षेत्र में उन्नयनात्मक (क्षेत्रीय) अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत एमईसीएल ने 13 ब्लाकों (कटोल सीएफ-2 ब्लॉक, सोहागपुर 4 ब्लॉक, माड रायगढ़-2 ब्लॉक, माकुम-1 ब्लॉक तथा गोदावरी वैली-4 ब्लॉक) में उन्नयनात्मक ड्रिलिंग और जीएसआई ने 7 ब्लॉकों (तालचर सीएफ-2 ब्लॉक, ईव वैली-2 ब्लॉक, सोहागपुर -2 ब्लॉक तथा तातापानी रामकोला-1 ब्लॉक) के लिए प्रोमोशनल ड्रिलिंग का कार्य किया है।

वर्ष 2008-09 में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग का समग्र निष्पादन नीचे दिया गया है:

एजेंसी	लक्ष्य 2008-09 बीई (मी.)	वर्ष 2008-09 के दौरान अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग का निष्पादन			विगत वर्ष 2007-08 में उपलब्धि (मी.)	वृद्धि %
		उपलब्धि (मी.)	% उपलब्धि	+/- (मी.)		
(क) सीएमपीडीआईएल द्वारा की गई विस्तृत ड्रिलिंग (प्रमोशनल ड्रिलिंग सहित)*						
(i) विभागीय	2,09,400	2,28,178	109%	(+)18,778	2,01,850	13
(ii) वाह्य स्रोत :						
राज्य सरकार :	5000	8,340	167%	(+)3,340	6,280	33
सीआईएल ब्लॉकों में वाह्य स्रोत	28,400	21,450	76%	(–)6,950	1,071	1903
सीआईएल नॉन-ब्लॉकों में वाह्य स्रोत	17,200	14,939	84%	(–)2,807	0	–
योग (क)	**2,60,000**	**2,72, 361**	**105%**	**(+)12,361**	**2,09,201**	**30**
(ख) कोयला सेक्टर में एमईसीएल तथा जीएसआई द्वारा की गई प्रोमोशनल (क्षेत्रीय) ड्रिलिंग						
एमईसीएल	34,600	43,178	125%	(+)8,578	55,717	-23
जीएसआई	9,000	15,573	173%	(+)6,573	11,473	36
योग (ख)	**43,600**	**58,751**	**135%**	**(+)15,151**	**67,190**	**-13**
योग (क+ख)	**3,03,600**	**3,31,112**	**109%**	**(+)27,512**	**2,76,391**	**20**

* वर्ष 2008-09 में प्रमोशनल ब्लॉक में 5646 मीटर की ड्रिलिंग (2007-08 में 2992 मीटर), सीआईएल ब्लॉकों में 1,62,596 मीटर तथा गैर सीआईएल/कैप्टिव खनन ब्लॉकों में 59,936 मीटर की विभागीय ड्रिल की गई। राज्य सरकारों के डीजीएम ने मात्र सीआईएल ब्लॉकों में ड्रिलिंग का कार्य किया है।

वर्ष 2008-09 में सीएमपीडीआई ने विभागीय एवं समग्र ड्रिलिंग लक्ष्य को क्रमशः 109% तथा 105% तक हासिल किया है। पिछले वर्ष की तुलना में विभागीय ड्रिलिंग निष्पादन 13% वृद्धि के साथ 26,328 मीटर था, 397 मीटर/ड्रिल/माह की औसत संचालनात्मक ड्रिल उत्पादकता रिकार्ड की गई जोकि विगत वर्ष की उपलब्धि से बेहतर है अर्थात् 374 मीटर/ड्रिल/ माह। आउट सोर्सिंग ड्रिलिंग की उपलब्धि कम थी, चूँकि सीआईएल ब्लाक में स्थानीय समस्या के परिणामस्वरूप कार्य विलंब से प्रारंभ हुआ जिससे 3 गैर सीआईएल ब्लाकों में 2008-09 में वन क्षेत्रों में अन्वेषण की अनुमति न मिलने के कारण ड्रिलिंग प्रारंभ नहीं हो सकी। एमईसीएल तथा जीएसआई ने भी प्रमोशनल ड्रिलिंग का 2008-09 बी.ई. लक्ष्य प्राप्त किया है।

18.2 भू-गर्भीय रिपोर्ट

वर्ष 2008-09 में, विगत वर्ष में किये गये विस्तृत अन्वेषण के आधार पर कुल 20 भू-गर्भीय रिपोर्ट तैयार की गई है। इनमें से जी.आर. कैप्टिव खनन ब्लाकों की तथा शेष सीआईएल

ब्लाकों की थी। तैयार की गई भू-गर्भीय रिपोर्ट में प्रमाणित श्रेणी के अंतर्गत 2.74 विलियन टन का कोल रिजर्व है इसके निर्दिष्ट श्रेणी में 0.25 विलियन टन के संशोधन का आकलन किया गया है। प्रमोशनल अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत, जीएसआई तथा एमईसीएल ने कोयला ब्लाकों पर नौ भू-गर्भीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें उपरोक्त निर्धारित मोटाई की मुख्य रूप से निर्दिष्ट श्रेणी में 4.2 विलियन टन के कोयला संसाधन का आकलन किया गया है।

19. बाहरी सीआईएल परामर्शी सेवाएँ

वर्ष 2008-09 के दौरान सीआईएल से बाहर 18 संगठनों के लिए 27 परामर्शी कार्य पूरा किये गये। कुछ बड़े/ग्राहकों/संगठनों के कार्य पूरे किये है, जिनमें सेल, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय, टाटा स्टील लिमिटेड, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, रिलायन्स कोयला संसाधन लिमिटेड (सासन पावन लिमिटेड), इफ्को छतीसगढ़ पावर लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड, हिडाल्को, महागुज कोलियरीज लिमिटेड, उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन इत्यादि है।

वर्तमान में 11 संगठनों के लिए 15 बाह्य सीआईएल परामर्शी कार्य अपने पास है जैसे - सेल, टाटा स्टील लिमिटेड, एनटीपीसी, एनएलसीएल, सीएसईबी, नाल्को लिमिटेड, आरसीआरएल (सासन पावन लिमिटेड), डीवीसी, मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड, वैटामी वेस्ट कोल कं. लिमिटेड इत्यादि।

वर्ष 2008-09 के दौरान, सीएमपीडीआईएल को 18 संगठनों से वाह्य सीआईएल परामर्शी कार्य के लिए 0.77 करोड़ रुपये प्राप्त हुये।

20. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ

20.1 एस एण्ड टी अनुदान के अन्तर्गत कोयला मंत्रालय की आर एण्ड डी परियोजनाएँ

सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में, शिखर समिति नामत: स्टैण्डिंग साइंटीफिक रिसर्च कमेटी (एसएसआरसी) के माध्यम से कोल सेक्टरों में अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। उक्त शिखर समिति के अन्य सदस्यों में : सीआईएल के अध्यक्ष, सीएमपीडीआईएल, एससीसीएल एवं एनएलसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सीएसआईआर प्रयोगशाला से संबद्ध निदेशक, एवं अन्यों के साथ एस एण्ड टी विभाग, योजना आयोग एवं शैक्षणिक संस्थान के प्रतिनिधि आदि हैं। एसएसआरसी का मुख्य कार्य योजना, कार्यक्रम, वजट और अनुसंधानित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बजट तैयार करना एवं निरीक्षण करना और आर एण्ड डी के कार्यों के निष्कर्ष को लागू करना है। अध्यक्ष, सीआईएल की अध्यक्षता में आर एण्ड डी बोर्ड द्वारा प्रमुख रूप में सीआईएल के आन्तरिक आर एण्ड डी कार्यों का भी संचालन कार्य किया जाता है।

एसएसआरसी, अध्यक्ष-संह-प्रबंध निदेशक, सीएमपीडीआईएल की अध्यक्षता वाली एक तकनीकी उप समिति से सहायता प्राप्त कर रही है। यह समिति कोयला गवेषणा, खनन, खान सुरक्षा, कोल बेनिफिकेशन एवं उपयोगिता संबंधी अनुसंधान प्रस्तावों तथा खान पर्यावरण एवं भूमि सुधार संबंधी परियोजना प्रस्तावों पर भी विचार करती है।

सीएमपीडीआई कोयला क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों के लिए समन्वय हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, उक्त कार्य में अनुसंधान गतिविधियों के लिए अपेक्षित क्षेत्रों को चिन्हित करना, जो चिन्हित क्षेत्रों में अनुसंधान का कार्य कर सकती है उक्त एजेंसी को चिन्हित करना, सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव को आगे बढ़ाना। परियोजनाओं की प्रगति के कार्यान्वयन को मॉनिटरिंग करना, अनुमानित बजट तैयार करना, निधि का वितरण करना आदि कार्य शामिल हैं।

(दिनांक 31.03.2009 तक) प्राप्त की गई एस एण्ड टी परियोजनाओं की कुल संख्या - 359

(दिनांक 31.03.2009 तक) पूरी की गई एस एण्ड टी परियोजनाओं की कुल संख्या - 278

20.2 भौतिक निष्पादन

वर्ष 2008-09 के दौरान कोल एस एण्ड टी परियोजनाओं की स्थिति निम्नलिखित है:

(1)	वर्ष 01.04.2008 से चल रही परियोजनायें	-	34
(2)	वर्ष 2008-09 के दौरान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाएँ	-	05
(3)	वर्ष 2008-09 के दौरान पूरी हुई परियोजनाएँ	-	10
(4)	वर्ष 2008-09 के दौरान निरस्त/पूर्व बन्द परियोजनाएँ	-	01
(5)	दिनांक 01.04.2008 से चल रही परियोजनाएँ	-	28

वर्ष 2008-09 के दौरान निम्नलिखित कोयला एस. एण्ड टी. परियोजनाओं को पूरा किया गया।

(i) एससीसीएल के विशेष संदर्भ में कोयला खानों में अग्रिम आग का पता लगाने पर अध्ययन।

(ii) एसईसीएल की चर्चा वेस्ट कालरी में हार्ड रूफ प्रबंधन के लिए हाई प्रेसर वाटर इन्जेक्शन का अनुप्रयोग करना।

(iii) भूमिगत कोयला खानों में रोबोटिक एप्लीकेशन की व्यवहार्यता अध्ययन के लिए एक प्रायोगिक सबटेरनीन रोबोट (एमआर) का विकास करना।

(iv) कार्बन नैनो ट्यूब तथा नैनो फाइबर्स का उपयोग करने में मीथेन के लिए रूम टेम्परेचर सेंसर्स का विकास करना।

(v) जिग्स की डिजाइन तथा उसके संचालन के लिए एवं विभिन्न कोयले के उपचार के लिए हैवी मीडिया साइक्लोन्स हेतु उपयोगकर्ता अनुकूल माडल का विकास करना।

(vi) स्टील/मेटलर्जिकल उपयोग के लिए हार्ड कोक के उत्पादन हेतु सस्ते, ऊर्जा कुशल उप-उत्पाद कोक ओवेन का विकास करना।

(vii) मूल्य वर्धित रसायनों के लिए कोयले की प्रत्यक्ष सोर्सिंग करना।

(viii) खुली कोयला खानों में विभिन्न खनन मशीनों तथा संचालनों के लिए उत्सर्जित कारकों का विकास करना।

(ix) गोदावरी वैली कोलफील्ड्स में भूमिगत जल पर केविंग तथा वन आवरण के कारण सबसिडेन्स मूवमेंट का पर्यावर्णीय प्रभाव पड़ना।

(x) तिरप कालरी के कोल माइनिंग ओवर बर्डेन साइट्स की पर्यावरणीय स्वच्छता तथा उसका उपचार करना।

20.3 वित्तीय स्थिति

अवधि के दौरान बजट प्रावधान के साथ साथ वास्तविक निधि अदायगी नीचे दी गई है :

(रुपये करोड़ में)

2007-08		2008-09	
आर.ई.	वास्तविक	आर.ई.	वास्तविक
12.86	12.48	10.00	10.52

20.4 सीआईएल की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ

सीआईएल के आंतरिक अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए अध्यक्ष, सीआईएल की अध्यक्षता में अनुसंधान एवं विकास बोर्ड कार्यरत है। सीआईएल अनुसंधान एवं विकास बोर्ड द्वारा निधिबद्ध अनुसंधान गतिविधियों के समन्वय हेतु सीएमपीडीआई नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

सीआईएल के कमाण्ड एरिया में बढ़ते आर एण्ड आर आधार के क्रम में सीआईएल बोर्ड ने 24 मार्च, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में एपेक्स कमेटी तथा सीआईएल बोर्ड को पर्याप्त अधिकार सौंप दिया है। एपेक्स कमेटी अब 5.0 करोड़ रूपये तक की निजी अनुसंधान परियोजना तथा 25.00 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की सभी परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत है। सीआईएल आर एण्ड डी बोर्ड जिसे हाल ही में 10.00 करोड़ रुपये तक की निजी परियोजना को स्वीकृत के लिए अधिकृत किया गया था अब वह 50.00 करोड़ रूपये तक की निजी परियोजना को स्वीकृत कर सकेगी। कुल मिलाकर सीआईएल आर एण्ड डी बोर्ड एक वर्ष में 500.00 करोड़ रूपये तक की अनुसंधान परियोजनाओं को स्वीकृत कर सकेगा।

अब तक सीआईएल आर एण्ड डी बोर्ड की निधि के अंतर्गत 41 परियोजनाओं शुरू की गई जिनमें से 25 परियोजनाएं पूरी हो गई है।

वर्ष 2008-09 के दौरान सीआईएल अनुसंधान एवं विकास बोर्ड परियोजनाओं की अवस्थिति निम्नानुसार थी :

(i) 01.04.2008 को चल रही परियोजनाएँ - 15

(ii) 2008-09 में स्वीकृत परियोजनाएँ - 05

(iii) 2008-09 के दौरान पूरी हुई परियोजनाएँ - 04

(iv) 01.04.2009 को चल रही परियोजनाएँ - 16

वर्ष 2008-09 के दौरान निम्नलिखित आर. एण्ड डी. परियोजनाएँ पूरी की गई :

(i) बलरामपुर यू.जी. परियोजना की पासिंग सीम के पिलर्स में पावर्ड रूफ सपोर्ट के साथ खड़े हुए पिलरों के उत्खनन के लिए शार्ट-फाल तकनीक को लागू करना।

(ii) वेस्ट बोकारो कोलफील्ड्स में कोकिंग कोल तथा भूमिगत जल संसाधन के विस्तार के लिए भू-खनन एवं हाईड्रोलाजिकल माडल तैयार करना।

(iii) स्पॉज आयरण उद्योग के लिए नान-कोकिंग कोयले का संसाधन आकलन तथा चरित्रात्मक अध्ययन करना।

(iv) ईसीएल के रानीगंज क्षेत्र में आन-लाइन वाइड एरिया धसान प्रबंधन अध्ययन के लिए अधिक सटीक उपग्रह इमेजिंग तथा डीजीपीएस तकनीक का अनुप्रयोग करना।

वर्ष 2008-09 के दौरान आर एण्ड डी कार्यों के लिए 13.79 रूपये की अदायगी की गई।

21. दूरसंचार प्रणाली

सीआईएल तथा अनुषंगी कंपनियों में व्यापार प्रक्रिया में समन्वयक परिवर्तन लाने के क्रम में तथा उत्पादन, विक्रय एवं विपणन, मानव संसाधन तथा संचालन प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न संचालनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दूरसंचार तथा आई.टी. प्रणाली की पुनर्सज्जा प्रारंभ की गई है।

दूर संचार अनुभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाइयाँ की गई हैं :

(i) सीआईएल (मुख्यालय) में समुचित नेटवर्क सुरक्षा के साथ केन्द्रीयकृत मेल मेसेजिंग प्रणाली पहले से ही स्थापित है तथा सीआईएल के सभी अधिकारियों तथा अनुषंगी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई आफिसियल ई-मेल सुविधा संचालन में है। सीआईएल (मुख्यालय) तथा सीआईएल (विपणन) में लान पर उच्च नीति गति इन्टरनेट का प्रावधान पहले ही बनाया गया है तथा समुचित सुरक्षा एवं प्रबंधनियता के साथ लान का उन्नयन भी पूरा हो गया है।

(ii) कोरपोरेट वेब पोर्टल की डिजाइन, डेबलपमेंट तथा होस्टिंग के लिए इसकी छवि बनाने के प्रयास में काफी हदतक विस्तार हेतु तथा आकार के साथ समानुपातिक स्तर तक लाने के लिए एवं सीआईएल के सामरिक महत्व को बढ़ान के लिए आदेश दिए गये हैं। यह पोर्टल सीआईएल के समस्त स्टेक होल्डरों (पणधारकों) यथा उपभोक्ताओं, निवेशकों, व्यापार भागीदारों, कर्मचारियों तथा बड़े पैमाने पर लोगों के बीच कारपोरेट ब्राण्ड बनाने में सक्षम होगा। यह वेब पोर्टेल अन्य नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों के साथ विभिन्न व्यावसायिक अनुप्रयोग का नेतृत्व करेगा तथा सीआईएल इंटरनेट के साथ जुड़ा रहेगा।

(iii) कोल भवन तथा 15, पार्क स्ट्रीट कार्यालय के पुराने हाट लाइन एक्सचेंज के प्रतिस्थापन के रूप में आई.पी. आधारित अभिसारी तकनीक की सहायता से विधिवत् सुसज्जित ई.पी.बी. एक्स. (उसी आधार पर आवाज था आँकड़ों का प्रयोग करना) स्थापनाधीन है तथा इसके शीघ्र ही चालू होने की आशा है। इस तरह से वायस वीडियो तथा आँकड़ों के लिए इसे अनुषंगी कंपनियों तथा क्षेत्रों में विस्तारित किया जायेगा।

(iv) कोलकाता में सीआईएल के विभिन्न कार्यालयों में गीगाबाइट वायर लान के अलावा प्रबंधित वायरलेस नेटवर्क की स्थापना के लिए कार्यवाई की गई है। वायरलेस संरचना के कार्यान्वयन पर नेटवर्क सेवायें अर्थात् इन्टरनेट, मेल मेसेजिंग के साथ-साथ सीआईएल के इन्टरप्राइज ईआरपी सर्वर तक पहुँचना सम्भव हो जायेगा।

(v) मेसर्स डिलाइट, सीआईएल के सलाहकार ने आईटी नीति के संबंधित रिपोर्ट तथा पब्लिक पोर्टल की कनेक्टिविटी के साथ परियोजना/खान से सीआईएल स्तर तक आई.टी. नेटवर्क कवरेज के लिए योजना प्रस्तुत की है। परियोजना, खान, क्षेत्रीय भण्डारों, वर्कशापों इत्यादि से क्षेत्रीय कार्यालय अनुषंगी (मुख्यालय) सीआईएल (मुख्यालय) तथा कोयला मंत्रालय तक एकीकृत तरीके से आवाज तथा डेटा कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए संचार योजना तैयार करने की कार्यवाही की गई है।

22 खान सुरक्षा

22.1 घातक दुर्घटनाएँ एवं मृत्यु का रूझान :

सीआईएल ने सुरक्षा के प्रति हमेशा उच्च प्राथमिकता दी है। सीआईएल में, सुरक्षा अपने मूल उत्पादन की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में मानी जाती है और यह मिशन वक्तव्य में सन्निहित है। सीआईएल ने भी एक अलग सुरक्षा नीति तैयार की है तथा प्रत्येक अनुषंगी कंपनी में और सीआईएल (मुख्यालय) में भी बहुत अनुशासित आतंरिक सुरक्षा संगठन (आईएसओ) का गठन किया है।

सीआईएल में वर्षों से चले आ रहे सुरक्षा निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार किये गये हैं। ये सुधार दस्तावेजी सांख्यकीय रूप से विभिन्न स्वतंत्र स्रोतों में है तथा इसमें निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं:

- प्रबंधन कर्मचारियों तथा नियामकों की प्रतिबद्धता।
- मौलिक तथा कर्तव्यनिष्ट सुरक्षा जागरूकता अभियान
- कर्मचारियों का अग्रिम तथा सतत् प्रशिक्षण।
- खनन पद्धतियों तथा बेहतर उपकरण डिजाइन के क्षेत्र में अग्रिम प्रौद्योगिकी।

- कोयला मंत्रालय से सशक्त पर्यवेक्षण तथा सहायता की आवश्यकता।

हालाँकि सीआईएल की खानों में वर्ष 2008 के दौरान तथा 2007 में क्रमश: 55 तथा 57 की तुलना में 64 मौतों को मिलाकर 52 घातक दुर्घटनाएँ हुई। वर्ष 2007 की तुलना में 2008 में बड़ी खान दुर्घटनाओं में से, पहली डिपिलरिंग जोन से गरम पदार्थों के निकलने के कारण एनईसी की लेडो कोलियरी तथा दूसरी अन्य एनसीएल की जयन्त परियोजना में ड्रैगलाइन ओ.बी. डम्प के सलाइड होने के कारण प्रत्येक पाँच हताहतों को मिलाकर हताहतों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। सीआईएल में विगत पाँच वर्षों में हुई घातक दुर्घटनाओं तथा मौतों की प्रवृत्ति नीचे ग्राफ में दी गई है।

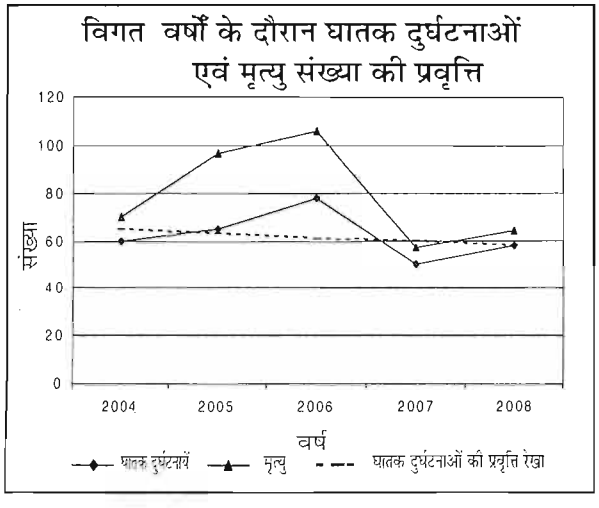

22.2 सुरक्षा आँकड़े

(क) वर्ष 2007 की तुलना में वर्ष 2008 में कोल इण्डिया लिमिटेड के समग्र दुर्घटना आँकड़े निम्नांकित हैं :

सारिणी - क

क्रम सं.	मापदण्ड	वर्ष 2008	वर्ष 2007
1.	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	52	55
2.	मृत्यु की संख्या	64	57
3.	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	337	326
4.	गंभीर रूप से घायलों की संख्या	342	340
5.	प्रति मेट्रिक टन कोयला उत्पादन में मृत्यु संख्या	0.16	0.15
6.	लगाये गये प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट पर मृत्य सं.	0.21	18
7.	प्रति मी. टन कोयला उत्पादन पर गंभीर रूप से घायलों की दर	0.86	0.92
8.	लगाये गये प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट परगंभीर रूप से घायलों की सं.	1.10	1.05

नोट : 1. कैलेण्डर वर्षवार दुर्घटना आंकड़े खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा संग्रहीत हैं।
2. सभी आँकड़े डीजीएमएस के साथ समाधान के अनुरूप है।

(ख) दुर्घटनाओं का कम्पनीवार ब्यौरा : वर्ष 2007 की तुलना में 2008 में घातक दुर्घटनाओं, मृतकों, गंभीर दुर्घटनाओं एवं गंभीर रूप से चोटों का कम्पनीवार ब्यौरा निम्नांकित हैं :-

सारिणी - ख

कम्पनी	गम्भीर दुर्घटनायें तथा मृत्यु संख्या				गम्भीर दुर्घटनायें तथा चोंटे			
	दुर्घटनायें		मृत्यु संख्या		दुर्घटनायें		गम्भीर चोंटें	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
ईसीएल	8	7	8	8	106	105	107	115
बीसीसीएल	9	10	9	10	91	66	91	66
सीसीएल	4	7	4	8	10	16	10	16
एनसीएल	6	5	10	5	25	10	26	10
डब्ल्यूसीएल	10	12	12	12	40	60	41	61
एसईसीएल	9	10	10	10	60	60	60	63
एमसीएल	4	4	4	4	4	9	4	9
एनईसी	2	0	7	0	1	0	3	0
सीआईएल	52	55	64	57	337	326	342	340

टिप्पणी : सभी आँकड़े डीजीएमएस के साथ समाधान के अनुरूप हैं।

(ग) मृतकों एवं गंभीर रूप से घायलों की दर का कम्पनीवार ब्यौरा : वर्ष 2007 की तुलना में वर्ष 2008 में मृतकों एवं गंभीर रूप से घायलों की दर का कम्पनीवार ब्यौरा निम्नांकित है :

सारिणी - ग

कम्पनी	मृत्यु दर				गंभीर चोट की दर			
	प्रति मी. टन पर		प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट पर		प्रति मी. टन पर		प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट पर	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
ईसीएल	0.29	0.32	0.11	0.11	3.92	4.63	1.50	1.54
बीसीसीएल	0.35	0.42	0.18	0.19	3.56	2.77	1.79	1.25
सीसीएल	0.09	0.19	0.10	0.20	0.22	0.37	0.26	0.40
एनसीएल	0.16	0.09	0.71	0.36	0.41	0.18	0.18	0.72
डब्ल्यूसीएल	0.27	0.28	0.20	0.21	0.92	1.40	0.70	1.05
एसईसीएल	0.10	0.11	0.15	0.15	0.60	0.68	0.92	0.95
एमसीएल	0.04	0.05	0.27	0.28	0.04	0.11	0.27	0.63
एनईसी	7.19	0.00	2.97	0.00	3.08	0.00	1.27	0.00
सीआईएल	0.16	0.15	0.20	0.18	0.86	0.92	1.08	1.05

नोट : सभी आँकड़े डीजीएमएस के साथ समाधान के अनुरूप हैं।

22.3 वर्ष, 2008 के दौरान खान सुरक्षा में अतिरिक्त सुधार हेतु की गयी गतिविधियाँ

खदान संचालन में अतिरिक्त सुरक्षा मानदंड को बढ़ाने के लिए कोल इण्डिया लिमिटेड ने वर्ष 2008 में सुरक्षा के लिए

सांविधिक आवश्यकताओं के साथ-साथ चल रहे सुरक्षा संबंधी गतिविधियों/प्रयासों के अनेक मानदण्डों को अपनाया है जो निम्नांकित हैं :

(i) **आपदा निवारण :**

कोल इण्डिया लिमिटेड की मूल सुरक्षा नीति बहुत बड़ी संख्या में हताहतों (ऐसी दुर्घटनाएँ जिसमें 10 से अधिक मृतक हों, भारतीय खान भाषा शैली में इसे आपदा कहा गया है) वाली दुर्घटनाएँ न होने देने की है। इसके लिए निम्नलिखित कार्यकलाप किये गए हैं :

(क) जलप्लावन की रोक-थाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये :

- नियमित सर्वेक्षण जाँच।
- मानसून प्रारंभ होने के पूर्व जलप्लावन से बचाव की विस्तृत कार्य-योजना तैयार की गई, उसे क्रियान्वित किया गया एवं उस पर निगरानी रखी गई।
- जल-जमाव वाले स्थानों/प्रमाणित छिद्रों का पता लगाने के लिए भू-भौतिकी प्रणाली का प्रयोग किया गया।
- टोटल स्टेशन इत्यादि जैसे आधुनिक सर्वे औजारों का प्रयोग।
- खान योजना की यथार्थता में वृद्धि लाने के लिए डिजिटलाइजेशन करना।

(ख) विस्फोटन और आग :

- खदान वातावरण में ज्वलनशील गैसों के अधिक मात्रा में बनने पर जिससे आग पकड़ने या विस्फोट हो सकता है, की अग्र चेतावनी संकेत पाने के लिए कुछ अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोट वाली चिन्हित खदानों में कम्प्युटराइज इनवायरेंटल टेली-मॉनीटरिंग प्रणाली की स्थापना की गयी है।
- गर्म हो रहे/ज्वलनशील/जहरीली गैसों के जमाव होने की तत्कालिक सूचना देने वाले आधुनिक हैंड-हेल्ड/पोर्टेबल डिजीटल मल्टी-गैस डिटेक्टर्स खदान में उपलब्ध कराया गया है।
- खदान में हवा के नमूने का सही-सही विश्लेषण करने के लिए गैस क्रोमाटोग्राफ लगाया गया है।

(ii) **स्तरीय प्रबंधन :**

रूफ एवं साइड का गिरना अभी भी संघातक दुर्घटना के प्रमुख कारणों में से एक है और भूमिगत खदानों की यह नियति है। रूफ एवं साइड गिरने की दुर्घटनाओं से बचाव के प्रयास जारी हैं।

ध्यानाकर्षण वाले मुख्य क्षेत्र हैं :

- भूमिगत खदानों के मशीनीकरण पर जोर देना ताकि चालू फेस में कामगारों की तादाद को कम किया जा सके,
- 40 खानों में रेसिन बोल्टिंग को लागू किया गया है।
- रूफ ड्रिलिंग का यंत्रीकरण - 148 यंत्रीकृत रूफ ड्रिलिंग मशीन पहले ही प्रदान की गई है तथा 155 संख्या में खरीद की अवस्था में है।
- ओवर लेइंग रूफ स्ट्राटा के व्यवहार पर नजर रखने के लिए उचित आडियो विजुअल अलार्म के साथ उपकरण के विकास की पहल की गई है। आईआईटी- खड़गपुर के सहयोग से छत पर आसन्न लोड की निगरानी के लिए संकेतक के विकास हेतु एक आर एण्ड डी परियोजना प्रगति पर है।
- क्षेत्र/खान स्तर के वर्कशाप में कई रूप मानीटरिंग डिवाइज विकसित किए गये हैं तथा विशेष रूप से एसईसीएल की भूमिगत खानों में इनके उपयोग की कोशिश की गई है।
- सपोर्ट कर्मियों, ड्रेसर्स तथा पर्यवेक्षकों को व्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूक बनाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित उपाय किये गये हैं :

(iii) **जोखिम मूल्यांकन और सुरक्षा प्रबंधन योजना :**

430 खदानों में जोखिम मूल्यांकन के कार्य पूरे कर लिये गये हैं और खदानों की वर्तमान खनन परिस्थिति के कारण खनन क्रिया-कलापों में जोखिम की संभावना बनी रहती है। कोयला

खनन के लिए खनन पद्धति अपनायी जा रही है और मशीनों के संचालन के लिए स्थान चिन्हित किये गये हैं। प्रत्येक खदान में यांत्रिकीकरण मूल्यांकन सहित चिन्हित जोखिम को खत्म करने या कम करने या उससे बचने के लिए समय-बद्ध कार्रवाई कार्यक्रम की रूप-रेखा तैयार की गई है। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

(iv) **सुरक्षा ऑडिट :**

खदानों की सुरक्षा लेखा परीक्षा अधिक अर्थपूर्ण रूप से दो चरणों में लागू की जा रही हैं :

(क) प्रथम चरण : अभाव (यथा असुरक्षित दशाएं एवं असुरक्षित कार्रवाइयाँ) को चिन्हित किया जाता है और उस पर सुधारात्मक उपाय की सलाह या अनुशंसा दी जाती है।

(ख) द्वितीय चरण : प्रथम चरण में की गई अनुशंसा/सलाह के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाती है तत्पश्चात अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है।

(v) कोल इण्डिया लिमिटेड के सुरक्षा एवं बचाव विभाग ने नियमित अंतराल पर कई समन्वय बैठकें की हैं जिसमें कोल इण्डिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) एवं सभी अनुषंगी कम्पनियों के निदेशक (तकनीकी)(संचालन) एवं आई.एस.ओ. प्रमुख भाग लेते हैं और खदान की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हैं एवं सुरक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए रणनीति अपनाते हैं। बैठकों में लिये गये संकल्प के अनुरूप कई उपाय किये गये हैं।

(vi) खदान स्तर पर पिट सेफ्टी कमेटी और एरिया एवं अनुषंगियों के मुख्यालय स्तर पर अन्य द्वि-पक्षीय व त्रिपक्षीय सेफ्टी कमेटी को क्रियाशील करने पर बल दिया गया है।

(vii) **आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा निरीक्षण :**

आंतरिक सुरक्षा संगठन के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण बढ़ा दिये गये हैं। इससे सुरक्षा प्रबंधन में सकारात्मक असर पड़ा है।

(viii) निम्नांकित के द्वारा आपातकालिक तैयारियों पर ध्यान आकर्षिक करना जारी है :

- खदान विशेष की आकस्मिक कार्य योजना की तैयारी,
- जमीन के नीचे एवं सतह पर बचाव-रास्ते को रेखांकित करना,
- असफल बिन्दुओं में आवश्यक सुधार के लिए मॉक अभ्यास करना,
- विभिन्न तकनीकों यथा — आरएफआईडी द्वारा आपातकाल में फँसे हुए कामगारों का पता लगाने के लिए ट्रेनिंग प्रणाली को लागू करने का प्रयास।

(ix) टिपर एवं डम्पर ऑपरेटरों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा मुहैया कराने हेतु पहल की गयी है।

23. खान बचाव सेवायें

सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के द्वारा किसी भी संकट की सूचना मिलने पर समस्त भूमिगत खदानों को रेस्क्यू सेवायें उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक प्रशिक्षण गैलरी में बचाव कर्मियों के प्रशिक्षण सहित विधिवत् सुसज्जित बचाव सेवा संगठन बनाया गया है। वर्तमान में, 6 बचाव स्टेशन, 15 पुनश्चर्या प्रशिक्षण सुविधा सहित बचाव कक्ष एवं 18 बचाव कक्षों का रखरखाव किया जा रहा है। सीआईएल के खान बचाव सेवाओं के संबंध में कंपनीवार विवरण सीआईएल के वेब-साइट पर दिया गया है।

24. मानव संसाधन विकास

24.1 समग्र निष्पादन

वर्ष 2008-09 में 33,365 कर्मचारी प्रशिक्षित किये गये जिनमें 9462 अधिकारी, 8407 पर्यवेक्षक एवं 15496 श्रमिक थे। इस निष्पादन में आंतरिक प्रशिक्षण, बाहरी प्रशिक्षण और विदेश प्रशिक्षण सम्मिलित हैं। ''सांविधिक दायित्वों'' के अधीन श्रमिकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण पर अलग से विचार किया गया है।

24.2 आन्तरिक प्रशिक्षण

वर्ष 2008-09 की नैसर्गिक मानव संसाधन विकास योजना सभी अनुषंगी कंपनियों के मानव संसाधन विकास के समकालीन और सीआईएल के विभिन्न स्थानों पर 26 प्रशिक्षण

संस्थानों की क्षमता का विस्तार करते हुए ढांचागत नीति के अतर्गत विकासित की गई है।

मानव संसाधान विकास की औपचारिक योजना बनाते हुए विस्तृत मानव संसाधन विकास नीति का अनुसरण किया गया है। योजना में मानव संसाधन विकास नीति के तहत तकनीकी प्रशिक्षण, प्रबंधन प्रशिक्षण, श्रमिकों और पर्यवेक्षकों का सामान्य विकास और नये कर्मचारियों की शिक्षण कुशलता का समावेश करने का प्रयास किया गया है।

वर्ष 2008-2009 के दौरान आतंरिक प्रशिक्षण व्यवस्था के अधीन प्रशिक्षित कर्मियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

श्रेणी	*प्रशिक्षित कर्मी*
पदाधिकारी	6664
पर्यवेक्षक	8002
कामगार	15127
योग	**29793**

24.3 कंपनी से बाहर प्रशिक्षण :

(i) देश के भीतर प्रशिक्षण :

कर्मचारियों को अन्तर्प्रतिष्ठानिक अनुभव प्राप्त करने के लिए तथा कंपनी के अंदर के प्रशिक्षण संपूरक के रूप में आठ अनुषंगियों एवं कोल इण्डिया मुख्यालय से 3462 कर्मचारियों को कंपनी के बाहर की एजेंसियों द्वारा दिये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है। कर्मचारियों को विभिन्न स्तर पर दिए जा रहे प्रशिक्षण का विवरण नीचे दिया गया है :

श्रेणी	*प्रशिक्षित कर्मी*
पदाधिकारी	2688
पर्यवेक्षक	405
कामगार	369
योग	**3462**

परियोजना प्रबंधन में 25 अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षित किया गया है जिनमें से 18 अधिकारी सीआईपीएम पास किये हैं तथा 7 अधिकारियों ने परियोजना प्रबंधन प्रमाण पत्र में डी-स्तर के पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

(ii) विदेशों में प्रशिक्षण :

वर्ष 2008-09 के दौरान 110 अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण दिया गया है।

24.4 वर्ष 2008-09 के दौरान सीआईएल में मानव संसाधन विकास पर अतिरिक्त प्रयास :

हमारे देश की अर्थ व्यवस्था के विकास में कोल इण्डिया लिमिटेड की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्र की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए आने वाले वर्षों में कोयला उत्पादन में लगातार वृद्धि करनी है। श्रमशक्ति की भारी कमी के कारण विशेष रूप से सेवानिवृत्ति पर अधिकारी श्रेणी में कोल इण्डिया लिमिटेड अपने मानव संसाधन बेस के सम्बन्ध में गंभीर संकट का सामना करेगा। इस स्थिति से निपटने के लिए मानव संसाधन विकास अनुभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए तथा संगठन/प्रशिक्षण की व्यवस्था से परे व्यापक पैमाने पर इसकी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अनुषंगी स्तर तथा कारपोरेट स्तर दोनों पर प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर प्रभावकारी प्रशिक्षण योजना को शामिल करते हुए एक व्यापक योजना बनाई जा रही है जिसके साथ हमारे बहुमूल्य मानव संसाधन बेस के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक अन्य आपेक्षित जानकारियों को शामिल किया जा रहा है।

25. श्रम शक्ति

25.1 दिनांक 31.03 2008 को 426077 के विपरीत दिनांक 31.03.2009 को अनुषंगियों की श्रमशक्ति सहित कंपनी की कुल श्रमशक्ति 412350 थी। अनुषंगी कंपनीवार श्रमशक्ति निम्नलिखित है :

कंपनी	दिनांक के अनुसार	कुल
ईसीएल	31.3.2009	90470
	31.3.2008	94943
बीसीसीएल	31.3.2009	76369
	31.3.2008	80051
सीसीएल	31.3.2009	56553
	31.3.2008	58808
डब्ल्यूसीएल	31.3.2009	62492
	31.3.2008	64160
एसईसीएल	31.3.2009	8[illegible]434
	31.3.2008	82782
एमसीएल	31.3.2009	20869
	31.3.2008	20786
एनसीएल	31.3.2009	16450
	31.3.2008	16697

एनईसी	31.3.2009	2962
	31.3.2008	3072
सीएमपीडीआईएल	31.3.2009	3065
	31.3.2008	3048
डीसीसी	31.3.2009	620
	31.3.2008	641
सीआईएल(मुख्यालय)	31.3.2009	1066
	31.3.2008	1089
समग्र सीआईएल	31.3.2009	412350
	31.3.2008	426077

25.2 कोल इण्डिया लिमिटेड की सभी अनुषंगियों एवं इकाइयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी की नियुक्ति से संबंधित राष्ट्रपति जी के निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

दिनांक 1.1.2008 तथा 1.1.2009 तक सीआईएल तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों की कुल श्रमशक्ति में अनु.जाति/अनु.जनजाति कर्मियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है:

स्थिति	कुल श्रमशक्ति	अनु.जाति		अनु.जनजाति	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.1.2009	415488	90448	21.76	49026	11.79
1.1.2008	429507	95231	22.17	53065	12.35

25.3 वेतन समझौता :

निदेशक, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नयी दिल्ली के पत्र सं. : 5511-01-2006 प्रीव, दिनांक 28 फरवरी, 2007 तथा पत्र सं.-55011-1-2006 प्रीव, दिनांक 14.05.2007 के संबंध में डीपीई मार्गदर्शन के समानुरूप राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-VIII पर वार्ता करने के लिए दिनांक 21.05.2007 को कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जेबीसीसीआई) का गठन किया गया था। विगत समझौता अर्थात् एनसीडब्ल्यूए-VII, भारत सरकार के अनुमोदन के साथ 100% दैनिक भत्ता के न्यूनीकरण सहित दिनांक 01.07.2001 से दिनांक 30.06.2006 तक की 5 वर्षों की अवधि के लिए किया गया था।

जेबीसीसीआई-VIII की पहली बैठक 30 जून, 2007 को कोलकाता में आयोजित की गई थी। कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2006 से मूल वेतन का 15% की दर से दिनांक 30.06.2006 के अनुसार अंतरिम राहत की मंजूरी दी गई है। 9वीं बैठक में वार्ता समाप्त हुई तथा समझौता ज्ञापन अर्थात राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता - VIII पर दिनांक 24.01.2009 को हस्ताक्षर किये गये। समझौते की मुख्य विशेषतायें नीचे दी गई है:-

1. एनसीडब्ल्यू - VIII की अवधि 01.07.2006 से 30.06.2011 तक 100% डीए न्यूनीकरण के साथ पाँच वर्ष के लिए होगी।

2. दिनांक 30.06.2006 के अनुसार कुल उपलब्धियों (मूल +डीए + एसडीए + उपस्थिति बोनस) पर 24% की दर से न्यूनतम लाभ गारंटी होगी।

3. प्रगतिशील आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि 3% की दर से होगी।

4. एनसीडब्ल्यू - VIII में नर्सिंग स्टॉफ के लिए 01.01.2009 से प्रभावी एक अतिरिक्त भत्ता अर्थात् नर्सिंग भत्ता 200/- रुपये प्रतिमाह की दर से लागू किया गया है।

5. सभी अन्य शर्तें अर्थात् (i) धुलाई भत्ता (ii) परिवहन सब्सिडी (iii) अतिरिक्त परिवहन सब्सिडी (iv) वाहन प्रतिपूर्ति तथा (v) कोयला क्षेत्रों के लिए अर्थात् क्षेत्रों के अलावा एच आर.ए. 01.01.2009 से प्रभावी मौजूदा दरों में प्रत्याशित रूप से 50% की वृद्धि की जायेगी।

6. शहरी क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को एचआरए का भुगतान सरकार द्वारा अधिसूचित दर से किया जायेगा तथा वह 01.01.2009 से संशोधित मूल वेतन पर लागू होगा। उच्चतम सीमा मौजूदा प्रथा के अनुसार स्थिर रहेगी।

7. भूमिगत भत्ता संशोधित मूल वेतन का 12.5% की दर से तथा असम कोयला क्षेत्र के लिए यह संशोधित मूल वेतन का 15% की दर से देय होगा।

8. ग्रेच्यूटी की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 01.01.2007 से अधिकतम 10.00 लाख रुपये किया जायेगा।

9. अर्जित अवकाश (ई.एल.) का संचय 120 दिनों के विद्यमान प्रावधान के विपरीत 140 दिन तक बढ़ाया जायेगा।

10. चिकित्सा अवकास (सिक लीव) का संचय 100 दिनों के विद्यमान प्रावधान के विपरीत 110 दिन तक बढ़ाया जायेगा।

11. एनसीडब्ल्यू ए - II के उपखण्ड 7, 4, 1 से 7,4, 6 के अनुसार आकस्मिक अवकास का विद्यमान प्रावधान लागू रहेगा।

12. विद्यमान प्रावधान के अनुसार 8 दिनों की राष्ट्रीय/महोत्सव छुट्टियाँ जारी रहेंगी।

13. दिनांक 01.01.2009 से प्रभावी जीवन बीमा योजना 40,000/- रूपये से बढ़ाकर 60,000/- रूपये की जायेगी।

14. दिनांक 01.01.2009 से प्रभावी मृत्यु/स्थायी पूर्ण विकलांग के मामले में अनुग्रह राशि 30,000/- रूपये से बढ़ाकर 45,000/- रूपये की जायेगी।

15. **''सेवा से जुड़ा महत्व''** एनसीडब्ल्यू - VIII की अवधि के दौरान उन गैर अधिकारियों को 01.07.2006 को अथवा उसके पश्चात सेवानिवृत्त/मृत्यु होने पर एक वेतन वृद्धि के बराबर की राशि देय होगी तथा बेहतर टर्मिनल लाभ को आकर्षक बनाया जा सके। यद्यपि,यह उनका व्यक्तिगत होगा तथा यह किसी विसंगति सुधार के लिए मिशाल के रुप में उद्धृत नहीं किया जायेगा।

16. ''ईंधन भत्ता'' सरकारी दर पर एलपीजी सिलेण्डर (14.5 कि.ग्रा.) की लागत की प्रतिपूर्ति प्रतिमाह की जायेगी।

26. औद्योगिक संबंध एवं प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता

प्रतिवेदनाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों में औद्योगिक संबंध मधुर रहा। संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) तथा विभिन्न द्विपक्षीय समितियाँ, इकाई स्तर, क्षेत्र तथा अनुषंगी मुख्यालय स्तर पर नियमित रूप से कार्य कर रही हैं। सीआईएल में स्टैण्डर्डाईजेशन समिति तथा अपेक्स जेसीसी की बैठकें नियमित अन्तराल में आयोजित की जाती हैं।

हड़लात तथा बन्दी

हड़तालों, श्रम दिवसों की हानि तथा उत्पादन हानि एवं अन्य घटनाओं का कंपनीवार विवरण नीचे तालिका में प्रस्तुत है :

कंपनी	हड़ताल/बन्द की संख्या		अन्य घटनाओं की संख्या		श्रम दिवसों की हानि		उत्पादन हानि (टनों में)	
	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09
ईसीएल	0+2(बीबी)	1(आईएस)+2(बीबी)	83	91	1400	119254	500	50426
बीसीसीएल	0+0(आईएस)	1(आईएस)+0	46	3	0	5420	0	4321
सीसीएल	0+0(आईएस)	1(आईएस)+2	48	55	0	35769	0	113893
डब्ल्यूसीएल	1+0(आईएस)	1(आईएस)+1	10	0	18745	21166	83877	63033
एसईसीएल	1+0(आईएस)	1(आईएस)+1	1	2	3678	12662	11100	5890
एनसीएल	0+0(आईएस)	1(आईएस)+0	44	27	0	1961	0	2420
एमसीएल	0+0(आईएस)	1(आईएस)+0	25	75	0	0	0	0
एनईसी	0+0(आईएस)	1(आईएस)+0	0	0	0	0	0	0
सीएमपीडीआईएल	0+0(आईएस)	1(आईएस)+0	0	0	0	475	0	0
सीआईएल	0 0(आईएस)+0		0		0		0	
योग	6+1(आईएस)	2+2(बीबी)	257	253	23823	169707	95477	239983

* आईएस - औद्योगिक हड़ताल, बीबी - बंगाल बन्द
अन्य घटनायें जिसमें - गो स्लो, घेराव/मारपीट/प्रदर्शन/बाधा, कार्य को रोकना।

* दिनांक 20.08.2008 को 1 (एक) औद्योगिक हड़ताल बुलाई गई थी।

* दिनांक 05/06.06.2008 एवं 23/24.07.2008 को राजनैतिक पार्टी द्वारा दो बंगाल बंद बुलाये गये।

26.1 मानव संसाधन विकास में नई पहल

(i) **श्रमशक्ति नियोजन :** सीआईएल तथा इसकी अनुषंगियों को सज्जित करने के उद्देश्य से परिणाम देने तथा एक विश्व श्रेणी की कंपनी की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए अधिकारी श्रमशक्ति की आवश्यकता का आकलन, संतोषजनक कैरियर विकास, उत्तराधिकारी की योजना तथा पिरामिड संरचना को बहाल करने के लिए प्रावधान बनाये गये हैं।

लगभग पिछले 10 वर्षों से प्रवेश स्तर पर अधिकारियों का गैर-आगमन नीचे के स्तर पर रिक्त स्थान पैदा किया है। अधिकारियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है, कैम्पस साक्षात्कार पुन: प्रारंभ किया गया है तथा आईआईटी, एनआईआईटी, आईआईएम, एक्सएलआरआई इत्यादि से प्रवेश प्रारंभ किया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति पदों में वैकलॉग रिक्तियाँ को भरने के लिए अभियान को भी चालू किया गया है। जब कैम्पस साक्षात्कार की प्रक्रिया चालू की गई, 2000 से अधिक अधिकारियों की सीधी भर्ती प्रवेश स्तर पर की गई तथा कुछ मध्य/वरीय स्तर पर योजना बनाई गई है। रिक्त पड़े सांविधिक पदों को भरा गया है।

(ii) **मेडि-केयर योजना :** कर्मचारियों के लिए सेवा निवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सुविधाओं को प्रारंभ किया गया है।

सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा उनके जीवन साथी के लिए एक मेडि-केयर योजना तैयार की गई है तथा कार्यान्वित की गई है। सेवानिवृत्त गैर अधिकारियों के लिए कोयला कंपनियों के औषधालयों/चिकित्सालयों में कामगारों तथा उनके जीवन साथी को ओपीडी सुविधाएँ विस्तारित की गई हैं।

(iii) कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा :

(क) जो कर्मचारी मर जाता है अथवा किसी खान दुर्घटना में स्थाई रूप से अपंग हो जाता है उसके प्रत्यक्ष आश्रित को 5.00 लाख रुपये की विशेष सहायता/अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है तथा रोजगार की दिशा में यह कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत देय राशि के अतिरिक्त होगी।

(ख) कोरबा में एक इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिए 10 करोड़ रूपये की राशि अनुमोदित की गई है।

27. कामगार कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजना

कोल इण्डिया और इसकी अनुषंगी कम्पनियाँ अपने कामगारों के कल्याण के लिए विशेष ध्यान देती हैं ताकि उनके जीवन-स्तर में सुधार हो। कोल इण्डिया लिमिटेड के कामगारों के कल्याण से संबंधित कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नांकित हैं :

(1) सीआईएल तथा सभी अनुषंगियों में 01 नवम्बर 2008 सीआईएल स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। कोलकाता में केन्द्रीय समारोह आयोजित कर सभी अनुषंगी कंपनियों के कर्मचारियों को उत्पादन, उत्पादकता तथा सुरक्षा के लिए पुरस्कार दिये गये।

इस अवसर पर सीआईएल कारपोरेट गीत गाया गया तथा सभी खानों में तथा अनुषंगियों के सभी क्षेत्रों में और सीआईएल मुख्यालय में सीआईएल ध्वज फहराया गया।

(2) कोल इण्डिया लिमिटेड के कागारों के मेधावी बच्चों को मेरिट और सामान्य छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कोल इण्डिया लिमिटेड (मुख्यालय) एवं कोलकाता में अनुषंगियों के डेस्क कार्यालय के कर्मचारियों के बच्चों को जिन्होंने बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 90% अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किये है, उन्हें विशेष नकद पुरस्कार तथा मेरिट प्रमाण-पत्र दिये गये।

(3) सीआईएल स्थापना दिवस अर्थात् 01 नवम्बर, 2008 को माननीय कोयला राज्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कोल इण्डिया लिमिटेड ने उन वेज बोर्ड कर्मचारियों के ऐसे मेधावी आश्रित बच्चों की शिक्षण शुल्क तथा हास्टल प्रभार की लागत के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक योजना प्रारंभ की गई है जो आईआईटी, एनआईटी, आईएसएम जैसे इन्जीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश सुरक्षित करते हैं, जिन कॉलेजों तथा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों को 2009-10 के शैक्षणिक सत्र से सीआईएल द्वारा कैम्पस चयन आयोजन करने हेतु सूचीबद्ध किया गया है।

(4) कोल इण्डिया लिमिटेड ने कविगुरू औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (केजीआईटीसी), उत्तरनारायणपुर, पो. परुलडॉगा जिला-बीरभूम को बराबर लागत हिस्सेदारी आधार पर एक पणधारी के रूप में सम्बद्ध किया है जिसका वित्तीय आशय 7.5 करोड़ रूपये से अधिक नहीं होगा। सीआईएल केजीआईटीसी के प्रत्येक शासी निकाय तथा कार्यकारी समिति में एक नामजद (नामिनी) है।

(5) सीआईएल तथा इसकी अनुषंगियों के सभी कर्मचारियों को कर्मचारियों की कठिन परिश्रम को पहचान दिलाने के लिए सभी को 1000/- रूपये के मूल्य के बराबर चांदी के सिक्का स्मृति चिन्ह के रूप में वितरित करने का निर्णय लिया गया है जोकि अक्टूबर- 2008 में कोल इण्डिया लिमिटेड के लिए नवरत्न स्थिति के कन्फर्मेट का प्रतिनिधित्व करेगा।

(6) कोल इण्डिया लिमिटेड कर्मचारियों तथा उनके बच्चों के लिए खेल-कूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष जोर दे रहा है। सीआईएल तथा इसकी अनुषंगियों द्वारा विभिन्न खेलकूद अनुभाग के इवेन्ट आयोजित किये गये। अनुषंगी कोयला कंपनियों में अन्तर कालरी, अन्तर क्षेत्रीय तथा अन्तर कंपनी खेलकूद तथा सांस्कृतिक मेल-मिलाप भी आयोजित किए गये।

(7) कोल इण्डिया लिमिटेड ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके जीवन साथी के लिये अपने चिकित्सालयों/

औषधालयों में विस्तारित सुविधायें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

(8) उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसी जीवन शैली बीमारियों से ग्रसित रोगियों के बीच तथा अन्य पुरानी बीमारियों के मूल कारको और जीवनशैली बीमारियों की रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें उन जीवनशैली संशोधन के बारे में सलाह देने के लिए जिससे स्वास्थ्य एवं जीवन में खुशियाँ बनाये रखा जा सके, अनुषंगियों के अनेक चिकित्सालयों में कल्याण क्लिनिक प्रारंभ किये गये हैं।

9. जहाँ अनुषंगियों द्वारा चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई है, वहाँ दूर-दराज गाँवों में डाक्टर पैरामेडिकल तथा आवश्यक दवाओं से लैस मोबाइल मेडिकल वैन भेजे जाते हैं। कुछ मोबाइल मेडिकल वैनों को पहले से ही तैनात किया गया है तथा आवश्यकतानुसार कुछ अधिक वैन भाड़े की प्रक्रिया में है और उन्हें शीघ्र ही तैनात किया जायेगा।

10. कोल इण्डिया लिमिटेड की सभी अनुषंगी कंपनियों में 2004 से मासिक आधार पर नियमित रूप से एचआईवी/एड्स जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। कोल इण्डिया लिमिटेड कोलकाता में, 2006 से इसे नियमित आयोजित किया जा रहा है। अनुषंगियों में स्कूल में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

अनुषंगियों के साथ ही साथ सीआईएल में मास्टर प्रशिक्षक तथा सहकर्मी शिक्षक को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। सभी अनुषंगियों मे एआरटी केन्द्रों तथा बीसीसीटी केंन्द्रो के लिए समितियाँ हैं जो एचआईवी पाजिटिव रोगियों, जहाँ ये पाये जाते हैं, के लिए इलाज करते हैं तथा परामर्श देते हैं।

11. गृह, जलापूर्ति, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधायें मुहैया कराना जारी है। कुछ शैक्षिक संस्थानों को जो कोयला कंपनियों के आस-पास संचालित हैं, अनुदान के रूप में सहायता दी गई और कल्याण एवं सामुदायिक विकास गतिविधियों के रूप में संरचनात्मक सहयोग दिया गया।

निम्नांकित तालिका मूलभूत सुविधाओं की स्थिति दर्शाती है :

क्रम संख्या	मद	राष्ट्रीयकरण के समय उपलब्ध	वर्ष 08-09 के दौरान जोड़े गये	31.03.09 की स्थिति
1	आवास			
	(क) भवनों की संख्या	1,18,366	286	4,13,308
	(ख) कुल आवासीय संतुष्टि	21.07%	—	100%
2.	जलापूर्ति (लाभान्वित जनसंख्या)	2,27,300	980	22,94,043
3.	शैक्षणिक संस्थाएँ			
	(क) पूर्ण वित्तीय प्रदत्त प्रोजेक्ट स्कूल (केंन्द्रीय विद्यालय, डी.ए.वी. एवं अन्यान्य)	—	—	61
	(ख) प्रोजेक्ट स्कूलों की संख्या जिन्हें सिर्फ फर्नीचर दिये गये	—	—	26
	(ग) निजी स्कूलों की संख्या जिन्हें लगातार अनुदान दिया जाता है	—	—	290
	(घ) अन्य शैक्षणिक संस्थायें जिन्हें अनुदान/सम-सामायिक सहायता दी जाती है	—	81	288
	कुल	287	81	665
4.	चिकित्सा सुविधायें			
	(क) एम्बुलेंस	42	—	668
	(ख) चिकित्सालय	49	—	85
	(ग) चिकित्सालय शैय्या	1,482	—	5,835
	(घ) डिस्पेंसरी	197	—	424

इसके अतिरिक्त कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगियों द्वारा कर्मचारियों को देशी पद्धति की चिकित्सा सुविधा देने के लिए 12 आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी चलाये जा रहे हैं तथा राम कृष्ण मिशन, टी. बी. सेनेटोरियम, राँची में टी. बी. से पीड़ित कर्मियों के उपचार हेतु 15 बिस्तर आरक्षित किये गये हैं।

28. वृक्षारोपण/वानिकीकरण

स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए अपने वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों ने वर्ष 2008-2009 के दौरान कोयला क्षेत्रों में 19.55 लाख वृक्षारोपण किया है।

29. राजभाषा का प्रगतिशील प्रयोग

संविधान की मूल भावना के अनुरूप कोल इण्डिया प्रबंधन राजभाषा अधिनियम, नियम एवं विनियमों के उपबन्धों को लागू करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वर्ष के दौरान उच्चाधिकारियों द्वारा आवधिक बैठकें एवं समीक्षाएँ नियमित

रूप से की गई। परिणामस्वरूप कोल इण्डिया लिमिटेड में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की गति आगे बढ़ रही है।

समीक्षाधीन वर्ष में राजभाषा कार्यान्वयन का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

(i) **हिन्दी कार्यशाला/हिन्दी सेमिनार :** हिन्दी का कार्यगत वातावरण बनाने के उद्देश्य से जिन कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है उनके लिए हिन्दी कार्यशालाएँ नियमित रूप से आयोजित की गई जिससे उनको दैनिक कार्यालयीन कार्यों में प्रयोग आनेवाले हिन्दी शब्दों, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण का ज्ञान बना रहे तथा वे इसका प्रयोग करते रहे। समीक्षाधीन वर्ष में इन कार्यशालाओं में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त दिनांक 18.07.2008 को एक सेमिनार सह-कार्यशाला, कोल इण्डिया लिमिटेड मुख्यालय में आयोजित की गई जिसमें मुख्यालय के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अनुषंगी कंपनियों के साथ-साथ क्षेत्रीय विक्रय कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस सेमिनार की विषय सामग्री (i) तिमाही रिपोर्ट-इसका महत्व और परिशुद्धता (ii) संसदीय राजभाषा समिति को प्रस्तुत की जानेवाली प्रश्नावली-इसकी महत्ता एवं परिशुद्धता थी।

(ii) **राजभाषा पक्ष :** कोल इण्डिया के सभी कार्यालयों में दिनांक 15.09.2008 से राजभाषा पक्ष मनाया गया। राजभाषा पक्ष के उद्घाटन के अवसर अध्यक्ष, कोल इण्डिया लिमिटेड ने कोल इण्डिया लिमिटेड और अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी से अपना अधिकांश कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करने की अपील की जिससे हम भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2008-09 के अनुसार संघ के राजकीय कार्य हिन्दी में करने का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। पक्ष के दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएँ/कार्यक्रम जैसे हिन्दी टिप्पण-प्रारुपण, निबन्ध लेखन, अनुवाद, श्रुतिलेख, हिन्दी टंकण, वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई जिनमें काफी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेताओं को निदेशक (का. एवं औ.सं.) ने नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। इससे राजभाषा हिन्दी के प्रति सामूहिक जागरूकता उत्पन्न हुई।

(iii) **निरीक्षण :** निरीक्षण कार्यान्वयन का एक अंग है। कोयला मंत्रालय तथा कोल इण्डिया लिमिटेड के अधिकारी समीक्षाधीन अवधि में अपनी सुविधानुसार कोल इण्डिया लिमिटेड तथा अनुषंगी कंपनियों के कार्यालयों का निरीक्षण समय-समय पर किए। निरीक्षण के दौरान कार्यान्वयन से संबंधित पाई गई कमियों को सुधारा गया और संबंधित अधिकारी राजभाषा में अधिक से अधिक कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किए गए। इसके अतिरिक्त, उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति ने क्षेत्रीय विक्रय कार्यालय, बेंगलूर का दिनांक 27.11.2008 को और दिल्ली कार्यालय का 12.04.2008 को निरीक्षण किया।

(iv) **पुरस्कार :** भारतीय भाषा एवं संस्कृति केंद्र, दिल्ली ने दिनांक 29.05.2008 को गंगटोक में आयोजित 13वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में राजभाषा अधिनियम, नियम एवं विनियमों के सफल कार्यान्वयन हेतु कोल इण्डिया लिमिटेड को ''राजभाषा अलंकरण शील्ड'' सम्मान से सम्मानित किया।

''कोलकाता नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम)'' की दिनांक 26.08.2008 को संपन्न छः माही बैठक में समिति ने कोल इण्डिया लिमिटेड को राजभाषा अधिनियम, नियम और विनियमों के सफल कार्यान्वयन तथा हिन्दी पत्राचार में उल्लेखनीय वृद्धि के फलस्वरूप नैगमिक कार्यालय वर्ग में सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया।

(v) **सहायक साहित्य :** कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी प्रयोग को आसान बनाने के उद्देश्य से सभी विभागों में यथा आवश्यक सहायक साहित्य उपलब्ध कराए गए हैं। इस दिशा में एक और सार्थक प्रयास करते हुए दिनांक 20.03.2009 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक में निदेशक (कार्मिक एवं औ.सं.) ने ''मानक टिप्पणियाँ'' नामक पुस्तिका का विमोचन किया जिसे सभी विभागों में नियमित प्रयोग हेतु वितरित करवाया गया।

30. सतर्कता

30.1 कोल इण्डिया लिमिटेड का सतर्कता ढाँचा

पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, ओड़िसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र जैसे राज्यों में फैली 8 अनुषंगी कम्पनी का प्रधान अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक होता है जिसकी सहायता के लिए कार्यकारी निदेशकगण होते हैं। कोल इण्डिया लिमिटेड शीर्षस्थ निकाय एवं होल्डिंग कंपनी के रूप में कार्य करती है जो होल्डिंग कंपनी को प्रदत्त शक्ति के अनुसार अनुषंगी कंपनियों के बीच अंतर कंपनी मामलों को सुलझाती है और नीतिगत फैसले लेती है।

कोल इण्डिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कम्पनियों में भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु प्रत्येक अनुषंगी कम्पनी में सतर्कता विभाग स्थापित कर मुख्य सतर्कता पदाधिकारी पदस्थ किए गये हैं। इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से विभिन्न सरकारी सेवाओं से एक निश्चित अवधि के लिए भारत सरकार करती है।

कोल इण्डिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता पदाधिकारी, कोल इण्डिया लिमिटेड एवं एन.ई.सी. के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन विभागों/कायालयों में सतर्कता संबंधी गतिविधियों की मॉनीटरिंग करने के साथ-साथ मुख्य सतर्कता आयुक्त/कोयला मंत्रालय द्वारा भेजे गये मामलों की भी जाँच/मॉनीटरिंग करते हैं। अध्यक्ष, कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा मुख्य सतर्कता पदाधिकारी (सतर्कता) को अग्रसारित अनुषंगी कोयला कम्पनियों के कर्मचारियों के विरुद्ध विशिष्ट शिकायतों या सतर्ककता विभाग को सीधे प्राप्त शिकायतों या सूचनाओं की जाँच पड़ताल भी करते हैं। अनौपचारिक रूप से अनुषंगी कोयला कम्पनियों के साथ कुछ समन्वय प्रभावित हुआ है क्योंकि कोल इण्डिया लिमिटेड के सतर्कता विभाग को केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कोयला मंत्रालय, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसी संस्थाओं के साथ सम्पर्क बनाये रखना पड़ता है। यह भी सत्य है कि अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, कोल इण्डिया लिमिटेड जो अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों के नियुक्ति/अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी होते हैं, जब कभी उपर्युक्त प्राधिकार में से किसी एक का भी निष्पादन करते हैं, मुख्य सतर्कता अधिकारी उनके सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं।

यह विभिन्न अनुषंगी कम्पनियों के सतर्कता विभाग और उनके अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकगण के साथ अन्तरफलक का कार्य करता है। यहाँ यह उद्धृत करना आवश्यक है कि औपचारिक रूप से मुख्य सतर्कता पदाधिकारी, कोल इण्डिया लिमिटेड अनुषंगी कम्पनियों के मुख्य सतर्कता पदाधिकारियों या उनके सतर्कता ढाँचा को नियंत्रित नहीं करते हैं।

विभिन्न कर्मियों की सतर्कता स्थिति कोल इण्डिया प्रबंधन या कोयला मंत्रालय या मुख्य सतर्कता आयोग या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा मांगे जाने पर उसे उपलब्ध कराना प्रमुख कार्य है। जहाँ तक प्रोन्नति संबंधी मामले हैं, संबंधित अधिकारियों की मांगी गयी सतर्कता स्थिति विभिन्न अनुषंगी कम्पनियों के सतर्कता विंग से प्राप्त करने के उपरान्त कोल इण्डिया लिमिटेड के कार्मिक विभाग को भेज दिया जाता है। इसी तरह से चयन होने की स्थिति में विभिन्न अनुषंगी कम्पनियों के सतर्कता विंग से प्राप्त करने के उपरान्त संबंधित प्राधिकारी यथा — कोयला मंत्रालय/मुख्य सतर्कता आयुक्त को वांछित कर्मियों की सतर्कता स्थिति भेजी जाती है। कोल इण्डिया लिमिटेड/एन.ई.सी. में पदस्थ कर्मियों का सतर्कता संबंधी रिकॉर्ड कोल इण्डिया लिमिटेड सतर्कता विभाग रखता है।

30.2 सीआईएल तथा अनुषंगियों द्वारा प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान किए गये भ्रष्टाचार निरोधी उपाय

प्रारम्भ की गई संविदाओं/प्रारम्भ किये गये/संचालित किये गये कार्यों/संविदाओं के गहन जाँच की कुल संख्या 46 थी। इसके अतिरिक्त,अनुषंगी सतर्कता इकाइयों द्वारा कार्य स्थल पर 214 औचक निरीक्षण किये गये। गहन परीक्षण तथा किये गये औचक निरीक्षण का विवरण नीचे दी गयी सारणी में दर्शाया गया है।

(क) वर्ष 2008-09 के दौरान कराए गए/सम्पन्न कराए गए कार्यों/ठेकों का गहन परीक्षण तथा औचक निरीक्षण का अनुषंगीवार विवरण :

	ई. सी. एल.	बी. सी. सी. एल.	सी. सी. एल.	डब्लू. सी. एल.	एस. ई. सी. एल.	एन. सी. एल.	सी. एम. पी.डी. आई. एल.	एम. सी. एल.	सी. आई. एल. (मुख्या.)	कुल
औचक निरीक्षण	20	15	43	54	23	26	11	22	शून्य	214
गहन परीक्षण	03	01	12	—	08	05	05	12	शून्य	46

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, विभिन्न श्रोंतो तथा सूत्र सूचना से प्राप्त शिकायतों के आधार पर 252 अन्वेषणात्मक प्रकरणों को पूरा किया गया है। वर्ष के दौरान, विभागीय जाँच के निस्तारण की कुल संख्या 89 थी तथा 225 कामगारों के ऊपर दण्डात्मक कार्रवाई की गई। कोल इण्डिया लिमिटेड (मुख्यालय) एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों में पूरी की गई अन्वेषणात्मक कार्यवाइयाँ/आरोपित सजा नीचे विवरण में दर्शायी गयी हैं :

(ख) वर्ष 2008-09 के दौरान निपटाई गई जाँच पड़ताल की संख्या

कम्पनी का → नाम	ई. सी. एल.	वी. सी. सी. एल.	सी. सी. एल.	डब्लू. सी. एल.	एस. ई. सी. एल.	एन. सी. एल.	सी. एम. पी.डी. आई. एल.	एम. सी. एल.	सी. आई. एल. (मुख्या.)	कुल
संख्या	49	04	50	26	06	72	01	26	13	252

(ग) वर्ष के दौरान पूरी की गई विभागीय जाँच की संख्या तथा लगाए गए आरोपों की संख्या

कम्पनी का नाम	ई. सी. एल.	वी. सी. सी. एल.	सी. सी. एल.	डब्लू. सी. एल.	एई. ई सी. एल.	एन. सी. एल.	सी. एम. पी.डी. आई. एल.	एम. सी. एल.	सी. आई. एल. (मुख्या.)	कुल
अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिए गए मामलों की संख्या										
बड़ी सजा	11	27	15	10	03	05	शून्य	02	04	77
छोटी सजा	03	11	05	08	05	11	01	05	शून्य	49
निस्तारित की गई विभागीय जाँचों की संख्या	15	16	23	04	03	11	शून्य	16	01	89
जुर्माना लगाये गये मामलों की संख्या										
बड़ी सजा	07	04	14	04	01	03	शून्य	07	शून्य	40
छोटी सजा	05	13	09	04	01	08	03	06	01	50

(घ) दण्डित किये गये व्यक्तियों की संख्या

कम्पनी का नाम	ई. सी. एल.	वी. सी. सी. एल.	सी. सी. एल.	डब्लू. सी. एल.	एई. ई सी. एल.	एन. सी. एल.	सी. एम. पी.डी. आई. एल.	एम. सी. एल.	सी. आई. एल. (मुख्या.)	कुल
दण्डित किये गये व्यक्तियों की संख्या										
बड़ी सजा	09	05	39	03	04	05	शून्य	20	शून्य	85
छोटी सजा	05	37	21	10	02	18	09	37	01	140

(घ) भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम-1988 के तहत अभियोजन के लिए स्वीकृति की संख्या

कम्पनी का → नाम	ई. सी. एल.	वी. सी. सी. एल.	सी. सी. एल.	डब्लू. सी. एल.	एस. ई. सी. एल.	एन. सी. एल.	सी. एम. पी.डी. आई. एल.	एम. सी. एल.	कुल
संख्या	03	09	11	02	शून्य	01	शून्य	02	28

30.3 कोल इण्डिया लिमिटेड सतर्कता विभाग की प्रमुख उपलब्धि

क. कोल इण्डिया लिमिटेड में अनियमित/नियुक्ति की छंटनी

- आउटसोर्सिंग के मामलों में तथा कार्मिक एवं प्रशासन संवर्ग में गैर अधिकारी वर्ग से अधिकारी वर्ग की प्रोन्नति हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में गंभीर अनियमितता का पता लगाया गया जिसमें एक अधिकारी जो अभी बी.सी.सी.एल. में निदेशक (कार्मिक) के रूप में पदस्थापित हैं एवं अन्य मुख्य कार्मिक प्रबंधक, मुख्य वित्त प्रबंधक एवं कार्मिक प्रबंधक (भर्ती) हैं, सहित 4 व्यक्तियों के विरुद्ध मेजर पेनाल्टी कार्यवाही शुरू की गई।
- विधि संवर्ग में नियुक्त 1974 में पूर्ववर्ती एन.सी.डी.सी./सी.एम.ए.एल. की अवधि के दौरान एक अयोग्य उम्मीदवार, जिसके पास विधि की निर्धारित उपाधि नहीं थी, को कोल इण्डिया लिमिटेड में एम-2 के स्तर तक पदोन्नति दी गई थी, के पक्षपात के मामले का पता लगाया है।

ख. अखंडता समझौता (इंटीग्रीटी पैक्ट) कार्यक्रम का क्रियान्वयन

ग. गहन अध्ययन द्वारा सी.सी.एल. के पिपरवार वाशरी में अनियमितता का उजागर

घ. मुख्य सतर्कता आयोग (सी.भी.सी.), कोयला मंत्रालय, कोल इण्डिया लिमिटेड और इनकी अनुषंगियों के बीच सतर्कता के दिशा-निर्देशों को बेहतर ढंग से समझने और निर्णय लेने की पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने हेतु वार्तालाप सत्र का आयोजन करना।

मुख्य सतर्कता आयोग के वरिष्ठ सदस्यों/अधिकारियों, कोयला मंत्रालय के बड़े पदाधिकारियों, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों और कोल इण्डिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कम्पनियों के मुख्य सतर्कता पदाधिकारियों, कोल इण्डिया

लिमिटेड के कार्यकारी निदेशकों एवं कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनियों के कार्यकारी निदेशकों के बीच दिनांक 17.07.2008 के अपराह्न एवं 18.07.2008 के पूर्वाह्न में राँची स्थित आई.आई.सी.एम. में वार्तालाप सत्र आयोजित किया गया। वार्तालाप सत्र इस उद्देश्य से आयोजित किया गया ताकि सतर्कता प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों को समझने में आसानी हो और कुछ अस्पष्ट मामलों के निपटने हेतु मुख्य सतर्कता आयुक्त से दिशा-निर्देश माँगे गये।

माननीय सतर्कता आयुक्त श्री सुधीर कुमार ने ज्योति प्रज्जवलित कर सत्र का उद्घाटन किया।

श्री एन.आर. बनर्जी मुख्य सतर्कता पदाधिकारी, कोल इण्डिया लिमिटेड ने वार्तालाप सत्र के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दो-दिवसीय वार्तालाप सत्र से ईमानदारी और निष्ठा की भावना बढ़ेगी और कोल इण्डिया लिमिटेड की अपनी पारदर्शी छवि को बढ़ावा मिलेगा।

अध्यक्ष, कोल इण्डिया लि. ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि कोर क्षेत्र की कंपनियों में केवल खनन क्षेत्र की कंपनियाँ विशेषकर कोल इण्डिया लि. अपने अच्छे निष्पादन के कारण बढ़े हुए लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए हम केन्द्रीय सतर्कता आयोग के आभारी हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण सामग्री निवेश की उपलब्धता विशेषकर ओ.टी.आर. टायर एवं विस्फोटकों की खरीद का निर्णय लेने में समर्थन दिया। कोल इण्डिया लि. के अध्यक्ष ने बताया कि इस तरह की सहायता और दिशानिर्देश वर्तमान समय की आवश्यकता है और सतर्कता विभाग को कोयला कम्पनियों में इस तरह की नई उभरती हुई भूमिका को निभाना है।

श्री वी.के. गुप्ता अपर सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने प्रसन्नता व्यक्त की कि अभी जब सतर्कता को संदेह की नजर से देखा जा रहा है, कोल इण्डिया लि. ने मुख्य सतर्कता अधिकारियों, सी.ई.ओ., सतर्कता आयुक्त एवं मंत्रालय के प्रतिनिधियों को विभिन्न मुद्दों पर बातचीत और संचालनात्मक समस्याओं को सुलझाने के लिए एक ही मंच पर इकट्ठा किया है।

डा. एस.पी. सेठ, अपर सचिव, कोयला मंत्रालय ने कोल इण्डिया लि. के मुख्य सतर्कता पदाधिकारी और आई.आई.सी.एम., राँची की दो दिनों के इंटरैक्टिव सत्र के आयोजन के लिए सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की दो दिनों के वार्तालाप सत्र से कोल इण्डिया लिमिटेड को प्रक्रियागत निर्णय लेने में सहुलियत होगी।

श्री सुधीर कुमार, सतर्कता आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयोग ने राष्ट्र की छवि को निखारने और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पारदर्शिता के साथ व्यवसाय करने के लिए मुख्य सतर्कता आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि कोयला एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है कोयला से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियाँ उतनी ही पुरानी हैं जितनी मानव सभ्यता। इस तरह सी.आई.एल. की राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है और न सिर्फ कोयला उद्योग की वरन् पूरे देश की छवि को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि कुलीन वर्ग को सभी प्रलोभनों से ऊपर उठाना है तथा देश और राष्ट्र की छवि को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर लेनी है। उन्होंने दोहराया कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सहयोगी है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से बराबर का विनिमय राष्ट्रीय छवि को बढ़ावा देंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कोल इण्डिया लि. आने वाले दिनों में कई लक्ष्यों को हासिल करेगा।

तत्पश्चात अनुषंगी कम्पनियों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों, कोल इण्डिया लिमिटेड के निदेशक मण्डल, सी.आई.एल. के मुख्य सतर्कता पदाधिकारी और अनुषंगी कम्पनियों के मुख्य सतर्कता पदाधिकारियों द्वारा सदन के समक्ष रखे गये विभिन्न मामलों पर चर्चा आयोजित की गई है। निम्नांकित विषयों पर चर्चा हुई:

1. एक ही समय और स्थान पर दो ठेकों के क्रियान्वयन में समान कार्य के लिए अलग दरों (परिवहन ठेका) से संबंधित मुद्दे।

2. एक ही परियोजना में जहाँ पहले से ही परिवहन अनुबंध एक अलग दर पर चल रहा है वहाँ कोयले की अतिरिक्त मात्रा की ढुलाई के लिए पूर्व सैनिक कंपनियों की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे।

3. असफल बोलीदाताओं के मूल्य बोली के संरक्षण से संबंधित मुद्दे।

4. सतर्कता/गैर सतर्कता से संबंधित शिकायतों की मुख्य सतर्कता पदाधिकारी द्वारा पहचान और उसपर कार्रवाई।

5. प्रशासन में सतर्कता संबंधी जागरुकता से संबंधित मुद्दे।

6. यदि एल-1 का मूल्य यथोचित नहीं है तो पुन: निविदा करने संबंधी विलंब से बचने के लिए सभी तकनीकी विक्रेताओं के साथ स्नैपबिड का प्रावधान।

7. जहाँ सी.बी.आई. शामिल है वहाँ नियमित विभागीय कार्रवाई में एस.पी. की रिपोर्ट सहित सी.बी.आई. द्वारा आरोप-पत्र का प्रारूप तैयार करने संबंधी मुद्दा।

8. जब केन्द्रीय सतर्कता आयोग डी.ए. मामले में अस्थाई रूप से दण्ड/दण्ड मुक्ति के निर्णय से अनुशासनात्मक प्राधिकारी से भिन्न होता है तब स्व समाहित बोली और रीजन्ड आर्डर को जारी करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग से निर्देश मांगा जाता है।

9. क्या सार्वजनिक उपक्रम का मुख्य सतर्कता पदाधिकारी सतर्कता की रोकथाम के उपायों के बारे में दिशानिर्देश/सलाह जारी कर सकता है।

10. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सतर्कता अधिकारियों की पदास्थापना।

11. लोहा, इस्पात जैसे कच्चे माल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि से उत्पन्न स्थिति।

12. कोयला/बालू के परिवहन अनुबंध की संविदा देने में कठिनाइयों से संबंधित मुद्दे।

13. स्वीकृत सूची/ओ.डी.आई. सूची के अधिकारियों को गैर-संवेदनशील पदों पर स्थानान्तरण में अधिकारियों की कमी से संबंधित मामले

14. परिवहन/टीपर लोडिंग/ओवर बर्डेन रिमुवल/सर्फेश माइनर का अनुबंध देते समय निविदा में मूल्य गिरावट खण्ड(प्राइस फॉल क्लाउज) शामिल करने से संबंधित मामले।

15. बोर्ड स्तर से दो श्रेणी नीचे के अधिकारियों की शिकायतों/जाँच के मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ विचार-विमर्श।

16. भुगतान करो ले जाओ (कैश एण्ड कैरी) पद्धति से संबंधित मामले।

17. नई ''सिंगल विंडो स्पॉट विक्री योजना'' का संचालन।

18. आई.आई.टी. खड़गपुर टीम को बाहर करने और अनुरक्षण हेतु नामांकन आधार पर ई.सी.आई.एल. का चयन।

19. नामांकन आधार पर अनुबंध/आदेश दिया जाना।

20. एकाधिक स्त्रोंतों से संबंधित मामले।

21. मूल्य गिरावट खंड का अनुप्रयोग।

22. कोयला मंत्रालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ कोल इण्डिया के मुख्य सतर्कता पदाधिकारी एवं अनुषंगी कम्पनियों के मुख्य सतर्कता पदाधिकारियों का समानान्तरण सूचना/रिपोर्ट चैनल स्थापित करना।

23. आनुशासनिक कार्यवाही संपन्न होने के बाद दोषी अधिकारियों को ''चेतावनी'' या ''सावधानी'' संबंधी पत्र देने से संबंधित मामले।

24. सेवानिवृत्त की आयु प्राप्त करने के उपरान्त सेवा निवृत्त अधिकारियों के आर.डी.ए. मामले को बंद करने से संबंधित मुद्दे।

25. जिन्हें अनुशासनात्मक मामलों में ''चेतावनी'' या ''सावधानी'' जारी की गयी है ऐसे अधिकारियों के चयन से संबंधित मामले।

26. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र संख्या - 12-02-1 सी.टी.ई.-6 दिनांक 17.12.2002 की व्याख्या से संबंधित विषय जिसमें 07 वर्षों के कार्यानुभव को निविदा देने में अनुभव के लिए कुल आकलित मूल्य के स्थान पर स्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु कुल वार्षिक मूल्य पर भी विचार करने से संबंधित है।

30.4 कोल इण्डिया लि. (मुख्यालय) में सतर्कता जागरुकता सप्ताह

सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट :

अध्यक्ष, कोल इण्डिया लिमिटेड, निदेशक (वित्त), कोल इण्डिया लिमिटेड, मुख्य सतर्कता पदाधिकारी, कोल इण्डिया लिमिटेड, विभागाध्यक्षगण, कोल इण्डिया लिमिटेड, कोल इण्डिया लिमिटेड के सतर्कता विभाग के अधिकारीगण एवं खरीददार/खरीदार संघ के प्रतिनिधि इंटरएक्टिव सत्र के दौरान उपस्थित थे।

मुख्य सतर्कता पदाधिकारी, कोल इण्डिया लिमिटेड ने दिनांक 05.11.2008 को इंटरएक्टिव सत्र की घोषणा के समय ध्यान दिलाया कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग अपने गठन के समय से ही लोक व्यय में पारदर्शिता लाने की संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है, विभाग/संगठन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवा के उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने, शिकायतों के निवारण

के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुधारने और उपभोक्ता नागरिकों के लिए शिकायत निवारण हेतु उपलब्ध अवसर की पहल की है।

इस संदर्भ में उन्होंने लोक अभिरूचि प्रकटीकरण (पब्लिक इंटरेस्ट डिस्कालोजर) और प्रोटेक्शन ऑफ इन्फार्मर्स (पी.आई.डी.पी.आई.) रिजोल्यूशन-2004 की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसके तहत ''व्हिसिल ब्लोअर'' के रूप में शिकायत सीधे आयोग को की जा सकती है। आयोग ''व्हिसिल ब्लोअर'' की सुरक्षा और पहचान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह के अधिक व्यक्तियों से अपील की है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने हेतु आगे आयें और पी.आई.डी.पी.आई. रिजोल्यूशन-2004 का लाभ उठायें। कोल इण्डिया लि. के मुख्य सतर्कता पदाधिकारी ने कहा कि किसी संगठन में कुछ सशक्त और भ्रष्ट आदमी पूरे संगठन को लूटना चाहते है। बहुसंख्यक मूक दर्शक की तरह देखते रह जाते हैं और यह उन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए गलत और अनैतिक व्यापार प्रथा कायम करने के लिए खुला क्षेत्र प्रदान करता है और इससे अपारदर्शिता की संस्कृति पैदा हो जाती है। अब समय आ गया है कि कंपनी के अंदर और बाहर ऐसे कार्य को रोकन के लिए मजबूत और समर्पित प्रयास किये जांय।

कोल इण्डिया लि. के मुख्य सतर्कता पदाधिकारी ने इस उम्मीद के साथ अपना संबोधन खत्म किया किया कि कोई-न-कोई इस ढाँचे को तोड़ेगा और अपने लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास पी.आई.डी.पी.आई. दर्ज कर पहला कदम उठायेगा जो भले ही किसी के लिए छोटा सा कदम हो सकता है पर संगठन के लिए एक बड़ी छलांग होगी जिससे अखंडता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने के एक नया अध्याय की शुरूआत होगी।

इसके बाद कोल इण्डिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता पदाधिकारी ने वार्तालाप सत्र प्रारंभ होने की घोषणा की। क्रेता-विक्रेता (कोयला) का वार्तालाप सत्र के पश्चात् ''सतर्कता(कार्मिक) से संबंधित शिकायतों का निवारण'' सत्र सम्पन्न हुआ। क्रेता-विक्रेता (कोयला) इंटरएक्टिव सत्र के दौरान खरीदारों/खरीदार संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे। श्री जे. गोयल, मुख्य महाप्रबंधक (विक्रय एवं विप्पणन), कोल इण्डिया लिमिटेड एवं श्री एच.के वैद्य, मुख्य महाप्रबंधक (विक्रय विप्पणन), कोल इण्डिया लिमिटेड ने प्रबंधन का प्रतिनिधित्व किया। क्रेता के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न बिन्दुओं को उठाया गया। वार्तालाप के दौरान विभिन्न बिन्दुओं की विस्तृत व्याख्या की गई। क्रेताओं की शिकायतें जो प्रथम दृष्टया सही पायी गयी, के संबंध में आश्वासन दिया गया कि उनकी शिकायतों का निवारण समुचित ढंग से किया जायेगा।

''कर्मचारियों के दृष्टिकोण से सतर्कता (कार्मिक) संबंधी शिकायतों का निवारण'' पर इनटएक्टिव सत्र-II में कुछ कर्मचारियों ने अपनी शिकायतें रखीं। महाप्रबंधक (कार्मिक), कोल इण्डिया लिमिटेड एवं सत्र में उपस्थित कार्मिक विभाग के अन्य अधिकारियों ने सुना और पीड़ित कर्मचारियों के अभ्यावेदन का उत्तर दिया।

ईमानदारी कार्यान्वयन प्रक्रिया में सुधार लाने और पारदर्शिता को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से स्वतंत्र वाह्य मानीटर के साथ दिनांक 16-11-2008 को एक बैठक आयोजित की गई। सत्र में अध्यक्ष कोल इण्डिया लि., निदेशक (वित्त), कोल इण्डिया लि., मुख्य सतर्कता पदाधिकारी, कोल इण्डिया लि., और अन्य लोगों में 10 आई.ई.एम. उपस्थित थे जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

30.5 सतर्कता निवारक (सी.आई.एल. सतर्कता विभाग)

- **प्रणाली में सुधार हेतु अध्ययन**

क. समझौता करने से संबंधित परिपत्र जारी करना

शिकायत जाँच के संदर्भ में यह देखा गया कि डब्ल्यु.सी.एल. के पेंच एरिया में डब्ल्यु.सी.एल. खानों के अंदर कामगारों के आवागमन के लिए दिनांक 18.09.2006 के अनुबंध के अनुसार रु. 4,37,000/- भुगतान किये जाने के विचार से 4 अदद पुरानी बसें और एक टीपर इंजिन शारदा यातायात परिवहन समिति को दी गई। बसों के लिए 1997 के बाद रोड टैक्स और बीमा का भुगतान समिति द्वारा किया जाना था।

समझौते में अनुवर्त्ती कार्रवाई के लिए संपादन प्राधिकारी का नाम नहीं था, की खामियों को देखते हुए समिति को 1,27,834 रु. मात्र भुगतान के बाद मासिक किस्त के मामले में भुगतान नहीं करने का दोषी पाया गया।

डब्ल्यु.सी.एल. बोर्ड से बस को सौंपने के लिए किसी प्रकार की मंजूरी नहीं ली गई और जो अधिकारी इस तरह के अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी थे सेवा निवृत्त हो गये हैं।

इसके अलावा समिति के साथ दोषपूर्ण अनुबंध की खामियों का निवारण कोल इण्डिया लि. के सतर्कता विभाग द्वारा किया जाना था जिसका वर्णन निम्नांकित हैं :

(i) समझौते का समुचित रूप से क्रियान्वयन करने वाले जिम्मेदार सक्षम प्राधिकारी का नाम नहीं है।

(ii) समझौता हस्ताक्षरित करने के पहले ही वाहन समिति के पास सुपुर्द कर दिया गया।

(iii) समझौते पर विधि विभाग की राय नहीं ली गई थी।

कोल इण्डिया सतर्कता विभाग ने इस मुद्दे से डब्ल्यु.सी.एल. के सतर्कता विभाग को अवगत कराया और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, डब्ल्यु.सी.एल. से अनुमोदन प्राप्त होने पर इसके निवारण हेतु डब्ल्यु.सी.एल. के सतर्कता विभाग द्वारा एक परिपत्र दिनांक 23.06.2009 को जारी किया गया। इस परिपत्र में यह सलाह दी गई है कि भविष्य में कोई भी समझौता करने के पहले निम्नलिखित 2 (दो) बिन्दु सुनिश्चित कर लिये जाएँ :

1. समझौते में समझौता क्रियान्वित करने वाले अधिकारी का नाम अवश्य रहे,
2. समझौता विधि विभाग द्वारा विधि सम्मत हो।

ख. लिंगराज खुली खदान परियोजना एवं बेलपहार खुली खदान परियोजना में काम कर रहे ठेकेदारों की अनुबंधित मात्रा को हटाकर अनंत खुली खदान परियोजना और समलेश्वरी खुली खदान परियोजना में लगाया जाना

दिनांक 15.09.2005 को भुवनेश्वर में महानदी निदेशक मण्डल की 77वीं बैठक में यह साबित हो गया कि लखनपुर क्षेत्र की बेलपहाड़ खुली खदान में सरफेस माइनर को तैनात कर 09 लाख क्यूबिक मीटर उत्पादन किया जाना था जिसे विद्यमान एन.आई.टी. सं. - 333 दिनांक 01.07.2005 के नियम एवं शर्तों के अधीन एम.सी.एल. के इब वैली क्षेत्र की समलेश्वरी खुली खदान परियोजना में स्थानान्तरित कर दिया गया। निदेशक मण्डल की उसी बैठक में यह भी पुष्टि की गई कि विद्यमान एन.आई.टी. - 329 दिनांक 13.07.2005 के नियम एवं शर्तों के अनुसार 9 लाख क्यूबिक मीटर मात्रा के बराबर ही एम.सी.एल. लिंगराज क्षेत्र की लिंगराज खुली खदान परियोजना से जगन्नाथ क्षेत्र की अनंत खुली खदान परियोजना में सरफेस माइनर को तैनात कर निकाला जा सकता है। एक प्रश्न के उत्तर में निदेशक (वित्त), कोल इण्डिया लिमिटेड और संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार कोयला मंत्रालय जो एम.सी.एल. के निदेशक मण्डल के सदस्य थे, द्वारा प्रश्न उठाया गया कि एक खुली खदान में कार्यरत सरफेस मजदूर को उतनी मात्रा हेतु दूसरी खुली खदान परियोजना में, उन परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट के प्रावधानों के अनुसार लगाने हेतु इस तरह से स्थानान्तरण की वैधता क्या है। इस मामले पर कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इनकी अनुषंगियों, कोयला मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बीच दिनांक 19.07.2007 को आई.आई.सी.एम., राँची में आयोजित इंटरएक्टिव सत्र में चर्चा की गई थी।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का दृष्टिकोण निम्नांकित था :

''केन्द्रीय सतर्कता आयोग का विचार था कि यदि एक परियोजना/क्षेत्र से सरफेस माइनर को दूसरी परियोजना/क्षेत्र में स्थानान्तरण करने संबंधी नियम एवं शर्तें एन.आई.टी. में सम्मिलित है तो सतर्कता की दृष्टिकोण से इसे क्रियान्वित करने में कोई आपत्ति नहीं है। तथापि, इस तरह के उपकरणों के स्थानान्तरण के कारण/परिस्थिति की व्याख्या अंकित की जानी चाहिए और उसका समुचित कागजात होना चाहिए।

अध्यक्ष, कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता को सम्बोधित अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या - 13034/10/2005-सतर्कता दिनांक 16.11.2007 में सचिव, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय ने इच्छा व्यक्त की थी कि इस मामले पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश के अनुरूप उचित नीतिगत दिशानिर्देश के लिए सी.आई.एल. बोर्ड में भी विचार किया जाय ताकि सी.आई.एल. की अनुषंगी कम्पनियों में भी इसका अनुपालन किया जा सके।

अध्यक्ष, कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा इस मामले को कोल इण्डिया सतर्कता विभाग को भेजा गया। सी.आई.एल. सतर्कता विभाग द्वारा मामले के सभी पहलुओं का अध्ययन किया गया और उन्होंने यह पाया/आशंका व्यक्त की कि यदि इस परिमाण में अंधाधुंध स्थानान्तरण किया जाता है तो किसी व्यक्ति को लाभ पहुँचाने हेतु एन.आई.टी. के इस प्रावधान का दुरूपयोग संभव हो सकता है। सी.आई.एल. सतर्कता विभाग ने इस मामले पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव दिया जो यह तय करे कि किस परिमाण तक इसे स्थानान्तरित किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में किस अवधि के लिए इतनी मात्रा में ऐसा स्थानान्तरण किया जा सकता है। तदनुसार मुख्य महाप्रबंधक/अध्यक्ष के तकनीकी सचिव, कोल इण्डिया लिमिटेड के कार्यालय आदेश संख्या - सी.एच.टी.एस. :36(ए) :194 दिनांक 12.06.2008 द्वारा वांछित दिशानिर्देश तैयार करने हेतु निम्नांकित अधिकारियों की एक समिति गठित की गई :

1. निदेशक (तकनीकी), एम.सी.एल., सम्बलपुर
2. मुख्य सतर्कता पदाधिकारी, एम.सी.एल., सम्बलपुर
3. मुख्य महाप्रबंधक (सी.पी.), कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता - समिति के संयोजक
4. महाप्रबंधक (वित्त), कोल इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता।

पक्षपात की किसी संभावना को दूर करने के लिए प्रणाली में सुधार के उपाय हेतु उपरोक्त कार्रवाइयाँ की गई हैं।

ग. एच.ई.एम.एम. में विशिष्ट डीजल खपत के मानदण्ड में संशोधन

एच.ई.एम.एम. में विशिष्ट डीजल खपत के मानदण्ड जिसे कोल इण्डिया लिमिटेड की सभी अनुषंगी कम्पनियों में एक दिशानिर्देश माना जाता है, 1987 में ''कपिला समिति'' द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित है। इसके बाद विभिन्न प्रकार की हैवी अर्थ मूविंग मशीनें यथा - 120 Te और 170 Te डम्पर, डीजल हाइड्रोलिक शॉवेल (10 क्यू.मी. बकेट से अधिक) इत्यादि लगायी गयी हैं। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी विकास के फरस्वरूप ''कपिला समिति'' के अध्ययन के दौरान प्रचलित मॉडल की तकनीकी सुविधाओं में काफी बदलाव आया है।

कोल इण्डिया लि. के सतर्कता विभाग ने इस मामले का अध्ययन किया और पाया कि ''कपिला समिति'' द्वारा निर्धारित किये गये मानक में विभिन्न प्रकार की उच्च क्षमता वाली मशीनें, जो उस समय प्रयुक्त नहीं थी, को छोड़ दिया गया था। इसके अलावा, अन्य मशीनों के लिए निर्धारित मानदण्ड भी बेहतर संशोधित डिजाइन के अनुरूप नहीं हैं।

कोल इण्डिया लि. का सतर्कता विभाग यह भी महसूस करता है कि विद्युत नियंत्रित ईंधन बचत इंजन, विद्युत संचालित मोटर वाले डम्पर आदि की शुरूआत करके डीजल खपत में कमी की जाय। दिनांक 31.03.2008 को अध्यक्ष, कोल इण्डिया लिमिटेड को एक मामले की जाँच हेतु समिति के गठन संबंधी प्रस्ताव को भेजा गया था। दिनांक 03.05.2008 को सम्पन्न अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों की 19वीं बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया **और विशिष्ट डीजल खपत के मानदंडों की समीक्षा किया जाना उचित महसूस किया गया। बैठक में यह जानकारी दी गई कि सी.एम.पी.डी.आई.एल. कुछ खुली खदानों में विशिष्ट डीजल खपत संबंधी ऊर्जा लेखा परीक्षा और बेंच मार्किंग का कार्य अपने हाथ में ले चुका है।** यह भी निर्णय लिया गया कि प्रारंभ में विभिन्न अनुषंगी कम्पनियों में कुछ निर्धारित समग्र क्षमता (कोयला + O.B.) की परियोजनाओं में निर्देश-चिन्ह (बेंच मार्किंग) का कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जायेगा। अध्यक्ष, कोल इण्डिया लिमिटेड ने कहा कि जहाँ भी इस तरह निर्देश-चिन्ह पहले से चालू हैं उससे मासिक आधार पर वास्तविक डीजल की खपत की तुलना की जाय और इसे अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों की बैठक में नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाय।

घ. आयु मूल्यांकन के संबंध में नियमों में संशोधन

श्रीमती तेरासाइ बाई, जिसके पति स्व. हेतराम, ड्रेसर, मलगा कोलियरी, एस.ई.सी.एल. अचानक दिनांक 29.12.2003 को मर गये थे, को अनुकंपा आधार पर नौकरी दिये जाने संबंधी मामले की जाँच की गई। चूँकि नियुक्त किया गया उम्मीदवार न तो मैट्रिक पास है/नॉन-मैट्रिकुलेट परंतु शिक्षित है/और न ही पूर्व-सैनिक है, इस मामले को चिकित्सीय फिटनेस और उसकी आयु निर्धारण हेतु क्षेत्र के चिकित्सा पदाधिकारी के पास भेज दिया गया। निर्धारित फार्म - ''ओ'' में तदनुसार उसे नौकरी के योग्य पाया गया। नियोजन संबंधी प्रस्ताव कोलियरी स्तर से बढ़ाया गया। बाद में, यह मालूम हुआ कि श्रीमती तेरासाइ बाई की उम्र दिनांक 28.08.1987 को उनके स्व. पति की सेवा पुस्तिका में प्रारंभ में 28 वर्ष अंकित था जिसे बाद में छेड़छाड़ कर 20 वर्ष दिखलाने की कोशिश की गई। श्रीमती तेरासाइ बाई की उम्र में छेड़छाड़ किये जाने की बात उनके स्व. पति द्वारा जमा किये गये एल.टी.सी. फार्म में भी पायी गयी। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाये गये जुर्माना के खिलाफ दोषी अधिकारी द्वारा की गई अपील की जाँच कोल इण्डिया लि. सतर्कता विभाग द्वारा की गई है।

भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए नियमों में परिवर्तन हेतु कार्रवाई के लिए अध्यक्ष, कोल इण्डिया लिमिटेड का अनुमोदन भेज दिया गया है जिसमें मृत व्यक्तियों की ''सेवा पुस्तिका''/''एल.टी.सी. ऑप्सन फार्म'' में दर्ज आश्रितों की आयु (जो न तो मैट्रिक पास हैं/और न ही पूर्व सैनिक हैं) की जाँच अनिवार्य कर दिया गया है और कोलियरी चिकित्सा अधिकारी के पास आश्रितों, जिन्होंने अनुकंपा आधार पर नियोजन का चयन किया है, की आयु का मूल्यांकन करने के लिए फार्म ''ओ'' भेजने के पूर्व जाँच कर लेना चाहिए। इस संबंध में पत्र संख्या - सी.आई.एल./भिज/भी.डी.-51/(सी.एच.)/594 दिनांक 06.08.2008 जो निदेशक (कार्मिक एवं औ. सं.) को सम्बोधित है, अनुपालन हेतु भेज दिया गया है।

च. *बिल से अधिक मात्रा में पावर हाउस को कोयले की आपूर्त्ति*

सी.सी.एल. की विभागीय जाँच में जाँच प्राधिकारी ने यह पाया कि विद्युत घर को आपूर्त्ति किये गये कोयले हेतु बनाये गये बिल की मात्रा और चालान की मात्रा में काफी अधिक भिन्नता है। विद्युत घर को आपूर्त्ति किये गये कोयले की मात्रा बिल की तुलना में काफी अधिक थी। इस संबंध में सी.सी.एल. सतर्कता विभाग को सलाह दी गई है कि इसकी गहन और विस्तृत जाँच करवायी जाय और अधिक मात्रा में कोयला आपूर्त्ति करने में शामिल लोगों को उत्तरदायी ठहराया जाय।

पत्र संख्या - सी.आई.एल./भिज./सी.सी.एल./भी.डी.-54(सी.एच.)/ए.के./1284 दिनांक 27.01.2009 द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सी.सी.एल. से अनुरोध किया गया कि सी.सी.एल. की सभी ऐसी इकाइयों, जहाँ से विद्युत गृह को कोयले की आपूर्त्ति की जाती है, में वास्तविक स्थिति का पता लगाने/मूल्यांकन करने हेतु की सामयिक अंतराल पर औचक निरीक्षण किया जाय और एक सटीक प्रणाली बनायी जाये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में विद्युत गृह को कोई अधिक कोयले की आपूर्त्ति नहीं कर सके।

सभी अनुषंगी कम्पनियों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपनी-अपनी कंपनी में विद्युत गृह को बिल की मात्रा के ही अनुसार ही कोयले की आपूर्त्ति हेतु एक उपयुक्त दिशा-निर्देश, यदि नहीं है, बनायें और इस दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने सतर्कता स्थापना द्वारा सामयिक औचक निरीक्षण करवाया जाय।

छ. *लक्षित मात्रा में कोयले का परिवहन नहीं होने पर संबंधित ठेकेदार के लिए दण्ड का प्रावधान*

सी.सी.एल. की विभागीय जाँच के एक मामले में यह देखा गया है कि परियोजना के प्राधिकारी लक्षित मात्रा में कोयले की ढुलाई नहीं करने पर भी परिवहन ठेकेदार के विरूद्ध जुर्माना लगाने में विफल रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को मौद्रिक हानि होती है और कंपनी के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में भी कमी आ जाती है। हालांकि समझौता परिवहन ठीकेदार और सी.सी.एल. द्वारा प्राधिकृत किये गये प्रतिनिधि के बीच होता है जिसमें परिवहन ठीकेदार की ओर से लक्षित मात्रा में कोयले के परिवहन नहीं करने पर ठीकेदार की बिल/प्रतिभूति जमा से जुर्माने की कटौती की परिकल्पना रहती है, फिर भी इसका समुचित रूप से क्रियान्वयन नहीं किया गया।

भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सी.सी.एल. को मुख्य सतर्कता पदाधिकारी, कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा पत्र संख्या - सी.आई.एल./भिज./सी.सी.एल./भी.डी.-263(सी.एच.)/बी.के.डी./1414 दिनांक 10.03.2009 को लिखा गया जिसकी प्रति अध्यक्ष, कोल इण्डिया लिमिटेड और मुख्य सतर्कता पदाधिकारी, सी.सी.एल. को भी दी गई जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि यदि ठेकेदार अनुबंध में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने असफल रहता है तो जुर्माना भरने के नियम का कड़ाई से पालन करने हेतु एक उपयुक्त, सटीक दिशानिर्देश बनाया जाय।

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सी.सी.एल. को सलाह दी गई है कि वह सतर्कता विभाग को यह हिदायत दे कि सी.सी.एल. के स्वीकृत मानदण्ड इस तरह के सभी उच्च मूल्य के अनुबंध की आवधिक निगरानी करें विशेष रूप से पहचान करने और जुर्माना के क्लॉज, यदि कोई है, को लागू करने के संदर्भ में और इसके लिए दोषी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की जाय।

ज. *वाहनों को किराए पर लेना*

वाहनों को किराए पर लेने से संबंधित मामले में अध्यक्ष, कोल इण्डिया लिमिटेड को सुझाव दिया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार के वाहनों को किराए पर लेने संबंधी मौजूदा नियम को यहाँ भी अपनाया जाय।

31. कर्मचारियों का विवरण

1975 में यथा संशोधित कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) कानून के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत वर्ष 2008-09 में किसी भी कर्मचारी को निर्धारित सीमा से अधिक मानदेय का भुगतान नहीं हुआ।

32. निदेशक मण्डल

श्री पार्थ एस. भट्टाचार्या दिनांक 01.10.2006 अध्यक्ष नियुक्त हैं वे प्रतिवेदनाधीन अवधि में पद पर बने रहे। श्री के. रंगनाथ, निदेशक (विप्पणन), कोल इण्डिया लि. दिनांक 22.05.2008 तक बने रहे। श्री एस. भट्टाचार्या, निदेशक (वित्त), श्री एन.सी. झा, निदेशक (तकनीकी) और श्री रा. मोहन दास, निदेशक (कार्मिक एवं औ.सं.) के रूप में पूरे वर्ष बोर्ड में रहे। डा. ए. के. सरकार, निदेशक (विप्पणन) दिनांक 17.03.2009 से बोर्ड में सम्मिलित किये गये।

श्री एस. पी. सेठ, अपर सचिव, कोयला मंत्रालय वर्ष के दौरान अंशकालिक निदेशक के रूप में दिनांक 23.12.2008 तक बने रहे। डा. राजीव शर्मा, अपर सचिव, कोयला मंत्रालय को अंशकालिक निदेशक के रूप मैं दिनांक 23.12.2008 से बोर्ड में सम्मिलित किया गया। श्री संजीव मित्तल, संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार (यातायात परिवहन), रेलवे बोर्ड, श्री डी. सी. गर्ग, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, डब्ल्यु.सी.एल. एवं श्री ए. के. सिंह, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सी.एम.पी.डी.आई.एल. दिनांक 20.08.2008 तक बोर्ड में रहे।

श्री पी. के. बनर्जी, श्री अरविन्द पाण्डे, श्री एस. मुरारी तथा प्रो. एस. के. बरुआ पूरे वर्ष गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में बोर्ड में बने रहे।

श्री विवेक सहाय, एच.ए.जी./आई.आर.टी.एस., सलाहकार (ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन), रेलवे बोर्ड, श्री डी. सी. गर्ग, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, डब्ल्यु.सी.एल. एवं श्री ए. के. सिंह, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सी.एम.पी.डी.आई.एल. को दिनांक 21.08.2008 से बोर्ड के स्थायी आमंत्रित (इनवाइटी) के रूप में नियुक्त किया गया।

आपके निदेशकगण उन निदेशकगण को उनके कार्यकाल के दौरान दिये गये मूल्यवान मार्गदर्शन एवं सेवाओं के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने वर्ष के दौरान निदेशक गण के रुप में अपनी सेवा पूरी की है।

कंपनी के अन्तर्नियम की धारा 33(डी) (III) के अनुसार अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक तथा अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को छोड़कर सभी निदेशक आगामी वार्षिक बैठक में सेवानिवृत हो जायेंगे तथा वे पुन: नियुक्त के योग्य होंगे।

वर्ष 2008-2009 के दौरान निदेशक परिषद की 7 (सात) बैठकें सम्पन्न हुई।

33. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अनुसार अनुसूची-एम के भाग-क की अर्थपूर्ण लेखा नीति तथा अनुसूची-एम के भाग-ख पर लेखा टिप्पणी में बनाये गये लेखाओं के साथ पढ़ा जाय, से इस बात की पुष्टि होती है कि :

(i) वार्षिक लेखा को तैयार करने में लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है तथा यह कि उसमें से कोई सामग्री प्रेषित नहीं की गई है।

(ii) ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया गया है तथा निर्णयों एवं आकलनों के माध्यम से समानुरूप लागू किया गया है जिससे वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी की परिस्थितियों का सत्य एवं निष्पक्ष अवलोकन करते हुए कंपनी के उस अवधि के लाभ व हानि को यथोचित तथा विवेकपूर्ण माना जा सके।

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी का पता लगाने एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए उचित और यथेष्ठ सावधानियाँ अपनाई गई है; और

(iv) प्रचलित आधार पर वार्षिक लेखाओं को तैयार किया गया है।

34. अनुषंगियों का लेखा

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसार जरुरतों के अनुपालन में अनुषंगी कंपनियों को वर्ष 2007-2008 की लेखा की प्रतिलिपि के साथ वार्षिक प्रतिवेदन तथा कंपनी का लेखा खण्ड -II के रुप में संलग्न है।

35. बी.आई.एफ.आर. तथा बी.आर.पी.एस.ई. की स्थिति

35.1 ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)

दिनांक 31 मार्च 1997 को कम्पनी का संचित घाटा बढ़कर 251.20 करोड़ रुपये हो गया। बी.आई.एफ.आर. की रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम (एस. आई. सी. ए.) की धारा 15(1) की शर्त्त के अनुसार अक्टूबर 1997 के दौरान कम्पनी को बी.आई.एफ.आर. में भेज दिया गया। बी.आई.एफ.आर. ने ई.सी.एल. के मामले को केस सं. - 501/98 द्वारा दर्ज किया। दिनांक 31.03.1998 को कोल इण्डिया लि. द्वारा वित्तीय पुनर्संरचना के कारण 423.96 करोड़ रु. के असुरक्षित ऋण को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया, जिसके कारण उस तिथि को कुल धन 423.96 करोड़ रु. धनात्मक हो गया

और कम्पनी बी.आई.एफ.आर. से बाहर निकल गयी। चूँकि साल-दर-साल कंपनी घाटे में चलती रही, दिनांक 31.3.1999 को कम्पनी का कुल धन पुन: 10.90 करोड़ रु. का ऋणात्मक हो गया तथा नवम्बर 1999 के दौरान इसे पुन: बी.आई.एफ.आर. में भेज दिया गया। कंपनी को प्रकरण सं. 501/22000 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) ने आदेश सं.-501/2000 दिनांक 23 फरवरी 2001 द्वारा रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम (एस.आई.सी.ए.) 1985 की धारा 3 (1) (0) के अधीन कंपनी को रुग्ण कंपनी घोषित किया और रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम की धारा 17 (3) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक को रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के अधीन पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए नियुक्त किया। पणधारकों के साथ दीर्घकालीन विमर्श के पश्चात् ईसीएल की संशोधित ड्राफ्ट पुनर्वास योजना 31 जनवरी, 2004 तैयार की गई थी। इस पर दिनांक 3 मार्च, 2004 को आयोजित संयुक्त बैठक में चर्चा की गयी। संयुक्त बैठक में सभी पणधारियों ने योजना को समर्थन दिया। संयुक्त बैठक में हुई चर्चा के अनुसार संचालन एजेंसी ने ईसीएल की एक पूर्णतया: टाइड अप वाली ड्राफ्ट पुनर्वास योजना (मार्च-2004) तैयार की तथा उसे बीआईएफआर के पास विचारार्थ प्रस्तुत किया। योजना के अनुसार कंपनी का शुद्ध मूल्य 2008-09 तक धनात्मक हो जाने की कटु आलोचना की गई। बीईएफआर की सुनवाई दिनांक 21 सितम्बर, 2004 को सम्पन्न हुई। बीआईएफआर ने रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम की धारा 18(4) के साथ पठनीय धारा 19(3) के अंतर्गत इसके कार्यान्वयन के लिए ईसीएल की पुनर्वास योजना (मार्च-2004) को दिनांक 2 नवम्बर, 2004 को स्वीकृत किया। लेखा महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा इस योजना की जाँच की गई। उन्होंने कंपनी के पुनरूद्धार के लिए योजना की अनुशंसा भी की है।

दिनांक 16.6.04 से कोयले का मूल्य बढ़ा था। राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता VII, 1 जुलाई से पांच वर्षों की अवधि के लिए संचालित श्रम संघों, कोल इण्डिया लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों के बीच 15 जुलाई, 2005 को हस्ताक्षरित हुआ। बढ़े हुए विक्रय मूल्य के साथ ही साथ एनसीडब्लूए-VII (मूल वेतन के 15% की दर से अंतरिम राहत को छोड़कर) के प्रभाव को बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनर्वास योजना के वित्तीय प्रक्षेपण में नहीं माना गया। एनसीडब्ल्यूसी VII के कार्यान्वयन, साथ ही साथ लाभ विक्रय मूल्य में बढ़ोत्तरी तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हो रहे विलंब के कारण योजना बीआरपीएसई की सलाह के अनुसार संसोधित की गई थी। संशोधित योजना के अनुसार कम्पनी का शुद्ध मूल्य 2009-10 तक धनात्मक हो जाने की आशा व्यक्त की गई है। संशोधित योजना, नवगठित लोक उद्यम पुर्ननिर्माण बोर्ड (बीआरपीएसएफ) में दिनांक 29 अगस्त, 2005 को स्वीकार कर ली गई। भौतिक तथा वित्तीय मानदण्डों को ईसीएल पूरा करेगा, इस शर्त पर उन्होंने योजना की अनुशंसा की। बीआरपीएसई की अनुशंसा दिनांक 13 जनवरी, 2006 को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवीय समिति में भी स्वीकार कर ली गई। उन्होंने भी कम्पनी के पुनरुद्धार की योजना की अनुशंसा की। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 5 अक्टूबर, 2006 को ईसीएल की बीआईपीएसई अनुशंषित पुनरुद्धार योजना को अनुमोदित कर दिया है।

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात कम्पनी ने अक्टूबर 2006 के दौरान संशोधित पुनर्वास योजना मॉनीटरिंग एजेन्सी तथा बीआईएफआर को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया कि संशोधित पुनरूद्धार योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन प्रदान करें। बीईएफआर ने 12.6.2007 को ईसीएल के मामलों की समीक्षा की। बीआईएफआर ने कंपनी को सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धार योजना को मॉनीटरिंग एजेंसी को प्रस्तुत करने के साथ ही 60 दिनों के अन्दर इसकी एक प्रति उन्हें भी भेजने का सुझाव दिया था। कंपनी ने बीआईएफआर को एक प्रति देने के साथ दिनांक 7 अगस्त, 2007 को इसे मॉनीटरिंग एजेंसी को प्रस्तुत कर दिया है। बीआईएफआर इस योजना पर अपनी स्वीकृति देगी।

35.2 भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)

(क) बीआईएफआर की स्थिति :

वर्ष 1994-95 की लेखा समाप्ति के बाद कुल धन ऋणात्मक हो जाने के कारण बी.सी.सी.एल. पंजीकरण संख्या-504/95 दिनांक 18.12.1995 द्वारा रुग्ण कंपनी के रूप में पंजीकृत हुई। दिनांक 15.02.1996 को हुई प्रथम सुनवाई में बी.आई.एफ.आर. ने श्री एस. कृष्णामूर्ति को दिनांक 26.05.2003 तक के लिए बी.सी.सी.एल. बोर्ड के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

दिनांक 22.12.1997 को हुई चौथी सुनवाई में कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा 996 करोड़ रु. के ऋण को इक्विटी में परिवर्तन के कारण कम्पनी का कुल धन धनात्मक हो जाने पर बी.सी.सी.एल. बी.आई.एफ.आर. से बाहर निकल आया। कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा ऋण को इक्विटी में परिवर्तन के पूर्व बी.सी.सी.एल. की भुगतानित शेयर पूँजी 1122 करोड़ रु. थी जो परिवर्तन के पश्चात् बी.सी.सी.एल. की शेयर पूँजी 2118 करोड़ रु. हो गयी। तथापि एस.आई.सी.ए. की धारा 23 के

तहत बी.सी.सी.एल. बी.आई.एफ.आर. के नियंत्रण में रही। वर्ष 1997 से बीसीसीएल समय-समय पर नियमित रूप से अपनी वार्षिक रिपोर्ट भेज रही है।

वर्ष 1999-2000 की लेखा समाप्ति के पश्चात् कम्पनी का कुल धन ऋणात्मक हो गया और पंजीकरण संख्या 502/2001 दिनांक 04.05.2001 के तहत बी.सी.सी.एल. रुग्ण कम्पनी के रूप में बी.आई.एफ.आर. में एक बार पुन: पंजीकृत हुआ। 3.4.2002 को आहूत पहली सुनवाई में बीआईएफआर ने टाइम बार्ड और नान-मेंटेनेबुल संदर्भ को समाप्त कर दिया। रूग्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1985 की धारा-25 के तहत बीसीसीएल ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए एएआईएफआर के समक्ष अपील (सं. 92/2002 दिनांक 7.5.2002) दायर किया।

दिनांक 14.11.2002 को संपन्न एएआईएफआर की सुनवाई पर, सभी तथ्यों तथा सामग्री एवं समय-समय पर प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात प्रकरण पुन: कानून के अनुसार सुनवाई के लिए बीआईएफआर के पास वापस लौटा दिया गया। एएआईएफआर के उपरोक्त निर्देश के पश्चात्, बीआईएफआर ने सुनवाई की सूचना जारी की जो कि दिनांक 11.2.2004 को सम्पन्न हुई। इस कथित सुनवाई में, बीआईएफआर ने बीसीसीएल को सम्पत्तियों का मूल्याँकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिसे शासन द्वारा अनुमोदित मूल्याँकनकर्त्ता के माध्यम से तथा बीसीसीएल के पुनरुद्धार की योजना को कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जाय। कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के अनुक्रम में संशोधित पुनरुद्धार योजना को बीसीसीएल बोर्ड ने 2.4.2004 को संपन्न अपनी 232वीं बोर्ड मीटिंग में अनुमोदित किया है। पुनरूद्धार योजना बीआईएफआर में दिनांक 12.04.2004 को प्रस्तुत की गई। अनुमोदित मूल्याँकनकर्ता मेसर्स डेवकान इन्जीनियर्स एण्ड वैलुअर्स, कोलकाता द्वारा मूल्यांकित बीसीसीएल की सम्पत्तियों की मूल्याँकन रिपोर्ट बीआईएफआर के समक्ष दिनांक 31.05.2004 को प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद बीआईएफआर की कोई सुनवाई नहीं हुई है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्संरचना बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) को प्रस्तुत की गई पुनरुद्धार योजना :

भारत सरकार ने दिनांक 6 दिसम्बर, 2004 को अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक उपक्रम पुनर्संरचना बोर्ड गठित किया है। बीआईएफआर को प्रस्तुत की जाने वाली पुनरुद्धार योजना पुन: परीक्षण के लिए कोयला मंत्रालय के पास भेजी गई। नियंत्रक महालेखाकार (सीजीए), पूँजी पुनर्संरचना सेल, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा तैयार किए गये पुनरुद्धार पैकेज पर, जब बीसीसीएल द्वारा बनाये गये पुनरुद्धार योजना में व्यापक रूप से सहमति जताई, तब अव्यवहार्य खानों को बन्द करने की जरूरत पर बल दिया गया। उप महालेखाकार (पूँजी पुनर्संरचना सेल) के पत्र सं. : सीजीए/सीआरसी/पीएसओ/134/115, दिनांक 24.11.2005 के तहत श्रमशक्ति कम करने तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कहा गया।

कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार बीसीसीएल ने वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दिनांक 12.4.2004 को बीआईएफआर में प्रस्तुत की गई पुनरुद्धार योजना में उपयुक्त संशोधन करते हुए अप्रैल, 2005 में निर्धारित प्रपत्र में बीआरपीएसई के समक्ष अपनी पुनर्वास योजना को प्रस्तुत किया। एनसीडब्ल्यूए-VII के समापन से उत्पन्न वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए तथा उप महालेखाकार के सुझाव को सम्मिलित कर एक संशोधित पुनर्वास योजना को अंतिम रूप दिया एवं प्रस्तुत किया गया।

बीआरपीएसई ने दिनांक 29.08.2005 को आयोजित अपनी 19वीं बैठक में कोयला मंत्रालय/बीसीसीएल को सुझाव दिया कि एक स्वतंत्र सलाहकार द्वारा विधिवत् मूल्यांकित पुनरुद्धार प्रस्ताव पर विचार करने के लिए इसे प्रस्तुत करे। तद्नुसार बीसीसीएल बोर्ड ने 21.01.2006 को आयोजित अपनी 244वीं बैठक में पुनरुद्धार योजना के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र सलाहकार के रूप में मेसर्स केयर परामर्शी को नियुक्त किया। पुनरुद्धार योजना पर मेसर्स केयर (सीआरई)की अंतिम रिपोर्ट बीसीसीएल बोर्ड द्वारा दिनांक 21.04.2006 को आयोजित इसकी 245वीं बैठक में स्वीकार कर ली गई। पुनरुद्धार योजना की रिपोर्ट की एक प्रति अगली कार्यवाई हेतु सचिव (कोयला), कोयला मंत्रालय तथा अध्यक्ष, कोल इण्डिया लिमिटेड के पास भेज दी गई है।

जैसा कि बीआरपीएसई ने अपने पत्रांक बीआरपीएसई/3(33) 2005 दिनांक 21.5.2007 में चाहा है, बीआरपीएसई के विचारार्थ प्रत्येक के निम्नलिखित कागजात 18 प्रतियों में प्रस्तुत किये गये थे :

(i) बीसीसीएल का नवीनतम पुनरुद्धार प्रस्ताव (आंकड़े 2006-07 तक)।

(ii) बीसीसीएल की पुनरुद्धार रिपोर्ट के मूल्य निर्धारण पर मे. केयर परामर्शी की अंतिम रिपोर्ट।

(iii) बीसीसीएल के पुनरुद्धार प्रस्ताव पर संक्षिप्त टिप्पणी।

(iv) बीसीसीएल की वर्ष 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट।

(v) बीसीसीएल का वर्ष 2006-07 का अनुसूचियों सहित अस्थाई लेखा।

जब भी कंपनी के वर्ष 2006-07 के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया, तो यह देखा गया था कि प्राप्त किये गये भौतिक मापदण्ड प्राय: मेसर्स केयर परामर्शी की रिपोर्ट के अनुसार ही है। यद्यपि, वित्तीय मापदण्ड विभिन्न दलीलों के कारण प्राप्त नहीं किये जा सके। मध्यस्थता अवधि के दौरान कंपनी के संचालन में होने वाले विभिन्न कारणों के संबंध में परिवर्तन देखने को मिला।

निदेशक बीआरपीएसई के पत्र दिनांक 21.05.2007 में यथा वाँछित बीसीसीएल का पुनरुद्धार/पुनर्संरचना प्रस्ताव वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में उपलब्ध नवीनतम सूचना/आँकड़े के साथ विधिवत् अपडेटेड कर निदेशक, कोयला मंत्रालय को पत्र सं. - सीएमडी/ईएस/एफ-2 (बी-07-412) दिनांक 25.08.2007 के तहत प्रस्तुत किया गया।

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव द्वारा यथा वाँछित पत्र सं. - 1301/4/2024-सीए- II, दिनांक 20.09.2007 के तहत, बीसीसीएल के पुनरुद्धार प्रस्ताव पर संक्षिप्त नोट सितम्बर,2007 को बीआरपीएसई के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अवर सचिव की सलाह के अनुसार संदर्भ सं. - 1301/4/2004-सीए- II, वाल्युम- II, दिनांक 20.02.2008 के तहत नयी दिल्ली में दिनांक 22.02.2008 को पब्लिक सेक्टर इण्टरप्राईजेज पुनर्संरचना बोर्ड (बीआरपीएसई) की 56वीं बैठक के दौरान बोर्ड के समक्ष बीसीसीएल के पुनरुद्धार प्रस्ताव पर एक पीपीटी प्रस्तुतीकरण की गयी थी।

जैसा कि निदेशक, बीआरपीएसई द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. - बीआरपीएसई/5(2)/2008, दिनांक 27.02.2008 के तहत यह सूचित किया गया है, बीआरपीएसई ने कोयला मंत्रालय के अंतर्गत बीसीसीएल के पुनरुद्धार के लिए अपनी अनुशंसा दी है।

संयुक्त सचिव (कोयला) द्वारा दिनांक 18.09.2008 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बी.सी.सी.एल. एवं ई.सी.एल. के साथ आयोजित पुनरीक्षण बैठक का कार्यवृत्त जो निदेशक, कोयला मंत्रालय द्वारा ओ. एम. नं. - 38039/1/2008-सी.ए.- II(पार्ट-1) दिनांक 03.10.2008 जारी किया गया था में पुष्टि की गई कि बी.सी.सी.एल. के पुनरूद्धार के लिए एक संशोधित पैकेज बी.आर.पी.एस.ई. को विचार हेतु सौंपा गया था जो केअर परामर्शी द्वारा तैयार की गई निष्पादन रिपोर्ट पर आधारित था और इसका अनुमोदन बी.सी.सी.एल. के निदेशक मण्डल द्वारा प्राप्त था। बी.आर.पी.एस.ई. में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसे बी.आई.एफ.आर. के पास वित्तीय सहमति के लिए भेजा गया।

ग. *बी.आई.एफ.आर. की वर्तमान स्थिति*

दिनांक 18.05.2009 को बी.आई.एफ.आर. की अंतिम सुनवाई हुई। इसमें बी.सी.सी.एल. के पुनरूद्धार के लिए संशोधित योजना/प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया। तदनुसार बी.सी.सी.एल. के लिए संशोधित पुनरूद्धार योजना पत्र संख्या-बी.सी.सी.एल./एसआर/ई.एस./सी.एम.डी./एफ-बी.आई.एफ.आर./09/660 दिनांक 04.06.2009 द्वारा बी.आई.एफ.आर. के बेंच अधिकारी- II के पास प्रस्तुत की गई। बी.आई.एफ.आर. द्वारा अभी भी अनुमोदनाधीन है।

36. आभार

आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल के सदस्य सभी स्तर के कर्मचारियों तथा श्रमिक संगठनों के उनके विशिष्ट योगदान के लिए हृदय से आभारी हैं। आपके निदेशकगण भारत के विभिन्न मंत्रालयों और विशेषकर कोयला मंत्रालय तथा राज्य सरकार से कंपनी को प्राप्त सहयोग, समर्थन तथा मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ हैं। आपके निदेशकगण, साँविधिक अंकेक्षक, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंपनी रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल तथा उपभोक्ताओं के प्रति भी उनके सहयोग, उनके मार्गदर्शन के लिए अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तथा उनसे प्राप्त संरक्षण के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं।

34. संलग्नक

निम्नलिखित संलग्न है :

(i) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ एवं समीक्षा।

(ii) दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर साँविधिक अंकेक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों के विषय में दिये गये प्रत्युत्तर।

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 (i) (ई) के अनुसरण में वक्तव्य।

निदेशक मण्डल की ओर से एवं वास्ते

ह/-

(पार्थ एस. भट्टाचार्या)

अध्यक्ष

कोलकाता

दिनांक 27 जुलाई, 2009

नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट

1. कंपनी की धारणा

नैगमिक अभिशासन मूल्यों, नैतिक कार्य आचरण, पारदर्शिता, कानून के अनुसार प्रकटीकरण, नियमों और दिशा निर्देश को अधिकतम सीमा तक सुनिश्चित करता है। कोल इण्डिया लिमिटेड विभिन्न स्तरों पर नैगमिक अभिशासन प्रथा का अनुपालन करने तथा इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है।

2. निदेशक मण्डल

31 मार्च 2009 को निदेशक मण्डल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 कार्यपालक निदेशक और 6 गैर-कार्यपालक निदेशक (2 सरकार के नामिती और 4 गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक) शामिल हैं। वर्ष के दौरान बोर्ड की 07 बैठकें 29.04.2008, 10.06.2008, 11.07.2008, 08.09.2008, 13.11.2008, 11.12.2008 और 06.02.2009 को संपन्न हुई।

वर्ष 2008-09 के दौरान निदेशकगण और बोर्ड की बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	निदेशक पद की श्रेणी	2008-09 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या	विगत एजीएम में उपस्थिति	31.03.2009 को अन्य निदेशक पद की संख्या
1.	श्री पार्थ एस. भट्टाचार्या	अध्यक्ष	07	हाँ (प्राक्सी के द्वारा)	शून्य
2.	श्री के रंगनाथ	निदेशक (विपणन)	01	नहीं	शून्य
3.	श्री एस. भट्टाचार्या	निदेशक (वित्त)	07	हाँ	02
4.	श्री एन. सी. झा	निदेशक (तकनीकी)	06	नहीं	02
5.	श्री आर. मोहन दास	निदेशक (का. एवं औ.सं.)	07	नहीं	02
6.	डा. ए. के. सरकार	निदेशक (विप्पणन)	—	नहीं	शून्य
7.	डा. एस. पी. सेठ	गैर कार्यपालक निदेशक	03	हाँ (प्राक्सी के द्वारा)	शून्य
8.	डा. राजीव शर्मा	गैर कार्यपालक निदेशक	—	नहीं	03
9.	श्री संजीव मित्तल	गैर कार्यपालक निदेशक	07	हाँ (प्राक्सी के द्वारा)	08
10.	श्री पी. के. बनर्जी	गैर कार्यपालक निदेशक	07	नहीं	01
11.	श्री अरविन्द पाण्डे	गैर कार्यपालक निदेशक	05	नहीं	06
12.	श्री एस. मुरारी	गैर कार्यपालक निदेशक	03	नहीं	01
13.	प्रो. एस. के. बरुआ	गैर कार्यपालक निदेशक	03	नहीं	04

3. ऑडिट समिति

(क) ऑडिट समिति का क्षेत्र :

ऑडिट समिति के क्षेत्र निम्नानुसार हैं :—

(1) कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन क्रम का ध्यान रखना और यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय सूचनाओं का प्रकटीकरण और वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।

(2) ऑडिट शुल्क के निर्धारण हेतु बोर्ड को संस्तुति।

(3) सांविधिक ऑडिटर्स को उनके द्वारा की गई किसी अन्य सेवा हेतु भुगतान के लिए अनुशंसा करना।

(4) वार्षिक वित्तीय विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित के संबंध में प्रबंधन के साथ समीक्षा करना :

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खण्ड (2एए) के अनुसार निदेशकों की जिम्मेदारी विवरण में शामिल किये जाने हेतु अपेक्षित मामलों को शामिल करना;

(ख) लेखा नीतियाँ और प्रथा में कारणों सहित परिवर्तन यदि कोई हो;

(ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय पर आधारित आकलन करते हुए प्रमुख लेखा गणना;

(घ) अंकेक्षण के निष्कर्ष से प्राप्त वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण समायोजन;

(च) वित्तीय विवरण से संबंधित विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन;

(छ) किसी संबंधित पार्टी के सम्पादन का प्रकटीकरण; और

(ज) ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में योग्यता।

(5) बोर्ड की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

(6) आंतरिक अंकेक्षकों के निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

(7) आंतरिक ऑडिट विभाग की संरचना, स्टाकिंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरीयता, प्रतिवेदित संरचना का विस्तार और आंतरिक ऑडिट की आवृत्ति सहित यदि कोई हो तो आंतरिक ऑडिट कार्य की समीक्षा करना।

(8) किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक ऑडिटर और/या ऑडिटर्स के साथ वार्ता और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

(9) किसी संदेहास्पद वंचना या अनियमितता या सामग्री प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के असफल होने के मामलों में आंतरिक ऑडिटर/ऑडिटरों/एजेंसियों के किसी आंतरिक अन्वेषण के सारांश की समीक्षा तथा ऐसे मामलों को बोर्ड के साथ प्रस्तुत करना।

(10) ऑडिट कराने के पूर्व सांविधिक ऑडिटरों के साथ ऑडिट की प्रकृति और क्षेत्र के साथ-साथ किसी क्षेत्र पर ध्यान दिए जाने हेतु ऑडिट के बाद वार्ता करना।

(11) जमाकर्ताओं, ऋण पत्र धारकों, अंशधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न होने की दशा में) और ऋणियों से भुगतान में महत्वपूर्ण चूक होने के कारणों पर विचार करना।

(12) व्हिसिल ब्लोअर मेकनिज्म के कार्यों की समीक्षा करना।

(13) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

(14) सार्वजनिक उपक्रम की संसदीय समिति (सीओपीयू) की अनुशंसा पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

(15) स्वतंत्र ऑडिटरों, आंतरिक ऑडिटरों और निदेशक मंडल के बीच खुले संवाद का अवसर प्रदान करना।

(16) कंपनी के सभी संबद्ध पार्टियों के सम्पादनों की पूर्व स्वीकृति तथा समीक्षा करना। इस प्रयोजन हेतु ऑडिट समिति एक सदस्य को पदनामित करें जो सम्बन्धित पार्टी सम्पादन की पूर्व स्वीकृति हेतु जिम्मेदार होगा।

(17) स्वतंत्र ऑडिटरों के साथ समीक्षा करना, कार्य पूरा करने को सुनिश्चित करना, अनावश्यक प्रयासों में कमी लाना और सभी ऑडिट संसाधनों के प्रभावी उपयोग का समन्वय करना।

(18) स्वतंत्र ऑडिटरों और प्रबंधन के साथ विचार विमर्श करना और निम्नलिखित की समीक्षा करना :

कम्प्युटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और स्वतंत्र ऑडिटर तथा आंतरिक ऑडिटर की अनुशंसा के साथ प्रबंधन का जवाब एवं संबंधित निष्कर्ष।

(19) प्रबंधन, आंतरिक ऑडिटर तथा स्वतंत्र ऑडिटर के साथ निम्नलिखित की समीक्षा और विचार विमर्श करना :

विगत ऑडिट की अनुशंसा की अवस्थिति सहित वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष।

कार्य क्षेत्र पर कोई रोक या अपेक्षित सूचना पाने में ऑडिट कार्य के दौरान किसी कठिनाई का सामना करना।

(2) अनुषंगी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।

(ख) संरचना :

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान ऑडिट समिति की 6 (छः) बैठकें आयोजित की गई। वर्तमान ऑडिट समिति का पुनर्गठन 18.12.2007 को किया गया जिसमें श्री पी. के. बनर्जी अध्यक्ष और अन्य सदस्य सर्वश्री अरविन्द पाण्डे, प्रो. एस. के. बरुआ, प्रो. एस. मुरारी, संजीव मित्तल, के. रंगनाथन और डा. ए. के. सरकार शामिल हुए।

इनकी उपस्थिति निम्नानुसार है :

	निदेशक का नाम	*अवस्थिति*	*बैठक में उपस्थिति*
1.	श्री पी. के बनर्जी	अध्यक्ष	6
2.	श्री संजीव मित्तल	सदस्य	3
3.	श्री अरविन्द पाण्डे	सदस्य	2
4.	श्री एस. मुरारी	सदस्य	5
5.	प्रो. एस. के. बरुआ	सदस्य	3
6.	श्री के. रंगनाथ	सदस्य	1
7.	डा. ए. के. सरकार	सदस्य	—

कंपनी सचिव, ऑडिट समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। आंतरिक ऑडिट विभाग समिति की बैठकें आयोजित करने तथा संचालन करने में आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

4. मूल्यांकन समीक्षा हेतु शक्ति प्रदत्त उप समिति और परियोजनाओं का अनुमोदन :

दिनांक 18.12.2007 को 238वीं बोर्ड मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार मूल्यांकन, समीक्षा तथा परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु एक शक्ति प्रदत्त उप समिति का पुनर्गठन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है :

	निदेशकों के नाम	*अवस्थिति*	*बैठक में उपस्थिति*
1.	अध्यक्ष, सीआईएल	अध्यक्ष	2
2.	निदेशक (वित्त), सीआईएल	सदस्य	2
3.	निदेशक (तकनीकी), सीआईएल	सदस्य	2
4.	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कोयला मंत्रालय	सदस्य	—
5.	श्री अरविन्द पाण्डे	सदस्य	1
6.	श्री एस. मुरारी	सदस्य	2
7.	सीएमडी, सीएमपीडीआईएल	सेथाई आमंत्रित	2
8.	अनुषंगी कंपनियों के सीएमडी जिनकी परियोजनाएँ विचाराधीन हैं	आमंत्रित	1 -

5. साधारण बैठक

तीसरी वार्षिक साधारण बैठक की तारीख, समय और स्थान निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	तारीख	समय	स्थान
2007-08	29.07.2008	पूर्वाह्न 11.30 बजे	कोल भवन, 10, एन.एस. रोड, कोलकाता-1
2006-07	18.09.2007	अपराह्न 3.00 बजे	कोल भवन, 10, एन.एस. रोड, कोलकाता-1
2005-06	13.09.2006	पूर्वाह्न 11.00 बजे	कोल भवन, 10, एन.एस. रोड, कोलकाता-1

6. प्रकटीकरण

आयोजकों, निदेशकों, प्रबंधन या उनसे संबंधित इत्यादि ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे वृहद रूप से कंपनी का कोई हित प्रभावित हुआ हो। वर्ष के दौरान गैर कार्यपालक निदेशकों के पास सिवाय बोर्ड/बोर्ड की उप समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक शुल्क की पावती के अतिरिक्त आर्थिक या कंपनी के कार्य का कोई संबंध नहीं था। किसी भी गैर कार्यपालक निदेशक के पास कंपनी का कोई शेयर नहीं है।

7. कोल इण्डिया लिमिटेड की हिस्सेदारी अभिरचना

कोल इण्डिया लिमिटेड के शेयर का 100% हिस्सा भारत के राष्ट्रपति महोदय के पास है।

8. कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों का विवरण और उनकी अवस्थिति

वर्तमान में कोल इण्डिया लिमिटेड की आठ अनुषंगी कंपनियाँ हैं। (सात कोयला उत्पादक कंपनियाँ और एक सेवा प्रदाता कंपनी)। कंपनी की अनुषंगियाँ निम्नलिखित स्थानों पर अवस्थित हैं :

(1) ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, सैंक्टोरिया, डिशरगढ़, पश्चिम बंगाल।

(2) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद, झारखण्ड।

(3) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, राँची, झारखण्ड।

(4) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर, महाराष्ट्र।

(5) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

(6) नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली, मध्यप्रदेश।

(7) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, सम्बलपुर, उड़ीसा।

(8) सीएमपीडीआईएल, राँची, झारखण्ड।

9. आचार संहिता

कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के साथ-साथ वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू एक आचार संहिता बनाया है तथा उसे कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, अपर सचिव, कोयला मंत्रालय (कोल इण्डिया बोर्ड के सरकारी अंशकालिक निदेशक) और संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, कोयला मंत्रालय (कोल इण्डिया बोर्ड के सरकारी अंशकालिक निदेशक) को छोड़कर कोल इण्डिया लिमिटेड के बोर्ड के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन के कर्मचारीगण ने 31 मार्च, 2009 से आचार संहिता का अनुपालन करने का आश्वासन दिया है।

नैगमिक अभिशासन प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्यगण,
कोल इण्डिया लिमिटेड

भारत सरकार, सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी का.ज्ञा.सं.-18(8)/2005-जीएम, दिनांक 10, अगस्त, 2007 के द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसईस) हेतु नैगमिक अभिशासन पर विनिर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष हेतु कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का हमने परीक्षण किया है।

नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित था। यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर विचार व्यक्त करना है।

हमारे विचार से तथा हमें उपलब्ध कराई गयी सूचनाओं और दिए गये स्पष्टीकरणों के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि दिनांक 10 अगस्त, 2007 के उपर्युक्त का.ज्ञा. में विनिर्धारित नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन (कुछ को छोड़कर जो कार्याधीन है) किया गया है।

आगे हमारा कथन है कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही वह दक्षता या प्रभावपूर्णता है जिससे प्रबंधन ने कंपनी का कार्य सम्पन्न किया है।

कृते **पी.एस. एवं एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव
ह./-
(स्वाती बजाज)
पार्टनर
(सी.पी. सं. : 3502)
एसीएम : 13216

दिनांक 23 जुलाई, 2009
स्थान-कोलकाता

वार्षिक लेखा

(कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगियों का समेकित)

2008–2009

टिप्पणी : समेकित लेखा को भारत के चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''समेकित वित्तीय विवरण'' पर लेखा मानक-21 के उपबन्धों के अनुसार तैयार किया गया है। चूँकि नियंत्रक कम्पनी के लेखा में इसकी अनुषंगी में से एक (लेखा मानक-9 के अनुसार) को ब्याज इत्यादि की मान्यता नहीं है इस प्रकार के समेकन में इसे नकार दिया गया है। समेकित लेखा में दर्शाये गये लाभ को इस प्रकार के विपथन के साथ पढ़ा जाय।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार यहाँ पर दिया गया समेकित लेखा उपयोग कर्ताओं को अतिरिक्त सूचना देता है और यह अनिवार्य नहीं है।

तुलन पत्र (समेकित)

31 मार्च, 2009

(लाख रुपये में)

	अनुसूची		31 मार्च 09		31 मार्च 08
1. निधि का स्रोत					
(ए) अंशधारियों की निधि					
(क) शेयर पूँजी	क		631636.44		631636.44
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	ख		1284870.33		1302600.80
(बी) शिफ्टिंग एवं पुनर्वास निधि	ग		122384.28		94587.79
(सी) ऋण निधि					
(क) सुरक्षित	घ	18046.21		22470.63	
(ख) असुरक्षित	ङ	196801.65		165920.26	
			214847.86		188390.89
(डी) अल्पांश ब्याज			122384.28		94587.79
			2253928.63		**2217215.92**
2. निधि का प्रयोग					
(ए) स्थिर परिसम्पत्तियाँ	च				
(क) सकल ब्लाक		3325612.75		3162479.10	
घटाकर : ह्रास		2179150.97		2077212.46	
घटाकर : क्षति		44296.02		41064.66	
घटाकर : अन्य प्रावधान		41.51		40.41	
			1102124.25		**1044161.57**
(ख) पूँजीगत कार्य प्रगति पर			182229.87		159095.64
(ग) सर्वे ऑफ परिसम्पत्तियाँ			9719.22		8411.67
(बी) निवेश	छ		150517.95		171790.15
(सी) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (नेट) (संदर्भ-नोट 16.9 अनुसूची-एम, पार्ट-बी)			92676.53		78007.54
(डी) वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम					
सामग्री सूची	ज	368288.48		338396.44	
विविध देनदार	झ	182614.47		165705.81	
नकद एवं बैंकों में बचत राशि	ट	2969500.91		2096147.99	
ऋण एवं अग्रिम	ठ	1189185.61		1030428.66	
		4709589.47		3630678.90	
घटाकर : चालू देवतायें एवं प्रावधान	ड	3992931.03		2874929.55	
			716658.44		755749.35
विविध व्यय	छ		2.37		—
			2253928.63		**2217215.92**
अंकेक्षण नीति एवं उस पर की गई टिप्पणियाँ जो लेखा विवरण अंश का भाग है	त				

ह./-
डा. एच. सरकार
मु. म. प्रबंधक (वित्त) तथा कंपनी सचिव

ह./-
ए. कुण्डू
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

ह./-
एस. भट्टाचार्या
निदेशक (वित्त)

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **मित्रा कुण्डू एवं बसु**
अंकेक्षक लेखाकार
ह./-
(एस. दास)
पार्टनर
सदस्य सं. - 051391
23 जुलाई, 2009

दिनांक 23 जुलाई, 2009
स्थान : कोलकाता

31 मार्च, 2009 के समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा (समेकित)

(लाख रुपये में)

	अनुसूची		31.03.09 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.08 को समाप्त वर्ष के लिए
आय :					
विक्रय	1		3878883.04		3263386.00
अन्य उद्देश्य के लिए जारी कोयला	2 (ए)		202198.08		197454.22
स्टाक में अभिवृद्धि (+)/कमी (-)	3		13360.71		24419.52
अन्य आय	4		511964.70		376410.03
कुल			**4606406.53**		**3861669.77**
व्यय :					
कोयले की आंतरिक खपत	2 (बी)		199215.29		195086.06
भण्डार एवं पुर्जों की खपत	5		486130.06		437855.54
कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक एवं लाभ	6		1974208.50		1263515.90
विद्युत एवं ईंधन	7		159505.24		159369.96
सामाजिक दायित्व	8		188512.24		162285.69
मरम्मत	9		78606.06		70969.22
संविदात्मक व्यय	10		333985.44		263325.75
अन्यान्य व्यय	11		192851.85		148734.72
ब्याज	12		15649.67		14993.30
अधिभार निष्कासन समायोजन			217718.56		156403.30
वित्तीय प्रभार/प्रतिबद्धता प्रभार	13		2238.25		1935.59
ह्रास			166292.94		152994.53
हानि			2797.41		3070.22
प्रावधान/बट्टे खाते में	14		17599.72		23200.87
कुल			**4035311.23**		**3053740.65**
वर्ष के लिए लाभ			**571095.30**		**807929.12**
पूर्वावधि समायोजन			2771.79		11112.79
असाधारण मद	15		543.30		54804.15
कर भुगतान से पूर्व लाभ			**574410.39**		**873846.06**
आयकर के लिए प्रावधान			368611.17		361922.93
आस्थगित कर के लिए प्रावधान (बट्टे खाते में)			(10323.36)		(24883.88)
पूर्वावधि हेतु आयकर के लिए प्रावधान			4602.97		7646.09
आयकर के लिए अधिक प्रावधान (पूर्वावधि)			(1418.69)		-3.30
फ्रिंज लाभ कर हेतु			5069.13		4837.01
कर प्रदान के बाद लाभ			**207869.17**		**524327.21**
विगत वर्ष से लाभ (हानि) अग्रसारित		534980.32		477443.83	
जोड़कर : बाण्ड रिडेम्पशन रिजर्व से स्थानांतरित		3.40		0.00	
घटाव: कर्मियों के लाभ के लिए परिवर्त्ती प्रावधान		0.00		(68776.09)	
घटाव : पूर्व में संग्रहित ब्याज का अधित्याग		0.00		(49290.15)	
			534983.72		359377.59
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ/हानि (अग्रदर्शित)			**742852.89**		**883704.80**

जारी.....

लाभ-हानि लेखा (जारी) समेकित

(लाख रुपये में)

	अनुसूची	31.03.09 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.08 को समाप्त वर्ष के लिए
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ/(हानि) (अग्रदर्शित)		742852.89	883704.80
विनियोग			
विदेशी विनिमय मामलों के लिए संरक्षण		698.81	673.89
सामान्य संरक्षण मद में स्थानान्तरण (बाण्ड रिडेम्पशन रिजर्व सहित)		93391.91	88974.37
प्रीफरेंस शेयरों पर प्रस्तावित लाभाँश		—	—
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभाँश अंतरिम लाभाँश		170542.00	170542.00
लाभाँश पर कर		54935.73	88534.22
तुलन पत्र में अग्रेषित अधिशेष		**423284.44**	**534980.32**
मूल एवं मिश्रित अर्जन प्रति शेयर (रुपयों में)		**327.99**	**827.79**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण त

उपर्युक्त संदर्भित अनुसुचियाँ लेखाओं का अन्तर्निहित भाग हैं

ह./-
डा. एच. सरकार
मु. म. प्रबंधक (वित्त) तथा कंपनी सचिव

ह./-
ए. कुण्डू
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

ह./-
एस. भट्टाचार्या
निदेशक (वित्त)

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **मित्रा कुण्डू एवं बसु**
अंकेक्षक लेखाकार
ह./-
(एस. दास)
पार्टनर
सदस्य सं. - 051391
23 जुलाई, 2009

दिनांक 23 जुलाई, 2009
स्थान : कोलकाता

31 मार्च, 2009 के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची (समेकित)

अनुसूची - क

शेयर पूँजी

(लाख रुपये में)

		31 मार्च 09 के अनुसार	31 मार्च 08 के अनुसार
प्राधिकृत :			
(i)	90,41,800 असंचयित 10% रिडीमेबिल प्रिफरेंस शेयर जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 1000 रुपये	90418.00	90418.00
(ii)	8,00,00,000 इक्विटी शेयर जो प्रत्येक 1000 रुपये के थे	800000.00	800000.00
		890418.00	890418.00
निर्गत पूर्वक्रीत एवं प्रदत्त :			
(i)	प्रत्येक 1000/- रुपये का 6,05,94,305 इक्विटी शेयर का पूरा नगद भुगतान किया गया	605943.05	605943.05
(ii)	नकद प्राप्त को छोड़कर दूसरे रूप में पूर्ण प्रदत्त 1000/- रुपये के 25,69,339 इक्विटी शेयर संपूर्ण रूप से भुगतानिक किये गये	25693.39	25693.39
	योग	**631636.44**	**631636.44**

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी) समेकित

अनुसूची – ख

आरक्षित एवं आधिक्य

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 के अनुसार	31 मार्च 08 के अनुसार
आरक्षित:		
पूँजीगत निधि	1517.91	1639.81
पूँजीगत उद्धार्य निधि	180836.00	180836.00
बाण्ड उद्धार्य निधि	0.00	3.40
विदेशी विनिमय के लिए निधि	11868.96	11170.15
सामान्य निधि	667363.02	57397.12
	861585.89	**767620.48**
आधिक्य :		
अधिशेष अग्रसारित	423284.44	534980.32
	423284.44	**534980.32**
योग	**1284870.33**	**1302600.80**

अनुसूची – ग

शिफ्टिंग एवं पुनर्वास निधि

(लाख रुपये में)

		31 मार्च 09 के अनुसार		31 मार्च 08 के अनुसार
अधिशेष	94587.79		68807.75	
जोड़कर : निधि के निवेश से ब्याज (टीडीएस का शुद्ध)	7619.23		6305.24	
जोड़कर : अनुषंगियों से अंशदान	20851.26		19474.80	
		123058.28		94587.79
घटाकर : अनुषंगियों को हस्तांतरित		674.00		
योग		**122384.28**		**94587.79**

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी) समेकित

अनुसूची - घ

सुरक्षित ऋण

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 के अनुसार	31 मार्च 08 के अनुसार
अनुसूचित बैंकों से ऋण		
(क) आस्थगित ऋण	1252.55	1627.47
(ख) आवधिक जमा की तुलना में ओवरड्राफ्ट	16793.66	20843.16
योग	**18046.21**	**22470.63**

अनुसूची - ङ

असुरक्षित ऋण

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 के अनुसार	31 मार्च 08 के अनुसार
आस्थगित ऋण		
एक्सपोर्ट डेवेलपमेंट कारपोरेशन, कनाडा	17028.41	13726.27
लिभेर्र फ्रान्स, एस. ए., फ्रान्स	1110.75	1110.71
आईबीआरडी एवं जेबीआईसी से ऋण	178662.49	151083.28
जोड़	**196801.65**	**165920.26**

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी) समेकित

अनुसूची – च

(लाख रुपये में)

स्थिर परिसंपत्तियाँ

विवरण	लागत				मूल्य ह्रास				क्षति				कुल	शुद्ध अवरुद्ध	
	01.04.08 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	2008-09 के दौरान समा./विक्रय स्थानान्तरण	31.03.09 को कुल	01.04.08 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	2008-09 के दौरान समा./विक्रय स्थानान्तरण	31.03.09 के अनुसार कुल	01.04.08 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	2008-09 के दौरान समा./विक्रय स्थानान्तरण	31.03.09 के अनुसार कुल	ह्रास/ क्षति	31.03.09 के अनुसार	31.03.08 के अनुसार
भूमि :															
(क) पूर्ण स्वामित्व	29413.89	2026.45	115.32	31325.02	10275.56	488.77	62.53	10701.80					10701.80	20623.22	19138.33
(ख) पट्टा	163401.91	24020.05	755.82	186666.14	63611.85	8395.28	119.00	71888.13					71888.13	114778.01	99790.03
भवन/जलापूर्ति तथा पुलिया सड़क/पुलिया	381268.04	5924.69	751.40	386441.33	123217.22	8172.49	134.24	131255.47	176.39	26.21		202.60	131458.07	254983.26	257874.43
प्लांट/मशनरी/स्टोर/सीएचपी	2001020.37	186020.40	71315.32	2115725.45	1473108.26	132679.74	67072.71	1538715.29	7868.13	1024.17		8892.30	1547607.59	568117.86	520043.98
फर्नीचर/फिटिंग/ कार्यालय उपकरण/विद्युत संस्थापन/अग्नि शमन/ औजार एवं उपकरण	72321.17	2265.98	278.17	74308.98	47817.01	2795.97	304.53	50308.45	5.79			5.79	50314.24	23994.74	24498.37
रेलवे साइडिंग	39943.72	763.76	134.22	40573.26	23035.02	1436.83		24471.85					24471.85	16101.41	16908.70
वाहन	24818.03	396.28	647.48	24566.83	21721.54	547.22	(536.61)	21732.15		4.28		4.28	21736.43	2830.40	3096.49
वायुयान	1665.38	329.46		1994.84	1310.13	79.00		1389.13	155.34			155.34	1544.47	450.37	199.91
दूरसंचार	6189.99	133.15	5.10	6318.04	5023.04	227.25	(19.23)	5231.06	0.06			0.06	5231.12	1086.92	1166.89
विकास	396854.27	16680.26	(4212.74)	409321.79	272598.86	15508.40	(1678.66)	286428.60	29713.75	1761.45		31475.20	317903.80	91417.99	94541.66
पूर्वेक्षण एवं वेधन	44326.30	2615.06	(57.43)	46883.93	34238.94	1333.63	(29.67)	35542.90)	3145.20	415.25		3560.45	39103.35	7780.58	6942.16
राष्ट्रीयकरण के समय अधिग्रहित परिसंपत्तियाँ	1256.03	364.94	133.83	1487.14	1255.03	364.94	(133.83)	1486.14					1486.14	1.00	1.00
उप-योग	3162479.10	241540.48	(78406.83)	3325612.75	2077212.46	172029.52	(70091.010	2179150.97	41064.66	3231.36		44296.02	2223446.99	1102165.76	1044201.98
घटाव : अन्य प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(41.51)	(40.41)
योग	3162479.10	241540.48	(78406.83)	3325612.75	2077212.46	172029.52	(70091.010	2179150.97	41064.66	3231.36		44296.02	2223446.99	1102124.25	1044161.57
सर्वे ऑफ परिसम्पत्ति	27198.83	3795.55	(1222.37)	29772.01	18787.16	1294.81	(29.18)	20052.79					20052.79	9719.22	8411.67
डब्ल्यू.आई.पी. पूँजी	175608.18	100945.36	(76377.89)	200175.65	15751.49	697.13	(8.52)	16440.10	761.05	744.63		1505.68	17945.78	182229.87	159095.64
योग घटाव : अन्य प्रावधान	3365286.11	346281.39	(156007.09)	3555560.41	2111751.11	174021.46	70128.71	2215643.86	41825.71	3975.99		45801.70	2261445.56	1294073.34	1211668.88
गत वर्ष															
नियम परिसम्पत्ति	3035620.72	192239.37	(35380.99)	3162479.10	1951244.22	163110.29	(37142.05	2077212.46	37766.85	3497.86	(200.05)	41064.66	2118277.12	1044201.98	1016[illegible]
घटाव : अन्य प्रावधान														(40.41)	(49.31)
योग														1044161.57	1016560.34
डब्ल्यू.आई.पी. पूँजी	146039.65	113284.46	83715.93	175608.18	14824.72	1168.62	(241.85)	15751.49	756.63	4.42		761.05	16512.54	159095.64	130458.30
सर्वे ऑफ परिसम्पत्ति	4126.55	21733.56	1338.72	27198.83	1068.25	15478.81	2240.10	18787.16					18787.16	8411.67	3058.30

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी) समेकित

अनुसूची - छ

निवेश

(लाख रुपये में)

		31 मार्च 09 के अनुसार	31 मार्च 08 के अनुसार
(क)	**8.5% कर मुक्त पावर बाण्ड्स जिसमें शामिल हैं -** (विविध देनदारों की प्रत्याभूति पर)	**150509.93**	**171782.13**
	उत्तर प्रदेश	23381.40	26721.60
	हरियाणा	933.10	1066.40
	महाराष्ट्र	40688.25	46360.15
	मध्य प्रदेश	52959.25	60436.35
	गुजरात	24603.60	28118.40
	पश्चिम बंगाल	7921.20	9052.80
	अन्यान्य	26.43	29.70
(ख)	नान-ट्रेड (सहकारी शेयर में शेयर)	8.02	8.02
योग (क + ख)		**150517.95**	**171790.15**

अनुसूची - ज

सामग्री सूची

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 के अनुसार	31 मार्च 08 के अनुसार
(जैसा कि प्रबंधन द्वारा आकलित एवं प्रमाणित की गयी है)		
भण्डारों में पड़ी सामग्री एवं अतिरिक्त पुर्जे (लागत दर के अनुसार)	119217.62	108718.52
घटाकर : प्रावधान	(22444.23)	(23123.97)
उप-योग	96773.39	85594.55
मार्गस्थ भण्डार	8716.66	5292.25
भण्डार समायोजन	61.27	49.61
विक्री हेतु कोल ब्लॉक	2787.39	—
उप-योग	11565.32	5341.86
भण्डार में पड़ी नेट सामग्री एवं अतिरिक्त पुर्जे (लागत दर के अनुसार)	108338.71	90936.41
राजस्व खानों में कोयले का कुल भण्डार	251498.16	238124.28
केंद्रीय अस्पताल में दवाओं का भण्डार	67.89	53.23
वर्कशाप के कार्य		
चालू कार्य / समाप्त सामग्री	7359.32	9163.38
प्रेस		
चालू कार्य / समाप्त सामग्री	61.57	119.14
गैर सी.आई.एल. ब्लॉक का पूर्वेक्षण एवं वेधन	748.60	—
गैर सी.आई.एल. ब्लॉक का विकास व्यय	214.23	—
कुल	**368288.48**	**338396.44**

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी) समेकित

अनुसूची – झ

विविध देनदार

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 के अनुसार	31 मार्च 08 के अनुसार
छः महीने से अधिक बकाया पड़े ऋण	166256.56	160862.29
अन्यान्य ऋण	159799.88	124261.33
	326056.44	**285123.62**
घटाकर :		
संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	(143441.97)	(119417.81)
कुल	**182614.47**	**165705.81**
वर्गीकरण :		
जिन्हें उचित पाया गया	182614.47	165705.81
जिन्हे संदिग्ध पाया गया	143441.97	119417.81
	326056.44	**285123.62**

अनुसूची – ट

नकद एवं बैंक में जमा राशि

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 के अनुसार	31 मार्च 08 के अनुसार
नकद, चेक, ड्राफ्ट, स्टाम्प आदि जो हाथ में हैं	7569.63	16394.35
भेजी गई मार्गस्थ रकम	467.38	172.31
अनुसूचित बैंकों के चालू खाते में	105014.20	77410.63
अनुसूचित बैंकों के कैश क्रेडिट खाते में	19908.59	13527.44
अनुसूचित बैंकों के जमा खाते में	2836541.11	1988643.26
कुल	**2969500.91**	**2096147.99**

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी) समेकित

अनुसूची - ठ

ऋण एवं अग्रिम

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 के अनुसार	31 मार्च 08 के अनुसार
ऋण एवं अग्रिम (असुरक्षित)		
(नगद या सामग्री रूप में अग्रिम प्राप्तियों या प्राप्त होने वाले मूल्य)		
संभरकों को अग्रिम		
पूँजी के लिए	19602.91	17006.49
अन्यान्य के लिए	11637.29	9944.94
	31240.20	**26951.43**
ठेकेदारों को अग्रिम		
पूँजी के लिए	1720.50	1149.49
अन्यान्य के लिए	6603.05	5966.76
	8323.55	**7116.25**
एसवीपी को अग्रिम	**50.00**	**50.00**
एल. एण्ड ए. - बी.ई.एम.एल.	**9738.96**	—
कर्मचारियों को अग्रिम		
भवन निर्माण के लिए	4789.38	5715.69
मोटर कार एवं अन्य वाहनों के लिए	44.93	79.09
अन्यान्य के लिए	7685.56	7250.49
	12519.87	**13045.27**
जमा राशियाँ		
सीमा शुल्क एवं पत्तन प्रभार इत्यादि के लिए	83.85	82.54
पोस्ट एवं टेलीग्राफ, विद्युत इत्यादि के लिए	4817.86	4409.95
अन्य के लिए	18668.42	16113.22
	23570.13	**20605.71**
अन्य साँविधिक देयताओं का अग्रिम भुगतान		
विक्रय कर	12936.40	5271.76
रॉयल्टी	58.50	9376.65
आई.टी. कारपोरेट/आई.टी. प्रत्यर्पण का अग्रिम भुगतान	895547.42	764336.38
आय से आयकर की स्रोत पर कटौती	25888.07	16395.82
अन्यान्य	6314.25	4805.16
	940744.64	**800185.77**
नैगमिक निकाय को अल्प अवधि ऋण	150.00	150.00
अन्यान्य प्राप्तियाँ	58333.86	48264.55
पूर्व कोल बोर्ड	312.43	307.41
ईसीएल इत्यादि में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग	5007.67	4446.24
अन्यान्य अग्रिम	14996.90	30237.54
प्राप्य दावे	56640.39	55237.94
प्रोद्भुत ब्याज (प्राप्य)	45500.04	36628.65
पूर्व भुगतानित व्यय	1540.06	1368.13
योग	**182481.35**	**176640.46**
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम हेतु प्रावधान	(19483.09)	(14166.23)
योग	**1189185.61**	**1030428.66**
वर्गीकरण :		
जिन्हें उचित पाया गया	1189185.61	1030428.66
जिन्हें संदिग्ध पाया गया	19483.09	14166.23

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी) समेकित

अनुसूची - ड

वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 के अनुसार	31 मार्च 08 के अनुसार
(ए) वर्तमान देयताएँ		
विविध लेनदार :		
कोयला ब्लॉक हेतु देयतायें	1566.63	2569.83
पूँजीगत सामग्री हेतु	38200.35	29504.54
राजस्व सामग्री हेतु	46189.32	37997.92
लघु उद्योग के लिए (कोयला)	668.95	499.25
	86625.25	**70571.54**
कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक :		
वेतन एवं मजदूरी	135137.19	105647.48
उपस्थिति बोनस	9616.04	9723.91
पीपीएलबी/पीपीएलआर	34301.49	25795.27
अभुगतानित मजदूरी	3021.16	2585.52
वी.आर.एस.	172.01	12.55
उपादान	42384.72	20771.49
अवकाश नगदीकरण इत्यादि	1131.24	383.18
लाइफ कवर स्कीम इत्यादि	686.48	682.26
भविष्य निधि	26044.50	18949.39
कर्मचारी पेंशन अंशदान (ब्याज सहित)	8869.68	7584.83
अन्यान्य	1035.23	1387.50
	262399.74	**193523.38**
व्यय हेतु :		
विद्युत एवं ईंधन	32627.23	31389.26
संविदात्मक व्यय	75261.45	64323.74
मरम्मत	9782.83	7778.80
सीआईएसएफ व्यय	5578.05	973.36
आडिट शुल्क एवं व्यय	56.74	62.14
अन्यान्य	68412.15	58378.72
	191718.45	**162906.02**
सांविधिक देयता :		
विक्रय कर	10109.09	10105.76
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	28718.17	28108.30
कोयले पर उप कर	14885.63	17919.24
जल प्रभार	1302.81	1360.97
उत्पाद शुल्क की भराई	9749.51	9275.74
वृत्ति कर	12.72	20.16
डिपाजिट लिंक इंश्योरेंस	168.84	145.94
अन्यान्य सांविधिक उगाही	42226.49	145.94
	107173.26	**116574.50**
पूर्व मालिकों के खातों पर भारत सरकार को देयता	160.93	160.93
उपार्जित व्यय जो ऋण पर देय नहीं है	1170.21	1625.02

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी) समेकित

अनुसूची - ड (जारी..)

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 के अनुसार	31 मार्च 08 के अनुसार
स्रोत पर कर की कटौती (आयकर) :		
कर्मचारी	2386.63	2597.06
ठेकेदार	1762.58	1675.58
अन्यान्य	12105.54	12182.68
	16254.75	**16455.32**
उपभोक्ताओं/अन्य से अग्रिम/जमा	344993.49	250650.78
अन्यान्य देयताएँ	146809.48	152575.09
अनुदान (जिनका उपयोग नहीं हुआ)	6753.84	8243.94
ओ.वी.आर. खाता	896013.40	677717.29
आईआईसीएम का चालू खाता	12132.75	10942.11
	1406702.96	**1100129.21**
योग (ए)	**2072205.55**	**1661945.92**
(बी) प्रावधान		
आयकर के लिए	660140.36	536394.65
वास्तविक उपदान	613948.48	382880.07
अवकाश	131941.20	67849.44
अधिकारी एवं गैर-अधिकारी के वेतन निर्धारण के लिए	449347.79	175607.75
कर्मचारी के अन्य लाभ के लिए	31010.59	12504.87
विदेशी विनिमय संपादन के लिए (चिन्हित बाजार)	1913.00	2330.00
स्टोविंग लैग की लागत	615.41	506.81
भूमि पुनरुद्धार	31406.73	34778.65
विवादित दावे	401.92	—
भू-विस्थापितों के पुनर्वास/पुनर्नियोजन के लिए	—	87.07
नुकसान हुई परिसंपत्तियों के लिए	—	44.32
योग (बी)	**1920725.48**	**1212983.63**
योग (ए + बी)	**3992931.03**	**2874929.55**

लाभ-हानि लेखा की अनुसूची
(समेकित)

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची – 1

विक्रय :

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 08 को समाप्त वर्ष के लिए
सकल विक्रय	4579658.88	3886569.85
घटाकर : सांविधिक उगाही :		
रॉयल्टी	419480.36	362464.88
कोयले पर उपकर	95020.48	84859.45
स्टोविंग पर उत्पाद कर	39336.29	37016.32
	554837.13	484340.65
विक्रय कर (वैट) :		
केंद्रीय	52730.31	61729.33
राज्य	93053.61	76188.68
कुल उगाही :	145783.92	137918.01
बुनियादी मूल्य :	**699621.05**	**622258.66**
घटाकर : विकास पर स्थानांतरित	1154.79	925.19
योग	**3878883.04**	**3263386.00**

लाभ-हानि लेखा की अनुसूची (जारी) समेकित

अनुसूची – 2 (क)

अन्य कार्यों के लिए जारी किया गया कोयला

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 08 को समाप्त वर्ष के लिए
आधार मूल्य (क) :		
हार्ड कोक मेकिंग	26.63	1044.67
वाशरीज	162235.09	157374.75
आंतरिक/वर्कशॉप खपत	5722.56	5087.16
बॉयलर खपत	5388.84	5321.05
कर्मचारियों को नि:शुल्क आबंटन	5394.91	5694.01
अन्यान्य	148.61	143.27
कुल मूल्य (क) :	**178916.64**	**174664.91**
जोड़कर : सांविधिक उगाही :		
कोयले पर रॉयल्टी	21738.85	21154.29
स्टोविंग उत्पाद कर	1542.59	1635.02
कुल उगाही (ख) :	**223281.44**	**22789.31**
कुल (क + ख) :	**202198.08**	**197454.22**

अनुसूची – 2 (ख)

कोयले की आंतरिक खपत

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 08 को समाप्त वर्ष के लिए
आधार मूल्य		
आंतरिक/वर्कशाप खपत	87253.88	82351.08
वाशरी	111785.77	112601.10
कोयले का क्रय	175.64	133.88
कुल मूल्य	**199215.29**	**195086.06**

लाभ-हानि लेखा की अनुसूची (जारी) समेकित

अनुसूची – 3

भण्डार की अभिवृद्धि (+) ह्रास (-)

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 08 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए) कोयला/कोक इत्यादि का अंत: भण्डार :		
कोयला/कोक का भण्डार	299260.80	283062.49
घटाकर : वाशरी में कच्चा कोयला	10391.69	8654.31
कोक ओवेन पर कच्चा कोयला	4.22	4.22
ग्रेड स्लिपेज	112.24	124.52
हैंडलिंग प्रभार इत्यादि	1263.94	1662.07
कोयले का अपकर्ष	35990.55	34493.09
योग (ए) :	**251498.16**	**238124.28**
(बी) कोयले/कोक का ओपनिंग भण्डार		
कोयला/कोक का भण्डार	283062.49	248099.71
घटाकर : वाशरी में कच्चा कोयला	8654.31	4840.11
कोक ओवेन पर कच्चा कोयला	4.22	4.22
ग्रेड स्लिपेज	124.52	238.65
हैंडलिंग प्रभार इत्यादि	1662.07	1323.69
कोयले का अपकर्ष	34493.09	27988.28
योग (बी) :	**238124.28**	**213704.76**
शुद्ध योग (ए + बी) :	**13373.88**	**24419.52**
राजस्व के लिए लाये गये कोयले का समंजन	–13.17	—
योग :	**13360.71**	**24419.52**

लाभ-हानि लेखा की अनुसूची (जारी) समेकित

अनुसूची – 4

अन्य आय :

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 08 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टोविंग अनुदान	9456.08	9864.51
वर्कशॉप क्रेडिट/वर्कशॉप एवं प्रेस कार्य	37091.31	32871.65
बॉण्ड्स पर ब्याज	13440.72	14449.74
बैंक, कर्मचारियों एवं अन्य से प्राप्त ब्याज	271030.76	195103.68
बाहरी व्यक्तियों से प्राप्त किराया	875.44	820.50
परिवहन एवं लदाई मूल्य की वसूली	146979.26	91312.58
किराया अधिभार	2.11	4.17
परिसंपत्तियों के विक्रय से लाभ	963.49	951.15
स्क्रैप के विक्रय से	3443.24	2456.92
निविदा शुल्क	449.60	394.36
एल.डी. / जुर्माना प्राप्ति	7387.22	4180.86
बट्टा एवं छूट	110.54	155.32
विदेशी विनिमय से लाभ/हानि	698.81	1384.77
विनिमय दर की भिन्नता से लाभ	14.79	109.94
लीज भाड़े की वसूली	1140.09	1155.73
ओ.सी.पी. रिक्लेमेशन	86.97	0.00
प्रावधान / पहले से चली आ रही देयताएँ	1643.82	6405.69
अन्य / विविध आय	14965.84	11757.21
कोयला ब्लॉक विक्रय से लाभ/गैर-सीआईएल ब्लॉक पर जीआर	2250.82	3062.15
	512030.91	**376440.93**
घटाकर : विकास में स्थानांतरित	66.21	30.90
योग	**511964.70**	**376410.03**

लाभ-हानि लेखा की अनुसूची (जारी) समेकित

अनुसूची – 5

भण्डार सामग्रियों एवं अतिरिक्त पार्ट-पुर्जों की खपत

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 08 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	83903.72	65269.88
लकड़ी	3828.18	3384.97
पेट्रोल, तेल एवं तरल पदार्थ (पी.ओ.एल.)	172813.85	162550.31
अन्य खपत योग्य भण्डार की सामग्री एवं पुर्जे		
एचईएमएम	118677.26	109046.94
संयंत्र एवं यंत्र	10986.01	8928.45
वाहन	587.47	535.86
एस.ओ.एच.	231.11	225.14
अन्यान्य	100375.48	93269.23
योग (ए)	**491403.08**	**443210.78**
घटाकर :		
सामाजिक शीर्ष में स्थानांतरित	1684.76	1780.43
मरम्मत एवं रख-रखाव में स्थानांतरित	303.83	238.49
विकास में स्थानांतरित	363.74	302.86
विद्युत एवं ईंधन में स्थानांतरित	95.24	157.19
ठेकेदारों से वसूली	105.10	195.75
अन्य व्यय में स्थानांतरित	2720.35	2680.52
योग (बी)	**5273.02**	**5355.24**
योग (ए - बी)	**486130.06**	**437855.54**

लाभ-हानि लेखा की अनुसूची (जारी) समेकित

अनुसूची – 6

कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं लाभ

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 08 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी एवं भत्ता	790081.14	684039.10
अधिकारियों के वेतन संशोधन एवं कर्मचारियों के वेतन संशोधन/ अंतरिम सहायता (एनसीडब्ल्युए-VIII का प्रावधान (संदर्भ सं. - 12.2: स्कीम-एम, पार्ट-बी)	411577.97	175607.75
सामान्य अधिकाल	33248.54	28919.06
रविवार/अवकाश उत्पादन अधिकाल	45186.29	40962.15
रविवार/अवकाश रख-रखाव अधिकाल	21022.81	17543.34
प्रोत्साहन	5088.05	5195.97
अवकाश नकदीकरण	75127.78	22290.48
उपस्थिति बोनस	41576.25	41101.97
फॉल बैक मजदूरी	606.60	820.29
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान	121924.08	102263.06
अनुग्रह राशि, पीपीएलबी एवं पीपीएलआर	44098.82	28041.28
परिवहन अनुदान	612.25	582.03
एलटीसी/एलएलटीसी/आरआरएफ	17585.23	19331.98
पेंशन	4860.59	2638.57
उपादान	385970.10	118910.32
कर्मचारी क्षतिपूर्ति	8667.84	549.79
सामूहिक बीमा	23.03	8.79
डी.एल.आई.	526.11	435.78
जीवन सुरक्षा योजना	3380.06	1246.98
वी.आर.एस.	4069.38	7444.19
अन्यान्य	10852.04	3459.12
योग (क) :	**2026084.96**	**1301392.00**
घटाकर : इन मदों में स्थानांतरित		
सामाजिक कार्य मद	48673.59	35433.01
विकास	1412.40	1052.63
विद्युत एवं ईंधन	114.72	107.32
मरम्मत एवं रख-रखाव	1675.75	1283.14
योग (ख) :	**51876.46**	**37876.1**
योग (क - ख) :	**1974208.50**	**1263515.90**

लाभ-हानि लेखा की अनुसूची (जारी) समेकित

अनुसूची – 7

विद्युत एवं ईंधन

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 08 को समाप्त वर्ष के लिए
विद्युत की खरीद	205543.55	202011.82
विद्युत उत्पादन	998.85	1062.30
	206542.40	**203074.12**
घटाकर :		
सामाजिक शीर्ष में स्थानांतरित	46869.07	43397.54
विकास में स्थानांतरित	168.09	306.62
योग	**159505.24**	**159369.96**

लाभ-हानि लेखा की अनुसूची (जारी) समेकित

अनुसूची – 8

सामाजिक शीर्ष मद

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 08 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी एवं भत्ता	48673.59	35433.01
कर्मचारियों को नि:शुल्क कोयले का वितरण	5946.18	6259.94
चिकित्सा सुविधायें :		
(क) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	15333.59	12897.76
(ख) दवा एवं आहार व्यय	4370.55	3817.86
(ग) अन्यान्य	283.97	112.51
अनुदान :		
(क) स्कूल एवं संस्थान	4764.51	3835.79
(ख) खेल-कूद मनोरंजन	682.42	768.88
कैंटीन एवं क्रेच	213.38	197.10
घर भाड़ा	4656.06	4150.90
विद्युत	46869.07	43397.54
मरम्मत एवं रख-रखाव :		
(क) टाउनशिप/भवन	20942.90	17562.53
(ख) संयंत्र एवं यंत्र	185.44	187.95
(ग) वाहन	3795.32	3406.06
(घ) अन्यान्य	156.52	141.90
भण्डार एवं पुर्जों की खपत	1050.21	1066.84
विद्युत अधिभार		
ह्रास	5998.44	5933.07
सामुदायिक विकास	3208.40	4760.63
पुनर्वास व्यय	10.40	251.80
पर्यावरण व्यय	3456.62	2948.50
यूनिफॉर्म	395.23	311.82
प्रशिक्षण व्यय	2432.50	2163.88
परिवार नियोजन व्यय	19.84	16.48
बस एवं एम्बुलेंस का भाड़ा प्रभार	1455.63	1192.74
जल अधिभार	2492.22	2464.71
अन्य कल्याणकारी व्यय	13351.16	10934.90
योग (ए) :	**190744.15**	**164215.10**
घटाकर : वसूलियाँ/स्थानांतरण		
घर भाड़ा एवं विद्युत	963.92	802.61
अस्पताल प्रभार	542.77	502.22
स्कूल बस	534.43	435.58
भाड़ा अधिभार	10.92	6.27
अन्यान्य	124.56	91.61
विकास में स्थानांतरित	55.31	91.12
योग (बी) :	**2231.91**	**1929.41**
योग (ए - बी) :	**188512.24**	**162285.69**

लाभ-हानि लेखा की अनुसूची (जारी) समेकित

अनुसूची – 9

मरम्मत

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 08 को समाप्त वर्ष के लिए
भवन :	8267.29	7275.70
संयंत्र एवं यंत्र :		
(क) बाहरी एजेंसी	33603.17	29404.85
(ख) वर्क शॉप डेबिट	31371.33	29132.55
(ग) वेतन एवं मजदूरी	1675.75	1283.14
(घ) भण्डार की खपत	303.83	238.49
(ङ) अन्यान्य	7241.62	6993.31
एचईएमएम इत्यादि की पुनर्स्थापना :	942.93	1577.01
अन्यान्य :		
(क) कार्यालय उपकरण	520.01	620.07
(ख) वाहन	2509.12	2438.12
(ग) अन्यान्य	7338.24	5277.72
योग (ए) :	**93773.29**	**84240.96**
घटाकर : इन मदों में स्थानांतरित		
सामाजिक कार्य मद	9284.75	7578.91
विविध	543.46	557.99
विकास	1.68	73.38
सेवा प्रभार वर्क शॉप	2731.02	2115.00
सामग्री का भण्डार	2440.93	2497.20
पी एवं एम	157.89	441.88
विद्युत एवं ईंधन	7.50	7.38
योग (बी) :	**15167.23**	**13271.74**
योग (ए- बी) :	**78606.06**	**70969.22**

लाभ-हानि लेखा की अनुसूची (जारी) समेकित

अनुसूची – 10

सांविदिक व्यय

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 08 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन प्रभार :		
(क) बालू	5172.09	5645.07
(ख) कोयला एवं कोक	147707.75	124221.25
(ग) भण्डार आदि	229.07	136.58
वैगन लदाई	1545.42	1050.44
अन्य सांविदिक कार्य	32078.92	35099.95
पी एवं एम/एचईएमएम इत्यादि (भाड़ा)	146290.94	102491.51
अन्यान्य	1142.88	821.52
योग :	**1334167.07**	**269466.32**
घटाकर : विकास में स्थानांतरित	(181.63)	(6140.57)
योग :	**333985.44**	**263325.75**

लाभ-हानि लेखा की अनुसूची (जारी) समेकित

अनुसूची – 11

विविध व्यय

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 08 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा व्यय :		
(क) देश के अंदर	8667.58	6304.55
(ख) देश के बाहर	352.49	208.51
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2278.05	2032.49
प्रशिक्षण व्यय	164.27	170.73
डाक व्यय	191.51	289.70
टेलीफोन	1191.06	1131.27
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार :		
(क) विज्ञापन	1806.34	1571.26
(ख) प्रचार-प्रसार के लिए	756.93	698.28
किराया प्रभार	5698.56	5223.33
विलम्ब शुल्क	7726.66	4223.75
अनुदान	40.02	469.57
अंशदान	141.06	47.65
सुरक्षा व्यय	14092.02	9632.19
भाड़ा प्रभार		
(क) कंप्यूटर	1679.10	1914.35
(ख) अन्य	6782.85	5732.61
वाहनों का रख-रखाव	5958.98	5305.66
वैधानिक व्यय	880.03	759.54
बैंक प्रभार	540.58	301.02
अतिथि गृह व्यय	166.29	149.23
सलाहकारिता प्रभार	2364.51	1328.66
आकस्मिक कार्यालय व्यय	621.44	602.80
अण्डर/ओवर लदाई प्रभार	20106.87	18896.10
बिक्री में घाटा/परिसंपत्तियों की क्षति	646.81	201.60
सर्वे ऑफ स्थिर परिसंपत्तियों की क्षति	21.79	236.98
सी.आई.एस.एफ.व्यय	12720.60	5548.86
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	66.55	66.51

लाभ-हानि लेखा की अनुसूची (जारी) समेकित

अनुसूची – 11 (जारी ....)

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 08 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा एवं आउट ऑफ पॉकेट व्यय	35.61	31.75
कर अंकेक्षण शुल्क एवं व्यय	31.73	33.39
आंतरिक अंकेक्षण शुल्क	257.29	276.06
पुनर्वास प्रभार	20850.29	19473.83
रॉयल्टी एवं सेस	15833.91	13887.23
भाड़ा, दर एवं कर	17687.78	7686.13
बीमा	70.43	51.00
वियोजन/संवातन	241.04	180.51
डेड भाड़ा	60.57	55.92
भूतल भाड़ा	99.41	24.78
विनिमय दर अंतर में हानि	3257.21	–
लीज भाड़ा - एचईएमएम/पी एवं एम/भूमि/भवन	207.58	10.30
भूमि/फसल क्षतिपूर्ति	2702.27	453.04
साइडिंग रख-रखाव प्रभार	2861.49	3449.71
बचाव एवं सुरक्षा व्यय	1797.49	1183.97
गुणवत्ता भत्ता	715.53	1580.44
अन्यान्य	33801.39	28930.08
योग (ए) :	**196173.97**	**150355.34**
घटाकर : इन मदों में स्थानांतरित		
विकास	598.19	288.94
अन्य	2723.93	1331.68
योग (बी) :	**3322.12**	**1620.62**
योग (ए - बी) :	**192851.85**	**148734.72**

लाभ-हानि लेखा की अनुसूची (जारी) समेकित

अनुसूची – 12

ब्याज

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 08 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए) ब्याज (आय)		
बी.ई.एम.एल. से प्राप्त आय	**294.96**	—
(ए) का योग	294.96	—
(बी) ब्याज (व्यय)		
आस्थगित भुगतान	152.36	195.01
बैंक ओवर ड्राफ्ट/कैश क्रेडिट	806.72	870.70
आई.बी.आर.डी. एवं जे.बी.आई.सी. के ऋण पर ब्याज	4516.17	5528.07
पेंशन निधि	2123.06	1470.44
पुनर्वास निधि में स्थानान्तरित	7619.22	6305.24
अन्यान्य	727.10	623.84
(बी) का योग	**15944.63**	**14993.30**
जोड़ : (ए-बी)	15649.67	**14993.30**

अनुसूची – 13

वित्तीय/बचनबद्धता प्रभार

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 08 को समाप्त वर्ष के लिए
(आईबीआरडी एवं जेबीआईसी) ऋणों पर गारंटी शुल्क	2143.95	1813.00
अन्य व्यय/बैंक प्रभार	94.30	122.59
योग	**2238.25**	**1935.59**
अनुषंगियों को स्थानान्तरित	0.00	0.00
योग	**2238.25**	**1935.59**

लाभ-हानि लेखा की अनुसूची (जारी) समेकित

अनुसूची – 14

प्रावधान/राइट ऑफ/राइट बैक

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 08 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए) जिनके लिए प्रावधान किया गया है :		
संदिग्ध कर्ज	17764.77	5886.99
संदिग्ध अग्रिम	6366.01	2272.13
भण्डार सामग्रियों एवं अतिरिक्त पार्ट-पुर्जे	– 391.30	1782.47
भूमि सुधार	–3500.43	4704.27
स्थिर परिसंपत्तियों का सर्वे ऑफ/परिसंपत्तियों की क्षति	2841.84	1575.59
अन्यान्य	277.58	5220.13
योग (ए) :	**23358.47**	**21441.58**
(बी) प्रावधान राइट बैक		
संदिग्ध कर्ज	1702.45	3371.80
संदिग्ध अग्रिम	361.85	25.72
अन्यान्य	6432.97	313.21
योग (बी) :	**8497.27**	**3710.73**
(सी) राइट ऑफ		
संदिग्ध कर्ज	2416.37	4788.38
संदिग्ध अग्रिम	275.84	—
अन्यान्य	46.31	681.64
योग (सी) :	**2738.52**	**5470.02**
योग (ए-बी+सी) :	**17599.72**	**23200.87**

लाभ-हानि लेखा की अनुसूची (जारी) समेकित

अनुसूची – 15

पूर्वावधि समायोजन

(लाख रुपये में)

	31 मार्च 09 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 08 को समाप्त वर्ष के लिए
(ए) डेबिट		
भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जों की खपत	65.48	933.75
कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं लाभ	639.74	383.65
विद्युत एवं ईंधन	132.25	301.54
मरम्मत - अन्यान्य	47.30	116.40
सामाजिक शीर्ष	44.43	626.18
सांविदिक व्यय	1000.85	342.11
विविध व्यय	824.56	600.53
कोयले एवं कोक का विक्रय	1229.52	234.33
अन्य आय	268.57	208.53
रॉयल्टी एवं उपकर	47.67	207.58
व्याज	2.35	3.71
ओबीआर समायोजन	577.51	0.00
ह्रास	733.39	3574.03
योग (ए)	**5613.62**	**7532.34**
(बी) क्रेडिट		
कोयला एवं कोक का भण्डार	890.28	0.00
कोयला एवं कोक का विक्रय	0.00	6582.95
भराई एवं रक्षात्मक कार्य हेतु अनुदान	0.00	959.25
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ	338.46	4425.55
अन्य प्राप्तियाँ	1233.57	2273.84
मरम्मत	2381	15.00
संविदात्मक व्यय	68.81	171.74
भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जों का भण्डार	1435.46	588.36
सामाजिक शीर्ष	15.08	2.33
अन्य व्यय	62.70	1506.13
ह्रास	1432.10	28.70
व्याज - अन्यान्य	2814.68	71.89
विद्युत एवं ईंधन	27.62	853.27
रॉयल्टी एवं सेस	43.90	32.51
ओबीआर समायोजन	0.00	1115.69
योग (बी)	**8386.47**	**18627.21**
विकास मदों में हस्तांतरित	– 1.06	17.92
योग (ए-बी+सी)	**2771.79**	**11112.79**

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरण (अप्रत्याशित विधि)

(लाख रुपये में)

		चालू वर्ष	विगत वर्ष
(I) संचालित गतिविधियों से कैश फ्लो			
कर पूर्व शुद्ध लाभ		574410.39	873846.06
निम्न के लिए समायोजित :			
अवमूल्यन/स्थिर परिसंपत्तियों की क्षति		105170.97	131975.64
ब्याज- वित्त प्रबंधन गतिविधियों के अनुकूल		—	—
कार्यगत पूँजी बदलावों के पूर्व संचालित लाभ	(ए)	**679581.36**	**1005821.70**
निम्न के लिए समायोजित :			
निवेश		21272.20	30797.50
विविध देनदार		(16908.66)	(7065.28)
सम्पत्ति सूची		(29892.04)	(26346.81)
ऋण तथा अग्रिम		158756.95)	(211240.38)
वर्तमान देयतायें/प्रावधान		961367.99	390350.90
आस्थगित कर		10323.36	24883.88
आस्थगित कर संपत्ति		(14668.99)	(28708.77)
आस्थगित कर देयतायें		—	(4476.86)
संचालन से प्राप्त रोकड़	(बी)	**772736.91**	**168194.18**
भुगतानित आयकर		(279070.99)	(292972.34)
संचालित गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो [(ए) + (बी)] - भुगतानिक कर	(सी)	**1173247.28**	**881043.54**
(II) निवेशी गतिविधियों से कैश फ्लो :			
स्थिर परिसंपत्तियों की वृद्धि		(187575.43)	(188441.54)
निवेशी गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध कैश फ्लो	(डी)	**(187575.43)**	**(188441.54)**
(III) वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो:			
सरकारी/अन्य ऋण का पुनर्भुगतान		30881.35	(15199.34)
बाण्ड का परिशोधन		—	—
ब्याज भुगतान		(454.77)	(435.64)
अनुषंगी कंपनियों से प्राप्त शिपिंग एवं पुनर्वास निधि		27796.49	25780.04
लाभांश का भुगतान (लाभांश पर कर सहित)		(170542.00)	(199525.61)
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध रोकड़	(ई)	**(112318.93)**	**(189380.55)**
रोकड़ एवं बैंक बैलेंस में शुद्ध वृद्धि/(कमी)(सी+डी+ई)		873352.92	503221.45
नगदी एवं नगदी समतुल्य (अवशेष)		2096147.99	1592926.54
नगदी एवं नगदी समतुल्य (अंतशेष)		2969500.91	2096147.99

अनुसूची - एम

(क) महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. **लेखा परम्पराएँ :**

जहां अन्यथा अन्यत्र नियत न हो, लेखाकरण मानकों तथा सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के आधार पर प्रचलित व्यवहार का अनुसरण करते हुए प्रोद्भूत सामग्री और ऐतिहासिक लागत के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किये जाते हैं।

2. **लेखा विधि का आधार :**

प्रथमत: सभी आय एवं व्यय स्वाभाविक शीर्षों में निर्धारित किये गये हैं और बाद में जहां आवश्यक हुआ है प्रकार्यात्मक शीर्षों में स्थानान्तरित किये गये हैं।

3.0 सरकार से आर्थिक सहायता/अनुदान :

3.1 पूंजीगत लेखा पर अनुदान/आर्थिक सहायता को उन आस्तियों से घटा दिया गया है जिनसे वे संबंध रखती हैं। वर्ष के अन्त में खर्च न की गई राशि, यदि कोई हो तो, को वर्तमान देयता में दर्शाया गया है।

3.2 आर्थिक सहायता/राजस्व पर अनुदान लेखा की अन्य प्राप्तियाँ शीर्ष के अन्तर्गत लाभ एवं हानि लेखा में रखा गया है और खर्चों को उससे संबंधित शीर्ष में डाला गया है।

4.0 स्थिर परिसंपत्तियाँ :

4.1 **भूमि :** भूमि में अर्जन की लागत, क्षतिपूर्ति और संबंधित भू-विस्थापितों के पुनर्वास पर किया गया नकद खर्च सम्मिलित है। फिर भी अन्य खर्च में भू-अर्जन पर किया गया खर्च जैसे पुनर्स्थापन खर्च, रोजगार के बदले क्षतिपूर्ति इत्यादि को राजस्व खर्च में माना गया है।

4.2 **संयंत्र एवं मशीनरी :** संयंत्र एवं मशीनरी में इनकी स्थापना/संस्थापना पर तथा उन परिसम्पत्तियों को कार्यगत स्थिति में लाने के लिए आने वाली अन्य लागत को शामिल किया गया है।

4.3 **रेलवे साईडिंग :** रेलवे साइडिंग के निर्माण हेतु रेलवे प्राधिकारियों को किए गए भुगतान को विकासशील पूँजी (कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस) के अधीन दर्शाया गया है।

4.4 **विकास :** विकासशील परियोजनाओं/खानों की आय/व्यय को विकासशील खाते में डाला गया है और उसे विकासशील पूंजी के तहत तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक परियोजना/खान राजस्व खाते में न आ जाय। केवल अन्यथा परियोजना को स्थिरता के आधार पर उत्पादन करने के लिए व्यापारिक तैयारी को निश्चित करने के लिए परियोजना रिपोर्ट में विशेष रूप से घोषित किया गया है और निर्माण अवधि में विकास का कार्य समाप्ति की आवश्यकता है। विकासशील परियोजनाओं/खानों को निम्नलिखित के अधीन राजस्व में लाया जाता है :

(क) स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार जिस वर्ष परियोजनायें अपने कोयला उत्पादन की वास्तविक क्षमता का 25% लक्ष्य प्राप्त कर लेती है, उस वर्ष के ठीक बाद के वित्तीय वर्ष से, या

(ख) कोयला खनन के 2 वर्ष के, या

(ग) जिस वित्त वर्ष में उत्पादन का मूल्य कुल खर्च से अधिक हो, इनमें से जो भी पहले हो।

4.5 **पूर्वेक्षण एवं वेधन तथा अन्य विकास खर्च :**

एक ''पंचवर्षीय'' योजना अवधि में गवेषणा एवं अन्य विकास पर खर्च की लागत को आगामी दूसरी ''पंचवर्षीय'' योजना अवधि के अंत तक परियोजनाओं के निर्माण हेतु इसे बट्टे खाते में डालने से पूर्व इन्हें विकासशील कार्यगत पूँजी में रखा गया जायेगा किन्तु बिक्री हेतु चिन्हित या बाह्य एजेंसियों को बिक्री हेतु प्रस्तावित ब्लाकों के अतिरिक्त बिक्री को अंतिम रूप देने तक इसे सीडब्ल्यूआईपी में रखा जायेगा।

5.0 निवेश :

सभी निवेश लंबी अवधि की प्रकृति के होने के कारण उनका विवरण लागत में दिया गया है।

6.0 सम्पत्ति सूची :

6.1 लेखा में कोयला/कोक के अंकित भण्डार और मापित भण्डार में 5 % के +/- अन्तर को स्वीकार किया गया है और जिन मामलों में मापित भण्डार में 5% से +/- अधिक का अन्तर पाया जाता है, उन भण्डारों का मूल्यांकन शुद्ध प्राप्ति मूल्य (नेट रियलाईजेबुल वैल्यू) या लागत जो भी कम हो, पर किया जाता है।

6.1.1 स्लरी, वाशरियों की मिडलिंग्स का मूल्यांकन शुद्ध प्राप्ति मूल्य पर किया जाता है।

6.2 केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय भण्डारों के स्टॉल एवं स्पेयर पार्ट्स के मूल्यांकन की गणना वजनीकृत अनुपातिक सिद्धान्त के आधार पर की जाती है। वर्ष के अन्त में कोलियरी/उप भण्डार/उपभोक्ता केन्द्रों में इनीशियली चार्ज ऑफ रखी गई स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स की इन्वेन्ट्री को क्षेत्रीय भण्डार, लागत/अनुमानित लागत के निर्गमन पर मूल्यांकित किया गया है। चालू कार्यों सहित वर्कशॉप कार्यों को लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

6.2.1 **भण्डार एवं पुर्जे (स्टोर्स एवं स्पेयर्स) :**

स्टोर्स एवं स्पेयर्स पार्ट्स का क्लोजिंग स्टॉक सेंट्रल स्टोर्स के स्टोर लेजर में प्रकाशित मूल्य के बकाया के अनुसार तथा कोलियरीज इकाईयों पर रखे गये भौतिक सत्यापित स्टोर्स के अनुसार इन्हें लेखा में मान लिया गया है।

6.2.2 स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स में लूज टूल्स सम्मिलित हैं।

6.2.3 अप्रयोज्य नुकसान और अप्रयुक्त भण्डार हेतु 100% की दर से और 5 वर्षों तक अप्रयुक्त स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए 50% की दर से प्रावधान बनाया गया है।

6.3 लेखन सामग्री के भण्डार (प्रिन्टिंग में रखे गए के अलावे), ईंट, बालू, दवाइयां (केन्द्रीय अस्पताल में रखी गई के अतिरिक्त), वायुयान के कल-पुर्जे और स्क्रैप को इन्वेन्ट्री नहीं माना गया है।

7.0 मूल्य ह्रास :

7.1 (क) अर्थ साइन्स म्यूजियम — 5.15%

(ख) हाइ वाल्यूम सैम्पलर तथा रेस्पिरेटरी डस्ट — 33.3%

(ग) दूर संचार उपकरण — 15.83%

(घ) सामान्य संचार/इन्स्ट्रूमेन्टेशन प्रणाली — 10.55% को छोड़कर स्थिर परिसम्पत्तियों पर ह्रास को कम्पनी अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित) के अनुसूची-XIV में विनिर्दिष्ट दर से सीधी रेखा सिद्धान्त पर प्रावधानित किया गया है।

ऐसे उपकरणों पर ह्रास, उच्च दर पर तकनीकी रूप से अनुमानित लाइफ पर चार्ज किया जाता है।

इसके अतिरिक्त कुछ उपकरणों/एचईएमएम पर मूल्य ह्रास आकलित तकनीकी जीवन पर उच्चतर दर यथा 11.88% 13.57% और 15.83% जैसा अनुप्रयोज्य हो, पर प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान सम्मिलित की गई/समाप्त की गई परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास यथानुपात सम्मिलित/समाप्त किये गये महीने के अनुसार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, एसडीएल की लाइफ 5 वर्ष की या निर्धारित 16500 कार्य घन्टे जो भी बाद में हो तथा एसडीएल की लाइफ 6 वर्ष की या निर्धारित 21500 कार्य घन्टे जो भी बाद में हो, जो मूल्य ह्रास पर आधारित हो, को उपयुक्त माना जाता है।

हेलीकाप्टर की बड़ी मरम्मत के बाद मूल्य ह्रास को 6.33% वार्षिक की दर पर प्रभारित किया गया है, जो अनुमानित जीवन/उड़ान घंटे पर आधारित है।

वर्ष के दौरान सम्मिलित की गई/समाप्त की गई परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास यथानुपात सम्मिलित/समाप्त किये गये महीने के अनुसार किया जाता है, उन परिसम्पत्तियों के अलावा जिन पर प्रति वर्ष 100% मूल्य ह्रास (एसएलएम आधार) होता है, जिनका उनके सम्मिलित होने के वर्ष में पूरी तरह मूल्य ह्रास हो जाता है।

7.2 कोल वियरिंग एरिया (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन अर्जित भूमि के मूल्य का परिशोधन परियोजना के शेष जीवन के आधार पर किया जाता है। पट्टे की भूमि के मूल्य का परिशोधन पट्टा अवधि या परियोजना का शेष जीवन जो भी पहले हो, के आधार पर किया जाता है।

7.3 पूर्वेक्षण, वेधन तथा विकास खर्च उस वर्ष से जब खान को राजस्व के अन्तर्गत लाया गया है, 20 वर्षो में अथवा परियोजना की आयु (वर्किंग लाइफ) जो भी पहले हो, में परिशोधन किया जाता है।

8.0 परिसंपत्तियों की क्षति :

8.1 परिसंपत्तियों की संवहन राशि जहाँ भी स्वीकृत की गयी है, क्षति के घाटे की राशि वसूली राशि से अधिक है और उसे लाभ एवं हानि विवरण में खर्च के रूप में स्वीकृत किया गया है और परिसंपत्तियों के संवहन राशि को उनके वसूली राशि तक घटाया हुआ है।

8.2 पूर्ववर्ती वर्षो में क्षति के घाटे के निराकरण की स्वीकृति को अंकित किया गया है जब परिसम्पत्तियों की क्षति का घाटा अधिक समय तक नहीं रहने या घटाव का संकेत हो।

9.0 विदेशी मुद्रा सम्पादन :

9.1 विदेशी मुद्रा सम्पादन के वर्षान्त बकाया को वर्षांत की दर से अनुदित किया गया है और प्रभावी अनुकूलन को संबंधित लेखा में दिया गया है। वर्ष के दौरान सम्पूरित सम्पादन को वास्तविक लेखा में निपटारा तिथि के आधार पर समायोजित किया जा रहा है।

9.2 क्रास मुद्रा विनिमय द्वारा सम्पादन आच्छादित है और आगामी तिथियों पर अनुबन्धों का निपटारा किया जायेगा, के विकल्प को शेष विदेशी मुद्रा को वर्षान्त की दर से स्वीकृत किया गया है। निपटारा की तिथि को ऐसे अनुबन्ध में से उत्पन्न प्रभाव को लेखा में समायोजित किया गया है।

10.0 सेवा निवृत्ति लाभ :

(क) परिभाषित अंशदान योजना :

कम्पनी सेवानिवृत्ति लाभ योजना हेतु पात्र कर्मचारियों को भविष्य निधि एवं पेंशन निधि में अंशदान के साथ परिभाषित

अंशदान करती है। भविष्य निधि और पेंशन निधि का कार्य कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ) के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं के नियमों के अनुसार कंपनी को सीएमपीएफ अधिकारियों को इन हितलाभों की निधि हेतु पे-रोल लागत का विनिर्धारित प्रतिशत का अंशदान देना अपेक्षित है।

(ख) पारिभाषित हितलाभ योजना :

प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट प्रणाली का प्रयोग करके वर्षान्त की उपदान और अवकाश नगदीकरण की देयता को वास्तविक मूल्यांकन आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से ग्रुप ग्रेच्युटी योजना (नगद संग्रहण) की स्थापना से संबद्ध एक ट्रस्ट बनाया है। उक्त निधि में अंशदान वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित है।

(ग) कर्मचारियों का अन्य हितलाभ :

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कर्मचारी लाभ अर्थात एलटीए/एलटीसी के कारण लाभ, लाइफ कवर योजना, सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, समझौता भत्ता, सेवा निवृत्त अधिकारी चिकित्सा लाभ, योजना तथा खान दुर्घटना इत्यादि में मृतक के आश्रितों को क्षति पूर्ति में वर्षान्त देयता को भी लागू प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट यद्याति के द्वारा वास्तविक आधार पर मूल्यांकि किया जाता है।

11.0 आय एवं व्यय की स्वीकृति :

प्राय: संभूति के आधार पर आय एवं व्यय को स्वीकृत किया जाता है और इसके लिए ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान रखा गया है।

12.0 उधार मूल्य :

उधार मूल्य के अधिग्रहण को सीधे आरोप्य या अर्हकारी परिसंपत्तियों के निर्माण को पूँजीगत किया गया है। अन्य उधार मूल्य जिस अवधि में लिये गये हैं उनकी पहचान खर्च के रूप में हुई।

13.0 कराधान :

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुरूप वर्तमान आयकर का प्रावधान रखा गया है। आस्थगित कर देयता एवं परिसम्पत्तियों को वास्तविक प्रदर्शित कर दर के अनुसार स्वीकृत किया जाता है बशर्ते कि समयानुपात भिन्नता पर समझदारी से विचार किया गया हो। कर योग्य आय एवं लेखा के बीच में भिन्नता जो एक अवधि में उद्भूत हो और एक या अधिक उत्तरवर्ती अवधि में विपरीत होने में समर्थ हो।

14.0 प्रावधान :

जब एक उद्यम अपने अतीत की घटनाओं के फलस्वरूप वर्तमान दायित्व का पालन करना है तो प्रावधानों को स्वीकृत किया जाता है। यह संभावित है कि संसाधनों का बहिर्गमन जिसमें आर्थिक लाभ सम्मिलित है, देयता के निपटारा के लिए आवश्यक है, जिसके लिए सही आकलन किया जा सके। वर्तमान मूल्यों में कटौती का प्रावधान नहीं है और यह बेहतर आकलन के आधार पर निर्धारित किया गया है जो दिनांकित तुलन-पत्र में देयताओं के निपटारा के लिए आवश्यक है।

15.0 आकस्मिक देयतायें :

15.1 आकस्मिक देयतायें एक सम्भावित दायित्व है जो अतीत की घटनाओं से उद्भूत हुआ है, जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के घटित होने या नहीं घटित होने पर सुनिश्चित होगा, जो उद्यम के संपूर्ण नियंत्रण में नहीं हैं या वर्तमान देयतायें जो अतीत की घटनाओं से उद्भूत हुई, परन्तु स्वीकृत नहीं की गयी है क्योंकि यह संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिर्गमन आर्थिक लाभ को सम्मिलित करे जो देयताओं के निपटारों के लिए आवश्यक है या देयताओं की राशि का सही आकलन नहीं किया जा सके।

15.2 आकस्मिक देयताओं को लेखा में नहीं दिया गया है और इसे सूचना द्वारा अनावृत कर दिया गया है।

16.0 पूर्वावधि समायोजन

पूर्वावधि से संबंधित आय/व्यय मद जो प्रत्येक मामले में 5.00 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष के आय/व्यय के रूप में माना गया है।

17.0 अधिभार हटाव (ओबीआर) व्यय:

1 मि. टन और उससे उच्च क्षमता की खुली खदानों में प्रत्येक खान में ओ.बी.आर. की लागत को औसत अनुपात (कोयला : ओ.बी.) पर प्रभारित किया जाता है। खान को राजस्व में लाने के पश्चात अग्रिम स्ट्रिपिंग और अनुपात अन्तर लेखा का विधिवत समायोजन किया जाता है। वर्ष के अंत में अग्रिम स्ट्रिपिंग और अनुपात अन्तर के शुद्ध शेष को निलंबित राजस्व व्यय या वर्तमान देयता जैसा भी मामला हो, में दर्शाया गया है।

निम्नलिखित विवरण के अनुसार उचित परिसीमा (परमिशिबल लिमिट) के अन्दर ओवर बर्डेन की रिपोर्ट की गई मात्रा और मापित मात्रा के बीच अन्तर को लेखा में परिलक्षित किया गया है :

खान की ओबीआर की प्रमात्रा	उचित परिसीमा का अंतर जो भी कम हो	
	%	प्रमात्रा (मि. क्यू. मी. में)
1. मि. क्यू. मी. से कम	+/-5 %	0.03
1 से 5 मि. क्यू. मी. के बीच	+/-3 %	0.20
5 मि. क्यू. मी. से अधिक	+/-2 %	—

अनुसूची - एम

(ख) लेखा पर टिप्पणियाँ

1. **वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार**

(क) अनुषंगियों के वित्तीय विवरण को उसी प्रकार समेकित किया गया है जिस प्रकार से उनके उद्गम कम्पनियों के उसी रिपोर्टिंग तिथि को तैयार किया जाता है अर्थात 31 मार्च।

(ख) वित्तीय विवरण को ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत एवं लेखा विधि को यथार्थता के आधार पर तैयार किया गया है। भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेंट संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक और सामान्यतया भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार अनुषंगियों के लेखा को तैयार किया गया है।

2. समेकीकरण का सिद्धान्त :

2.1 कोल इण्डिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण में इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनियों नामत: ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, एनसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल, एमसीएल तथा सीएमपीडीआईएल के वित्तीय विवरण शामिल हैं। एमसीएल के वित्तीय विवरण में दो अनुषंगी कम्पनियों मेसर्स एमएनएच शक्ति लिमिटेड तथा मेसर्स एमडेएसजे कोल लिमिटेड के वित्तीय विवरण को समेकित किया गया है। कंपनी एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों का वित्तीय विवरण, परिस्थितियों, देयताओं, आय एवं व्यय, भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेंट संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक -21 ''**समेकित वित्तीय विवरण**'' के अनुसार इन्ट्राग्रुप बैलेंस तथा इन्ट्राग्रुप ट्रान्जक्शन के परिणामस्वरूप अप्राप्त लाभ एवं हानि को पूर्णत: अलग करते हुए पंक्तिबद्ध आधार पर सम्मिलित किया गया है।

2.2 महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा टिप्पणियों, जिन पर वित्तीय विवरण समेकित किए गए हैं, को सूचनात्मक प्रकटीकरण के साधन के रूप में तथा कंपनी की समेकित स्थिति को बेहतर समझाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इस उद्देश्य को स्वीकार करते हुए कम्पनी ने एकल वित्तीय विवरण से मात्र उन नीतियों एवं टिप्पणियों को प्रकट किया है, जिनके प्रकटीकरण को अपेक्षित मानते हुए उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है।

3.0 स्थिर परिसम्पत्तियाँ :

3.1 खान श्रमिक कल्याण संगठन तथा कोयला खान बचाव संगठन की जिन परिसम्पतियों एवं देयताओं का अधिग्रहण किया गया है उनका कोई मात्रात्मक विवरण उपलब्ध नहीं है तथा उसे लम्बित निर्धारित मूल्य के लेखा में समाहित नहीं किया गया है।

3.2 धारक कम्पनी एवं अन्य अनुषंगियों से स्थानान्तरण की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ अभिलेख अभी भी धारक कम्पनी एवं अन्य अनुषंगियों के नाम में हैं।

3.3 कोल बियरिंग एरियाज (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 एवं भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत अर्जित भूमि की संगणना भुगतान के आधार पर की गयी है और उसे पट्टे की भूमि के रुप में दर्शाया गया है।

3.4 भूमि में उस भूमि को शामिल किया गया है जिसे कंपनी द्वारा अधिगृहीत किया गया है जिसके लिए अधिकार पत्र से संबंधित वैधानिक औपचारिकताएँ लंबित हैं।

3.5 राष्ट्रीयकरण के समय भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा अधिग्रहीत की गई परिसंपत्तियों का समग्र मूल्य 1145.81 लाख रुपये था जिसमें 88.30 लाख रुपये भूमि का मूल्य (जिसका मात्रात्मक और मूल्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है) शामिल है, भूमि को छोड़कर इसका लेखा में अवमूल्यन दिखाया गया है।

3.6 कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में 41959.32 हे. भूमि अर्जित की गई है। इसमें लगभग 13644.32 हे. काश्तकारी भूमि है और शेष वन भूमि तथा जीएमके भूमि हैं। 13644.32 हे. काश्तकारी भूमि में से 6578.32 हे. की क्षतिपूर्ति का अनुमान 3253.00 लाख रुपये किया गया है। इसमें से 2908 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष का भुगतान विभिन्न परियोजनाओं में नियमित भुगतान कैम्प लगाकर किया जा रहा है।

3.7 वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के चन्द्रपुर क्षेत्र के सम्बन्ध में आज तक 2324.66 लाख रुपये की भूमि का स्वामित्व संबंधित क्षेत्र को नहीं मिल पाया है। भुगतान की गई राशि को अग्रिम खाते में रखा गया है तथा उसे पूँजीगत प्रतिबद्धताओं में दर्शाया गया है। उसी प्रकार, कन्हान क्षेत्र में कोठीदेव ओसी पैच के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु वन विभाग को 132.71 लाख रुपये का भुगतान किया गया, जिसे वन विभाग से अंतिम निकासी के रूप में अग्रिम लेखा में रखा गया है, जो कि लम्बित है तथा सम्बन्धित क्षेत्र को अभी तक भूमि का स्वामित्व नहीं मिल पाया है।

3.8 वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के डीएफडी प्लान्ट एवं सीबीई प्लाण्ट वर्ष के दौरान संचालित नहीं हो पाए। सीबीई प्लान्ट दिनांक 28.4.2003 से और डीएफडी प्लाण्ट वर्ष 1994 से बन्द हैं। डीएफडी प्लान्ट के पट्टे की भूमि का 30 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधन किया गया है। सीबीई प्लाण्ट के चिकित्सालय उपकरणों को छोड़कर यंत्र एवं संयंत्रों को एमएसटीसी के माध्यम से नीलामी द्वारा निपटान कर दिया गया है। दोनों प्लान्ट के अन्य सभी परिसम्पत्तियों की उनकी लागत का 5 प्रतिशत का अवशिष्ट मूल्य पर खाता में दर्शाया गया है।

3.9 वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड तथा एमसीएल में 5% अवशिष्ट पर मूल्यांकित रु. 2265.7 लाख रुपये (विगत वर्ष 1851.36 लाख रुपये) राशि की अलग की गई सर्वेक्षित परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, जिसके विपरीत 645.93 लाख रुपये (विगत वर्ष 457.62 लाख रुपये) का प्रावधान है।

3.10 सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में वर्ष के दौरान पाँच वर्षों के लिए अनसर्विसेवल/डैमेज/ऑब्सलीट स्टोर्स के लिए तथा अनमूव्ड स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए भी 18.26 लाख रुपये (618.92 लाख रुपये) का प्रावधान बनाया गया है। 31.03.2009 के अनुसार 945.49 लाख रुपये में अधिक प्रावधान को निकालने के पश्चात 3159.24 लाख (4086.47 लाख रुपये) के प्रावधान को पर्याप्त माना गया है।

3.11 भवन एवं अन्य परिसंपत्तियों से संबंधित 218.99 लाख रुपये के प्लाण्ट एवं मशीनरी तथा 1625.37 लाख रुपये की अन्य परिसंपत्तियाँ दोनों को समाविष्ट करते हुए स्थिर परिसंपत्तियों को 31.03.1995 के अनुसार बुक वैल्यू (डब्ल्यूडीवी) पर इण्डियन इन्स्टीच्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट (आईआईसीएम) समिति पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत समिति को निरस्त योग्य संचालित लीज समझौते के अंतर्गत भाड़े पर दिया गया है। 31.03.2009 तक भाड़े पर दी गई इन परिसंपत्तियों के अतिरिक्त प्लाण्ट तथा मशीनरी का मूल्य 370.35 लाख रुपये तथा भवन एवं अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य 381.41 लाख रुपये है। दिनांक 31.03.2009 तक ह्रास के लिए संचित प्रावधान 1084.45 लाख रुपये है (चालू वर्ष में ह्रास को 62.25 लाख रुपये प्रभारित किया गया है)। 31.03.2008 की स्थिति तक खाता के अनुसार पट्टेवाली परिसंपत्तियों का शुद्ध डब्ल्यूडीवी 1638.83 लाख रुपये है।

3.12 डिशरगढ़ विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड के साथ दिनांक 31 मार्च, 1993 को किये गये समझौते के अनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने भूमि, भवन, प्लान्ट तथा मशीनरी सहित 2X10 एमडब्ल्यू वाले चिनाकुरी ताप विद्युत केन्द्र को लीज्ड आउट किया है। यह लीज समझौता 01.04.1991 से प्रभावी होकर लीज के प्रारम्भ से 20 वर्षों के लिए है। विद्युत संयंत्र भवन तथा अन्य परिसम्पत्तियों का ग्रास वैल्यू क्रमशः 4024.00 लाख रुपये (4024.00 लाख रुपये), 1019.64 लाख रुपये (1019.64 लाख रुपये) तथा 772.61 लाख रुपये (772.61 लाख रुपये) है। उपरोक्त वर्णित परिसंपत्तियों के विपरीत 31.03.2009 तक संचित ह्रास क्रमशः 3806.84 लाख रुपये (3700.47 लाख), 575.60 लाख (544.3 लाख रुपये) 612.72 लाख रुपये (584.67 लाख रुपये) है।

3.13 वर्ष के लिए लीज रेन्ट के रूप में 350.00 लाख रुपये (350.00 लाख रुपये) प्राप्त किये गये।

3.14 मेसर्स अपोलो हास्पिटल इण्टर प्राइजेज लिमिटेड, चेन्नई के साथ दिनांक 19 मार्च 2001 को किये गये लाइसेंस समझौते के सम्बन्ध में साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 2,97,099.74 वर्ग फीट में पूर्णतया निर्मित मुख्य हास्पिटल बिल्डिंग तथा सबस्टेशन बिल्डिंग, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट एवं पम्प हाउस जैसी विशिष्ट संरचना के साथ 55,333 वर्ग फीट में बने आवासीय क्वाटरों को अधिकृत करने एवं उसके उपयोग करने की न्यायोचित स्वीकृति प्रदान की है। समस्त परिसंपत्तियों की लागत 3132.21 लाख रुपये (3132.21 लाख रुपये) है। इसके विपरीत संचित ह्रास 550.84 लाख रुपये (494.84 लाख रुपये) है। यह लाइसेन्स समझौता लीज के प्रारम्भ वाली तिथि से प्रभावी होकर अर्थात नवम्बर 2001 से 30 वर्षों की लीज अवधि तक बना रहेगा। पट्टे की अवधि के दौरान भविष्य का न्यूनतम पट्टा भुगतान कुल 3249.53 लाख रुपये (3585.42 लाख रुपये) है।

समझौते के अनुसार ही भुगतान योग्य लीज रेंट की गणना की गई है। वर्ष के दौरान कथित लीज के विपरीत 237.00 लाख रुपये (249.00 लाख रुपये) की गणना की गई है।

3.15 नार्दर्न कोलफील्ड्स द्वारा भूमिहीनों से लम्बित प्राप्ति का विकल्प, पुनर्समझौता क्षति पूर्ति के लेखा पर, विगत अनुभव पर आधारित 377.49 लाख रुपये कैप्टिलाइज्ड किये गये हैं, जो कि अनुमानित आधार पर लीज होल्ड भूमि की लागत है।

4.0 चालू पूँजीगत कार्य

4.1 जिन संयंत्र एवं मशीनरी को तीन वर्षों से अधिक समय तक उपयोग में नहीं लाया गया है तथा अपूर्ण सिविल कार्य जो अवमूल्यन की दर पर चार वर्षों से अधिक समय से लम्बित हैं अन्यथा उक्त मद में और जो लागू होते हैं उनके लिए प्रावधान बनाया गया है।

4.2 चालू पूँजीगत कार्य के तहत ''पूर्वेक्षण एवं वेधन'' तथा विकास कार्य में अधिकाँश ऐसे कार्य को भी दिखाया गया जो पूरा होनेवाले हैं।

5. विकास खर्च

5.1 अब तक स्वीकृत अथवा अब तक निर्मित की गई परियोजनाओं से सम्बन्धित खर्च ''निर्माणाधीन पूर्वेक्षण एवं बेधन'' के अन्तर्गत लाया गया है। एसईसीएल का विकास खर्च विकासशील खानों में कोयले की, की जा रही बिक्री से 1154.79 लाख रुपये (विगत वर्ष 925.19 लाख रुपये) तथा विकासशील खानों पर कोल स्टाक के क्लोजिंग स्टाक से 57.36 लाख रुपये (विगत वर्ष 32.33 लाख रुपये) को घटाने के पश्चात लेखा में दिखाया गया है।

6. सम्पत्ति सूची

6.1 ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में 471361 मि.टन मिट्टी मिश्रित कोयला को बिक्री योग्य नहीं माना गया है। उसका मूल्य शून्य दर्शाया गया है।

6.2 इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा राजमहल ओसीपी में वर्ष 2007-08 के लेखा में 6385.73 लाख रुपये के मूल्य के फायर स्टाक सहित 19.54 लाख टन कोयले की कमी का हिसाब किया गया था जिसकी जाँच प्रगति पर है।

6.3 भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की सम्पत्ति सूची में वाशरी परिसर में बह गयी तथा उस जमीन में पड़ी हुई स्लरी, जो कम्पनी की नहीं है, (दुग्दा वाशरी 0.54 लाख टन तथा बरोरा वाशरी 0.37 लाख टन) 0.91 लाख टन स्लरी को स्टाक में शामिल नहीं किया गया है।

6.4 सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की कथारा कोलियरी और कथारा वाशरी के बीच 31.03.2007 को कच्चे कोयले के अंत स्टाक में कमी/भिन्नता की छान-बीन बकाया रखते हुए 2006-07 के लेखा में 210.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था। 31.03.2009 को उक्त प्रावधान को यथावत् रखा गया है और इसे आवश्यक समझा गया है।

6.5 वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कुछ ब्लाकों की बिक्री करना है। चन्द्रपुर एरिया के अगरजीरी ब्लाक पर एएस-2 व्यय के अनुरूप इस श्रेणी में रखकर 99.11 लाख रुपये की राशि को इन्वेन्ट्री अनुसूची में स्थानांतरित किया गया है तथा इसी कारण, नागपुर क्षेत्र में 403.01 लाख रुपये की राशि को कैपिटल वर्क-इन प्रोग्रेस से इन्वेन्ट्री में स्थानान्तरित किया गया है।

उसी प्रकार महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के 1054.51 लाख रुपये राशि के विक्रय योग्य आबंटित गैर सीआईएल ब्लाकों में प्रास्पेक्टिंग, बोरिंग तथा विकास व्यय को इन्वेन्ट्रीज के रूप में लागत पर दिखाया गया है।

7.0 विविध देनदार

7.1 वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश ऊर्जा उत्पादन निगम को यह सलाह दिया है कि वह दिनांक 30.09.2001 तक मूल बकाया राशि एवं ब्याज क्रमानुसार रु. 17194.01 लाख एवं 2199.00 को प्रतिभूति बद्ध करें। एमपीजीसीएल ने 2003 में अनसेक्यूरटाइज्ड के रूप से 7002 लाख रुपये को छोड़कर 12391 लाख रुपये प्रतिभूतिबद्ध किया है।

7.2 वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में, मध्य प्रदेश शासन ने दिनांक 30.9.2005 को गजट अधिसूचना द्वारा ''मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, 2005'' के अन्तर्गत नया कर लगाया है। इस अधिनियम में 30.09.2005 से प्रभावी वार्षिक मूल्य के 5% की दर से टैक्स के चार्जिंग का प्रावधान है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ ही साथ कुछ उपभोक्ताओं ने माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका दायर की तथा अन्तरिम राहत प्राप्त की। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर ने अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 15.02.2006 द्वारा कम्पनी को निदेश दिया कि राज्य सरकार को यह कर जमा न करे, किन्तु इसे फिक्स डिपाजिट में जमा रखें। बाद में यह प्रकरण जबलपुर उच्च न्यायलय द्वारा मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में खारिज कर दिया गया। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की तथा प्रकरण अभी तक न्यायाधीन है। बिल के अनुसार कुल देय राशि 13484.48 रुपये (विगत वर्ष 10838.21 लाख रुपये) है।

सेल ने उक्त कर की 31.033.2009 तक की कुल राशि 1917.00 लाख रुपये का भुगतान कंपनी को नहीं किया है, किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा इस पर सहमति स्वीकार की गई है। उक्त खाता में अन्य उपभोक्ताओं से फिक्स्ड डिपोजिट के रुप में दिनांक 31.03.2009 तक 1688 लाख रुपये कंपनी को प्राप्त हुए हैं जिसे उपभोक्ताओं से प्राप्त अग्रिम एवं जमा के तहत दर्शाया गया है। 31.03.2009 के अनुसार 2008-09 के दौरान म.प्र. कर खाता में 319 लाख रुपये प्राप्ति के विपरीत 319 लाख रुपये की राशि को फिक्स डिपोजिट में जमा किया गया है। इस फिक्स डिपाजिट के ब्याज को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा देयता के रूप में माना गया है। प्रकरण अभी भी माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित है।

7.3 पार्टियों द्वारा की गई पुष्टि के आधार पर विविध देनदारी बकाया है।

8.0 ऋण एवं अग्रिम

8.1 रेलवे ब्रिज निर्माण करने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा एसईसी रेलवे को कुल 492.16 लाख रुपये में से 333.94 लाख रुपये दिए गये हैं जिसे आज की तारीख तक समायोजित किया गया है। चूँकि परिसंपत्ति कंपनी की नहीं है, एसईसी रेलवे से अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर शेष राशि 158.22 लाख रु. (167.16 लाख रु.) को समायोजित किया जाना है।

8.2 महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा जगन्नाथ एरिया में डिपोजिटरी वर्क के रूप में ईस्ट कोस्ट रेलवे को रेलवे ट्रैक के नवीनीकरण के लिए 3335.94 लाख रुपये की राशि जमा की गई है। रेलवे द्वारा उसकी उपयोगिता रिपोर्ट 31.03.2009 तक प्रस्तुत नहीं की गई। कम्पनी के कार्यपालक विभाग द्वारा दिये गये आँकलन के आधार पर देयता में क्रेडिट अनुरूप राजस्व के लिए 783.47 लाख रुपये चार्ज किये गये।

एसईसी रेलवे को हिंगुला एरिया के लिए विद्युतीकरण लाइन हेतु अग्रिम के रूप में 880.81 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

8.3 ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के ऋण एवं अग्रिम शीर्ष के अन्तर्गत 1469.85 लाख रुपये (13183.03 लाख रुपये) की स्त्रोत पर कर कटौती में डेबिट बैलेन्स विभिन्न वर्षों के लिए आय कर कटौती को दर्शाता है किन्तु यह अभी तक अन-रिफण्डेड है।

8.4 कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नियंत्रण वाले क्षेत्रों के ब्लाकों में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग करने के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा खर्चे का वहन

किया गया। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की वित्तीय स्थिति नाजुक होने के कारण इसे बीआईएफआर के अंतर्गत रखा गया है। प्रारंभिक रुप में खर्च का वहन कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा और जब उन ब्लाकों में खनन क्रिया-कलापों को प्रक्षेपित एवं कार्यान्वित किया जायेगा तब उसकी वसूली के लिए धारक कंपनी के खाते में भलीभाँति लिपिबद्ध कर लिया जायेगा। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नियंत्रण वाले क्षेत्रों के ब्लाकों में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग के लिए उक्त खर्चे को कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा निधिकरण किया जायेगा और जबसे उसे प्राप्त कंर लेखाबद्ध किया जाएगा, 5 वर्षों तक धारक कंपनी के खाते में समायोजन होने तक परिलक्षित किया जाता रहेगा।

उसके पश्चात यदि खनन क्रिया-कलापों के प्रक्षेपण के अभाव में अनिर्णित/असमंजित रहा, उक्त असमंजित राशि को धारक कंपनी के खाते में रिटेन आफ कर दिया जायेगा।

इस खाते में चालू वर्ष के अतिरिक्त 1236.94 लाख रुपये सहित कुल राशि दिनांक 31.03.2009 तक 5007.67 लाख रुपये हो गयी है। तथापि भरपूर सावधानी के रूप में इसे पूर्णतया प्रदत्त कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, इस प्रकार का खर्च होने से 5 वर्षों की समाप्ति का विचार करते हुए 675.51 (950.86 लाख रुपये) की राशि लिपिबद्ध करते हुए, उसके रिटेन आफ करने की तिथि का पूरा प्रावधान रखा गया है।

8.5 वर्ष 2007-08 के दौरान वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को 2004-05 से 2006-07 की अवधि के लिए कर्मचारियों को भाड़ा आधारित आवास उपलब्ध कराने हेतु ''डीम्ड पर्क्स'' पर आयकर काटने हेतु मुख्यालय, उमरेर और नागपुर क्षेत्र को सूचना भेजी गई। कंपनी ने सीआईटी (अपील), नागपुर के समक्ष अपील दायर की है जो अपील को दाखिल करने हेतु ब्याज सहित डिमांड के भुगतान पर जोर दे रहा है। तद्नुसार वर्ष 2007-08 के दौरान कंपनी ने 338.84 लाख रुपये मुख्यालय, उमरेर एवं नागपुर क्षेत्रों की दावा राशि का भुगतान किया है। उसे कर्मचारियों से प्राप्य अग्रिम के तहत अंकित किया गया है। कुल 75 अपील दायर की गई तथा कम्पनी के पक्ष में उन्हें समाप्त कर दिया गया। फिर भी, आय कर विभाग ने बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच में रिट दायर किया है जो कि विभाग की सीओडी अनुमति के अभाव में लम्बित है।

8.6 गरजनवहल में 220 किलोवाट ओवरहेड लाईन और 3/20 एमवीए 220 केवीए सब-स्टेशन के निर्माण हेतु ग्रिडको/ऑप्टिकल को ऋण और अग्रिम के रूप में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा भुगतान किया गया जिसमें 342.99 लाख रुपये (342.99 लाख रुपये) शामिल हैं।

8.7 नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा बिक्री कर के अग्रिम भुगतान में 3710.46 लाख रुपये (2591.57 लाख रुपये) प्रतिवाद के तहत भुगतान किये गये। 2437.90 लाख रुपये (2116.53 लाख रुपये) बिक्री कर एवं प्रदेश कर शामिल है जो अपील के तहत मामलों से संबंधित है।

8.8 ऋण एवं अग्रिम में 1358.74 लाख रुपये (2.6544 मिलियन यूएसडी) शामिल हैं जो कि मेसर्स झेन्झु कोल माइनिंग मशीनरी (ग्रुप) कम्पनी लिमिटेड, चाइना द्वारा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की डब्ल्यू.जे. एरिया को 17.692 मिलियन यूएसडी मूल्य के प्लान्ट तथा मशीनरी की आपूर्ति के विपरीत 15% अग्रिम है, इस अग्रिम को बैंक गारन्टी की सहायता प्राप्त है।

8.9 ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वर्षान्त में 275.84 लाख रुपये (275.84 लाख रुपये) का प्रावधान शामिल है तथा 22 जून 2009 को आयोजित ईसीएल के निदेशक मण्डल की 228वीं बैठक में यथा अनुमोदन से मार्च 1985 से पहले सप्लायर्स को अग्रिम तथा विविध क्रेडिटर्स के नेट अन-लिंक्ड तथा क्रेडिट बैलेन्स का समायोजन/रिटेन ऑफ किया गया है।

8.10 ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में 31 मार्च 1985 के पश्चात् लेखा में प्रकाशित देयता के अनुरूप सप्लायर्स कान्ट्रैक्टर्स कर्मचारियों के नेट अन-रिकनसीलेड अग्रिम के लिए 1585.78 लाख रुपये (1588.86 लाख रुपये) हैं।

9. नकद एवं बैंक में जमा

इसमें ओरीप टैक्स सहित कुल 116.12 लाख रुपये शामिल हैं जिसमें से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कॉरपस निधि हेतु 96.60 लाख रुपये तथा उसके ब्याज स्वरूप 19.52 लाख रुपये की राशि एमसीएल द्वारा प्राप्त की गई। न्यायालय के निर्देशानुसार, ब्याज से हुई आय को कर्मचारियों के कल्याण में उपयोग किया जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना अभी की जानी है। इसमें एसबीआई के पास जमा 20.00 लाख रुपये, उत्कल रंगमंच ट्रस्ट के कारपस फण्ड के लिए महानदी कोल काम्प्लेक्स की पहचान, ब्याज आय भी शामिल है जिसे ट्रस्ट को वितरित किया जाना है।

10. चालू देयताएं

10.1 उपभोक्ताओं से प्राप्त अग्रिम में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन निर्णय दिनांक 31.07.2001 के निर्देशानुसार वर्ष 2005-06 में महानदी कोलफील्ड्स द्वारा कोयले पर सेस की मद में उड़ीसा सरकार से प्राप्त राशि के विरूद्ध 840.27 लाख रुपये की मूल राशि (निबल भुगतान) तथा 947.11 लाख रुपये के ब्याज की राशि (निबल भुगतान) शामिल है। सेस देयता की अ-भुगतानित मूल राशि पर 12% की दर से संगणना करते हुए कंपनी ने 100.84 लाख रु. (100.84 लाख रु.) ब्याज उपलब्ध कराया है क्योंकि यह राशि उपभोक्ताओं को प्रत्यर्पणीय है। 31.03.2009 तक की समग्र देयता 2142.88 लाख रुपये (2042.05 लाख रुपये) है। कंपनी उन उपभोक्ताओं को अभी तक चिन्हित नहीं कर पायी है जिन्हें उक्त प्रत्यार्पण करना है। उपभोक्ताओं/पार्टियों को प्रत्यार्पण के लिए रूपात्मकता का अंतिम रूप देना अभी शेष है।

10.2 महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंतर्गत ड्यूलबेरा कोलियरी के अस्थिर कार्य के सुदृढ़ीकरण और बालू भराई के लिए चालू लेखा देयता और प्रावधान में लेखा में 746.73 लाख रुपये (800.30 लाख रु.) शामिल हैं। यह प्रावधान 944.41 लाख रुपये (वेतन एवं मजदूरी को छोड़कर) की विशुद्ध योजना के विरुद्ध चालू वर्ष के 53.57 लाख रुपये (144.1 लाख रु.) (वेतन एवं मजदूरी पर खर्च के अलावे) के खर्च के अतिरिक्त है। चूँकि ड्यूलबेरा कोलियरी में अस्थिर कार्य का सुदृढ़ीकरण बालू भराई वर्तमान विभागीय श्रमशक्ति द्वारा किया जा रहा है, 1643.53 लाख रुपये (1643.53 लाख रुपये) जो इस योजना का भाग है, को प्रदत्त नहीं किया गया है।

10.3 ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड 31.03.2008 को लागू दर पर लगातार दो वर्षों के औसत उत्पादन के मूल्य पर कोयला धारक भूमि पर आधारित वार्षिक मूल्य पर उपकर भुगतान करने की प्रक्रिया में है और कोयला प्रेषण के मूल्य पर ग्राहकों से वसूली में शेष संग्रह 91797.42 लाख रुपये (86227.44 लाख रुपये) है जिसे चालू देयता एवं प्रावधान के अंतर्गत सेस इक्वेलाइजेशन एकाउण्ट में प्रदर्शित किया गया है। 2001-02 तक अनुमानित राशि 26003 लाख रुपये (26003 लाख रु.) की अतिरिक्त माँग को आकस्मिक देयता में दिखाया गया है।

10.4 गजट अधिसूचना क्रमांक 34 दिनांक 18 जनवरी, 2006 के अनुपालन में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा कोयला/कोक की बिक्री पर बाजार शुल्क संग्रहण किया गया है परन्तु उसे उपयुक्त प्राधिकारी के पास जमा नहीं किया गया है क्योंकि यह मामला झारखण्ड उच्च न्यायालय में प्रकरण सं. 6507 वर्ष 2006 के अन्तर्गत न्याय हेतु लम्बित है।

10.5 रिजेक्ट एवं पावर शुल्क, जिसे बीसीसीएल द्वारा अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, को डीएलएफ के साथ संशोधित समझौता में प्राप्य देय ब्याज की संगणना नहीं की गयी है। यह मामला निर्णायक के पास लम्बित पड़ा है। तथापि डी.एल.एफ को भुगतान में विलम्ब के कारण वित्तीय वर्ष 2008-09 तक ब्याज की राशि रु. 830.76 लाख अस्थाई रूप से निर्धारित की गई है।

10.6 सिंगरौली म्युनिसिपल अथारिटी ने भवन निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति एवं संयुक्त शुल्क के खाते में 986.62 लाख रुपये (पिछले वर्ष की राशि 986.62 लाख रुपये) नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से दावा किया है जिसे लेखाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है। तथापि प्रतिवाद के तहत 600.00 लाख रुपये जमा कर दिया गया है।

10.7 मध्य प्रदेश की सरकार ने भू-राजस्व प्रीमियम के लिए नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से 6213.04 लाख रुपये (6213.04 लाख रुपये) का दावा किया है जिसके लिए आपत्ति के साथ रु. 300.00 लाख जमा कर दिया गया है।

10.8 कुछ उपभोक्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के पश्चात नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा उनसे कोयले की बिक्री पर एसएसएडीए कर की वसूली नहीं की गई है। उक्त खाते में जो राशि वसूली नहीं गयी है, वह दिनांक 31.03.2009 तक बढ़कर 399.07 लाख रु. (339.26 लाख रुपये) हो गयी है।

10.9 वर्षों से केन्द्रीय आबकारी विभाग वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंतर्गत सीडब्ल्यूएस तड़ाली को माइन्स एक्ट के स्थान पर फैक्ट्री एक्ट मानने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करता आ रहा है जिसमें माफी की गुँजाईश है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील (सीए सं. 8403-04/2003) का निर्णय कंपनी के पक्ष में हुआ है। सीईएसटीएटी से 53.47 लाख रुपये की शेष वापसी लंबित है। यद्यपि आवश्यक सीओडी अनुमति प्राप्त कर ली गई है और वर्ष के दौरान सीईएसटीएटी के समक्ष दुबारा अपील की गई है।

10.10 मिनरल वैलीडेशन अधिनियम, 1992 पर उपकर और अन्य करों के लागू होने के कारण सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड तथा

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 04.04.1991 से उपभोक्ताओं पर पूरक बिल का दावा किया है। 10328.70 लाख रुपये (10328.90 लाख रुपये) ''चालू देयताएँ एवं प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत उपकर के लिए देयता के रूप में दर्शाया गया है। 1992 की याचिका सं. डीब्ल्यूजेसी/1280 में माननीय उच्च न्यायालय पटना, राँची बेंच के निर्णय को ध्यान में रखते हुए उपकर भुगतान योग्य नहीं है, तथापि इसके विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष लीव याचिका लंबित है।

10.11 मध्य प्रदेश सरकार ने ''मध्य प्रदेश ग्रामीण अधोसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम-2005'' पारित किया है जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2005-06 के बाद से अर्जित की गई कोयला धारक भूमि/खनिज भूमि के वार्षिक मूल्य पर 5% की दर से ग्रामीण कर प्रभार लगाया गया है। यह कर विधिवत् कोयला उपभोक्ताओं से इक्टठा किया जाता है। कुछ उपभोक्ता मध्य प्रदेश, उच्च न्यायालय में गये हैं और माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के दिनांक 15.02.2006 के अंतरिम आदेश के अनुसार कंपनी को यह निर्देशित किया गया है कि उक्त कर राज्य सरकार के पास न जमा करते हुए उसे नियत जमा में रखा जाए। न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक कंपनी ने इस 5% ग्रामीण कर को जमा न करते हुए मुख्यालय के नियत जमा में रखा है। इस शीर्षक के अंतर्गत 31.03.2009 तक बिल की गई राशि 13484.48 लाख रुपये (10838.21 लाख रु.) है।

10.12 नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सर्विस टैक्स ऑथोरिटी से एनसीएल की मध्यप्रदेश परियोजनाओं के सम्बन्ध में 01.01.2005 से 30.09.2006 की अवधि के सड़क द्वारा कोयला की ढुलाई से सम्बन्धित 272.45 लाख रुपये का डिमाण्ड नोटिस प्राप्त किया है। कानूनी सलाह के अनुसार, कोयला की ढुलाई के खाते में कोई सर्विस टैक्स देय नहीं है तथा उक्त आदेश के खिलाफ एक अपील दायर की गई है। हालांकि विरोध के अंतर्गत कंपनी ने 01.01.05 से 31.03.2009 की अवधि के लिए 687.67 लाख रुपये (505.81 लाख रुपये) जमा किये हैं।

10.13 कम्पनी ने मध्य प्रदेश शासन द्वारा लगाये गये मध्यप्रदेश ग्रामीण अधोसंरचना तथा विकास उपकर के लिए 31.03.2009 तक ग्राहकों को 27680.67 लाख रुपये का बिल भेजा है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपकर की वसूली के लिए विशेष याचिका के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है तथा मध्यप्रदेश शासन को अभी तक राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

एसईसीएल में कुछ ग्राहकों द्वारा मध्यप्रदेश सड़क विकास उपकर की वैधता को न्यायालय में चुनौती दी गई है तथा प्रकरण न्यायाधीन है। यद्यपि एसईसीएल ने कर की वसूली की है तथा इसे देयता के रूप में अपने खाते में रखा है एवं अप्रैल 2009 से प्रभावी सीएलटीडी के हित में इस राशि का निवेश किया गया है।

एसईसीएल द्वारा 9.12.2005 से 31.03.2009 की अवधि के लिए ब्याज भुगतान की देयता स्पष्ट नहीं है। इसलिए यदि कोई प्रतिकूल निर्णय आता है तब कम्पनी को ब्याज की देयता जो कि आज की तिथि तक अनिश्चित है, अपने ऊपर लेनी पड़ सकती है।

कम्पनी ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लगाये गये छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर के लिए ग्राहकों को 31.03.2009 के अनुसार 30489.95 लाख रुपये का बिल भी भेजा है। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.10.2007 के अपने अन्तरिम आदेश में छत्तीसगढ़ शासन को कम्पनी से रिट याचिका के अंतिम परिणाम की शर्त पर कर वसूलने की अनुमति दी है तथा कम्पनी ने 31.03.2009 तक इसमें 29596.39 लाख रुपये जमा किये हैं।

कम्पनी ने मध्य प्रदेश शासन द्वारा लगाये गये टर्मिनल कर के लिए ग्राहकों को 31.03.2009 तक 2883.06 लाख रुपये का बिल भेजा है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा लगाये गये इस उपकर को माननीय जबलपुर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अनुसार 929.66 लाख रुपये जमा किये गये हैं।

11.0 विदेशी मुद्रा ऋण:

11.1 विभिन्न अनुषंगियों में कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु आईबीआरडी एवं जेबीआईसी बैंको से लिए गये विदेशी विनिमय ऋण को असुरक्षित ऋण (अनुसूची-डी) शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

आईबीआरडी एवं जेबीआईसी बैंकों से अनुबन्ध के समय कोल इण्डिया लिमिटेड ने इसमें हिस्सेदार अनुषंगियों के साथ बैक

टू बैक ऋण अनुबन्ध किया है और विनिमय दर के अन्तर के प्रभाव सहित ऋण को 'अनुषंगियों को ऋण' के अन्तर्गत दर्शाया है और अन्य सभी वित्तीय प्रभार यथा ब्याज, उत्तर दायित्व प्रभार इत्यादि तथा अर्जित ब्याज को 'अनुषंगियों के साथ चालू खाता' के माध्यम से स्थानान्तरित कर दिया है।

अनुषंगी कंपनियों के उधार-ग्रहण एवं अन्य लागत के लिए (विनिमय भिन्नता सहित) प्राप्त किया गया विदेशी मुद्रा ऋण को संबंधित अनुषंगी कंपनियों से वसूली कर लिया गया है। उपरोक्त वर्णित उधार-ग्रहण एवं इसके ब्याज के एक भाग पर कंपनी ने विनिमय संपादन हेतु निर्दिष्ट किया है। विनिमय संपादन के फलस्वरूप लाभ/हानि (केवल विनिमय के सिद्धान्त पर जो संबंधित अनुषंगी कंपनियों से वसूली की जा रही है) को विदेशी विनिमय संपादन के लिए आरक्षित किया जा रहा है। उक्त विनिमय संपादन के शुद्ध परिणाम के अनुसार एवं विदेशी मुद्रा ऋण की अदायगी के पूर्ण होने के पश्चात, अनुषंगी कंपनियों से वसूली/भुगतान किया जायेगा।

11.2 31.3.2009 तक विद्यमान समग्र अंकित संरक्षण विनिमय (सकारात्मक मूल्य का शुद्ध) बाजार की स्थिति 1676.00 लाख रुपये (ऋणात्मक) है। फिर भी 31.3.09 के अनुसार अंकित ऋणात्मक स्थिति का बाजार मूल्यांकन 6 अलग विदेशी मुद्रा विनिमय में सम्मिलित हैं, विनिमय से पूर्व इसका धनात्मक मूल्य 1913.00लाख रुपये (2330.00 लाख रुपये) है।

इसके अतिरिक्त वित्तीय साधन पर लेखा मानक-30 भारत के चार्टर्ड एकाउन्टेट (आईसीएआई) द्वारा जारी मान्यता तथा माप दिनांक 01.04.2009 से अनुशंसात्मक अनुपालन के साथ जारी किये गये हैं तथा ये दिनांक 01.04.2011 से अनिवार्य माने जायेंगे यद्यपि नकली (Derivative) के लिए लेखा पर आईसीएआई की अगली उद्घोषणा से 2330.00 लाख रुपये राशि वाले विदेशी व्यापार विनियम की बाजार की स्थिति का मूल्यांकन जिसे ऋणात्मक आंका गया है, को वर्ष 2007-08 के लेखा में उपलब्ध कराया गया है। 31.03.2009 के अनुसार बाजार को ऋणात्मक मानते हुए, यथोक्त तथाकथित उत्पन्न प्रावधान को उपयुक्त रूप से समायोजित किया गया है।

11.3 विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं में अचल सम्पत्तियों की ढुलाई (कैरिंग) लागत तथा अनुकूल स्टोर्स खपत को सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के मामले को छोड़कर जहाँ लाभ तथा हानि लेखा में 3257.21 रुपये के प्रतिकूल प्रभाव को डैबिट किया गया है, विश्व बैंक से प्राप्त ऋण के मामले में इसे विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव में समायोजित किया गया है।

12. लाभ एवं हानि लेखा

12.1 निदेशक विद्युत, पश्चिम बंगाल सरकार के पास बीआईएफआर की स्वीकृति योजना के तहत उनके पत्रांक 40/पीए/पीआर सचिव/आईआरपीई दिनांक 30.8.2005 के अनुसार ईसीएल के पुनरुद्धार के लिए अपेक्षित सहायता/छूट के सहयोग में 4766.83 लाख रुपये का कुल दावा दायर किया गया था। वर्ष के दौरान 608.54 लाख रुपये (1516.55 लाख रु.) प्राप्त किये गये तथा शेष राशि 2641.75 लाख रुपये (3250.28 लाख रु.) की वसूली की प्रक्रिया चालू है।

12.2 वेजबोर्ड कर्मचारियों के लिए 01.07.2006 से प्रभावी राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (एनसीडब्ल्यूए-VIII) को जनवरी 2009 में अंतिम रूप दिया गया। अधिकारियों के लिए अगला वेतन संशोधन (01.01.2007 से प्रभावी) को मई 2009 में अंतिम रूप दिया गया। दिनांक 01.01.07 से 31.03.09 के दौरान सेवा निवृत्त हो चुके कर्मचारियों का ग्रैच्युटी प्रभाव (12.9 में दर्शायी गई बीमांकित देयता को छोड़कर) तथा वेतन संशोधन के वित्तीय प्रभाव को संक्षिप्त रूप से निम्नानुसार दर्शाया गया है :

	लाख रुपये
वेतन संशोधन का प्रभाव	653845.81
वर्ष 2008-09 के दौरान भुगतान किया गया अन्तरिम राहत (आई.आर.)	204498.02
31.03.2009 के अनुसार देयता समापन	449347.79
2008-09 में उपलब्ध देयता	411577.97
2008-09 में विचारार्थ वेतन संशोधन का शुद्ध प्रभाव	478238.06
(31.03.2008 के अनुसार देयता प्रारम्भ)	(175607.75)

उपरोक्त के अलावा, 01.01.2007 से 31.03.09 की अवधि के दौरान सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाले वेतन तथा मजदूरी के संशोधन के लिए ग्रेच्युटी का प्रभाव 43706.05 लाख रुपये पड़ता है।

12.3 अधिकारियों तथा वेज बोर्ड कर्मचारियों को वेतन तथा मजदूरी के प्रभाव को मिलाकर ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश नगदीकरण तथा अर्धवेतन अवकाश नकदीकरण के लिए 31.03.2009 के अनुसार बीमांकित देयता में पूर्व संशोधित वेतन तथा मजदूरी के अतिरिक्त उपरोक्त लाभ क्रमश: 268178.61 लाख रुपये, 21719.50 लाख रुपये तथा 7813.35 लाख रुपये है।

12.4 जीवन कवर योजना, समझौता भत्ता, सकल व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, अवकाश यात्रा रियायत, सेवा निवृत्त अधिकारी चिकित्सा लाभ, खान दुर्घटना में मृत्यु के मामले में आश्रितों को क्षति पूर्ति जैसे कुछ अन्य लाभ की वर्षान्त देयता बीमांकिक आधार पर मूल्यांकित है।

12.5 सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को छोड़कर दो नये कर्मचारी लाभ यथा सेवा निवृत्त अधिकारी चिकित्सा लाभ योजना तथा खान दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के लिए देयता चालू वर्ष से बीमांकिक आधार पर मूल्यांकित है। 31.03.09 के अनुसार ऐसे बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित लागत को चालू वर्ष के आय विवरण में समायोजित किया गया है।

12.6 इन दो कर्मचारी लाभ योजनाओं के बीमांकिक पर ऐसे मूल्यांकन के कारण कम्पनी का लाभ 15214.52 लाख रुपये तक घट गया है अर्थात सेवानिवृत अधिकारी चिकित्सा लाभ के खाते में 454.66 लाख रुपये तथा खान दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को देय क्षतिपूर्ति के खाते में 14759.86 लाख रुपये।

12.7 कुछ कर्मचारी लाभ के लिए देयता अर्थात गैर अधिकारियों के लिए वीआरएस, कर्मचारियों के लिए कार्य के दौरान मृत्यु पर रोजगार के बदले एक्स-ग्रेसिया इत्यादि को बीमांकिक आधार पर मूल्यांकित नहीं किया गया है।

12.8 बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित 31.03.2009 के अनुसार कुल देयता, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, 988342.63 लाख रुपये है, जिसमें वेतन संशोधन तथा पूर्व संशोधित वेतन एवं मजदूरी के लाभ के लिए बनाये गये अतिरिक्त बीमांकिक प्रावधान हेतु 312925.98 लाख रुपये का प्रभाव शामिल है।

31.03.2009 के अनुसार बीमांकिक देयता :

शीर्ष	01.04.08 के अनुसार बीमांकिक देयता समापन	पूर्व संशोधित वेतन पर आधारित वृद्धिगत देयता	वेतन संशोधन तथा लाभ के लिए अतिरिक्त प्रावधान	31.03.09 के अनुसार बीमांकिक देयता समापन
उपदान	508018.20	49194.03	268178.61	825390.84
अर्जित अवकाश	54403.55	26991.46	21719.50	103114.51
अर्ध वेतन अवकाश	13445.88	7567.46	7813.35	28826.69
जीवन कवर योजना	3846.63	2107.81	0.00	5954.44
समझौता भत्ता	268.47	46.95	0.00	315.42
सकल व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	118.43	6.24	0.00	124.67
अवकाश यात्रा रियायत	8271.34	1130.20	0.00	9401.54
चिकित्सा लाभ	0.00	0.00	454.66	454.66
खान दुर्घटना में मृत्यु के कारण आश्रितों को क्षतिपूर्ति	0.00	0.00	14759.86	14759.86
योग	**588372.50**	**87044.15**	**312925.98**	**988342.63**

12.9 बीमांकिक पूर्वानुमान का सारांश निम्नलिखित है:

उपयोग किया गया सूत्र	प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट प्रणाली
ब्याज दर	8.5%
मुद्रास्फाति दर	5.0%
मृत्यु संख्या दर	एलआईसीआई 1994/96
अट्रीशन दर	1%

13. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड तथा भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लिमिटेड में निवेश

13.1 दिनांक 31.3.2009 के अनुसार बीसीसीएल तथा ईसीएल के पूंजीगत शेयर में कम्पनी का निवेश जो कि लम्बी अवधि का है, क्रमश: 211800.00 लाख रुपये तथा 221845.00 लाख रुपये की राशि का है। ईसीएल तथा बीसीसीएल रुग्ण हो गई हैं तथा रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के अन्तर्गत बीआईएफआर में चली गई हैं। ईसीएल तथा बीसीसीएल के पुनर्गठन/पुनरुद्धार की योजनायें अग्रिम अवस्था में हैं।

ईसीएल के पुनर्गठन/पुनरुद्धार वाली अनुशंसित योजना आपरेटिंग एजेन्सी द्वारा बनाई गई है तथा वह बीआईएफआर के विचाराधीन है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के पुनर्गठन/पुनरुद्धार की योजनायें अग्रिम अवस्था में है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पुनर्गठन/पुनरुद्धार वाली अनुशंसित योजना आपरेटिंग एजेन्सी द्वारा बनाई गई है तथा यह बीआईएफआर के विचारधीन है एवं एक बाह्य एजेन्सी द्वारा इसकी समीक्षा की गई है।

सीआईएल बोर्ड से इसकी स्वीकृति मिल चुकी है तथा यह सक्षम अधिकारी के विचाराधीन है। जैसे ही पुनरुद्धार योजना को अंतिम रूप दे दिया जाता है तथा इन कम्पनियों की वित्तीय स्थिति के कार्यान्वयन में धीरे-धीरे सुधार आने लगेगा तब ये समर्थ कम्पनियों में तबदील हो जायेंगी। उपरोक्त दृष्टि से निवेश के मूल्य में ह्रास, यदि कोई है, तो वह अस्थाई प्रकृति का है तथा इसलिए यह लागत पर मूल्यांकित है। इसी प्रकार की अनुरूपता, अर्थात उपरोक्त कथित स्थिति के अनुसार अनुषंगियाँ समर्थ कम्पनियों में तबदील हो जायेगी, इन अनुषंगियों से बकाया ऋण के किसी भी प्रावधान पर विचार नहीं होगा।

14. लेखा नीति में परिवर्तन का प्रभाव

14.1 वर्ष के दौरान एलएचडी तथा एसडीएल के उपयोगी लाइफ की समीक्षा की गई है। तद्नुसार उन वर्गों के ह्रास दर को संशोधित किया गया है, परिणाम स्वरूप 5200.61 लाख रुपये के ह्रास के अतिरिक्त प्रभार को तथा वर्ष के लाभ को कुछ हद तक कम कर दिया गया है।

14.2 भूमि के पूँजीकरण के लिए कम्पनी की नीति में बदलाव के कारण वर्ष के दौरान नगद मुआवजा व्यय तथा पुनर्वास व्यय को पूँजीकृत किया गया है। अत: वर्ष के लाभ के लिए इसे 247.62 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है।

14.3 कोयले के समापन (क्लोजिंग) स्टाक के मूल्य निर्धारण के तरीके में हुए बदलाव के कारण, पूर्व अवशोषण लागत आधारित (सामान्य क्षमता) पर चालू वर्ष के लाभ में 316.56 लाख रुपये तक की कमी आई है।

15. संचालन का बंद हो जाना

15.1 **सीबीई प्लान्ट, भण्डारा-वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड**

उक्त प्लान्ट में कम्पनी की भूमिगत खदानों में प्रयुक्त किया जाने वाला निर्मित नाइट्रो ग्लीसरीन का परमिटेड विस्फोटक के

आधार पर उपयोग होता था। देश में विस्फोटक पर आधारित नाइट्रो-ग्लीसरीन के उत्पादन बन्द/प्रतिबन्धिति करने हेतु भारत सरकार के निर्णय के फलस्वरूप, और इसे आर्डिनेंस फैक्टरी, भारत के द्वारा अभंगीकरण करने से संयुक्त साझेदारी से चलने वाला यह प्लान्ट दिनांक 28.04.2003 से बन्द कर दिया गया था।

कोल इण्डिया लिमिटेड ने उक्त परियोजना के समापन के लिए स्वीकृति दे दी थी और दिनांक 19.04.2006 को अपनी 197वीं बोर्ड की बैठक में यंत्र एवं संयंत्रों को निविदा/ई.नीलामी द्वारा निपटान के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। तदनुसार एमएसटीसी के माध्यम से नीलामी द्वारा चालू वर्ष में सम्बद्ध कल-पुर्जों सहित यंत्रों का निपटान किया गया है। 11.84 लाख रु. की कुल अवरुद्ध परिसम्पत्तियाँ निपटान के लिए लम्बित है। परियोजना के बन्द होने के पश्चात दिनांक 31.03.2009 तक परियोजना के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए 39.56 लाख रु. की अतिरिक्त देयतायें थीं।

चालू वर्ष में रु. 0.01 लाख रु. (2.69 लाख रुपये) का राजस्व खर्च किया गया है जबकि यह परियोजना लाभ/हानि रहित के आधार पर चल रही थी, इसलिए सभी खर्च को क्षेत्रों को प्रभारित कर दिया गया है। इस प्रकार से लाभ/हानि का कोई प्रश्न नहीं उठता है। परियोजना के विच्छेदन का संचालन, निवेशी एवं वित्तीयकरण से 0.01 लाख रु. (0.23 लाख रुपये) शुद्ध कैश आउटफ्लो (बाहिर्वाह) आरोप्य है।

15.2 डी. एफ.डी.प्लान्ट, हिंगन घाट-वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

उक्त प्लान्ट को घरेलू ईंधन के उद्देश्य से कच्चे कोयले से कोयला ब्रिकेटों के निर्माण हेतु उपयोग किया जा रहा था। उक्त प्लान्ट के व्यवहार्यताहीन होने के परिणाम स्वरूप, बोर्ड के निर्णय के अनुसार वर्ष 1994 में प्लान्ट को बन्द कर दिया गया था।

प्लान्ट के निपटान की प्रक्रिया चल रही है, और अभी प्लान्ट के विच्छेदन कार्य को पूरा करने के लिए वास्तविक तिथि को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। 2.64 लाख रु. की कुल अवरुद्ध परिसम्पतियाँ निपटान के लिए लम्बित हैं, और नगरपालिका-कर के खाते में 2.42 लाख रु. की देयतायें हैं। कम्पनी ने उक्त कर के मांफी हेतु प्राधिकारी को आवेदित किया है। चालू वर्ष में 0.52 लाख रु. (1.10 लाख रु.) राजस्व खर्च किया गया है। जबकि उक्त प्लान्ट विगत 10 वर्षों से संचालित नहीं है तो भी अभी तक उक्त प्लान्ट के अन्तिम निपटान का कार्य, प्लान्ट के विच्छेदन का संचालन, निवेशी एवं वित्तीयकरण का कुछ भी कैश वाहिर्वाह आरोप्य नहीं है।

16. सामान्य

16.1 ''बैक फिलिंग के लिए प्रावधान से सम्बन्धित अपनाई गई पद्धति पर समिति की रिपोर्ट तथा पर्यावरण जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य आवश्यक कार्य चाहे वह ईएमपी को कवर करता है अथवा नहीं'' के लेखा में 31406.73 लाख रुपये (34778.65 लाख रुपये) की राशि उपलब्ध कराई गई है जो कि वर्ष के अन्त तक उत्खनित क्षेत्र को तकनीकी तथा जैवकीय रिक्लेमेशन के लिए प्रत्येक प्रति हेक्टेयर 75,000/- रुपये के बराबर होता है, जो क्षेत्र के यथानुपात से कम है, जिसका बैक फिलिंग किया जाना आवश्यक नहीं है।

16.2 कम्पनी के प्रकटीकरण के उद्देश्य से माईक्रो, स्माल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवेलपमेन्ट एक्ट, 2006 (एमएसएमईडीए, 2006) की व्यवहारिकता पर तथा अन्य आवश्यकताओं पर परीक्षण किया जा रहा है, जिसके लम्बित होने के कारण, एमएसएमईडीए, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक प्रकटीकरण को नहीं बनाया गया है।

16.3 भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लिमिटेड 31.3.2009 तक क्रमशः 2922.48 लाख रुपये, 7705.88 लाख रुपये तथा 175.00 लाख रुपये का जेएपी, एमएसआरसी तथा आर एण्ड डी अनुदान प्राप्त कर चुका है तथा इनके विपरीत हुआ कुल व्यय निम्नलिखित है :

(रुपये लाख में)

	जेएपी योजना	एसएसआरसी योजना	आर एण्ड डी
पूँजीगत	422.01	3182.19	50.21
राजस्व	331.79	540.77	38.88

16.4 1 मिलियन टन अथवा उससे अधिक क्षमता वाले ओपेनकास्ट माइन के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार ओबीआर एकाउन्टिंग किया जाना है। फिर भी, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की आमलो परियोजना के मामले में प्रारम्भ से ही अर्थात विगत 22 वर्षों से इसका पालन नहीं किया गया है।

16.5 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, किंग्रसवे शाखा, नागपुर के बैंक विवरण के साथ खाता के अनुसार वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के बैंक बैलेन्स के विपरीत 31.03.2009 तक इसमें 19.39 लाख रुपये का एक असामंजस्य अन्तर है। इसके सामंजस्य के लिए रिकार्ड पुनर्सत्यापनाधीन हैं।

16.6 प्रति शेयर आय

क्र.मं.	प्रति शेयर अर्जन विवरण	31 मई, 2009 के अनुसार	31 मार्च, 2008 के के अनुसार
1.	कराधान के पश्चात लाभ (रु. लाख में)	210509.19	524246.18
2.	विदेशी मुद्रा के लिए रिजर्व हेतु जोड़/(कमी) समायोजन	698.81	1384.77
3.	इक्विटी शेयर धारकों को कर आरोप्य के पश्चात शुद्ध लाभ	207170.36	522861.41
4.	वर्ष के दौरान बकाया शेयरों का औसत मूल्य	63163644	63163644
5.	प्रति शेयर बेसिक तथा डायलेटेड अर्जन (अंकित मूल्य 000 रुपये/शेयर)	327.99	827.97

16.7 निदेशकों का पारिश्रमिक

(रुपये लाख में)

विवरण	*2008-09*	*2007-08*
वेतन तथा भत्ता	521.74	347.64
अनुलाभ तथा अन्य	80.64	68.48
कुल	**602.38**	**416.12**

16.8 आस्थगित कर सम्पत्ति/देयता

आस्थगित कर सम्पत्ति/देयता को पनर्संस्थापित किया जा रहा है चूँकि ये कर कानून के उसी संचालन द्वारा लगाये आय पर करों से सम्बन्धित हैं, 31 मार्च, 2009 के अनुसार तथा 31 मार्च, 2008 के अनुसार आस्थगित कर सम्पत्ति/देयता नीचे दी गई है :

विवरण	31.3.2009 के अनुसार	31.3.2008 के अनुसार
आस्थगित कर देयता	55311.01	55969.04
विकास व्यय से सम्बन्धित	7045.64	7973.08
अन्य से सम्बन्धित	305.91	305.91
कुल	**62662.56**	**64248.03**
आस्थगित कर सम्पत्ति :		
संदिग्ध ऋण, दावा इत्यादि के लिए प्रावधान	43029.44	38079.08
आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 43बी के अन्तर्गत अस्वीकृत	21145.65	13015.15
कर्मचारी सेवा निवृत्ति/बोनस/वीआरएस	82072.09	73565.07
अन्य	9091.92	17596.27
कुल	**155339.10**	**142255.56**
आस्थगित कर सम्पत्तियाँ (शुद्ध)	**92676.53**	**78007.54**

17. संयुक्त उद्यम में ब्याज (Interest) की वित्तीय प्रस्तुतिकरण

17.1 कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार, कम्पनी दिनांक 30.06.2007 को नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन तथा हिन्डालको इन्डस्ट्रीज के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता (DVA) में शामिल हुई है जिसका मूल उद्देश्य एकल खान के रूप में सर्वोत्तम तकनीक के फैलाव के लिए तथा कोयला संरक्षण के लिए तालाबिरा II तथा III कोयला ब्लाक में संयुक्त रूप से कोयला खनन गतिविधि को संचालित करना है। इस सम्बन्ध में हुए व्यय को ईब वैली क्षेत्र के खाता में पूर्वेक्षण एवं वेधन शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज किया गया है।

17.2 इसके अतिरिक्त, कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार कम्पनी दिनांक 12.11.2007 को उत्कल ए तथा गोपाल प्रसाद (पश्चिम) में संयुक्त कोयला खनन गतिविधि के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू इनर्जी लिमिटेड, जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड तथा श्याम डीआरआई पावर लिमिटेड के साथ एक अन्य संयुक्त उद्यम समझौते में शामिल हुई है। इन परियोजनाओं में हुए व्यय को कंपनी द्वारा हिन्गुला क्षेत्र के पूर्वेक्षण एवं बेधन शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। इसमें होने वाले व्यय के विवरण की पहचान लम्बित होने से इसे सम्बधित संयुक्त उद्यम कम्पनियों के शीर्ष में स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

17.3 सीआईएल विदेशी कोयला परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए संयुक्त उद्यम के माध्यम से सीआईएल/सेल/आरआईएनएल/एनटीपीसी तथा एनएमडीसी को मिलाकर विशेष प्रयोजन व्हीकल के गठन के सम्बन्ध में (24 नवम्बर 2007 को आयोजित अपने बोर्ड की 237वीं बैठक में लिए गये अनुमोदन के तहत) एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। एसपीबी के गठन को भारत सरकार द्वारा 4 नवम्बर 2007 को अनुमोदित किया गया है।

समझौते के अनुसार, सीआईएल एसपीवी में 1000 करोड़ रुपये निवेश करेगी। एसपीवी के प्रयोजन के लिए कम्पनी का पंजीकरण अग्रिम स्तर पर है तथा 31.03.2009 तक सीआईएल ने प्रारम्भिक व्यय (पूर्व-निगमन) के लिए अपने हिस्से का कुल 50 लाख रुपये का भुगतान किया है। एसपीवी के लिए कम्पनी के गठन के लम्बित अंतिम रूप देने से एसपीवी में प्रारम्भिक योगदान को ऋण तथा अग्रिम अनुसूची में एसपीवी में निवेश के रूप में दिखाया गया है।

17.4 कोयला मंत्रालय से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार संयुक्त उद्यम समझौते के आधार पर अनुषंगियों को शामिल करते हुए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने पूँजीगत तथा अन्य व्यय के लिए पैसा जमा/ऋण स्थानान्तरित किया है।

31.03.2009 के अनुसार निवेश तथा अन्य चालू खातों की स्थिति नीचे दी गई है :

	अनुषंगी का नाम	अनुंषगी में स्टेक	निगमन की तारीख	पता	31.03.2009 के अनुसार समेकित लेखा के रूप में अल्प ब्याज
1.	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	70%	16.07.2008	आनन्द विहार, बुरला	27.00 लाख रुपये
2.	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	60%	13.08.2008	हाउस सं. 42, प्रथम तल, आनन्द नगर, हाकिम पारा अंकुल	162.72 लाख रुपये

उक्त दोनों अनुषंगियाँ विकास के चरण में है और इससे संबंधित व्यय को समेकित किया गया है।

18. आकस्मिक देयताएँ/पूंजीगत प्रतिबद्धतायें

18.1 पूंजीगत लेखा पर शेष कार्यान्वित की जाने वाली राशि 97136.61 लाख रुपये (162506.97 लाख रु.) है।

18.2 कम्पनी के विरुद्ध दावा 795616.74 लाख रु. (663765.50 लाख रु.) को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।

18.3 आउट स्टैण्डिंग लेटर ऑफ क्रेडिट की राशि 52964.59 लाख रुपये (4245.45 लाख रुपये) हैं।

18.4 कम्पनी ने जेबीआईसी और आईबीआरडी बैंकों से ऋण प्राप्त करने और अपनी अनुषंगी कम्पनियों को ऋण देने के लिए भारत सरकार को काउन्टर गारन्टी दी है, जिसकी बकाया राशि क्रमश: 90076.66 लाख रुपये और 88585.83 लाख रुपये है।

18.5 बैंक द्वारा जारी बकाया आस्थगित भुगतान गारन्टी की राशि 1385.77 लाख रुपये (1860.71 लाख रुपये) है।

ह./-
(डा. एच. सरकार)
मु. म. प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव

ह./-
(ए. कुण्डू)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

ह./-
(एस. भट्टाचार्या)
निदेशक (वित्त)

ह./-
(पार्थ एस. भट्टाचार्या)
अध्यक्ष

हमारे संलग्न रपट के अनुसार
कृते मित्रा कुण्डू एवं बसु
अकेक्षक लेखाकार

ह./-
(एस. दास)
पार्टनर
सदस्य सं. - 051391

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 23 जुलाई, 2009

31 मार्च 2009 के लिए कोल इण्डिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

1. हमने कोल इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ हानि लेखा और समेकित कैश-फ्लो स्टेटमेन्ट की जाँच की।

   इन समेकित विवरणों की जिम्मेवारी कोल इण्डिया लिमिटेड प्रबंधन की है और ये अलग वित्तीय विवरण एवं घटक के संबंध में अन्य वित्तीय सूचना के आधार पर प्रबंधन द्वारा तैयार किये गये हैं। हमारी जिम्मेवारी इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपना विचार प्रकट करना है जो हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित हैं।

2. भारत में प्रचलित लेखा परीक्षा मानक के अनुसार हमने लेखा परीक्षा की है। मानक के लिए आवश्यक है कि हम तर्कसंगत प्रत्याभूति प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनायें एवं उसपर कार्रवाई करें ताकि वित्तीय प्रतिवेदन के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामग्री से संबंधित वित्तीय विवरण तैयार किया जा सके। लेखा परीक्षा में जांच के आधार पर परीक्षण, राशि के समर्थन में प्रमाण और वित्तीय प्रतिवेदन में इसका प्रकटीकरण होता है, अन्तरविष्ट है। इसमें प्रबंधन द्वारा गणना के लिए निर्धारित गणना सिद्धान्त का ही प्रयोग है और इसी तरह से सभी वित्तीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे विचारों का एक संगत आधार प्रस्तुत करेगा।

3. हमने निम्नलिखित अनुषंगी कम्पनियों के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा नहीं की है। ये वित्तीय विवरण एवं अन्य वित्तीय सूचना अन्य लेखा परीक्षक द्वारा अंकेक्षित हैं, जिसका प्रतिवेदन हमें दिया गया था और हमारे विचार से जहाँ तक इन अनुषंगी कम्पनियों की राशि का संबंध है, वह अन्य अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित रिपोर्ट पर पूर्णत: आधारित है। प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य तथा निर्माण के दौरान खर्च, 31 मार्च, 2009 को वर्ष समाप्ति के कुल राजस्व सहित इन अनुषंगी कम्पनियों की कुल परिसम्पत्तियाँ निम्न प्रकार हैं-

(रूपये लाख में)

अनुषंगी कम्पनी	परिसम्पत्ति	राजस्व
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	127351.48	410379.78
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	122479.03	496469.72
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	175825.19	664397.09
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	217811.31	735642.19
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	158899.30	626121.09
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	302704.86	946669.21
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	172602.52	657678.36
सी.एम.पी.डी.आई.एल.	6721.15	33276.88

4. समेकित वित्तीय विवरण कोल इण्डिया प्रबंधन द्वारा इन्सट्टिच्यूट ऑफ एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण लेखा मानक-21 (कॉन्सोलिडेटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड-21) के आवश्यकतानुरूप तैयार किया गया है।

5. हमारी लेखा परीक्षा एवं सूचना और हमें प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर हमारा मत है कि इसे संलग्न समेकित वित्तीय विवरण अनुसूची- ''एम'' की टिप्पणी के साथ पढ़ा जाय, जो भारत में साधारणत: प्रचलित लेखा सिद्धान्त के अनुसार सत्य एवं स्पष्ट प्रतीत होता है।

(क) समेकित तुलन पत्र की स्थिति में कोल इण्डिया लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2009 की आर्थिक स्थिति।

(ख) समेकित लाभ-हानि की स्थिति में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष में लाभ।

(ग) समेकित कैश-फ्लो विवरण की स्थिति में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष में कैश फ्लो।

कृते- मित्रा, कुण्डू एवं बसु
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

ह./-
(एस. दास)
पार्टनर
सदस्य सं. 051391

स्थान - कोलकाता
दिनांक - 23 जुलाई, 2009

वार्षिक लेखा

2008–2009

कोल इण्डिया लिमिटेड
10, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता – 700 001

तुलन पत्र

31 मार्च, 2009

(लाख रुपये में)

	अनुसूची		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष
I. निधि के स्रोत					
(अ) अंशधारियों की निधि					
(क) शेयर पूँजी	क		631636.44		631636.44
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	ख		769701.71		610705.65
(ब) शिफ्टिंग एवं पुनर्वास निधि	ग		122384.28		94587.79
(स) ऋण निधि					
(क) असुरक्षित	घ		178662.49		151083.28
			1702384.92		**1488013.16**
II. निधि का प्रयोग					
(अ) स्थिर परिसंपत्तियाँ	च				
(क) स्थिर परिसंपत्तियाँ		**36933.86**		**35530.45**	
घटाकर : मूल्य ह्रास		24898.97		24265.25	
		12034.89		11265.20	
घटाकर : क्षति के लिए प्रावधान		2496.25		2354.83	
		9538.64		8910.37	
घटाकर : अन्य प्रावधान		41.51		40.41	
			9497.13		8869.96
(ख) पूँजीगत कार्य प्रगति पर		671.12		553.69	
घटाकर : प्रावधान		490.72		446.52	
			180.40		107.17
(ग) सर्वे ऑफ परिसंपत्तियाँ			**0.97**		—
(ब) निवेश	छ		631636.37		631636.37
(स) वर्तमान परिसंपत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम					
सामग्री सूची	ज	1952.39		1043.93	
विविध देनदार	झ	2.02		0.00	
नकद एवं बैंकों में बचत राशि	ट	646276.46		466395.81	
ऋण एवं अग्रिम	ठ	935850.01		857553.09	
		1584080.88		1324992.83	
घटाकर : चालू देयतायें एवं प्रावधान	ड	523010.83		4774992.83	
			1061070.05		847399.66
			1702384.92		**1488013.16**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण, लेखा टिप्पणियाँ, उपरोक्त अनुसूची पर की गई टिप्पणियाँ लेखा विवरण का अंश हैं	त				

ह./-
(डा. एच. सरकार)
मु. म. प्र. (वित्त)/कंपनी सचिव

ह./-
(ए. के. पाल)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

ह./-
(एस. भट्टाचार्या)
निदेशक (वित्त)

ह./-
(पार्थ एस. भट्टाचार्या)
अध्यक्ष

हमारे संलग्न रपट के अनुसार
कृते मित्रा कुण्डू एवं बसु
अंकेक्षण लेखाकार
ह./-
(एस. दास)
पार्टनर
सदस्य संख्या - 051391

दिनांक : 19 जून, 2009
स्थान : कोलकाता

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा

(लाख रुपये में)

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
आय					
विक्रय	1	28439.26		23546.33	
अन्य उद्देश्य के लिए जारी कोयला	2	38.44		31.08	
अन्य आय	3	355664.49		258985.56	
ब्याज	13	28051.73		16855.57	
स्टॉक की अभिवृद्धि (+)/कमी (-)	4	833.44		(1319.48)	
		413027.36		**298099.06**	
व्यय					
भण्डार एवं पुर्जों की खपत	5	764.19		761.92	
कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक एवं लाभ	7	28329.34		15752.99	
सामाजिक दायित्व	8	3255.92		2086.05	
विद्युत एवं ईंधन	9	848.17		899.96	
मरम्मत	10	542.38		286.27	
संविदात्मक व्यय	11	5079.22		7401.12	
अन्यान्य व्यय	12	4664.82		3904.62	
वित्तीय अधिभार	14	2184.44		1854.22	
ह्रास	6	616.72		608.24	
प्रावधान	15	1508.96		5794.12	
		47794.16		**39349.51**	
वर्ष के लिए लाभ		**365233.20**		**258749.55**	
जोड़कर : वीआरएस के लिए अनुदान / पूर्व हानियाँ (संदर्भ टिप्पणी सं 13.12 अनु.- एम, पार्ट-बी)		543.30		5514.00	
घटाकर : पूर्वावधि समायोजन	16	(8.16)		(5.93)	
कर प्रदान से पूर्व लाभ		**365768.34**		**264257.62**	
आयकर के लिए प्रावधान					
वर्तमान वर्ष हेतु	(16000.00)		(11800.00)		
फ्रिंज लाभ कर हेतु	(285.00)		(281.00)		
पूर्व वर्ष हेतु	(20805.35)		(6837.61)		
		(37090.35)			(18918.61)
आयकर के लिए अधिक प्रावधान (पूर्वावधि)		860.07			40.82
कर प्रदान के बाद लाभ		**329538.06**			**245379.83**
विगत वर्ष से लाभ अग्रसारित	333609.34		313135.38		
(घटाकर) : कर्मचारियों के लाभ हेतु अन्तर्वर्ती प्रावधान (संदर्भ टिप्पणी सं 9.5 अनु. - एम, भाग बी)	—		(168.39)		
जोड़कर : बॉण्ड रिडेम्पशन रिजर्व से हस्तांतरित	3.40		—		
		333612.74			312966.99
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ (अग्रदर्शित)		**663150.80**			**558346.82**

लाभ-हानि लेखा (जारी)

(लाख रुपये में)

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ (अग्रदर्शित)		663150.80	558346.82
विनियोग			
विदेशी व्यापार विनिमय मामलों के लिए आरक्षित		698.81	673.89
सामान्य आरक्षित मद में स्थानान्तरण (बॉण्ड रिडेम्पशन रिजर्व सहित)		32957.20	24537.98
ईक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश			
अंतरिम		170542.00	170542.00
अंतिम		—	—
लाभांश पर कर		—	28983.61
तुलन पत्र में अग्रेषित अधिशेष		**458952.79**	**333609.34**
मूल एवं मिश्रित अर्जन प्रति शेयर (रुपयों में) (संदर्भ : टिप्पणी सं. 13.21, भाग - ख, अनुसूची-एम)		**520.61**	**387.42**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण, लेखाओं पर टिप्पणियाँ लेखाओं के अंतर्निहित भाग के रूप में अनुसूचियाँ	एम		

ह./-
(डा. एच. सरकार)
मु. म. प्र. (वित्त)/कंपनी सचिव

ह./-
(ए. के. पाल)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

ह./-
(एस. भट्टाचार्या)
निदेशक (वित्त)

ह./-
(पार्थ एस. भट्टाचार्या)
अध्यक्ष

हमारे संलग्न रपट के अनुसार
कृते **मित्रा कुण्डू एवं बसु**
अंकेक्षण लेखाकार
ह./-
(एस. दास)
पार्टनर
सदस्य संख्या - 051391

दिनांक : 19 जून, 2009
स्थान : कोलकाता

31 मार्च, 2009 के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची

अनुसूची - क

शेयर पूँजी

(लाख रुपये में)

		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
प्राधिकृत			
(i)	9041800 असंचयित 10% रिडीमेबिल प्रिफरेंस शेयर जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 1000 रुपये है (विगत वर्ष 9041800 असंचित 10% रिडीमेबिल प्रेफरिंस शेयर जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 1000 रुपये था)	90418.00	90418.00
(ii)	8,00,00,000 इक्विटी शेयर जो प्रत्येक 1000 रुपये के थे (विगत वर्ष 8,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 1000 रुपये के थे)	800000.00	800000.00
		890418.00	890418.00
निर्गत पूर्वक्रीत एवं प्रदत्त :			
(i)	प्रत्येक 1000/- रुपये के 6,05,94,305 इक्विटी शेयर का पूरा नगद भुगतान किया गया (विगत वर्ष प्रत्येक 1000/- रुपये के 6,05,94,305 इक्विटी शेयर थे)	605943.05	605943.05
(ii)	नगद प्राप्त को छोड़कर दूसरे रूप से पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक 1000/- रुपये के 25,69,339 इक्विटी शेयर संपूर्ण रूप से भुगतानित किये गये (विगत वर्ष प्रत्येक 1000/- रुपये के 25,69,339 इक्विटी शेयर थे)	25693.39	25693.39
		631636.44	**631636.44**

टिप्पणी : संपूर्ण पेड अप शेयर (भुगतानित शेयर) भारत सरकार द्वारा धारित है।

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - ख

आरक्षित एवं आधिक्य

(लाख रुपये में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष
(अ) आरक्षित				
(क) बाण्ड उद्धार्य आरक्षित				
गत लेखा के अनुसार अधिशेष	3.40		3.40	
घटाकर : स्थानान्तरित राशि से सामान्य संरक्षण	3.40		—	
		0.00		3.40
(ख) कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व		90418.00		90418.00
(ग) विदेश व्यापार विनिमय के लिए रिजर्व				
गत लेखा के अनुसार अधिशेष	11170.15		10496.26	
जोड़ : लाभ एवं हानि लेखा से स्थानान्तरित राशि	698.81		673.89	
		11868.96		11170.15
(घ) सामान्य आरक्षित				
गत लेखा के अनुसार अधिशेष	175504.76		150966.78	
जोड़ : लाभ एवं हानि लेखा से स्थानान्तरित राशि	32957.20		24537.98	
		208461.96		175504.76
(ब) आधिक्य				
लाभ एवं हानि लेखा				
शेष पूर्व अग्रसारित		458952.79		333609.34
योग (अ + ब)		769701.71		610705.65

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - ग

शिफ्टिंग एवं पुनर्वास निधि

(लाख रुपये में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष
दिनांक 01.04.2007 के अनुसार अथशेष	94587.79		68807.75	
जोड़कर : निधि के निवेश से ब्याज	7619.23		6305.24	
जोड़कर : अनुषंगियों से अंशदान	20851.26		19474.80	
		123058.28		94587.79
घटाकर : अनुषंगियों को स्थानांतरित		674.00		—
योग		**122384.28**		**94587.79**

अनुसूची - घ

असुरक्षित ऋण :

(लाख रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
विश्व बैंक से ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रतिभूति)		
जेबीआईसी (जेपीवाई --189618.22 लाख)	90076.66	76397.18
आईबीआरडी (यूएसडी 1862.03 लाख)	88585.83	74686.10
योग	**178662.49**	151083.28

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - च

(लाख रुपये में)

स्थिर परिसंपत्तियाँ

	लागत					मूल्य ह्रास				क्षति				शुद्ध अवरूद्ध	
	01.04.08 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	2008-09 के दौरान समा./ विक्रय/ स्थानान्तरण	31.03.09 को पूर्ण	01.04.08 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	2008-09 के दौरान समा./ विक्रय/ स्थानान्तरण	31.03.09 के अनुसार कुल	01.04.08 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	2008-09 के दौरान समा./ विक्रय/ स्थानान्तरण	31.03.09 के अनुसार कुल	31.03.09 के अनुसार	31.03.08 के अनुसार
भूमि														
(क) पूर्ण स्वामित्व	591.43	589.88	—	1181.31	0.00	—	—	0.00	0.00	—	—	0.00	1181.31	591.43
(ख) पट्टा	133.79	—	—	133.79	32.48	1.32	—	33.80	0.00	—	—	0.00	99.99	101.31
भवन	7584.73	78.57	-0.09	7663.21	2379.36	144.74	-0.09	2524.01	164.08	—	—	164.08	4975.12	5041.29
संयंत्र एवं यंत्र	18146.23	350.58	6.47	18503.28	15012.44	328.70	11.93	15353.07	762.18	141.42	—	903.60	2246.61	2371.61
फर्नीचर एवं फिटिंग्स/ कार्यालयी उपस्कर	1703.21	50.03	-10.74	1742.50	1357.97	42.74	-7.08	1393.63	5.79	—	—	5.79	343.08	339.45
रेलवे साइडिंग	771.25	—	—	771.25	619.29	36.63	—	655.92	0.00	—	—	0.00	115.33	151.96
वाहन	370.81	6.69	-23.31	354.19	309.67	8.27	-22.86	295.08	0.00	—	—	0.00	59.11	61.14
विमान	1665.38	329.46	—	1994.84	1310.13	79.00	—	1389.13	155.34	—	—	155.34	450.37	199.91
दूरसंचार	546.15	22.68	3.19	572.02	493.82	21.48	-11.06	504.24	0.06	—	—	0.06	67.72	52.27
विकास	3198.34	—	—	3198.34	2204.18	—	—	2204.18	994.16	—	—	994.16	0.00	0.00
पूर्वेक्षण एवं वेधन	819.13	—	—	819.13	545.91	—	—	545.91	273.22	—	—	273.22	0.00	0.00
योग	35530.45	1427.89	-24.48	36933.86	24265.25	662.88	-29.16	24898.97	2354.83	141.42	0.00	2496.25	9538.64	8910.37
घटाकर : अन्य प्रावधान													-41.51	-40.41
योग	35530.45	1427.89	-24.48	36933.86	24265.25	662.88	-29.16	24898.97	2354.83	141.42	0.00	2496.25	9497.13	8869.96
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	553.69	139.00	-21.57	671.12	—	—	—	—	—	—	—	—	671.12	553.69
घटाकर : प्रावधान	-446.52	—	-44.20	-490.72	—	—	—	—	—	—	—	—	-490.72	-446.52
सी. डब्ल्यू. आई. पी. (शुद्ध)	107.17	139.00	-65.77	180.40	—	—	—	—	—	—	—	—	180.40	107.17
सर्वे ऑफ परिसंपत्तियाँ (पी एण्ड एम)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.97	0.00
विगत वर्ष														
स्थिर परिसंपत्तियाँ	35188.40	360.61	-18.56	35530.45	23653.72	655.53	-44.00	24265.25	2170.19	384.55	-199.91	2354.83	8869.96	9315.18
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	8.34	107.17	-8.34	107.17	—	—	—	—	—	—	—	—	107.17	8.34
सर्वे ऑफ परिसंपत्तियाँ (पी एण्ड एम)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	3.60

मूल्य ह्रास का आवंटन	*वर्तमान वर्ष*	*विगत वर्ष*
लाभ एवं हानि लेखा	616.72	608.24
सामाजिक शीर्ष	40.92	42.04
विद्युत एवं ईंधन	5.25	5.25
पूर्वकालीन समायोजन	8.16	—
अन्य समायोजन (सर्वे आफ परिसंपत्तियाँ शामिल)	-37.33	-44.00
योग	633.72	611.53

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - छ

निवेश (अनुद्धरित)

(लाख रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
अनुषंगी कंपनियों के पूर्णतः भुगतान किये गये ईक्विटी शेयर के रूप में (व्यय पर मूल्यांकित)		
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में प्रत्येक 1000/- रु. के 22184500 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक 1000/- रु. के 22184500 इक्विटी शेयर)	221845.00	221845.00
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में प्रत्येक 1000/- रु. के 21180000 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक 1000/- रु. के 21180000 इक्विटी शेयर)	211800.00	211800.00
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में प्रत्येक 1000/- रु. के 94,00,000 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक 1000/- रु. के 94,00,000 इक्विटी शेयर)	94000.00	94000.00
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में प्रत्येक 1000/- रु. के 2971000 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक 1000/- रु. के 2971000 इक्विटी शेयर)	29710.00	29710.00
सी.एम.पी.डी.आई.एल. में प्रत्येक 1000/- रु. के 1,90,400 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक 1000/- रु. के 1,90,400 इक्विटी शेयर)	1904.00	1904.00
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में प्रत्येक 1000/- रु. के 18,64,009 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक 1000/- रु. के 18,64,009 इक्विटी शेयर)	18640.09	18640.09
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में प्रत्येक 1000/- रु. के 17,76,728 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक 1000/- रु. के 17,76,728 इक्विटी शेयर)	17767.28	17767.28
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में प्रत्येक 1000/- रु. के 35,97,000 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष प्रत्येक 1000/- रु. के 35,97,000 इक्विटी शेयर)	35970.00	35970.00
योग	631636.37	631636.37

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - ज

(लाख रुपये में)

सामग्री सूची

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
(प्रबंधन द्वारा आकलित एवं प्रमाणित किए गये अनुसार)				
भण्डारों में पड़ी सामग्री एवं अतिरिक्त पुर्जे (मूल्य पर)	379.32		285.96	
घटाकर : धीमी गति/नानमूविंग अप्रचलन/अभाव के लिए प्रावधान	177.53	201.79	159.19	126.27
कोयले का भण्डार (न्यूनतम मूल्य या बाजार भाव के आधार पर मूल्यांकित)	1794.16		960.72	
कोक (न्यूनतम मूल्य या बाजार भाव के आधार पर मूल्यांकित)	0.07		0.07	
	1794.23		960.79	
घटाकर : प्रावधान	43.63	1750.60	43.63	917.16
योग		**1952.39**		**1043.93**

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी)

31.03.2009 के अनुसार कोयला भण्डार (समग्र) के सम्बन्ध में विवरण (उत्पादक इकाई के लिए)

मात्रा '000 टन में
मूल्य लाख रुपये में

विवरण	समग्र भण्डार		अविक्रय योग्य भण्डार		विक्रय योग्य	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
(अ) बुक स्टॉक का समायोजन एवं स्टॉक का मापन						
1. 01.04.08 के अनुसार ओपनिंग भण्डार (लेखाओं के अनुसार)	79.73	917.16			79.73	917.16
2. वर्ष के दौरान उत्पादन जोड़कर	1009.45	28690.83			1009.45	28690.83
3. उप योग (1+2)	**1089.18**	**29607.99**			**1089.18**	**29607.99**
4. वर्ष के दौरान प्रेषण घटाकर						
(अ) (i) बाहरी प्रेषण	835.03	27818.95			835.03	27818.95
(ii) बाहरी स्थानान्तरण	—	—			—	—
(आ) अन्य कार्य के लिए जारी किया गया कोयला	1.67	38.44			1.67	38.44
कुल (4)	**836.70**	**27857.39**			**836.70**	**27857.39**
5. व्युत्पन्न भण्डार (3-4)	252.48	1750.60			252.48	1750.60
6. परिमापित भण्डार	249.48	1729.80			249.48	1729.80
7. अन्तर (5-6)	3.00	20.80			3.00	20.80
8. अन्तर का विभाजन						
(क) 5 % के भीतर अतिरिक्त						
(ख) 5 % के भीतर कमी	3.00	20.80			3.00	20.80
(ग) 5 % से अधिक अतिरिक्त						
(घ) 5 % से अधिक कमी						
9. अन्तशेष भण्डार का लेखानुसार निर्धारण (6+8क+8ख)	**252.48**	**2.96**			**249.52**	
(आ) अन्तशेष भण्डार का लेखा के अनुसार समायोजन					252.48	
घटाकर : लेखा में कुल अधिक 5 % से अधिक कमी को जोड़ा गया है किन्तु लंबित राईट ऑफ करने के खाते से समायोजन नहीं किया है						
घटाकर : मिश्रित भण्डार के साथ अविक्रय योग्य भण्डार एवं भण्डार जिसमें समतुल्य मूल्य के प्रावधान किये गये हैं परन्तु लेखा के साथ ब्लाक भण्डार में परिमाण समायोजित नहीं है						
घटाकर : पिट हेड भण्डार की रिहैण्डलिंग हेतु प्रभार						
घटाकर : कोयला स्टॉक में भविष्य में होनेवाले ह्रास की देखभाल को ध्यान में रख कर बनाये गये प्रावधान						
सभी प्रावधानों के बाद लेखा के अनुसार भण्डार					249.52	1750.60

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - झ

विविध देनदार (असुरक्षित)

(लाख रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
छः महीने से अधिक अवधि से बकाया पड़े ऋण	1078.64	1076.73
अन्यान्य ऋण	—	—
	1078.64	1076.73
घटाकर : प्रावधान	1076.62	1076.73
योग	**2.02**	**0.00**
वर्गीकरण :		
जिन्हें उचित पाया गया	2.02	0.00
जिनकी स्थिति संदिग्ध है	1076.62	1076.73

	किसी भी समय अधिकतम बकाया राशि		शेष बचत	
	चालू वर्ष के दौरान	विगत वर्ष के दौरान	चालू वर्ष के दौरान	विगत वर्ष के दौरान
एक ही प्रबंधन के अधीनस्थ कंपनियों के पास बकाया राशि, कंपनियों के नाम सहित	—	—	—	—
उन पक्षों के पास बकाया जिसमें कंपनी के निदेशक रूचि रखते हैं	—	—	—	—

अनुसूची - ट

नकद एवं बैंक में जमा राशि

(लाख रुपये में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष
नकद, चेक, ड्राफ्ट, स्टाम्प आदि जो हाथ में हैं		3.72		3.36
अनुसूचित बैंकों में शेष				
चालू खाते में		3818.60		7687.09
कैश क्रेडिट खाते में		10078.10		1569.63
अनुसूचित बैंकों के जमा खाते में		632376.04		457135.73
पोस्ट ऑफिस में बचत बैंक खातों के साथ	0.27		0.27	
घटाकर : प्रावधान	0.27		0.27	
		0.00		0.00
योग		**646276.46**		**466395.81**

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - ठ

ऋण एवं अग्रिम *(लाख रुपये में)*

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
ऋण एवं अग्रिम (असुरक्षित) **(नगद में या सामग्री रूप में अग्रिम प्राप्तियों या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए)**				
आपूर्तिकर्त्ताओं को अग्रिम				
पूँजीगत के लिए (अनुसूची-एम, भाग-बी के संदर्भ टिप्पणी सं.-10.5 एवं 13.10)	418.28		986.72	
अन्यान्य के लिए	121.83		214.95	
		540.11		1201.67
एसपीवी को अग्रिम		**50.00**		**50.00**
एल. एण्ड ए. — बी.ई.एम.एल.		**9738.96**		—
कर्मचारियों को अग्रिम				
भवन निर्माण के लिए (सुरक्षित)	48.83		82.43	
मोटर कार एवं वाहनों के लिए (सुरक्षित)	0.05		0.46	
अन्यान्य के लिए	176.35		199.15	
		225.23		282.04
जमा राशियाँ				
सीमा शुल्क एवं पत्तन प्रभार	83.85		82.54	
अन्य जमा राशियों के लिए	291.23		252.03	
		375.08		334.57
कारपोरेट प्रतिष्ठानों से अल्पावधि ऋण		150.00		150.00
अनुषंगी कंपनियों से प्राप्त लाभांश		33631.95		10772.25
अन्य प्राप्तियाँ		3519.30		1288.99
अन्य प्राप्तियाँ (संदर्भ - टिप्पणी सं. 13.11 अनुसूची एम, भाग-बी)		610.76		1154.60
भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि				
पूर्व कोल बोर्ड के एवज में लेन-देन के लिए		127.34		117.24
प्राप्तव्य दावे		314.86		318.27
पूर्व भुगतानित व्यय		16.65		22.41
टीडीएस/अग्रिम कर		53661.16		2806.91
अनुषंगियों के साथ शेष				
ऋण खाते में	176115.06		191115.06	
चालू खाते में	472291.35		469002.58	
		648406.41		660117.64
अनुषंगियों के साथ शेष (विश्व बैंक ऋण)				
ऋण खाते में		178662.49		151083.28
अनुषंगी कंपनियों को ऋण (वीआरएस)		7409.00		7409.00
गवेषणात्मक ड्रिलिंग कार्य (संदर्भ टिप्पणी सं.-7.4, अनुसूची-एम, भाग-बी)		5007.67		4446.24
		942446.79		863555.11
घटाकर : प्रावधान		6596.96		6002.02
योग		**935850.01**		**857553.09**
वर्गीकरण				
जिन्हें उचित पाया गया		935850.01		857553.09
जिनकी स्थिति संदिग्ध है		6596.96		6002.00

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - ठ (जारी...)

(लाख रुपये में)

अनुषंगी कंपनियों से बकाया राशि

	वर्ष के दौरान किसी समय अधिकतम देय राशि		समापन अधिशेष	
	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	254960.78	230876.66	250416.09	223077.23
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	389640.18	412153.73	379221.75	401599.76
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	19377.22	75180.74	19377.22	30693.65
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	9108.34	–12507.01	–1911.68	–12817.44
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	–110845.76	–129046.98	–124343.27	–133552.20
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	2911.44	21687.10	2910.90	20148.43
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	–54625.10	–126136.95	–99066.35	–126136.95
सेंट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड	27405.18	13416.83	10450.14	12122.20
योग	**537932.28**	**485624.12**	**437054.80**	**415134.68**

टिप्पणी : गृह निर्माण और कार/स्कूटर अग्रिम राशि जो 48.88 लाख रुपये (गत वर्ष 82.89 लाख) है, जिसे ऋण एवं अग्रिम (असुरक्षित) में सम्मिलित किया गया है, वह वास्तव में पूर्ण प्राप्ति योग्य है और वे संबंधित परिसम्पदा के समानान्तर प्रतिबंधन से सुरक्षित भी हैं।

तुलन पत्र की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - ड

वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान

(लाख रुपये में)

		वर्तमान वर्ष			विगत वर्ष
(क) वर्तमान देयताएँ					
विविध लेनदार					
राजस्व भण्डार सहित पूँजी के लिए		785.33		378.08	
कोयले के लिए		63.56		63.56	
			848.89		441.64
उपभोक्ताओं से अग्रिम			2263.74		1993.08
जमा			2059.32		2255.17
उपभोक्ताओं से अन्य जमा			1679.34		327.73
अग्रिम जमा (राष्ट्रीयकरण से पूर्व)			20.85		20.85
कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक एवं लाभादि					
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते		1011.98		791.05	
अनुग्रह राशि	11244.58		6626.22		
घटाकर:अनुग्रह राशि एलआईसी निधि	(6738.28)		(–5392.81)		
		4506.30		1233.41	
उपादान		339.80		250.82	
अवकाश नगदीकरण		2997.18		1726.43	
सेवा निवृत्त कर्मियों की चिकित्सा सुविधायें		211.76		—	
कर्मियों को अन्य लाभ		445.01		152.10	
			9512.03		4153.81
अन्य व्यय					
विद्युत एवं ईंधन		87.23		121.92	
संविदामूलक व्यय		2315.81		1859.96	
अन्यान्य		6624.46		3737.52	
			9027.50		5719.40
भारत सरकार का बकाया (पूर्व मालिकों के लेखाओं सहित)			160.93		160.93
उपार्जित व्यय जो ऋण पर देय नहीं है			1134.72		1578.91
विक्रय कर					
राज्य		42.36		30.84	
केन्द्र		57.95		85.61	
			100.31		116.45
कोयले पर रॉयल्टी एवं सेस			536.14		633.01
भविष्य निधि			245.14		218.75
पेंशन निधि			31.61		29.03
आय कर					
कर्मी		112.97		85.35	
ठेकेदारी		19.59		4.43	
अन्यान्य		6715.72		7051.94	
			6848.28		7141.72
व्यावसायिक कर			6.96		6.65
अनुषंगियों से अतिरेक निधि			374507.54		379407.81
अनुषंगियों के चालू खाते में शेष राशि			22915.57		24067.41
अग्रिम जमा अन्य सरकारी निधि (संदर्भ टिप्पणी सं.- 3.16, अनुसूची-एम, भाग-बी)			187.92		2516.92
अन्य देयताएँ			7906.39		5534.68
निवेशक, शिक्षा एवं संरक्षा निधि					
17% अपरिवर्तनीय बॉण्ड (उसपर ब्याज सहित)			—		5.91
(ख) प्रावधान					
आयकर के लिए प्रावधान			61313.91		25579.94
एनसीडब्ल्यूए - VIII हेतु एरियर (अन्तरिम राहत) के लिए प्रावधान			3567.08		1657.40
अधिकारी वेतन संशोधन के लिए प्रावधान			4090.91		753.86
विदेशी व्यापार विनिमय के लिए प्रावधान (बाजार से बाजार)			1913.00		2330.00
			510878.08		466651.06
अनुषंगियों की ओर से इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट को योगदान लंबित प्रतिपूर्ति (संदर्भ टिप्पणी सं.- 9.4, अनुसूची-एम, भाग-बी)			12132.75		10942.11
योग			**523010.83**		**477593.17**

टिप्पणी : कंपनी द्वारा किसी लघु उद्योग को दिये गए ऐसे ऋण की राशि ब्याज सहित उक्त राशि में शामिल नहीं की गई है, जो 30 दिनों से अधिक समय से बकाया हो।

31 मार्च, 2009 को समाप्त लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची

अनुसूची - 1

विक्रय

(लाख रुपये में)

उत्पाद-कच्चा कोयला

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
मात्रा (000 मि. टनों में)	835.03	1200.28
कुल विक्रय मूल्य	31186.81	26493.86
जोड़कर : अन्य वसूली	620.31	737.77
(क)	**31807.12**	**27231.63**
घटाकर : सांविधिक उगाही		
कोयले पर रॉयल्टी	2062.07	2101.64
स्टोविंग पर उत्पाद कर	83.50	120.03
विक्रय कर :		
केंद्रीय	492.74	660.17
राज्य	312.04	203.32
असम भूमि कर	417.51	600.14
कुल उगाही (ख)	**3367.86**	**3685.30**
शुद्ध मूल्य (क - ख)	**28439.26**	**23546.33**

अनुसूची - 2

अन्य कार्यों के लिए जारी किया गया कोयला

(रुपये लाख में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
आन्तरिक खपत (ऊर्जा एवं ईंधन)	34.34	28.52
कर्मचारियों को नि:शुल्क आवंटन (सामाजिक शीर्ष)	4.10	2.56
योग	38.44	31.08

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - 3

अन्य आय

(लाख रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
सहायता (स्टोविंग)	43.03	38.20
अनुपंगियों से शीर्ष कार्यालय प्रभार (टीडीएस -2095.42 लाख रुपये)	17453.95	16460.00
ब्याज प्राप्ति	25.35	29.86
किराया (बाहरी)	3.14	2.76
एल.डी./जुर्माना प्राप्ति	4.02	1.56
निविदा शुल्क	9.01	6.52
प्रावधान/पहले से चली आ रही देयतायें	718.33	726.14
किराया अधिभार	510.00	510.00
दिया गया भाड़ा (टीडीएस - 88.19 लाख रुपये)	393.00	393.00
अंतरिम लाभांश/अनुषंगियों से लाभांश	33.2974.10	237827.37
अनुषंगियों से प्रतिभूति शुल्क	2679.94	2266.25
परिसंपत्तियों के विक्रय से लाभांश	0.01	7.87
विदेशी व्यापार विनिमय से लाभ	698.81	673.89
विनिमय भिन्नता पर लाभ	14.79	—
विविध	137.01	42.14
योग	355664.49	258985.56

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - 4

स्टॉक की कमी

(लाख रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
कोयले/कोक इत्यादि के भण्डार		
(क) 01.04.2009 के अनुसार (केवल राजस्व खानों के लिए) अवशेष भण्डार		
कच्चा कोयला	1794.16	960.72
साफ्ट कोक	0.07	0.07
घटाकर : लम्बी अवधि तक स्टाकिंग के कारण कोयले के मूल्य में गिरावट	43.63	43.63
योग (क)	**1750.60**	**917.16**
(ख) 31.03.2008 के अनुसार (केवल राजस्व खानों के लिए) इतिशेष भण्डार		
कच्चा कोयला	960.72	2280.20
साफ्ट कोक	0.07	0.75
घटाकर : लंबी अवधि तक स्टाकिंग के कारण कोयले के मूल्य में गिरावट	43.63	44.31
योग (ख)	**917.16**	**2236.64**
शुद्ध योग (योग क - योग ख)	**833.44**	**(1319.48)**

अनुसूची - 5

भण्डार सामग्रियों एवं अतिरिक्त पार्ट-पुर्जों की खपत

(लाख रुपये में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
विस्फोटक	163.47		214.25	
लकड़ी	123.99		134.61	
पेट्रोल, तेल एवं तरल पदार्थ	314.64		301.79	
एचईएमएम के लिए खपत योग्य भण्डार की सामग्री एवं पुर्जे	18.42		16.30	
अन्य खपत योग्य भण्डार की सामग्री एवं पुर्जे	435.27		485.48	
		1055.79		1152.43
घटाकर : स्थानान्तरित				
सामाजिक शीर्ष	51.54		20.61	
विद्युत एवं ईंधन	68.55		116.55	
अन्य खर्च	66.41		57.60	
घटाकर : ठेकेदार (विस्फोटक) से प्राप्त	105.10		195.75	
		291.60		390.51
योग		**764.19**		**761.92**

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - 6

मूल्य ह्रास

(लाख रुपये में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष
कुल मूल्य ह्रास (अनु. - च)		633.72		611.53
घटाकर : निम्न मदों में स्थानान्तरित				
सामाजिक शीर्ष	40.92		42.04	
ऊर्जा एवं ईंधन	5.25		5.25	
पूर्वावधि समायोजन	8.16		—	
अन्य समायोजन	(37.33)		(44.00)	
		17.00		3.29
योग(शुद्ध)		**616.72**		**608.24**

अनुसूची - 7

कर्मचारियों को पारिश्रमिक एवं लाभ

(लाख रुपये में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष
वेतन, मजदूरी एवं भत्ता				
वेतन, मजदूरी (यातायात सुविधा सहित)		10129.68		8622.85
एनसीडब्ल्यूए - VIII के लिये एरियर (अंतरिम राहत) हेतु प्रावधान (संदर्भ नोट 10.6)		3064.96		1657.40
अधिकारी वेतन संशोधन हेतु एरियर का प्रावधान (संदर्भ नोट 10.6)		4058.99		753.86
अधिकाल :				
(क) सामान्य	261.02		255.08	
(ख) रविवार अनुरक्षण	238.37		237.11	
		499.39		492.19
अवकाश नगदीकरण		1627.91		636.05
भविष्य निधि एवं अन्य कोषों में अंशदान (प्रशासनिक अधिभार सहित)		1358.31		1036.12
उपस्थिति बोनस		405.06		417.91
अनुग्रह राशि :				
(क) पीपीएलबी - कर्मचारी	322.99		239.21	
(ख) पीपीएलआर - अधिकारी	43.42		34.87	
(ग) पारितोषिक	1703.42		—	
		2069.83		274.08
एलटीसी/एलएलटीसी/आरआरएफ		315.92		318.77
पेंशन		102.37		68.41
उपादान		4635.01		1563.42
कर्मचारी क्षतिपूर्ति		249.76		3.23
सामूहिक बीमा		21.79		8.79
डी. एल. आई.		10.88		11.63
जीवन सुरक्षा योजना		41.87		17.61
वी.आर.एस.		119.48		235.48
कर्मियों की अन्य सुविधायें (समझौता भत्ता)		0.94		0.01
		28712.15		16117.81
घटाकर : इन मदों में स्थानान्तरित				
सामाजिक शीर्ष	370.51		354.02	
विद्युत एवं ईंधन	12.30		10.80	
		382.81		364.82
योग		**28329.34**		**15752.99**

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - 8

सामाजिक शीर्ष

(लाख रुपये में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष
वेतन, मजदूरी एवं भत्ता		370.51		354.02
कर्मचारियों को नि:शुल्क कोयले का वितरण		4.10		2.56
चिकित्सा सुविधायें				
(क) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	574.63		498.70	
(ख) चिकित्सा	47.88		29.91	
(ग) आहार व्यय	18.03		9.10	
(घ) चिकित्सीय लाभ : सेवानिवृत कर्मचारियों	162.86		—	
		803.40		537.71
अनुदान :				
(क) स्कूल एवं संस्थान	51.38		44.59	
(क) खेल-कूद, मनोरंजन	162.71		256.20	
		214.09		300.79
कैंटीन एवं क्रेच				
कैंटीन रख-रखाव		17.83		20.06
घर भाड़ा		19.10		14.58
विद्युत		476.27		433.65
मरम्मत एवं रख-रखाव				
(क) टाउनशिप (कल्याण भवनों सहित)	159.87		97.22	
(क) संयंत्र एवं यंत्र	2.12		0.11	
		161.99		97.33
गाड़ियों के रख-रखाव				
(क) पेट्रोल एवं डीज़ल	10.37		10.01	
(ख) मरम्मत	0.87		2.11	
(ग) बीमा	1.58		1.93	
		12.82		14.05
भण्डार एवं पुर्जों की खपत		41.17		10.60
मूल्य ह्रास		40.92		42.04
सामुदायिक विकास		41.06		14.91
बुनियादी		2.53		5.48
प्रशिक्षण : सम्मेलन एवं सेमिनार व्यय				
(i) कंपनी के अन्दर		54.93		93.47
(ii) कंपनी के बाहर		1025.99		167.17
अन्य कल्याणकारी व्यय		3286.71		2108.42
घटाकर : वसूलियाँ				
घर भाड़ा	5.98		5.88	
अस्पताल प्रभार	2.45		0.87	
विद्युत	22.36		15.62	
		30.79		22.37
योग		3255.92		2086.05

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - 9

विद्युत एवं ईंधन

(लाख रुपये में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष
बिजली की खरीद		1196.99		1165.35
विद्युत उत्पादन				
वेतन एवं मजदूरी	12.30		10.80	
कोयले की खपत	34.34		28.52	
भण्डारों की खपत	68.55		116.55	
मरम्मत एवं रख-रखाव	7.01		7.14	
मूल्य ह्रास	5.25		5.25	
		127.45		168.26
		1324.44		1333.61
घटाकर :				
सामाजिक खर्च में स्थानान्तरित		476.27		433.65
योग		**848.17**		**899.96**

अनुसूची - 10

मरम्मत

(लाख रुपये में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष
भवन		282.33		102.74
संयंत्र एवं उपकरण (बाहरी एजेंसियाँ)		47.97		41.93
कार्यालय उपकरण		46.16		28.42
अन्य		335.79		219.76
		712.25		392.85
घटाकर : स्थानांतरित				
(क) सामाजिक शीर्ष	162.86		99.44	
(ख) विद्युत एवं ईंधन	7.01		7.14	
		169.87		106.58
योग		**542.38**		**286.27**

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - 11

सांविदिक व्यय

(लाख रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
परिवहन प्रभार		
कोयला, कोक	25.07	42.07
अन्य संविदात्मक कार्य	5054.15	7359.05
योग	**5079.22**	**7401.12**

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - 12

अन्य व्यय

(लाख रुपये में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
यात्रा				
(क) देश के अंदर	857.78		593.14	
(ख) देश के बाहर	153.15		101.61	
		1010.93		694.75
मूद्रण एवं लेखन सामग्री		96.17		83.81
डाक व्यय		20.73		20.87
टेलीफोन		88.81		71.69
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार				
(i) विज्ञापन				
(क) निविदा के लिए	177.36		88.23	
(क) नियुक्ति के लिए	51.46		23.22	
		228.82		111.45
(ii) प्रचार-प्रसार के लिए		353.35		417.03
विलम्ब शुल्क		105.15		37.25
अनुदान		1.77		1.49
सुरक्षा व्यय		36.19		11.11
भाड़ा प्रभार		187.79		179.99
(क) कम्प्यूटर	81.61		53.31	
(ख) अन्य	82.96		70.10	
		164.57		123.41
वाहनों का रख-रखाव				
(क) पेट्रोल एवं डीज़ल	67.69		57.60	
(ख) मरम्मत	25.31		27.65	
(ग) मार्ग कर एवं बीमा	9.97		9.05	
		102.97		94.30
वैधानिक व्यय		89.48		47.99
बैंक प्रभार		6.81		9.24
अतिथि गृह व्यय	27.71		22.92	
घटाकर : वसूलियाँ	3.48		5.88	
		24.23		17.04
सलाहकारिता शुल्क		520.84		366.91
कार्यालय आकस्मिक व्यय		74.89		95.82
अण्डर लोडिंग प्रभार		267.65		293.14
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक				
(क) अंकेक्षण शुल्क	3.25		3.30	
(ख) यात्रा एवं आउट ऑफ पॉकेट व्यय	1.00		1.00	
		4.25		4.30
कर अंकेक्षण शुल्क		0.63		0.63
आंतरिक अंकेक्षण/अन्य अंकेक्षण शुल्क एवं व्यय		5.72		2.57
रॉयल्टी एवं सेस		10.57		6.48
भाड़ा, दर एवं कर		373.72		420.96
बीमा		8.86		7.95
डेड भाड़ा		26.64		32.61
भूतल भाड़ा		68.49		—
विनिमय भिन्नता को घटाकर		—		5.33
सेलिंग ऐजेन्ट का कमीशन तथा ब्रोकरेज		74.51		123.31
विविध		710.28		623.19
योग		**4664.82**		**3904.62**

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - 13

ब्याज

(लाख रुपये में)

		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(अ)	**ब्याज (आय)**		
(क)	जमा से प्राप्त ब्याज (टी.डी.एस. 14304.31 लाख रुपये)	63165.08	49928.48
(ख)	ई.सी.एल. ऋण पर सैद्धान्तिक ब्याज	1299.21	—
(ग)	बी.एम.एल. से प्राप्त ब्याज	294.96	—
(घ)	अनुषंगियों से वसूली	3950.49	5820.94
(ङ)	आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋणों के लिए अनुषंगियों के खाते में स्थानन्तरित	4516.17	3949.16
	योग (क)	**73225.91**	**59698.58**
घटाकर :			
(आ)	**ब्याज (व्यय)**		
(क)	अनुषंगियों द्वारा दिये गये अतिरिक्त फण्ड पर ब्याज	29629.65	31120.61
(ख)	पुनर्वास फण्ड में स्थानान्तरण	7619.22	6305.24
(ग)	अनुबन्ध (बांड्स)	1299.21	—
(घ)	आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋणों पर ब्याज	4516.17	3949.16
(ङ)	अन्यान्य (शुद्ध)	2109.93	1468.00
	योग (ख)	**45174.18**	**42843.01**
	योग (क - ख)	**28051.73**	**16855.57**

अनुसूची - 14

वित्तीय प्रभार

(लाख रुपये में)

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋणों पर गारंटी शुल्क	2143.95	1813.00
अन्य बैंक प्रभार	40.49	41.22
आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋणों पर अन्य अधिभार	6.89	4.91
	2191.33	1859.13
घटाकर : आईबीआरडी एवं जेबीआईसी ऋणों को अनुषंगी के खातों में स्थानान्तरित	6.89	4.91
योग	**2184.44**	**1854.22**

लाभ एवं हानि लेखा की अनुसूची (जारी)

अनुसूची - 15

प्रावधान *(लाख रुपये में)*		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष
(क) जिनके लिये प्रावधान किया गया है :				
संदिग्ध अग्रिम		1290.68		1470.53
संदिग्ध कर्ज		141.42		384.55
परिसम्पत्तियों की क्षति		384.55		338.15
परिसम्पत्तियों का सर्वेआफ				
विदेशी व्यापार विनियम (बाजार से बाजार)		—		2330.00
अन्यान्य		76.86		1609.04
योग (क)		1508.96		5794.12
(ख) बट्टा खाता :				
संदिग्ध अग्रिम	675.51		950.86	
(ईसीएल में गवेषणात्मक कार्य)				
संदिग्ध दावा	—		31.42	
अन्य (कोयले का स्टॉक)	—		0.69	
	675.51		982.97	
घटाकर :				
रिटेन बैक प्रावधान के बराबर	675.51		982.97	
योग (ख)		0.00		0.00
योग (क+ख)		**1508.96**		**5794.12**

अनुसूची - 16

पूर्वावधि समायोजन *(लाख रुपये में)*

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
अन्य आय	—	5.93
ह्रास	8.16	—
योग	**8.16**	**5.93**

अनुसूची - त

(क) महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. **पारंपरिक लेखाकरण**

जहां अन्यथा अन्यत्र नियत न हो, लेखाकरण मानकों तथा सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के आधार पर प्रचलित व्यवहार का अनुसरण करते हुए प्रोद्भूत सामग्री और ऐतिहासिक लागत के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किये जाते हैं।

2. **लेखा विधि का आधार**

प्रथमत: सभी आय एवं व्यय स्वाभाविक शीर्षों में निर्धारित किये गये हैं और बाद में जहां आवश्यक हुआ है प्रकार्यात्मक शीर्षों में स्थानान्तरित किये गये हैं।

3.0 सरकार से आर्थिक सहायता/अनुदान

3.1 पूंजीगत लेखा पर अनुदान/आर्थिक सहायता को उन आस्तियों से घटा दिया गया है जिनसे वे संबंध रखती हैं। वर्ष के अन्त में खर्च न की गई राशि, यदि कोई हो तो, को वर्तमान देयता में दर्शाया गया है।

3.2 आर्थिक सहायता/राजस्व पर अनुदान लेखा की अन्य प्राप्तियाँ शीर्ष के अन्तर्गत लाभ एवं हानि लेखा में रखा गया है और खर्चों को उससे संबंधित शीर्ष में डाला गया है।

4.0 स्थिर परिसंपत्तियाँ

4.1 **भूमि :** भूमि में अर्जन की लागत, क्षतिपूर्ति और संबंधित भू-विस्थापितों के पुनर्वास पर किया गया नकद खर्च सम्मिलित हैं। फिर भी अन्य खर्च में भू-अर्जन पर किये गये खर्च जैसे पुनर्स्थापन खर्च, रोजगार के बदले क्षतिपूर्ति इत्यादि को राजस्व खर्च में माना गया है।

4.2 **संयंत्र एवं मशीनरी :** संयंत्र एवं मशीनरी में इनकी स्थापना/संस्थापना पर तथा उन परिसम्पत्तियों को कार्यगत स्थिति में लाने हेतु आने वाली अन्य लागत को शामिल किया गया है।

4.3 **रेलवे साईडिंग :** रेलवे साइडिंग के निर्माण हेतु रेलवे प्राधिकारियों को किए गये भुगतान को विकासशील पूँजी (कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस) के अधीन दर्शाया गया है।

4.4 **विकास :** विकासशील परियोजनाओं/खानों की आय/व्यय को विकासशील खाते में डाला गया है और उसे विकासशील पूंजी के तहत तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि परियोजना/खान राजस्व खाते में न आ जाय। केवल अन्यथा परियोजना को स्थिरता के आधार पर उत्पादन करने के लिए व्यापारिक तैयारी को निश्चित करने के लिए परियोजना रिपोर्ट में विशेष रूप से घोषित किया गया है और निर्माण अवधि में विकास का कार्य समाप्ति की आवश्यकता है। विकासशील परियोजनाओं/खानों को निम्नलिखित के अधीन राजस्व में लाया जाता है :

(क) स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार जिस वर्ष परियोजनायें अपने कोयला उत्पादन की वास्तविक क्षमता का 25% लक्ष्य प्राप्त कर लेती हैं, उस वर्ष के ठीक बाद के वित्तीय वर्ष से, या

(ख) कोयला खनन के 2 वर्ष के, या

(ग) जिस वित्त वर्ष में उत्पादन का मूल्य कुल खर्च से अधिक हो, इनमें से जो भी पहले हो।

4.5 **पूर्वेक्षण एवं वेधन तथा अन्य विकास खर्च**

एक ''पंचवर्षीय'' योजना अवधि में गवेषणा एवं अन्य विकास पर खर्च की लागत को आगामी दूसरी ''पंचवर्षीय'' योजना

अवधि के अंत तक परियोजनाओं के निर्माण हेतु इसे बट्टे खाते में डालने से पूर्व इन्हें विकासशील कार्यगत पूँजी में रखा जायेगा किन्तु बिक्री हेतु चिन्हित या बाह्य एजेंसियों को बिक्री हेतु प्रस्तावित ब्लाकों के अतिरिक्त बिक्री को अंतिम रूप देने तक इसे सीडब्ल्यूआईपी में रखा जायेगा।

5.0 निवेश

सभी निवेश लंबी अवधि की प्रकृति के होने के कारण उनका विवरण लागत में दिया गया है।

6.0 सम्पत्ति सूची

6.1 लेखा में कोयला/कोक के अंकित भण्डार और मापित भण्डार में 5 % के +/- अन्तर को स्वीकार किया गया है और जिन मामलों में मापित भण्डार में 5% से अधिक +/- का अन्तर पाया जाता है, उन भण्डारों का मूल्यांकन शुद्ध प्राप्ति मूल्य (नेट रियलाइजेबुल वैल्यू) या लागत ज़ो भी कम हो, पर किया जाता है।

6.1.1 स्लरी, वाशरियों की मिडलिंग्स का मूल्यांकन शुद्ध प्राप्ति मूल्य पर किया जाता है।

6.2 केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय भण्डारों के स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स के मूल्यांकन की गणना वजनीकृत अनुपातिक सिद्धान्त के आधार पर की जाती है। वर्ष के अन्त में कोलियरी/उप भण्डार/उपभोक्ता केन्द्रों में इनीशियली चार्ज ऑफ, रखी गई स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स की इन्वेन्ट्री को क्षेत्रीय भण्डार, लागत/अनुमानित लागत के निर्गमन पर मूल्यांकित किया गया है। चालू कार्यों सहित वर्कशॉप कार्यों को लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

6.2.1 **भण्डार एवं पुर्जे (स्टोर्स एवं स्पेयर्स)**

स्टोर्स एवं स्पेयर्स पार्ट्स का क्लोजिंग स्टॉक सेन्ट्रल स्टोर्स के स्टोर लेजर में प्रकाशित मूल्य के बकाया के अनुसार तथा कोलियरीज इकाईयों पर रखे गये भौतिक सत्यापित स्टोर्स के अनुसार इन्हें लेखा में मान लिया गया है।

6.2.2 स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स में लूज टूल्स सम्मिलित हैं।

6.2.3 अप्रयोज्य, खराब और अप्रयुक्त भण्डार हेतु 100% की दर से और बीमा मदों को छोड़कर 5 वर्षों तक अप्रयुक्त स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए 50% की दर से प्रावधान बनाया गया है।

6.3 लेखन सामग्री के भण्डार (प्रिन्टिंग में रखी गई के अलावे), बालू, दवाइयां (केन्द्रीय अस्पताल में रखी गई के अतिरिक्त), ईंट, वायुयान के कल-पुर्जे और स्क्रैप को इन्वेन्ट्री नहीं माना गया है।

7.0 मूल्य ह्रास

7.1 दूरसंचार उपकरणों को छोड़कर स्थिर परिसम्पत्तियों पर ह्रास को कम्पनी अधिनियम, 1956 (संशोधित) की अनुसूची -XIV में विनिर्दिष्ट दर से धीमी रेखा सिद्धान्त पर प्रावधानित किया गया है। इस प्रकार के उपकरणों के आकलित तकनीकी जीवन पर मूल्य ह्रास ऊँचे दर जैसे 15.83% एवं 10.55% की दर पर प्रभारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कुछ उपकरणों/एचईएमएम पर तकनीकी रूप से अनुमानित लाइफ से अधिक उच्च दर अर्थात यथा लागू 11.88%, 13.57% तथा 15.83% पर मूल्य ह्रास चार्ज किया जाता है। इसके अतिरिक्त एसडीएल को 5 वर्ष के जीवन या निर्धारित 16500 कार्य घण्टे जो भी बाद में हो तथा एलएचडी को 6 वर्ष के जीवन या निर्धारित 21500 कार्य घण्टे जो भी बाद में हो, जो मूल्य ह्रास पर आधारित हो, के लिए उपयुक्त माना जाता है।

हेलीकॉप्टर की बड़ी ओवरहॉलिंग के बाद मूल्य ह्रास को 6.33% वार्षिक दर पर प्रभारित किया गया है जो अनुमानित जीवन/उड़ान घण्टे पर आधारित है।

वर्ष के दौरान सम्मिलित की गई/समाप्त की गई परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास यथानुपात सम्मिलित/समाप्त किए गए महीने के अनुसार किया जाता है, उन परिसंपत्तियों के अलावे जिन पर प्रति वर्ष 100% मूल्य ह्रास (एसएलएम आधार) होता है जिनका उनके सम्मिलित होने के वर्ष में पूरी तरह मूल्य ह्रास हो जाता है।

7.2 कोल वियरिंग एरिया (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन अर्जित भूमि के मूल्य का परिशोधन परियोजना के शेष जीवन के आधार पर किया जाता है। पट्टे की भूमि के मूल्य का परिशोधन पट्टा अवधि या परियोजना का शेष जीवन जो भी पहले हो, के आधार पर किया जाता है।

7.3 पूर्वेक्षण वेधन तथा विकास खर्च उस वर्ष से जब खान को राजस्व के अन्तर्गत लाया गया है, 20 वर्षो में अथवा परियोजना की आयु (वर्किंग लाइफ) जो भी पहले हों, में परिशोधन किया जाता है।

8.0 परिसंपत्तियों की क्षति

परिसंपत्तियों की संवहन राशि जहाँ भी स्वीकृत की गयी है, क्षति के घाटे की राशि वसूली राशि से अधिक है और उसे लाभ एवं हानि विवरण में खर्च के रूप में स्वीकृत किया गया है और परिसंपत्तियों के संवहन राशि को उनकी वसूली राशि तक घटाया हुआ है।

पूर्ववर्ती वर्षो में क्षति के घाटे के निराकरण की स्वीकृति को अंकित किया गया है जब वहाँ परिसम्पत्तियों की क्षति का घाटा अधिक समय तक नहीं रहने या घटाव का संकेत हो।

9.0 विदेशी मुद्रा सम्पादन

9.1 विदेशी मुद्रा सम्पादन के वर्षान्त बकाया को वर्षांत की दर से अनुदित किया गया है और प्रभावी अनुकूलन को संबंधित लेखा में दिया गया है। वर्ष के दौरान सम्पूरित सम्पादन को वास्तविक लेखा में निपटारा तिथि के आधार पर समायोजित किया जा रहा है।

9.2 क्रास करेंसी स्वाप आप्सन संविदा के तहत सौदा निहित है जिसके निपटारे के लिए भविष्य में शेष विदेशी मुद्रा की दर पर वर्षान्त में पहचान की गई है। इन संविदाओं के प्रभाव को निपटारे की तारीख से लिया गया है।

10.0 सेवा निवृत्ति लाभ/अन्य कर्मचारी लाभ

(क) **परिभाषित अंशदान योजनायें :** कम्पनी के सफल कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना के लिए भविष्य निधि तथा पेन्शन निधि के लिए अंशदान दिया जाता है। भविष्य निधि तथा पेंशन निधि कोल माइन्स प्रोविडेण्ड फण्ड (सीएमपीएफ) प्राधिकारी द्वारा संचालित होते हैं। इन योजनाओं के नियमों के अनुसार कम्पनी फण्ड के लाभ हेतु सीएमपीएफ प्राधिकारी को पेरोल कास्ट के निर्धारित प्रतिशत का अंशदान देती है।

(ख) **परिभाषित लाभप्रद योजनायें :** ग्रेजुयटी तथा अवकाश नगदी करण के खाते में वर्षान्त देयता प्रचलित प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्यति द्वारा वास्तविक मूल्यांकन आधार पर प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से फण्डेड ग्रुप ग्रेच्युटी (नगद संचय) योजना की स्थापना के सम्बन्ध में विश्वास का वातावरण तैयार किया है। कथित फण्ड के लिए अंशदान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया जाता है।

(ग) **अन्य कर्मचारी लाभ :** इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कर्मचारी लाभ यथा एलटीए/एलटीसी के कारण लाभ, लाइफ कवर योजना, सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना तथा समझौता भत्ता में वर्षान्त देयता को भी लागू प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति के द्वारा वास्तविक आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

11.0 आय एवं व्यय की स्वीकृति

संभूति के आधार पर आय एवं व्यय को प्राय: स्वीकृत किया जाता है और इसके लिए सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान बनाया गया है।

12.0 उधार मूल्य

उधार मूल्य के अधिग्रहण को सीधे आरोप्य या अर्हकारी परिसंपत्तियों के निर्माण पर पूँजीगत किया गया है।

13.0 कराधान

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुरूप वर्तमान आयकर का प्रावधान रखा गया है। आस्थगित कर देयता एवं परिसम्पत्तियों को वास्तविक अधिनियम कर दर के अनुसार स्वीकृत किया जाता है बशर्ते कि समयानुपात भिन्नता पर समझदारी से विचार किया गया हो। कर योग्य आय एवं लेखा के बीच में भिन्नता जो एक अवधि की है, को एक या उससे अधिक अवधि में बदला जा सकता है।

14.0 प्रावधान

जब एक उद्यम अपने अतीत की घटनाओं के फलस्वरूप वर्तमान दायित्व का पालन करता है तब प्रावधानों को स्वीकृत किया जाता है। यह सामान्य है कि संसाधनों का बहिर्गमन जो आर्थिक लाभ को सम्मिलित करता है, देयता के निपटारा के लिए आवश्यक है, जिसके लिए सही आकलन किया जा सके। वर्तमान मूल्यों में कटौती का प्रावधान नहीं है और यह बेहतर आकलन के आधार पर निर्धारित किया गया है जो दिनांकित तुलन-पत्र की देयताओं के निपटारा के लिए आवश्यक है।

15.0 आकस्मिक देयतायें

आकस्मिक देयतायें एक सम्भावित दायित्व हैं जो अतीत की घटनाओं से उद्भूत हुई हैं, जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के घटित होने या नहीं घटित होने पर सुनिश्चित होगा, जो उद्यम के संपूर्ण नियंत्रण में नहीं हैं या वर्तमान देयतायें, जो अतीत की घटनाओं से उद्भूत हुई, परन्तु स्वीकृत नहीं की गयी है क्योंकि यह संभव नहीं है कि संसाधनों का बहिर्गमन आर्थिक लाभ को सम्मिलित करे, जो देयताओं के निपटारा के लिए आवश्यक है या देयताओं की राशि का सही आकलन नहीं किया जा सके।

आकस्मिक देयताओं को लेखा में नहीं दिया गया है और इसे सूचना द्वारा अनावृत कर दिया गया है।

16.0 अधिभार हटाव व्यय (ओवर बर्डेन रिमूवल व्यय)

1 मि. टन और उससे उच्च क्षमता की खुली खदानों में प्रत्येक खान में ओ.बी.आर. की लागत को औसत अनुपात (कोयला : ओ.बी.) पर प्रभारित किया जाता है। खान को राजस्व में लाने के पश्चात अग्रिम स्ट्रिपिंग और अनुपात अन्तर लेखा का विधिवत समायोजन किया जाता है। वर्ष के अंत में अग्रिम स्ट्रिपिंग और अनुपात अन्तर के शुद्ध शेष को विलंबित राजस्व व्यय या वर्तमान देयता जैसा भी मामला हो, में दर्शाया गया है।

निम्नलिखित विवरण के अनुसार उचित परिसीमा (परमिशिबल लिमिट) के अन्दर ओवर बर्डेन की रिपोर्ट की गई मात्रा और मापित मात्रा के बीच अन्तर को लेखा में परिलक्षित किया गया है :

खान की ओबीआर की प्रमात्रा	उचित परिसीमा का अंतर %	(जो भी कम हो) प्रमात्रा (मि. क्यु. मी. में)
1. मि. क्यू. मी. से कम	+/-5 %	0.03
1 से 5 मि. क्यू. मी. के बीच	+/-3 %	0.20
5 मि. क्यू. मी. से अधिक	+/-2 %	शून्य

17.0 पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधि से सम्बन्धित आय/व्यय मदों को जो कि प्रत्येक मामले में 5.00 लाख रुपये से अधिक न हो, वर्तमान वर्षों के लिए आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

(ख) लेखा पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएँ/पूंजीगत प्रतिबद्धतायें

1.1 कैपिटल एकाउन्ट में निष्पादित की जाने वाली शेष राशि 403.54 लाख (402.36 लाख रुपये) को प्रावधानित नहीं किया गया है।

1.2 कम्पनी के विरुद्ध दावे की राशि 1703.88 लाख रुपये (विगत वर्ष 1477.47 लाख रुपये) है जिसे ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है।

1.3 31.3.2009 तक वर्तमान हेज ट्रानजेक्शन(सकारात्मक मूल्य का शुद्ध) की बाजार से बाजार की समग्र स्थिति 1676.00 लाख रुपये (ऋणात्मक) है। फिर भी 31.3.09 के अनुसार ऋणात्मक बाजार से विशिष्ट स्थिति का बाजार मूल्यांकन छः अलग विदेशी मुद्रा विनिमय में सम्मिलित है, विनिमय से पूर्व इसका धनात्मक मूल्य 1913.00लाख रूपये (2330.00 लाख रुपये) है।

वित्तीय इंस्ट्रूमेंट पर अतिरिक्त लेखा मानक-30; भारत के चार्टर्ड एकाउन्टेट (आईसीएआई) द्वारा जारी मान्यता तथा माप दिनांक 01.04.2009 से अनुशंसात्मक अनुपालन के साथ जारी किये गये हैं तथा ये दिनांक 01.04.2011 से अनिवार्य माने जायेंगे, यद्यपि नकली (Derivative) के लिए वर्ष 2007-08 के लेखा पर आईसीएआई की निम्नलिखित उद्घोषणा से 2330.00 लाख रुपये राशि वाले विदेशी व्यापार विनियम के बाजार की स्थिति का मूल्यांकन, जिसे ऋणात्मक आंका गया है, को वर्ष के लेखा में उपलब्ध कराया गया है। 31.03.2009 के अनुसार निगेटिव मार्क्ड टू मार्केट पर विचार करते हुए उक्त कथित बनाए गए प्रावधान को उपयुक्तता के अनुसार समायोजित किया गया है।

1.4 कम्पनी ने जेबीआईसी तथा आईबीआरडी बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये तथा अपनी अनुषंगियों के उधार के लिये भारत सरकार को काउन्टर गारन्टी दिया है। दिनांक 31.3.2009 को पिछला बकाया क्रमशः 90076.66 लाख तथा 88585.83 लाख रुपये होता है।

पुनः अनुषंगी कंपनियों द्वारा प्राप्त किये गये ऋण के लिए कंपनी ने गारन्टी दिया है जिसका दिनांक 31.3.2009 को पिछला बकाया 16978.70 लाख रुपये (विगत वर्ष 13614.74 लाख रुपये) है।

1.5 दिनांक 31.3.2009 तक आउटस्टैण्डिग लेटर आफ क्रेडिट एमाउन्टेड 3275.82 लाख रूपये है तथा बैंक द्वारा जारी आउटस्टैण्डिगं डेफर्ड भुगतान गारन्टी की राशि 1359.02 (1834.97) लाख रूपये है।

2.0 स्थिर परिसम्पत्तियाँ

2.1 कुछ मामलों में कम्पनी द्वारा अधिगृहीत भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज कम्पनी के पत्र में कार्यान्वित नहीं हो पाये हैं तथा कुछ मामलों में खारिज दाखिल करना है।

2.2 डानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स/इण्डियन इंस्टीच्यूट ऑफ कोल मैनेजमेन्ट :

(क) दिनांक 31.3.95 को पंजीकृत मूल्य के अनुसार स्थाई परिसंपत्तियाँ जिनमें 6064.71 लाख रुपये के मूल्य का तापगृह एवं 3652.25 लाख रुपये का संबंधित भवन और परिसंपत्तियाँ एसईसीएल को (750.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष निरस्त योग्य संचालित पट्टा अनुबन्ध के अंतर्गत) किराये पर दी गई हैं। इन परिसंपत्तियों के अतिरिक्त सीडब्लूआईपी से स्थानान्तरण सहित दिनांक 31.3.2009 को निकाले गये मूल्य के अनुसार 632.44 लाख रुपये के मूल्य के प्लाण्ट एवं

162.31 लाख रुपये के मूल्य के भवन और अन्य परिसंपत्तियाँ हैं। अवमूल्यन हेतु दिनांक 31.3.2009 तक संचित प्रावधान 11310.17 लाख रुपये हैं (वर्तमान अवधि हेतु 285.39 लाख रुपये का अवमूल्यन प्रभार सम्मिलित है)। 31.3.2009 को बुक के अनुसार पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों का शुद्ध डब्ल्यू.डी.वी. 2845.30 लाख रुपये है।

(ख) इसके अतिरिक्त स्थिर सम्पदा जिसमें 218.99 लाख रुपये के संयंत्र एवं यंत्र सम्मिलित हैं, के साथ भवन एवं अन्यान्य सम्पति दोनों मिलकर जो 31.3.95 को 1625.37 लाख रुपये के थे, निरस्त योग्य संचालित पट्टा अनुबंध के अंतर्गत (153.00 लाख रुपये के वार्षिक लीज रेन्ट के लिए) सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट -1860 के अधीन पंजीकृत एक सोसाईटी आईआईसीएम को भाड़े पर दी गई है।

इन परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त दिनांक 31.3.09 को आंकलित मूल्य के अनुसार संयंत्रों के मूल्य एवं यंत्र पर 370.35 लाख रुपये तथा भवन एवं अन्य सम्पत्तियों पर 381.41लाख रुपये की राशि जुटी हैं। दिनांक 31.3.09 तक अवमूल्यन हेतु संचित प्रावधान 1084.45 लाख रुपये हैं। (चालू वर्ष के 69.25 लाख अवमूल्यन प्रभार सहित) दिनांक 31.3.09 को बुक के अनुसार पट्टे की परिसम्पत्ति का शुद्ध डब्ल्यू.डी.वी. 1683.83 लाख रुपये है।

2.3 ''लेखा विधि मानक'' (ए.एस.) 28 के अनुसार ''परिसंपत्तियों की क्षति'' पर कंपनी ने वर्ष के अंत अर्थात् 31.3.2009 तक क्षति का आकलन किया है और यह निर्धारित किया है कि निम्नलिखित परिसंपत्तियों का मूल्य वसूली योग्य नहीं है तथा इसलिए क्षति पहुंची है। परिणामत: क्षति घाटा को लाभ एवं घाटा खाते में प्रभारित कर दिया गया है। विवरण निम्नवत हैं :

परिसम्पत्तियों की प्रकृति	घटनायें/परिस्थितियाँ	क्षति घाटा की राशि (रु. लाख में)	वसूली योग्य राशि का आधार	क्षति के निर्धारण का समय
प्लाण्ट एवं मशीनरी	मूल्य में क्षरण	141.42	उपयोगी मूल्य	31.03.2009 की स्थिति

3.0 निवेश

3.1 ईसीएल एवं बीसीसीएल में निवेश :

शेयर पूंजी के रूप में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का निवेश दिनांक 31.3.2009 तक क्रमश: 211800.00 लाख रुपये तथा 221845.00 लाख रुपये था। ईसीएल तथा बीसीसीएल रुग्ण हो चुकी हैं तथा औद्योगिक अधिनियम 1985 के अन्तर्गत बीआईएफआर को सन्दर्भित की गई हैं। ईसीएल तथा बीसीसीएल के पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार की योजना अग्रिम स्थिति में है। ईसीएल की पुनर्निर्माण योजना की अनुशंसा ऑपरेटिंग एजेन्सी द्वारा तैयार की गई है और यह बीआईएफआर के विचाराधीन है। बीसीसीएल के मामले में पुनर्निर्माण/पुनरुद्धार योजना बनाई गई है तथा एक बाह्य एजेंसी द्वारा इसकी समीक्षा की गई है।

ये सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं एवं सक्षम प्राधिकारी के विचाराधीन हैं। जैसे ही पुनरुद्धार योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाता है तथा लागू किया जाता है, इन कंपनियों की वित्तीय अवस्था में महत्वपूर्ण सुधार आयेगा जिससे वे व्यवहार्य कंपनी में बदल सकेगी। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निवेश के मूल्य में होने वाली अवनति, यदि कोई है तो अस्थाई रूप में है और इसलिए इसे व्यय के अनुकूल आंका गया है। उसी अनुरूपता में अर्थात जब ये अनुषंगियाँ उपरोक्त कथन के आधार पर व्यवहार्य कंपनियों में बदल जायेगी, तब इन अनुषंगियों पर बकाया ऋण से संबंधित कोई प्रावधान नहीं माना जायेगा।

4.0 सामग्री सूची

4.1 अप्रयोजनीय या प्राय: रद्द हो गये अतिरिक्त पुर्जो के खाते में 177.53 लाख रुपये (गत वर्ष 159.19 लाख रुपये) का प्रावधान किया गया है और इसे पर्याप्त माना गया है।

5.0 विविध देनदार

5.1 अपरिशोधित एवं संदिग्ध ऋणों के लिये लेखाओं में 1076.73 लाख रुपये (गत वर्ष 1076.73 लाख रुपये) प्रावधानित किये गये हैं और इन्हें पर्याप्त माना गया है।

6.0 एसपीवी (विशेष प्रयोजन उपाय) में निवेश

6.1 सीआईएल/सेल/आरआईएनएल/एनटीपीसी तथा एनएमडीसी को मिलाकर विदेश में कोयला सम्पत्तियों (कोल प्रापरटीज) के अधिग्रहण के लिए संयुक्त उद्यम के माध्यम से विशेष प्रयोजन उपाय (एसपीवी) गठित करने के सम्बन्ध में (24 नवम्बर, 2007 को आयोजित अपने बोर्ड की 237वीं बैठक में अनुमोदन के तहत) सीआईएल एक समझौता ज्ञापन में सम्मिलित हुआ है। भारत सरकार के कैबिनेट द्वारा 8 नवम्बर, 2007 को एसपीवी का गठन अनुमोदित है।

समझौते के अनुसार, सीआईएल एसपीवी में 1000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। एसपीवी के उद्देश्य के लिए कम्पनी का पंजीकरण अग्रिम अवस्था में है तथा 31.03.2009 तक सीआईएल ने आरम्भिक व्यय (पूर्व समावेशन) हेतु अपने हिस्से का लगभग 50.00 लाख रुपये का भुगतान किया है। एसपीवी के लिए कम्पनी के गठन का अंतिम रुप दिया जाना लम्बित है, 50.00 लाख रुपये का आरम्भिक अंशदान, जिसे आखिरकार एसपीवी में ईक्विटी अंशदान का हिस्सा माना जायेगा, उसे ऋण अग्रिम अनुसूची (अनुसूची-जे) में एसपीवी में निवेश के रूप में दर्शाया गया है।

7.0 ऋण एवं अग्रिम

7.1 कम्पनी के पास नगद, बैंक शेष, रोड कूपन इत्यादि के रूप में निधि प्राप्त है, जो कम्पनी के नान-कोकिंग कोल माइन्स के प्रबन्धन अवधि में अर्थात दिनांक 1.5.1973 को प्राप्त हुई थी, इसे कम्पनी द्वारा भुगतान आयुक्त को भारत सरकार की ओर से दिया गया है। जमा के लिए जो उस समय नॉन-कोकिंग कोयले की खदानों के प्रबन्धन अवधि के लिये अतिरिक्त थी, उसे समंजित कर दिया गया है।

7.2 रेलवे से वैगनों के खो जाने या पथ पर परिवर्तन (डाइवर्शन) इत्यादि के कारण देय प्राप्त योग्य दावा सम्मिलित 193.95 लाख रुपये (193.95 लाख रुपये) है।

7.3 ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सीएमपीडीआईएल द्वारा अन्वेषण सेवाएँ देने हेतु निधि:

कोल इण्डिया लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नियंत्रण वाले क्षेत्रों के ब्लाकों में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग करने के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा खर्चे का वहन किया गया। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की वित्तीय स्थिति नाजुक होने के कारण इसे बीआईएफआर के अंतर्गत रखा गया है, जब उन ब्लॉकों में खनन क्रिया-कलापों को प्रक्षेपण एवं कार्यान्वित किया गया था तो प्रारंभ में यह कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा उत्पन्न किया गया था और उसकी वसूली के लिए कोल इण्डिया लिमिटेड के खाते में भलीभाँति लिपिबद्ध किया गया था। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नियंत्रण वाले क्षेत्रों के ब्लाकों में अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग के लिए उक्त खर्चे को कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा निधिकरण किया जायेगा और 5 वर्षों से कोल इण्डिया लिमिटेड इसे खाते में परावर्तित करने के लिए इसके समायोजन हेतु निरन्तर प्रतीक्षारत है क्योंकि वे उसके लिये उत्तरदायी हैं और इसके बाद यदि अब भी खनन क्रिया-कलापों के प्रक्षेपण के लिए अनिर्णित/असमंजित रहा है तो, उक्त असमंजित राशि को कोल इण्डिया लिमिटेड के खाते में लिपिबद्ध कर दिया जायेगा।

इस खाते में दिनांक 31.3.2009 को कुल राशि चालू वर्ष के 5007.67 लाख रुपये को जोड़कर 1236.94 लाख रुपये हुई है। पूरी सावधानी के साथ इसे पर्याप्त माना गया है।

इसके अतिरिक्त, 675.51 लाख रुपये (950.86 लाख रुपये) उक्त खर्च के लेखाकरण एवं प्राप्त करने की तिथि से पाँच वर्षों की समाप्ति पर विचार करते हुए बट्टे खाते की तारीख का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है।

8.0 सुरक्षित ऋण-नगद ऋण

पूर्ववर्ती सीएमएएल एवं इसके प्रभागों की परिसम्पत्तियों के पंजीकरण तथा हस्तांतरण के लंबित होने की दशा में, सीआईएल की नकद आय स्थिति को कोयला भण्डार के लिए अनुषंगियों के भण्डारिक स्टॉक, अतिरिक्त पुर्जो के स्टॉक तथा बुक के ऊपर मूल्य प्रभारित कर, संतुलन कर को रक्षित किया गया है।

31.03.2009 को सीआईएल का कुल उपलब्ध चालू पूँजीगत ऋण 55000.00 लाख रुपये है जिसमें से निधि आधारित सीमा 25000.00 लाख रुपये है। शेष 35000.00 लाख रुपये की सीमा गैर-निधि आधारित है और अनुषंगी कंपनियाँ इस सुविधा का पूरा उपयोग कर रही है,इसके लिए कोल इण्डिया लिमिटेड पूरी तरह से जिम्मेदार होगी।

9.0 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

9.1 मन्दगति से आगे बढ़ने/स्थिर एवं अप्रयुक्त भण्डारों, प्राप्त होने वाले दावों, अग्रिम, संदेहास्पद उधार इत्यादि के लिए प्रावधान बनाया गया है जो इन मदों हेतु पर्याप्त माना गया है।

9.2 कर्मचारियों से पेंशन योजना के अधीन संग्रहित राशि तथा कम्पनी द्वारा आवश्यक औपचारिकाताओं के पूरा होने तक देय ब्याज/प्रदत्त राशि को कोयला खान पेंशन योजना 1998 द्वारा निर्धारित दर पर लेखा में प्रभारित किया गया है।

9.3 अनुषंगी कम्पनियों के साथ अवशेषों का समायोजन निरन्तर किया जाता रहा है एवं दिनांक 31.3.2009 का विवरण कोल इण्डिया लिमिटेड के खाते के अनुसार बहुत हद तक समंजित कर दिया गया है जबकि शेष बचे का समंजन प्रगति पर है।

9.4 आईआईसीएम के लिये चालू लेखा संतुलन में (तुलन पत्र की वर्तमान देयताओं और प्रावधान अनुसूची में) प्रत्येक अनुषंगी से 50 पैसे प्रति टन उत्पादन को समाहित कर राशि/निधि के रूप में आईआईसीएम को प्रेषित किया हुआ दर्शाया गया है।

वर्ष के दौरान इस लेखा में अनुषंगियों से प्राप्त की गई अंशदान की राशि 2018.70 लाख रुपये है। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान आईआईसीएम को अतिरिक्त 675.05 लाख रुपये (शुद्ध) दिये गये थे तथा आईआईसीएम से हायर चार्ज/लीज रेन्ट के रुप में वसूली की राशि 153.00 लाख रुपये (एसटीडी 34.67 लाख रुपये) थी।

9.5 दो नये कर्मचारी लाभ अर्थात् सेवा-निवृत्त अधिकारी चिकित्सा लाभ योजना और खान दुर्घटना में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति की देयता को चालू वर्ष से बीमांकिक आधार पर मूल्यांकित किया गया है। 31.03.2009 को लागत आधारित इस प्रकार के मूल्यांकन को चालू वर्ष के आय में समायोजित किया गया है।

इन दो कर्मचारी लाभ योजनाओं का मूल्यांकन बीमांकिक आधार पर होने के कारण कंपनी का लाभ 362.12 लाख रुपये कम हो गया है।

कर्मचारियों के कुछ लाभ जैसे — वीआरएस (गैर अधिकारी), किसी कर्मचारी के मृत्यु होने पर नियोजन के स्थान पर अनुग्रह राशि की देयता को बीमांकिक आधार पर मूल्यांकित नहीं किया गया है।

ग्रेच्युटी के लिए निधिबद्ध कर्मचारी लाभ हेतु बीमांकिक प्रमाण पत्र के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दिया गया है :

31.3.2009 तक ग्रेच्युटी देयता का बीमांकिक मूल्यांकन

लेखा मानक-15 (संशोधित 2005) के अनुसार प्रमाण पत्र

तालिका - 1 : प्रकटीकरण मद 120सी

वर्तमान मूल्य की देयता प्रभार को प्रदर्शित करती हुई सारिणी

	(रुपये लाख में) 31.3.2009 के अनुसार
वर्ष के प्रारम्भ में अनुबंध-पत्र का वर्तमान मूल्य	6360.78
अर्जन समायोजन	0.00
ब्याज लागत	486.06
पूर्व सेवा लागत	0.00
चालू सेवा लागत	461.34
संक्षेपण लागत	0.00
समझौता लागत	0.00
भुगतानित लाभ	570.15
अनुबन्ध-पत्र पर बीमांकिक लाभ/हानि	-4249.92
वर्ष के अन्त तक अनुबन्ध पत्र का वर्तमान मूल्य	10987.95

तालिका 2 : प्रकटीकरण मद 120 (ई)

योजना परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में प्रभार दर्शाने वाली तालिका

	(रुपये लाख में) 31.3.2009 के अनुसार
वर्ष के प्रारम्भ में योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	5392.81
अर्जन समायोजन	0.00
योजना परिसम्पत्ति पर अपेक्षित आय	431.42
अंशदान	0.00
भुगतानित लाभ	570.15
योजना परिसम्पत्ति पर बीमांकिक लाभ/हानि	140.21
वर्ष के अन्त तक प्लान सम्पत्ति का उचित मूल्य	6738.28

तालिका 3 : प्रकटीकरण मद 120 (एफ) निधिबद्ध स्थिति को दर्शाने वाली तालिका

	(रुपये लाख में) 31.3.2009 के अनुसार
वर्ष के अन्त तक अनुबंध पत्र का वर्तमान मूल्य	10987.95
वर्ष के अन्त तक योजना सम्पत्ति का उचित मूल्य	6738.28
निधि की स्थिति	(-) 4249.67
वर्ष के अन्त तक गैर मान्य बीमांकिक लाभ/हानि	0.00
शुद्ध सम्पत्ति (देयता)	(-) 4249.67
तुलन पत्र में मान्य	

तालिका 4 : प्रकटीकरण मद 120 (जी) लाभ/हानि के विवरण में अन्य व्यय को दर्शाती हुई तालिका

	(रुपये लाख में)
	31.3.2009 के अनुसार
चालू सेवा लागत	461.34
पूर्व सेवा लागत	0.00
ब्याज लागत	486.06
योजना परिसम्पत्ति पर अपेक्षित रिटर्न	431.42
संक्षेपण लागत	0.00
समझौता लागत	0.00
वर्ष में मान्य बीमांकिक मान्य लाभ/हानि	4109.71
लाभ/हानि के विवरणों मान्य व्यय	4625.68

तालिका 7 : प्रकटीकरण मद 120 (आई) बीमांकिक ग्रहण दर्शाती हुई तालिका

	31.3.2009 के अनुसार
घातकता तालिका	एलआईसीआई 1994-1996
सेवा निवृत्ति उम्र	60
शीघ्र सेवा निवृत्ति तथा अंपगता	10 प्रति हजार प्रति वर्ष
	45 वर्ष से उपर 6
	29 एवं 45 के बीच 3
	29 वर्ष उम्र के नीचे 1
छूट दर	8.00
स्फीति दर	6.50
सम्पत्ति पर आय	8.00
शेष बची कार्यगत जिन्दगी	10
उपयोग किया गया सूत्र	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड

तालिका 8 : प्रकटीकरण मद 120 (एम)

चूँकि योजना चिकित्सा लागत से सम्बन्धित नहीं है अत: यह लागू नहीं है।

तालिका : 9 प्रकटीकरण मद 120 (एन)

विगत 4 मूल्यांकन रिकार्ड कंपनी का सारॉंश है।

तालिका 10 : प्रकटीकरण मद 120 (पी)

	(रुपये लाख में)
	31.3.2009 के अनुसार
प्रारम्भिक शुद्ध देयता	967.97
उपरोक्तानुसार व्यय	4625.68
अंशदान	1343.98
अंत शुद्ध देयता	4249.67
अंत निधि / वर्ष के अन्त में प्रावधान	10987.95

9.6 बीसीसीएल, एक अनुषंगी कम्पनी की ओर से मेसर्स एमएएमसी को आयातित पुर्जों की आपूर्ति करने की व्यवस्था के लिए एक पुराने अग्रिम की 370.90 लाख रुपये की राशि के विपरीत लेखा में पूरा प्रावधान रखा गया है।

9.7 (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम) संगठनों के साथ एमएसएमईडी एक्ट के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले सौदे की पहचान की गई है यदि कोई हो तो , इसे लंबित नहीं रखा गया है।

10.0 लाभ एवं हानि लेखा

10.1 वर्ष के लेखा में बीसीसीएल को आरोप्य 7024.56लाख (8464.17 लाख रुपये) के ब्याज के दावे तथा 1275.70 लाख रुपये (1275.00 लाख रुपये) एपेक्स चार्ज के संबंध में राजस्व की पहचान को आस्थगित रखा गया है। इनका लेखा मानक-9 के अनुसरण में राजस्व पहचान के लिए आईसीएआई के प्रावधान को ध्यान में रखकर किया गया है। (सीआईएल की 229वीं बैठक में बीसीसीएल के 108329.98 लाख रुपये पर ब्याज मुक्त कर दिया गया है)। सीआईएल बोर्ड द्वारा ईसीएल से ऐसे एपेक्स कार्यालय प्रभार तथा उसके ब्याज की वसूली टिप्पणी संख्या 13.9 के अनुसार पहले ही छोड़ दी गई है।

इसके अतिरिक्त निदेशक मण्डल की 247वीं बैठक में एनसीडब्ल्यूए के अंतर्गत आनेवाले कर्मचारियों को अंतरिम राहत तथा अधिकारियों के वेतन पुनरीक्षण के विरुद्ध समायोजित किए जाने वाले 50% तदर्थ भुगतान हेतु ईसीएल को निधि विमोचन की अभिपुष्टि करते समय बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया कि इस प्रकार के ऋणों पर ब्याज की दर सभी अनुषंगियों पर एक समान लागू होगी और ब्याज का घाटा सीआईएल उठाएगा। इस प्रकार उसे अनुदान माना जाएगा।

उपर्युक्त के आलोक में इस प्रकार के ऋण पर ब्याज (नोशनल) को वर्ष के दौरान ईसीएल को अनुदान में दिखाया गया है (अनुसूची सं. 13 को संदर्भित करें)।

10.2 एनसीएल, एमसीएल तथा एसईसीएल तीन अनुषंगियों में वर्ष 2008-09 के लिए 133631.95 लाख रुपये (विगत वर्ष 151058.65 लाख रुपये) का अंतरिम लाभांश घोषित किया है जिसकी गणना इस वर्ष की आय के रूप में की गई है। वर्ष 2007-08 के लिए अंतिम लाभांश के अतिरिक्त एनसीएल, एमसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल तथा एसईसीएल से चालू वर्ष के दौरान 199342.15 लाख रुपये (86768.72 लाख रुपये) की राशि प्राप्त हुई है।

10.3 मूल्य ह्रास में पट्टे वाली भूमि के लागत परिशोधन के कारण प्रभारित राशि शामिल है।

10.4 अधिभार हटाव के समानुपातिक अप्रस्तुत लागत के लम्बित अभिनिश्चयन में प्रचुर सावधानी को उपाय के रूप में लेने की तुलना में वर्ष के दौरान बढ़े हुए कोयले के मूल्य के लिए 2604.79 लाख रुपये (2746.45 लाख रुपये) का प्रावधान विद्यमान संविदात्मक शर्तों तथा तीन वर्ष की अवधि के अनुसार (31.03.2009 तक) लेखा में उपलब्ध कराया गया है।

10.5. वर्ष के दौरान सीआईएल के हेलीकाप्टर की बड़ी मरम्मत करवायी गई और अब हेलीकॉप्टर 15 वर्षों तक या 3200 घण्टों तक जो भी पहले हों, उड़ने लायक हो गया है। सीआईएल के हेलीकॉप्टर के औसत बजटीय उड़ान घण्टों को ध्यान में रखते हुए उम्मीद है कि किसी ओवरहॉलिंग के पहले यह 15 वर्षों तक उड़ेगा। तद्नुरूप ओवरहॉलिंग की लागत को पूँजीगत कर दिया गया है।

हेलीकॉप्टर के 15 वर्षों के नये जीवन पर आधारित 6.33% प्रति वर्ष (एस.एल.एम.) की दर से मूल्य ह्रास किया गया है। हेलीकॉप्टर के मूल्य पर (31.03.2005 के अनुसार) घाटे का प्रावधान तब तक रखा गया है जब तक इस प्रकार की बड़ी मरम्मत को इसके सामान्य मूल्यह्रास में 31.03.2009 की अवधि तक अपरिवर्तित रखा गया है। अनुसूची-XIV के 5.60% प्रतिवर्ष की दर से सामान्य एस.एल.एम. के विरुद्ध इस प्रकार के मूल्य ह्रास के कारण इस कार्य का लाभ 1.60 लाख रुपये घटा है।

इसके अतिरिक्त 100% मूल्य ह्रास वाली परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास प्रभारित करने के कारण इस वर्ष सम्मिलित की गई

परिसंपत्तियों पर (जैसा कि नीति सं. 7.1 में वर्णित है) पूर्व नीति के अनुसार 2 वर्षों में उन्हें प्रभारित किया जाता था (अर्थात् समानुपात आधार पर) कंपनी का लाभ 7.99 लाख रुपये कम हुआ है।

10.6 01.07.2006 से प्रभावी राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता (एनसीडब्ल्यूए-VIII) को जनवरी-2009 में अंतिम रूप दिया गया। वेतन के सभी तत्वों को मिलाकर 3567.08 लाख रुपये (31.03.2009 तक) का प्रावधान एरियर हेतु लेखा में रखा गया है।

इसके अतिरिक्त अधिकारियों के वेतन पुनरीक्षण (01.01.2007 से प्रभावी) को मई 2009 में अंतिम रूप दिया गया। वेतन/पर्क्स सभी को मिलाकर 4090.91 लाख रुपये (31.03.2009 तक) का प्रावधान एरियर हेतु लेखा में रखा गया है।

उक्त प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है :

आँकड़े लाख रुपये में

वर्ष	एनसीडब्ल्यूए -VIII एरियर	अधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण
2006-07	990.34	380.91
2007-08	1370.86	1933.94
2008-09	1205.88	1776.06
योग	**3567.08**	**4090.91**

10.7 31.03.2009 को जीवनांकिक देयता में ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश नकदीकरण, अर्ध वेतन अवकाश में अधिकारियों का वेतन पुनरीक्षण तथा वेज बोर्ड कर्मचारियों का पूर्व पुनरीक्षित वेतन/मजदूरी लाभ के कारण क्रमश: 4684.97 लाख रुपये, 496.16 लाख रुपये तथा 248.33 लाख रुपये शामिल हैं।

11.0 ब्याज

अनुषंगी कंपनियों द्वारा सीआईएल से लिये गये ऋण पर ब्याज को ऋण अनुबन्ध में निहित प्रावधानों में निर्धारित दर को उनके खाते में अथशेष में प्रभारित किया गया है।

12.0 विदेशी विनिमय ऋण

12.1 विभिन्न अनुषंगियों में कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु आईबीआरडी एवं जेबीआईसी बैंकों से लिए गये विदेशी विनिमय ऋण को असुरक्षित ऋण (अनुसूची-डी) शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

आईबीआरडी एवं जेबीआईसी बैंकों से अनुबन्ध के समय कोल इण्डिया लिमिटेड ने इसमें हिस्सेदार अनुषंगियों के साथ बैक टू बैक ऋण अनुबन्ध किया है और विनिमय दर के अन्तर के प्रभाव सहित ऋण को ''अनुषंगियों को ऋण'' के अन्तर्गत दर्शाया है और अन्य सभी वित्तीय प्रभार यथा ब्याज, उत्तर दायित्व प्रभार इत्यादि तथा अर्जित ब्याज को ''अनुषंगियों के साथ चालू खाता'' के माध्यम से स्थानान्तरित कर दिया है।

12.2 अनुषंगी कंपनियों के उधार-ग्रहण एवं अन्य लागत के लिए (विनिमय भिन्नता सहित) प्राप्त किये गये विदेशी मुद्रा ऋण को संबंधित अनुषंगी कंपनियों से वसूल लिया गया है। उपरोक्त वर्णित उधार-ग्रहण एवं इसके ब्याज के एक भाग पर कंपनी ने विनिमय संपादन हेतु निर्दिष्ट किया है। विनिमय संपादन के फलस्वरूप लाभ/हानि (केवल विनिमय के सिद्धान्त पर जो संबंधित अनुषंगी कंपनियों से वसूली की जा रही है) को विदेशी विनिमय संपादन के लिए आरक्षित किया जा रहा है। उक्त विनिमय संपादन के शुद्ध परिणाम के अनुसार एवं विदेशी मुद्रा ऋण के अदायगी के पूर्ण होने के पश्चात्, अनुषंगी कंपनियों से वसूली/भुगतान किया जायेगा।

13.0 अन्य

13.1 प्रबंधन के विचार में वर्तमान परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम, विविध देनदारों इत्यादि व्यवसाय के अनुक्रम में कम से कम घोषित मूल्य के अनुसार प्राप्ति की योग्यता से सम्पन्न हैं।

13.2 राष्ट्रीय आपदा निधि के लिए कर्मचारियों से काटी गई/अनुषंगियों से वसूल की गई अन्य देयता राशि 348.19 लाख रुपये को मिलाकर 7906.39 लाख रुपये है।

13.3 नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा रखे गये अतिरिक्त फण्ड पर ब्याज का भुगतान किया गया है अलावे उनके जिन्हें ब्याज रहित अलग किया गया है।

13.4 पार्टियों, विविध देनदारों, जमाकर्ताओं, ऋण एवं अग्रिम तथा निक्षेप से बकाया की पुष्टि के अभाव में उसे उनके खाते में दर्शाये गये मूल्य के अनुसार लिया गया है।

13.5 अनुषंगियों की ओर से सीआईएल द्वारा क्रय की गई वस्तुओं का लेखा-जोखा प्रचलित पद्धति के अनुसार अनुषंगी कम्पनियों के खाते में दिखाया गया है।

13.6 (क) कर्मचारियों को अग्रिम यथा भवन निर्माण, गाड़ी की खरीद इत्यादि पर ब्याज की गणना मूलधन की वसूली के बाद प्राप्ति पर की गई है।

(ख) बीमा और दावे में वृद्धि की गणना स्वीकृति/अन्तिम समझौते के आधार पर की गई है।

(ग) रॉयल्टी, उपकर इत्यादि हेतु अतिरिक्त देयता यदि कोई हो तो, की गणना जिस वर्ष अन्तिम ऑकलन आदेश प्राप्त होते हैं, पर की गई हैं।

13.7 वर्तमान वर्ष के लिए आयकर, सम्पत्ति कर, कर भुगतान पर ब्याज इत्यादि लेखा में 16000.00 लाख रुपये (11800.00 लाख रुपये) की राशि का प्रावधान रखा गया है। फ्रिंज बेनिफिट कर के लिए भी 285.00 लाख रुपये (281.00 लाख रुपये) अतिरिक्त उपलब्ध कराये गये हैं और चालू वर्ष में पूर्व के वर्षों के लिये आयकर, फ्रिंज कर के लिए 20805.35 लाख रुपये (6837.61 लाख रुपये) भी उपलब्ध कराये गये हैं।

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्ट्स संस्थान (आई.सी.ए.आई) द्वारा जारी आयकर हेतु गणना (एएस-22) के अनुसार परिकलित आधार पर कंपनी के पास विलंबित कर परिसंपत्ति है। चूँकि कर कानूनों के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश जिसे कोल इण्डिया लिमिटेड की आय माना गया है वित्तीय वर्ष 2003-04 से कर मुक्त रखा गया है और चूँकि बिना इस प्रकार के लाभाँश पर विचार किये भविष्य में कर योग्य आय की कोई वास्तविक निश्चितता नहीं है। सीआईएल की भविष्य में संभावित हानि/मामूली लाभ को देखते हुए दूरदर्शी अनुभव के रूप में आय पर कर गणना (एएस-22) के प्रावधान का ध्यान रखते हुए लेखा में किसी विलंबित कर संपत्ति को चिन्हित नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों से प्राप्त लाभांश में से भारत सरकार को लाभांश का भुगतान किया गया जिस पर संबंधित अनुषंगियों द्वारा लाभांश वितरण कर भुगतान किया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार भारत सरकार को दिए जाने वाले लाभांश पर किसी अतिरिक्त लाभांश कर पर विचार नहीं किया जाएगा।

13.8 तुलन पत्र में दिखाये गये स्थानान्तरण तथा पुनर्वास निधि (अनुसूची-ग) की निधि संरचना हेतु ''ईसीएल तथा बीसीसीएल में स्थानान्तरण तथा पुनर्वास के साथ आग की रोकथाम तथा अस्थिर क्षेत्रों की स्थिरता के लिए कार्य योजना के क्रियान्वयन''

को प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त निधि निश्चित जमा राशि में निवेश की गयी है और उस पर यदि कोई ब्याज आय (शुद्ध टीडीएस) होती है तो उसे भी उक्त निधि में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। इस वर्ष शुद्ध (टीडीएस) अर्जित कुल ब्याज आय (टीडीएस) एवं स्थानान्तरित राशि 7619.23 लाख रुपये है।

13.9 दिनांक 29 जुलाई, 2003 को कोल इण्डिया बोर्ड की 209वीं बैठक में (मद सं. 209 : 4(बी) संचालित एजेंसी की माँग पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए अनेक खातों में सहायता एवं रियायत स्वीकृत कीं गयी हैं। उक्त सहायता एवं रियायतों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

(क) दिनांक 31.3.2002 को कोल इण्डिया लिमिटेड से प्राप्त असुरक्षित ऋण बकाया राशि रु. 135.00 करोड़ थी, के देय ब्याज का अधित्याग।

(ख) जब तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का शुद्ध लाभ धनात्मक नहीं हो जाता है तब तक उसके असुरक्षित ऋण 519.00 करोड़ रुपये के आगामी ब्याज का अधित्याग।

(ग) जब तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का शुद्ध लाभ धनात्मक नहीं हो जाता है तब तक कोल इण्डिया लिमिटेड को अदायगी किए जाने वाले सेवा प्रभार का अधित्याग।

तद्नुसार चालू वर्ष के दौरान उपरोक्त अनुरक्षित ऋण पर ब्याज एवं सेवा प्रभार को प्रभारित किया गया हैं।

13.10 न्यू टाउन राजर हाट, कोलकाता में 14.536 एकड़ जमीन आबंटन के लिए **डब्ल्यूबीएच आईडीसीओ** को 589.87 लाख रुपये अग्रिम दिया गया है। उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण दस्तावेज को वर्ष के दौरान पूँजीगत अग्रिम से फिक्स्ड असेट-लैण्ड में स्थानान्तरण किया गया है।

13.11 ऋण एवं अग्रिम अनुसूची के अंतर्गत अन्य अग्रिम 610.76 लाख रुपये के साथ 59.81 लाख रुपये को दर्शाया गया है और यह अग्रिम भारत सरकार के पास शेष राशि को निरुपित करता है जैसा कि भूमि के क्षतिपूर्ति के खाता में अनुषंगी कंपनियों की ओर से प्रत्यावर्णीय जमा की गयी है।

13.12 **अग्रिम जमा** - सीसीएल के नियंत्रण क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़क विकास कार्य के मद में सीसीएल को दी गई सीसीडीएसी सहायता राशि को अन्य सरकारी निधि मद में 187.92 लाख रुपये अप्रयुक्त/प्रत्यर्पणीय राशि के रूप में दर्शाया गया है। वर्ष के दौरान विगत वर्षों से उपलब्ध अप्रयुक्त/प्रत्यपर्णीय 2329.00 लाख रुपये अनुदान में से 1785.70 लाख रुपये भारत सरकार को वापस किए गए। शेष 543.30 लाख रुपये का उपयोग स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स द्वारा विगत वर्षों में किया जा चुका है। शुद्ध राशि निम्नानुसार प्रदर्शित है :

31.3.2009 के अनुसार

(लाख रुपये में)

विवरण	*राशि*
01.04.2008 को शेष	2329.00
घटाकर : भारत सरकार को वापस	1785.70
स्वै. से. नि. योजना पर शुद्ध अनुदान	543.30
घटाकर : एनईसी की स्वै.से.नि. योजना पर प्रयुक्त व्यय	543.30
31.03.2009 के अनुसार	शून्य

13.13 एनईसी क्षेत्र की खदानें अत्यन्त पुरानी हैं और वहाँ पर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना नहीं है, इसलिए वहाँ पर भराई (बैक फिलिंग) इत्यादि के लिए कोई दायित्व नहीं है। फिर भी एकीकृत गाइडलाइन के आधार पर कोयला कम्पनियों के लिए अंगीकृत तकनीकी तथा जीव विज्ञान सम्बन्धी भूमि-उद्धार (समग्र क्षेत्र पर अपेक्षित भूमि-उद्धार) की दर 75000/- रुपये प्रति हेक्टर है जहाँ सीएमपीडीआई का मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है, वहाँ वर्ष के लेखा में कुल 176.00 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये हैं।

13.14 31.03.2009 के अनुसार विविध प्रावधानों की स्थिति नीचे दी गयी है:

(रुपये लाख में)

प्रावधान	*ओपनिंग बैलेंस बैलेंस(अथशेष)*	*वर्ष के दौरान अतिरिक्त*	*वर्ष के दौरान राइट बैक/समायोजन*	*अंत शेष*
संदिग्ध अग्रिम	6002.02	1290.68	695.72	6596.62
संदिग्ध कर्ज	1076.73	—	0.11	1076.62
परिसंपत्तियों की क्षति	2354.83	141.42	—	2496.25
सीडब्ल्यूआईपी	446.52	44.20	—	490.72
अन्य प्रावधान-स्थिर परिसंपत्तियाँ	45.59	5.18	4.07	46.70

13.15 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरण (अपत्यक्ष विधि)

(लाख रुपये में)

		वर्तमान वर्ष	**विगत वर्ष**
अ. संचालित गतिविधियों से कैश फ्लो			
कर पूर्व शुद्ध लाभ		365768.34	26257.62
के लिए समायोजित :			
अवमूल्यन		662.88	655.53
स्थिर परिसंपत्तियों का प्रावधान/बट्टा खाता		141.42	184.64
परिसंपत्तियों के विक्रय पर लाभ/हानि		(0.01)	(7.87)
कार्यगत पूंजी बदलावों के पूर्व संचालित लाभ	(अ)	366572.63	265089.92
के लिए समायोजित :			
विविध देनदार		(2.02)	1.43
सम्पत्ति सूची		(908.46)	1323.53
ऋण तथा अग्रिम		(39180.18)	20775.50
वर्तमान देयतायें/प्रावधान		9687.09	(9902.36)
स्थिर परिसंपत्तियों (क्रय)/विक्रय		(149547.88)	(95728.01)
संचालन से प्राप्त रोकड़	(ब)	(179951.40)	(83529.85)
आयकर भुगतानित		(12033.89)	(9562.82)
संचालित गतिविधियों से शुद्ध रोकड़	(स)	174587.34	171997.25
[(अ) +(ब)] - भुगतानित कर			

(ब) निवेशी गतिविधियों से कैश फ्लो:			
स्थिर परिसंपत्तियों का क्रय		(1427.89)	(360.61)
स्थिर परिसंपत्तियों का विक्रय		(77.77)	(121.70)
* स्थानान्तरण एवं पुनर्वास निधि के लिए निश्चित जमा राशि का क्रय		(25692.43)	(23980.04)
निवेशी गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध रोकड़	(द)	**(27198.09)**	**(24462.35)**
(स) वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो :			
सरकारी/अन्य ऋण का पुनर्भुगतान		—	—
बाण्ड का परिशोधन		(3.40)	—
* अनुषंगी कंपनियों से स्थानान्तरण एवं पुनर्वास निधि की प्राप्ति		27796.49	25780.04
लाभांश का भुगतान (लाभांश पर कर सहित)		(170542.00)	(199525.61)
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध रोकड़	(य)	**(142748.91)**	**(173745.57)**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (स+द+य)		(4640.34	(26210.67)
नगदी एवं नगदी समतुल्य (अथशेष)		9260.08	35470.75
नकदी एवं नकदी समतुल्य (अंतशेष रोकड़)		13900.42	9260.08

नोट : (1) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए ऋण एवं विश्व बैंक ऋण जो अनुषंगी कंपनियों के लिए ही प्राप्त किये गये है के संदर्भ में कंपनी मध्यस्थता का कार्य कर रही है। इसलिए इसे संचालित गतिविधियों में परावर्तित किया गया है।

* (2) अनुसूची-एम, पार्ट-बी का नोट सं. 13.8 को संदर्भित।

(3) पिछले वर्ष के आंकड़ो को जहाँ भी आवश्यक हुआ है उसे पुन: समूहित/पुन: वर्गीकृत किया गया है।

कैश फ्लो पर टिप्पणी :

1. कोष्ठक में सभी आंकड़े बहिर्गमन दर्शाते है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक हुआ है उसे पुन: समूहित/नया रुप दिया गया है।
3. नकदी एवं नकदी के समतुल्य निम्नलिखित में समाविष्ट है :

		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(क)	हाथ में नकद, चेक, ड्राफ्ट, स्टैम्प आदि	3.72	3.36
(ख)	चालू खाता में जमा	3818.60	7687.09
(ग)	कैश क्रेडिट खाता में बैंक में जमा	10078.10	1569.63
	कुल	13900.42	9260.08

13.16 सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी प्रारंभिक रुप से कोयले के उत्पादन तथा विक्रय के एकल सेगमेंट व्यवसाय में लगी हुई है। फिर भी, अनुषंगियों के लाभाँश से भी अर्थपूर्ण आय हुई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

(रुपये लाख में)

विवरण	कोयला खनन		अन्य आकस्मिक गतिविधियाँ		समेकन	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
राजस्व :						
वाह्य विक्रय	28439.26	23546.33	—	—	28439.26	23546.33
लाभांश आय	—	—	332974.10	237827.37	332974.10	237827.37
कुल राजस्व	**28439.26**	**23546.33**	**332974.10**	**237827.37**	**361413.36**	**261373.70**
सेगमेंट परिणाम	3467.00	-1592.53	332974.10	237827.37	336441.10	236234.84
जोड़कर : पिछले घाटे पर अतिरिक्त अनुदान	543.30	5514.00	—	—	643.30	5514.00
शुद्ध सेगमेंट परिणाम	**4010.30**	**3921.47**	**332974.10**	**237827.37**	**336984.40**	**241748.84**
अन-आबंटित खर्च (शुद्ध)	—	—	—	—	**732.21**	**5653.21**
परिचालनात्मक लाभ	—	—	—	—	**337716.61**	**247402.05**
ब्याज आय	—	—	—	—	**28051.73**	**16855.57**
आयकर	—	—	—	—	**- 36230.28**	**-18877.79**
सामान्य गतिविधियों से लाभ	—	—	—	—	329538.06	245379.83
अन्यसूचनायें :						
सेगमेंट परिसंपत्तियाँ	12285.47	11911.36	—	—	12285.47	11911.36
अन-आबंटित कारपोरेट गतिविधियाँ	—	—	24648.39	23619.09	24648.39	23619.09
कुल परिसम्पत्तियाँ	**12285.47**	**11911.36**	**24648.39**	**23619.09**	**36933.86**	**35530.45**
सगमेंट देयता	24426.74	17113.80	—	—	24426.74	17113.80
अन-आबंटित देयतायें	—	—	498584.09	460479.37	498584.09	460479.37
कुल देयतायें	**24426.74**	**17113.80**	**498584.09**	**460479.37**	**523010.83**	**477593.17**
सेगमेंट पूँजी व्यय	250.26	186.30	—	—	250.26	186.30
अन-आबंटित पूँजीगत व्यय	—	—	1316.64	281.48	1316.64	281.48
कुल पूँजीगत व्यय	**250.26**	**186.30**	**1316.64**	**281.48**	**1566.90**	**467.78**
ह्रास (क्षति के लिए प्रावधान सहित)	9827.22	9557.80	—	—	9827.22	9557.80
अन-आबंटित ह्रास (अन्य प्रावधान सहित)	—	—	17609.51	17102.69	17609.51	17102.69
कुल ह्रास (मरम्मत हेतु प्रावधान सहित)	9827.22	9557.80	17609.51	17102.69	27436.73	26660.49

13.17 प्रति शेयर उपार्जन :

क्रम सं.	प्रति शेयर उपार्जन का विवरण	31 मार्च 09 के अनुसार	31 मार्च 08 के अनुसार
1.	कराधान के बाद लाभ	329538.05 लाख रुपये	245379.83 लाख रुपये
2.	जोड़कर/(घटाकर) विदेशी विनिमय एवं अधिमान लाभांश के समायोजन हेतु आरक्षित	(698.81) लाख रुपये	(673.89) लाख रुपये
3.	इक्विटी शेयर धारकों के लिए आरोप्य कर के बाद शुद्ध लाभ	328839.24 लाख रुपये	244705.94 लाख रुपये
4.	भारित औसत, वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की संख्या	631636644	63163644
5.	मूल एवं विस्तृत किया गया प्रति शेयर उपार्जन रुपये में (प्रत्यक्ष मूल्य 000 रु./प्रति शेयर)	520.61 रुपये	387.42 रुपये

13.18 महत्वपूर्ण लेखा नीति-कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीति के अनुसार जहाँ भी स्पष्ट करना आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष से अधिक इस अनुसूची (अनुसूची-एम) के भाग-ए को समुचित तरीके से संशोधित किया गया/पुन: प्रारुप दिया गया है।

13.19 विगत वर्ष के आंकड़ों को जहाँ आवश्यक समझा गया है, पुनर्संगठित एवं पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

13.20 कोष्ठक में दिये गये आंकड़े विगत वर्ष से संबंधित है।

13.21 31 मार्च, 2009 के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची ''क'' से ''ड'' भाग और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए भाग-1 से 16 तक लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूची-''त'' में लेखा नीतियाँ और लेखा पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दी गयी हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI- (भाग- II एवं III) के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचनायें अनुसूची-''त'' के अनुलग्नक में दी गई हैं।

अनुसूची 'क' से 'त' तथा 1 से 16 तक के लिए हस्ताक्षरित।

ह./-
(डा. एच. सरकार)
मुख्य महाप्रबंधक/कंपनी सचिव

ह./-
(ए. के. पाल)
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

ह./-
(एस. भट्टाचार्या)
निदेशक (वित्त)

ह./-
(पार्थ एस. भट्टाचार्या)
अध्यक्ष

संलग्न रपट के अनुसार
कृते मित्रा कुण्डू एवं बसु
अंकेक्षक लेखाकार

ह./-
(एस. दास)
पार्टनर
सदस्य संख्या - 051391

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 19.06.2009

अनुसूची-त के संलग्नक

(I) **निदेशकों का पारिश्रमिक :** *(रु. लाख में)*

		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(i)	वेतन	46.31	49.67
(ii)	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में कम्पनी का अंशदान	5.02	5.25
(iii)	चिकित्सा सुविधाएँ इत्यादि	1.79	1.14
		53.12	**56.06**
	अंशकालीन निदेशक		
(iv)	बैठक शुल्क	3.90	2.80

टिप्पणी : (क) उपर्युक्त के अलावे सेवा शर्तों के अनुसार प्रति माह रु. 400/-, रु. 250/- के भुगतान पर निदेशकों को 1000/750 कि.मी. निजी यात्रा के लिये गाड़ी के प्रयोग करने की अनुमति दी गई है।

(II) **कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI खण्ड 3 तथा 4 के भाग (II) के अधीन अनुसूची 3 (ख) के अन्तर्गत सीआईएफ के आधार पर आयातों के मूल्य की वांछित आवश्यक सूचना :**

(रु. लाख में)

		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(i)	कच्ची सामग्री	शून्य	शून्य
(ii)	पूँजीगत सामान	1602.98	3108.00
(iii)	स्टोर, पार्ट-पुर्जे एवं कंपोनेंट्स	शून्य	शून्य

(लाख रुपये में)

		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(III)	**विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय :**		
(i)	ब्याज एवं सुपुर्दगी प्रभार	4516.17	3949.16
(ii)	विदेशी एजेंटों को कमीशन	6.89	4.91
(iii)	यात्रा	64.81	55.37
(iv)	विज्ञापन	44.06	1.69

(IV) विदेशी मुद्रा में जिनसे आय हुई : *(रु. लाख में)*

		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(i)	सामानों का निर्यात (एफओबी आधार पर गणना)	शून्य	शून्य
(ii)	विनिमय में परिवर्तन (शुद्ध)	698.81	673.89
(iii)	विविध	शून्य	शून्य

(V) वर्ष के दौरान भण्डार की कुल खपत : *(रु. लाख में)*

		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(i)	आयातित सामग्रियाँ	शून्य	शून्य
(ii)	घरेलू	1005.25	1110.12

31 मार्च, 2009 को समाप्त लेखा वर्ष हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI के खण्ड-II के पैरा 3 एवं 4 के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचनायें :

		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(i)	स्थापित क्षमता	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	लाइसेंस प्राप्त क्षमता	लागू नहीं	लागू नहीं

(VI) अवशेष भण्डार, उत्पादन, क्रय, टर्नओवर एवं कोयले का अन्तशेष भण्डार कोक एवं अन्य उत्पादों तथा उप-उत्पादों का तथा उनकी व्यापारिक गतिविधियों का विवरण :

(रु. लाख में)
(000 मि. टन में मात्रा)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
अथशेष भण्डार :				
कोयला एवं कोक समायोजन	85.22	917.16	186.97	2236.64
उत्पादन :				
कोयला	1009.45	—	1100.72	—
विक्रय (सकल) :				
कोयला	835.03	31186.81	11200.28	26493.86
निजी खपत :				
कर्मचारियों को एवं आंतरिक खपत हेतु नि:शुल्क जारी	1.67	—	2.19	—
अंतशेष भण्डार :				
कोयला एवं कोक	257.97	1750.60	85.23	917.16

जारी.....

अनुसूची-त का परिशिष्ट (जारी)

तुलन पत्र का सार तथा सामान्य व्यापारिक रूप-रेखा

I. पंजीकरण विवरण :

पंजीकरण संख्या: 2 8 8 4 4 — राज्य कोड: 2 1

तुलन पत्र दिनांक: 31 (दिनांक) 03 (माह) 2009 (वर्ष)

II. वर्ष के दौरान पूँजी की उगाही (राशि '000 रु. में) :

सार्वजनिक निर्गम	राइट्स निर्गम
—	—

बोनस निर्गम	प्राइवेट प्लेसमेंट
—	—

III. निधि के संग्रहण एवं प्रयोग की स्थिति (राशि '000 रु. में) :

कुल देयताएँ	कुल परिसम्पत्तियाँ
222539575	222539575

निधि के स्रोत :

प्रदत्त पूँजी	आरक्षित एवं अधिशेष
631636444	769701711

सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण
- - - - - - -	178662499

शिफ्टिंग एवं पुनर्वास निधि
122384228

निधि का प्रयोग :

शुद्ध स्थाई परिसम्पत्तियाँ	निवेश
967850	631636337

शुद्ध वर्तमान परिसम्पत्तियाँ	विविध खर्च
1061070005	- - - - - - - - - -

संचयित हानि
- - - - - - - - - -

IV. कम्पनी का निष्पादन (राशि '000 रु. में) :

कुल बिक्री (शुद्ध)

		2	8	4	3	9	2	6

कुल व्यय

		4	7	7	6	3	8	8

अन्य आय

	3	8	4	5	4	9	6	6

+/– कर पूर्व लाभ/हानि

+			3	6	5	7	6	8	3	4

+/– कर पश्चात लाभ/हानि

+			3	2	9	5	3	8	0	6

प्रति इक्विटी शेयर आय (रु.)

-	-	-	-	5	2	0	.	6	1

लाभांश %

2	7	

इक्विटी शेयर

V. प्रतिष्ठान के प्रमुख प्रजातीय उत्पादों के नाम :

मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)

2	7	0	1	1	2	-	0	0

उत्पाद विवरण: बिटुमिनस कोयला

मद कोड संख्या (आईटीसी कोड)

2	7	0	4	0	0	-	0	4

उत्पाद विवरण: कोक-कोयला

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 212 (1) (ई) के अनुसार 31 मार्च 2009 तक का अनुवर्ती विवरण

अनुषंगी (सम्पूर्ण स्वामित्व वाली)	कोल इण्डिया लि. द्वारा नियंत्रित इक्विटी शेयरों की संख्या	नामिती के नामों में सीआईएल द्वारा नियंत्रित इक्विटी शेयरों की संख्या	कुल प्रदत्त मूल्य (करोड़ रुपये में)	31.3.2009 को समाप्त वर्ष के लिए कराधान से पूर्व लाभ (+) हानि (-) (करोड़ रुपये में)	31.3.2009 को तुलन लाभ (+) हानि (-) का संचित (लाभांश एंव संरक्षित के लिए कर पश्चात प्रावधान) (करोड़ रुपये में)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	22,184,500	3	2,218.45	(–) 2105.70	(–) 8567.40
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	21,180,000	3	2,118.00	(–) 1367.00	(–) 8315.07
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	9,400,000	3	940.00	(+) 763.80	(+) 801.29
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	2,971,000	3	297.10	(+) 516.12	(+) 1843.91
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,776,728	3	177.67	(+) 3131.01	(+) 4681.48
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	3,597,000	3	359.70	(+) 1817.93	(+) 3200.05
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,864,009	3	186.40	(+) 2580.25	(+) 3697.99
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड	190,400	3	19.04	(+) 6.74	(+) 31.10
सीआईएल				(+) 3657.68	(+) 4589.53
उप योग				**(+) 8990.84**	**(+) 35727.82**
घटाकर : अनुषंगियों से मिले लाभांश से आय को कम करके प्राप्त लाभ को सीआईएल के लाभ में शामिल किया गया है।				**(–) 3329.74**	
कुल				(+) 5661.10	
आस्थगित राजस्व आय हेतु समायोजित				(+) 83.00	
समेकित लेखा के अनुसार समग्र लाभ				(+) 5744.10	

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष हेतु कोल इण्डिया लिमिटेड के लेखा पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत सरकार की टिप्पणी

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय विवरण ढाँचे के अनुसार कम्पनी प्रबन्धन की यह जिम्मेदारी है कि वह 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष हेतु कोल इण्डिया का वित्तीय विवरण तैयार करे। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा साँविधिक अंकेक्षक नियुक्त किये गये जिनकी जिम्मेदारी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत उसके व्यावसायिक निकाय भारत के चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा व्यवहृत अंकेक्षण एवं प्रत्याभूति मानक के साथ स्वतंत्र अंकेक्षण के आधार पर उक्त वित्तीय विवरण पर विचार व्यक्त करना है। दिनांक 19 जून, 2009 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार उनके द्वारा कार्य किया गया है।

मैंने, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की तरफ से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (बी) के अन्तर्गत 31.03.2009 को समाप्त वर्ष हेतु कोल इण्डिया लिमिटेड की वित्तीय विवरण का अनुपूरक अंकेक्षण संपन्न किया है। यह अनुपूरक अंकेक्षण साँविधिक अंकेक्षणों द्वारा व्यवहृत कागजातों के बिना है और यह सांविधिकों के अंकेक्षण तथा कम्पनी के कर्मचारियों की प्रारम्भिक जाँच तक सीमित है तथा कुछ लेखा अभिलेखों का चयनित परीक्षण है। हमारे अंकेक्षण के आधार पर हमारे संज्ञान में कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज नहीं है जिससे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत और किसी टिप्पणी या साँविधिक अंकेक्षण के प्रतिवेदन का अनुपूरक हो।

कृते नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक

भारत सरकार

ह./-

(डॉ. स्मिता एस. चौधरी)

वाणिज्यिक अंकेक्षक के प्रधान निदेशक एवं

पदेन सदस्य, अंकेक्षण बोर्ड- II, कोलकाता

कोलकाता

दिनांक : 15.07.2009

अंकेक्षक की रिपोर्ट

हमने कोल इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2009 तक के संलग्नित तुलन-पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा का अंकेक्षण किया है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ हैं। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर आधारित अपने अंकेक्षण पर विचार व्यक्त करना है।

हमने भारत में सामान्यत: स्वीकृत अंकेक्षण मानकों के अनुसार अपना अंकेक्षण किया है। उन मानकों की अपेक्षा के अनुसार हम अंकेक्षण की ऐसी योजना बनाते हैं, जिससे वित्तीय विवरण सामग्री अभाव विवरण से मुक्त हो, इस विषय में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सके। अंकेक्षण में जांच के आधार पर परीक्षण, साक्ष्य समर्थन के आधार पर राशि एवं वित्तीय विवरण प्रदर्शन में सम्मिलित है। अंकेक्षण में व्यवहार्य लेखा सिद्धान्त तथा प्रबंधन द्वारा बनाये गये महत्वपूर्ण आकलन के साथ ही साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतिकरण का मूल्याँकन भी सम्मिलित है। हमें आशा है कि हमारा अंकेक्षण हमारे विचार हेतु युक्तिसंगत आधार प्रदान करता है।

जैसाकि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप धारा 4-ए की शर्त में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (अंकेक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 एवं कंपनी (अंकेक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2004 के द्वारा संशोधन के अपेक्षानुसार, हम इसके साथ अनुलग्नक एवं उक्त आदेश के पैरा-4 एवं 5 में उल्लिखित शर्तों पर विवरण संलग्न कर रहे हैं :

उपरोक्त संदर्भित अनुलग्नकों में हमारे द्वारा दी गई टिप्पणी से आगे हम प्रतिवेदित करते हैं कि --

I. हमने वह सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त की है जो हमारे अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थी।

II. हमारे विचार में कंपनी द्वारा विधि सम्मत खाता बहियों को जहाँ तक उन खाता बहियों का हमारे द्वारा परीक्षण किया गया है, उचित तरीके से रखा गया है।

III. इस प्रतिवेदन द्वारा व्यवहृत तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा एवं कैश फ्लो का विवरण खाता बहियों के अनुरूप है।

IV. हमारे विचार से इस प्रतिवेदन के साथ व्यवहृत तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

प्रबंधन का उत्तर

अंकेक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन का उत्तर
और अनुसूची-एम में संदर्भित लेखा पर टिप्पणियों के साथ पठित कैश फ्लो विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3-सी) में संदर्भित लेखा मानक का अनुपालन किया गया है।	
V. अधिसूचना सं. जीएसआर 829(ई) दिनांक 21.10.2003 के अनुसार धारा 274 की उप धारा (1) का खण्ड (जी) में दिया गया प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।	
VI. बशर्ते कि :	
(क) दो अनुषंगी कंपनियों जिनके नाम-भारत कोकिंग कोल लिमिटेड तथा ईर्स्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड है के पास क्रमश: 4,77,268.76 लाख और 5,91,021.75 लाख रुपये के ऋण एवं अन्य प्राप्तियाँ होने के कारण उन्हें रुग्ण औद्योगिक कंपनी(विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के तहत रुग्ण घोषित कर बीआईएफआर को सन्दर्भित किया गया है, में निवेश का कोई प्रावधान नहीं है।	अनुसूची-एम, पार्ट-बी (लेखा पर टिप्पणियाँ) के पैरा (खण्ड) 3.1 लेखा के प्रकार में इसका पूर्णरुपेण विवरण दिया गया है उक्त का ध्यान रखते हुए कोई अन्य टिप्पणी नहीं करनी है।
(ख) जैसाकि लेखा पर टिप्पणियाँ-अनुसूची- त की मद सं. 13.13 में संदर्भित है बैक फिलिंग का प्रावधान किसी तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित नहीं है।	
(ग) जैसाकि लेखा पर टिप्पणियाँ - अनूसूची - त की मद सं. 9.5 में संदर्भित है, हम मात्र निधिबद्ध देयता के प्रकटीकरण के लिए जीवनांकिक प्रभाव-पत्र पर विश्वास रखते हैं। स्वै. से. नि. योजना (गैर-अधिकारी) के विरुद्ध जीवनांकिक देयता और कर्मचारियों के कार्य के दौरान मृत्यु पर नियोजन के स्थान पर अनुग्रह राशि का लेखा में प्रावधान नहीं किया गया है। हम लेखा पर प्रभाव की गणना नहीं कर सकते हैं।	
(घ) जैसाकि लेखा पर टिप्पणियाँ अनुसूची-त में संदर्भित है, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम(माइक्रो, स्माल एवं मीडियम) इन्टरप्राइजेज डेवेलपमेंट अधिनियम-2006 (एमएसएमईडीए) के तहत अपेक्षित सूचना का प्रकटीकरण नहीं किया गया है। इस प्रकार की इकाइयों की पहचान न होने के अभाव में यदि कोई हो तो, हम लेखा में प्रभाव की गणना नहीं कर सकते हैं।	

अंकेक्षक की रिपोर्ट

हमारे विचार से तथा हमें प्राप्त पूरी सूचनाओं और हमें दिए गये स्पष्टीकरणों के अनुसार और अनुसूची–त में दी गई टिप्पणी के साथ पठित उक्त लेखा, कंपनी अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित) द्वारा अपेक्षित सूचनायें इस प्रकार दी गई हैं जैसी भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों द्वारा वाँछित है जो सत्य एवं निष्पक्ष विचार देती है।

(क) 31 मार्च, 2009 का तुलन पत्र कंपनी की परिस्थिति के अनुकूल है,

(ख) लाभ एवं हानि लेखा की स्थिति उक्त तिथि को समाप्त वर्ष का ''लाभ'' है और

(ग) कैश फ्लो का विवरण उक्त तिथि को समाप्त वर्ष का कैश फ्लो है।

कृते, मित्रा कुण्डू एण्ड बसु
चार्टर्ड लेखाकार
ह./
(एस. दास)
पार्टनर
सदस्य सं. 051391

स्थान – कोलकाता
दिनांक : 19 जून, 2009

प्रबंधन का उत्तर

अंकेक्षण की रिपोर्ट का अनुलग्नक	प्रबंधन का उत्तर
1(क) कंपनी उन अभिलेखों का रख-रखाव कर रही है जिसमें स्थिर परिसंपत्तियों की अवस्थिति एवं संपूर्ण परिणात्मक विवरण दर्शाया गया है । फिर भी कुछ विवरण जैसे क्रय आदेश का संदर्भ, प्रारंभ करने की तारीख आदि उसमें नहीं है। चालू वर्ष के क्रय/विक्रय अभिलेख को पूरी तरह शामिल नहीं किया गया है। उक्त रजिस्टर का जनरल रजिस्टर से मिलान का कार्य चल रहा है।	संपूर्ण विवरण आदि को सम्मिलित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गए है जैसाकि अंकेक्षक के द्वारा उल्लेख किया गया है।
(ख) कंपनी की एक उत्पादन इकाई नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में जो स्थिर परिसंपत्तियाँ अवस्थित हैं, उनका प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध तरीके से समय-समय पर भौतिक सत्यापन किया गया है और प्रबंधन द्वारा की गयी संपुष्टि के अनुसार किसी सामग्री की विसंगति की कोई सूचना नहीं है। अन्य स्थिर परिसंपत्तियाँ जो अन्यत्र अवस्थित हैं, सत्यापित नहीं की गयी है। परिसंपत्ति रजिस्टर में परिसम्पत्तियों का कुछ सर्वेक्षण करना शेष है।	और कोई टिप्पणी नहीं। तथापि परिसंपत्तियों के सत्यापन के विस्तार में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठाया जायेगा।
(ग) वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों के महत्वपूर्ण भाग को समाप्त नहीं किया गया है और कंपनी की परम्परागत स्थिति प्रभावित नहीं हुई है।	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
2(क) क्षेत्रीय विक्रय कार्यालयों के स्टाकयार्ड में स्थिर इनवेन्ट्रियों के अतिरिक्त प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान उचित अन्तराल पर इनवेन्ट्रियों का भौतिक सत्यापन किया गया है सिवाय क्षेत्रीय विक्रय कार्यालयों के स्टाकयार्ड की इनवेन्ट्रियों के।	स्टाक यार्ड के कोयला भण्डार बहुत पुराने हैं और लेखा में विधिवत् दर्ज है।
(ख) हमारे विचार से कंपनी के आकार एवं वाणिज्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा इनवेंट्री के सत्यापन हेतु जो प्रक्रिया अपनायी जाती है वह उचित एवं पर्याप्त है।	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
(ग) कंपनी ने इनवेन्ट्रियों का रिकार्ड बनाए रखा है। भौतिक सत्यापन के दौरान कोई सामग्री भिन्नता नहीं पायी गयी थी।	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
3(क) हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

अंकेक्षण की रिपोर्ट का अनुलग्नक	प्रबंधन का उत्तर
बनाये गये रजिस्टर में सूचीबद्ध किसी कंपनी, फर्म या अन्य पार्टियों को सुरक्षित या असुरक्षित किसी ऋण को स्वीकृत नहीं किया है। तद्नुसार आदेश का खण्ड 4 (III) (बी) से (डी) तक लागू नहीं होता है।	
(ख) हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 310 के तहत बनाये गये रजिस्टर में सूचीबद्ध किसी कंपनी, फर्म या अन्य पार्टियों से सुरक्षित या असुरक्षित कोई ऋण नहीं लिया है। तद्नुसार, आदेश का खण्ड 4(III) (एफ) से (जी) तक लागू नहीं होता है।	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
4. अंकेक्षण के दौरान परीक्षण के आधार पर एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे विचार से कंपनी के आकार एवं कंपनी की प्रकृति तथा इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप इनवेंट्री एवं स्थिर संपत्तियों का क्रय और सामानों की बिक्री एवं सेवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली है। अंकेक्षण के दौरान आन्तरिक नियंत्रण में विवरण की अनुपलब्धता के कारण कुछ लंबित अग्रिम और भविष्य निधि खातों के संबंध में लंबित कुछ समाधानों के अतिरिक्त कोई बड़ी कमजोरी प्रकाश में नहीं आई है। अंकेक्षण के दौरान कुछ अग्रिम लेखा जिनका विवरण/अनुसूची लंबे समय से अनुपलब्ध होने के अतिरिक्त और कोई बड़ी कमजोरी प्रकाश में नहीं आयी है और बहुधा जो जमा संतुलन को तदर्थ आधार पर प्रभावित कर आविर्भाव कर रहा था, उनके विरुद्ध समायोजन किया गया है।	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। अंकेक्षक के कथनानुसार चालू वर्ष 2009-10 के दौरान विभिन्न अग्रिम लेखाओं के लिए विवरण/अनुसूची तैयार करने के लिए कदम उठाये गये हैं।
5. हमारे विचार से और हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अनुसरण में ऐसा कोई अनुबन्ध और व्यवस्थापन नहीं किया गया है जिसके ब्यौरे को अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में प्रविष्टि की आवश्यकता है। तदनुसार आदेश का खण्ड 4(बी) (बी) लागू नहीं होता है।	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
6. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं धारा 58 ए के उपबन्धों या कंपनी अधिनियम, 1956 के कोई	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

अंकेक्षण की रिपोर्ट का अनुलग्नक	प्रबंधन का उत्तर
अन्य संगत उपलब्ध और उसके अधीन बनाये गये नियमों का अनुपालन जनता से स्वीकार किये गये जमा के संबंध में किया गया है।	
7. कंपनी की एक आन्तरिक अंकेक्षण प्रणाली है जिसके क्षेत्र को विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है।	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
8. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (।) (डी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी को लागत का रिकार्ड बनाने हेतु निर्धारित नहीं किया गया है।	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
9.क. हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा किये गये लेखा बहियों के परीक्षण के अनुसार कंपनी ने कुछ मामलों को छोड़कर जहाँ पर विलंबन की सूचना है, भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि, आयकर, विक्रय कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, उप कर एवं अन्य साँविधिक देयताएं सहित सभी अविवादित देयताओं को समुचित प्राधिकारी के समक्ष नियमित रूप से जमा कराया गया है।	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
ख. हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित को छोड़कर विक्रय कर, आयकर, सीमा शुल्क, सम्पत्ति कर, आबकारी शुल्क एवं उपकर तथा अन्य साँविधिक देयता के लिए किसी विवाद के कारण कुछ भी देयता नहीं है :	उपयुक्त मंच पर विवाद उठाया गया है। मामले के निपटान के बाद ही आवश्यक भुगतान यदि कोई होगा तो, किया जायेगा।

विवादित देयता का विवरण	राशि (लाख रुपये में)	जिस मंच पर विवादित मामला लंबित है
नगर कर	619.20	कोलकाता नगर निगम ट्रिब्यूनल

10. चालू वित्तीय वर्ष में कंपनी का न कोई संचित घाटा है न ही उक्त तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान अथवा इसके तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा हुआ है।	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

अंकेक्षण की रिपोर्ट का अनुलग्नक	प्रबंधन का उत्तर
11. कंपनी ने वित्तीय संस्थानों या बैंकों को अपनी देयता के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है।	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
12. हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने शेयरों, ऋण पत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों के रूप में साख पत्रों के आधार पर कोई ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत नहीं किया है।	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
13. यह कंपनी कोई चिट निधि या निधि/म्यूचुअल लाभ निधि/सोसाइटी नहीं है।	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
14. कंपनी शेयर के लेन-देन के व्यापार में संलग्न नहीं है। कंपनी ने केवल संपूर्णतया स्वामित्व वाली अनुषंगियों में ही शेयर का निवेश किया है और उसके सम्पादन के रिकार्ड का, उसकी संविदा का समुचित तरीके से अनुरक्षण किया है और उनकी प्रविष्टियाँ समय से की गयी है। उपरोक्त सभी शेयर कंपनी के स्वयं के नाम से है।	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
15. हमारे विचार से एवं हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी ने अपनी अनुषंगियों को बैंक या वित्तीय संस्थानों से जिन शर्तों पर ऋण लेने की गारंटी दी है, वह प्रथम द्रष्टव्य में कंपनी के हित में है।	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
16. हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर वर्ष के दौरान किसी सावधि ऋण का आवेदन नहीं किया है तथापि विगत वर्षों कंपनी ने जो भी सावधि ऋण प्राप्त किये थे उनका उपयोग उसी कार्य के लिए किया गया है जिसके लिए वे लिए गये थे।	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
17. हमारे द्वारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के समग्र परीक्षण के आधार पर हमारे विचार से लघु अवधि के आधार पर ली गयी निधि को दीर्घ अवधि में निवेश नहीं किया गया है।	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
18. अंकेक्षण के अंतर्गत वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत बनाये गये रजिस्टर के अंतर्गत पार्टियों या कंपनियों को कोई प्रिफरेंसियल शेयर आबंटित नहीं किया है।	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

अंकेक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन का उत्तर
19. कंपनी ने चालू वर्ष में या पूर्ववर्ती वर्षों में कोई ऋण पत्र निर्गत नहीं किया है।	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
20. कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम के द्वारा किसी भी राशि की वसूली नहीं की।	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
21. अंकेक्षण पद्धति से निष्पादन के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि वर्ष के दौरान कोई जालसाजी नहीं पायी गई अथवा कंपनी द्वारा सूचित की गई या प्रतिवेदित की गई है।	यह तथ्यों पर आधारित कथन होने के कारण इस पर किसी पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

कृते, मित्रा कुण्डू एवं बसु
चार्टर्ड लेखाकार
ह./
(एस.दास)
पार्टनर
सदस्य सं. - 051391

स्थान - कोलकाता
दिनांक : 19 जून, 2009